चतुर्थ माला, खण्ड 45, अंक 1 सोमवार, 9 नवम्बर, 1970/18 कार्तिक 1892 (शक)
Fourth Series, Vol. XLV, No. 1 Monday, November 9, 1970/ Kartika 18, 1892 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th

LOK SABHA DEBATES

[बारहवाँ सत्र
Twelfth Session]

Preservation Unit
12-8-
Fumigated
On
Parliament Library

[खण्ड 45 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLV contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is Translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. In English/Hindi.]

(Complete)

(4) Loksabha Debates

(Hindi)

Vol. 45

No. 1 — 6

9th Nov. — 23rd Nov

620

om

9—16

56

PL

45

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—1, सोमवार, 9 नवम्बर, 1970/18 ,कार्तिक 1892 (शक)
No.—1, Monday, November 9, 1970/Kartika 18, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
सदस्यों की वर्णक्रमानुसार	Alphabetical list of Members	i—viii
लोक सभा के पदाधिकारी	Officers of the Lok Sabha	ix
भारत सरकार के मंत्री, राज्य मंत्री आदि	Government of India—Ministers, Ministers of State etc.	x—xii
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	Members Sworn	
निधन संबंधी उल्लेख	OBITUARY REFERENCES	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
1. नेफा पराज्य के विषय में हैंडरसन ब्रुक्स के प्रतिवेदन से प्रकरण उद्धृत करने की अनुमति	Permission to Reproduce Extracts from Henderson Brook's Report on NEFA Reverses	9—16
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
2. सरकारी क्षेत्र में विस्फोटक पदार्थ बनाने के कारखाने की स्थापना	Setting up of Explosives Plant in Public Sector	16—17
3. अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रास्त्रों की सप्लाई	Supply of Arms by USA to Pakistan	17

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4. भारत में कार्य कर रहीं भषज निर्माता विदेशी कम्पनियों द्वारा विदेशों में धन भेजना	Remittances by Foreign Drug Firms Functioning in India	17—18
5. भारतीय राज्य क्षेत्र को चीन का राज्य क्षेत्र दिखाने वाले रूसी नक्शों में शुद्धि करना	Correction in Soviet Maps Showing Indian Territory as Chinese	18
6. मिग 21 विमान के संशोधित माडल का निर्माण	Manufacture of Modified Model of MIG-21 Aircraft	18—19
7. जोर्डन के संघर्ष में बीच-बचाव कराने के लिये भारत से अनुरोध	Intervention of India Sought in Jordan Conflict	19
8. देश में क्षेत्रीय चिकित्सा संस्थान	Regional Medical Institutes in the Country	19—20
9. भारतीय तेल निगम के प्रबन्ध मंडल में कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रतिनिधित्व दिया जाना	Representation of Workers and Officer of Indian Oil Corporation in Management Board	20
10 अरब सागर में समुद्र तट से दूर तेल की खोज के लिये खुदाई के कार्य में प्रगति	Progress made in Off-shore drilling in Arabian Sea	20
11 रूस से कल पुर्जों के न आने से हैलीकोप्टरों का प्रयोग न होना	Grounding of Helicopters for Want of Spares from Russia	21
12. दिल्ली में और उसके आस-पास औद्योगिक कारखानों के लिये विकसित प्लाट	Developed Plots for Industrial Units in and Around Delhi	21—22
13. आवश्यक औषधियों की भारत से तस्करी	Smuggling of Essential Drugs out of India	22
14. औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश का औषधियों के मूल्यों पर प्रभाव	Impact of Drugs (Prices Control) Order on Prices of Drugs	22—23

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
15. चीन अधिकृत भारतीय क्षेत्रों के संबंध में ब्रिटेन द्वारा भारत सरकार के दावे का समर्थन	U. K. support to India's Claim to Areas Seized by China	23
16. भारत तथा बुल्गारिया के बीच बीसा पद्धति का हटाया जाना	Removal of Visa system between India and Bulgaria	23
17. अमरीकी राजदूत द्वारा सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्रों को पुनः खोलने का अनुरोध	U. S. Ambassador's request to reopen Cultural and Information Centres	23—24
18. आसाम के लिये दूसरा तेल शोधक कारखाना	Second Oil Refinery for Assam	24
19. पाकिस्तान की नौसेना शक्ति में वृद्धि	Pakistan's Naval Build up	24
20. पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई के बारे में प्रतिरक्षा मंत्री का वक्तव्य	Statement of Defence Minister regarding Supply of Arms to Pakistan	25
21. हिन्द महासागर में रूस के खतरे के सम्बन्ध में अमरीका तथा ब्रिटेन के बीच बातचीत	Talks between USA and U. K. regarding the Soviet threat in Indian Ocean	25
22. कुछ देशों द्वारा साम्यवादी चीन के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करना	Establishment of Diplomatic Relations by some Countries with Communist China	26
23. जैसलमेर सीमा पर पाकिस्तानी सेना की गति-विधियां	Movements of Pak Army at Jaisalmer Border	26
24. अमरीका, रूस तथा अन्य देशों द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई	Supply of Arms to Pakistan by USA, USSR and other Countries	26—27
25. विमानों तथा टैंकों के फालतू पुर्जों के निर्माण में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना	Achievement of Self-sufficiency in respect of Spare Parts for Aircraft and Tanks	27

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
26. संयुक्त राष्ट्र संघ में तिब्बतियों के बड़े पैमाने पर नरसंहार का प्रश्न उठाया जाना	Raising Issue of mass Genocide of Tibetans in the U. N. O.	27—28
27. कश्मीर में युद्ध विराम रेखा के दूसरी ओर पाकिस्तान द्वारा सैनिक तैयारियां	Build up by Pakistan Across Cease Fire Line in Kashmir	28
28. हैंडरसन ब्रुक्स के प्रतिवेदन की एक प्रति का गुम हो जाना	Missing of a Copy of Report of Henderson Brooks	28
29. एम० के० 8 तार पीडों में डेटोनेटर के समय से पहले फट जाने से उत्पन्न खतरा	Discovery of Premature Detonator Hazard in MK-8 Torpedoes	29
30. चीन के प्रति भारत के रूख में परिवर्तन	Change in India's attitude towards China	29

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. Nos.

1. प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा विदेशों में भेजे गये शिष्ट-मंडल	Delegation sent Abroad by Defence Ministry	29—30
2. बांडुंग में अफ्रीकी एशियाई इस्लामिक संगठन की कांग्रेस में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि	Indian Delegates to Congress of Afro-Asian Islamic Organisation held at Bandung	30
3. नई दिल्ली नगरपालिका के सेन्ट्रल स्टोर से लिये गये घटिया औषधियों के नमूने	Samples of Substandard Drugs taken from the Central Store of New Delhi Municipal Committee	31
4. नई दिल्ली स्थित इर्विन अस्पताल के डाक्टरों द्वारा एक अवयस्क लड़की के साथ बलात्कार	Rape of Minor Girl by Doctors of Irwin Hospital, New Delhi	32
5. गुजरात राज्य में ठेकेदारों को रेत के बारे में एकाधिकार देना	Grant of Monopoly on Sand to Contractors in Gujarat State	33

अता० प्र० संख्या विषय / U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ / Pages
6. आयुद्ध डिपो के कर्मचारियों के वेतन निश्चित करने सम्बन्धी अनिर्णीत मामले	Cases Pending for Fixation of Pay of Employees of Ordinance Depots	33
7. वायुयान उद्योग में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना	Achieving Self Sufficiency in Aircraft Industry	33—34
8. विदेशों को हैलीकोप्टरों की सप्लाई	Supply of Helicopters to Foreign Countries	34
9. प्रतिरक्षा सम्बन्धी विकास तथा अनुसंधान कार्यों पर खर्च में वृद्धि	Increase in Expenditure on Defence Development and Research	34—35
10. दिल्ली में नकली दवाओं का व्यापार करने वाला गिरोह	Spurious Drug Racket in Delhi	35
11. दिल्ली विकास प्राधिकरण की सामूहिक आवास योजनायें	Group Housing Schemes by Delhi Development Authority	35—36
12. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इलैक्ट्रिशियन, वायरमैन तथा सहायक वायरमैन के कर्त्तव्य	Duties of Electrician, Wiremen and Assistant Wiremen in C. P. W. D.	36-37
13. जवानों द्वारा गंगा जल का आचमन लेकर तथा कुरान की कसम लेकर शपथ ग्रहण करना	Taking of Oath by Sipping Water from Ganga/Oath to Quoran by Jawans	37
14. अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रों की सप्लाई	Supply of Arms by USA to Pakistan	37
15. सैनिक इन्जीनियरिंग सेवा, दिल्ली के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा की गई भर्ती	Recruitment by Administrative Officer of Military Engineering Service, Delhi	38
16. लुसाका में गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन	Non-aligned Countries Conference at Lusaka	38—39

अ.प्र.सं. U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
17. भारतीय लड़की को जंजीबार के एक सैनिक अधिकारी के साथ विवाह करने को विवश किया जाना	Indian Girl Forced to Marry a Zanbibar Military Official	39—40
18. कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट आफ इंडिया द्वारा रंम का खरीदा जाना	Purchase of Rum by Canteen Stores Department of India	40
19. मद्रास में निर्मित टैंकों के देशी पुर्जे	Indigenous Components of Tanks Manufactured at Madras	40—41
20. अमरीका में भारत की प्रतिष्ठा में कमी	Decline in Indian Image in USA	41
21. अमरीकी औषध निर्माताओं द्वारा भारत को बेची जाने वाली औषधियों के कथित ऊंचे मूल्य लेना	Alleged Exorbitant Prices Charged by American Drug Manufacturers for Drugs sold to India	41
22. विकरण सम्बन्धी विचार गोष्ठी की सिफारिशें	Recommendations of Seminar on Nuclearisation	41—42
23. पाकिस्तान को इण्डोनेशिया से शस्त्रों की सप्लाई	Supply of Arms to Pakistan by Indonesia	42
24. राजस्थान के सवाई माधोपुर में तेल शोधक कारखाना	Oil Refinery at Swai Madhopur in Rajasthan	42
25. चीन-भारत समस्याओं का शान्तिपूर्ण राजनैतिक हल	Peaceful Political Solution of Sino-Indian Problems	42—43
26. विमानों का अपहरण	Hijacking of Planes	43
27. जल गत शरीरक्रिया विज्ञान परीक्षणशाला की स्थापना	Establishment of Under Water physiological Laboratory	43
28. चीन द्वारा बंगाल की खाड़ी में मध्यावर्ती दूरी के प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण	Testing of Intermediate Range Ballistic Missile by China in Bay of Bengal	43—44
29. संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र में संशोधन	Revision of U. N. Charter	44
30. पाकिस्तान द्वारा समूची राजस्थान सीमा में सेना का जमाव	Pak. Army Build up throughout Rajasthan Border	44

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
31. सरोजनी नगर, नई दिल्ली के निकट गन्दगी	Insanitary Conditions near Sarojini Nagar, New Delhi	45
32. रामकृष्णापुरम में तथा सरोजिनी नगर, नई दिल्ली के समीप दुग्धशालाओं और झुग्गियों का गिराया जाना	Demolishing of Jhuggis and Dairies in R. K. Puram, and near Sarojini Nagar, New Delhi	45—46
33. भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी कारखाने के कर्मचारियों को ताप, धूल तथा गैस भत्ते	Grant of Heat, Dust and Gas Allowances to Workers of Sindri Unit of Fertilizer Corporation of India	46
34. विभिन्न राज्यों में अलौह धातुओं का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण	Survey for Non-ferrous Metals in Various States	47
35. राजधानी में पेथीडाईन औषधि की धोखाधड़ी	Pethidine Racket in the Capital	47—48
36. दिल्ली में अमिश्रित मक्खन की बिक्री	Sale of Adulterated Butter in Delhi	48
37. प्रतिक्षित विद्रोही नागाओं की नागा रेजीमेंट में भर्ती	Recruitment of Trained Rebel Nagas in Naga Regiment	49
38. जिला पौडी गढ़वाल (उ० प्र०) के धनवंतरि औषधालय, खोल (आमकोट) के एक वैद्य का आवेदनपत्र	Application by a Vaid of the Dhanvantri Aushdhalaya, Khol (Amkot), District Pauri Garhwal (U. P.)	49
39. भारत के उच्चतम न्यायालय के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणियां	Adverse Remarks on Supreme Court of India	49—50
40. बरौनी उर्वरक परियोजना में प्रगति	Progress at Barauni Fertilizer Project	50
41. विदेशी तेल कम्पनियों के साथ तेल शोधक कारखानों सम्बंधी करार	Refinery Agreement with Foreign Oil Companies	51
42. डा० धर्म तेजा को स्वदेश वापस लाया जाना	Extradition of Dr. Dharma Teja	51

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
43. पाकिस्तान को अमरीका के बमवर्षक विमानों की सप्लाई	Supply of U. S. Bombers to Pakistan	51—52
44. पाकिस्तान द्वारा फ्रांस में निर्मित मिराज-5 लड़ाकू विमानों का क्रय	Purchase of Mirage—5 Aircraft by Pakistan	52
45. इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में मंडलीय विक्रय प्रबन्धक (विपुलता) की नियुक्ति	Appointment of Divisional Sales Manager (Bulk) in Indian Drugs and Pharmeceuticals Ltd.	52—53
46. उड़ीसा के लिये आवर्ती आवास निधि	Revolving Housing Funds for Orissa	53
47. डा० एन० एस० कापानी द्वारा नेत्र आपरेशन के नए उपाय	New Devices for Eye Operation by Dr. N. S. Kapany	53—54
48. भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी कारखाने में ठेका श्रमिक व्यवस्था	Contract Labour system in Sindri Unit of Fertilizer Corporation of India	54
49. हल्दिया तेल शोधक परियोजना के कार्य में हुई प्रगति	Progress at Haldia Refinery Project	54—55
50. संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को स्थान दिलाने में भारत का समर्थन	India's Support to Seat China in U. N. O.	56
51. 1964 में किए गए करार के कार्यान्वयन के लिये श्रीलंका के साथ वार्ता	Talks for Implementation of 1964 Agreement with Ceylon	56
52. अस्पतालों में औषधि बिक्री केन्द्रों की स्थापना	Setting up of Drug Shops in Hospitals	56—57
53. दक्षिण अफ्रीका को ब्रिटिश हथियारों की सप्लाई का भारत द्वारा विरोध	Protest by India on British Arms Supply to South Africa	57—58

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
54.	काहिरा स्थित चीनी प्रतिनिधि से भारतीय राजदूत की वार्ता	Indian Ambassador's Talks with the Chinese Envoy at Cairo	58
55.	कलकत्ता गन्दी बस्ती का सुधार करने के लिए समयबद्ध योजनाएं	Time Bound Schemes for Improvement of Calcutta Slum	58—59
56.	जन्जीबार में एक भारतीय नवयुवती द्वारा आत्महत्या का प्रयास	Attempts to Committee Suicide by an Indian Girl in Zanzibar	59—60
57.	सैनिक कर्मचारियों को विशिष्ट सहायता	Special Relief to Armed Personnel	60—61
58.	सुधरे रूप में मिग—21 विमान के लिये रूस और हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लि० के बीच समझौता	Agreement between HAL and USSR for Modified Version of MIG 21	61
59.	पाकिस्तान से सुपर कान्स्टेलेशन विमानों से मिग—19 लड़ाकू बमवर्षक बदलने का कथित इंडोनेशयाई प्रस्ताव	Alleged Indonesian move to Exchange MIG 19 for Super Constellation Airliners from Pakistan	61
60.	केरल से विदेशों को ईसाई भिक्षुणियों का भेजा जाना	Sending of Nuns from Kerala to Foreign Countries	61—62
61.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सहायक उद्योगों की स्थापना	Setting up of Ancillary Industries by Public Sector Undertakings	62
62.	भारत में पनडुब्बियों का निर्माण	Manufacture of Submarines in India	62
63.	पश्चिम एशिया पर शान्ति वार्ता के सम्बन्ध में इसरायल की नीति	Israel's Stand on Peace Talks on West Asia	63
64.	बन्धीकरण आपरेशन के पश्चात् रोगी की मृत्यु के फलस्वरूप बंगलौर की एक लेडी डाक्टर को निलम्बित किया जाना	Suspension of Lady Doctor in Bangalore on death of a Patient after Tubectomy	63

अता० प्र० सख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
65.	फ्रांस द्वारा पाकिस्तान को पनडुब्बियों की सप्लाई	Supply of Submarines to Pakistan by France	63–64
66.	मिट्टी के तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण), आदेश 1970	Kerosene (Fixation of Ceiling Prices) order, 1970	64
67.	दिल्ली लघु उद्योग के संबंध में सी० बी० आई० की जांच रिपोर्ट	Report of C. B. I. Regarding Delhi Small Scale Industry	64—65
68.	राष्ट्रीय कोयला संगठन कर्मचारी संघ, रांची का ज्ञापन	Memorandum by National Coal Organisation Employees Association Ranchi	65
69.	दिल्ली में मध्य आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये मकान	Houses for Middle Income Groups in Delhi	66
70.	दिल्ली के अस्पतालों में रोगियों के साथ दुर्व्यवहार	Maltreatment of Patients in Hospitals of Delhi	66
71.	जी० डी० एम० ओ० की पदोन्नति	Promotion of G. D. M. Os	66—68
72.	छिपे नागा उपद्रवियों द्वारा बलात् धन, राशन का संग्रह और संघीय नागा सेना के लिये जबरन भर्ती	Forcible Collection of Money, Rations and Recruitment for Federal Naga Army by Underground Naga Hostiles	68
73.	हिन्द चीन समस्या पर अमरीकी प्रस्ताव	U. S. Plan to solve Indo China Problem	69
74.	मध्यपूर्व में युद्ध विराम	Cease Fire Middle East	69—70
75.	संयुक्त राष्ट्र महासभा में पूर्वी पाकिस्तान से आ रहे शरणार्थियों का मामला उठाना	Issue of Refugee inflow from East Pakistan in U. N. General Assembly	70
76.	दिल्ली में विशेष प्रकार का फ्लू	Spread of Special Type of Flu in Delhi	70—71
77.	विदेशों में भारतीय राजनयिकों के भारतीयकरण के बारे में किये गये उपाय	Steps to Indianize Indian Diplomats Abroad	71—72

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
78. राज्यों तथा जातीय आधार पर गठित सेना रेजीमेंट	Army Regiments Formed on the Basis of States and Castes	72—73
79. आपरेशन द्वारा आंख लगाना	Eye Grafting Operations	73
80. ग्रामीण क्षेत्रों में एक्सरे की सुविधाएं	X Ray Facilities in Rural Areas	73
81. चौथी योजना में देश में पेय जल की सुविधाओं की व्यवस्था करना	Provision of Drinking Water Facilities during Fourth Plan	74
82. औद्योगिक विस्तार योजना	Industrial Mobilization Plan	74—75
83. नेशनल बिल्डिंग कन्सट्रक्शन कारपोरेशन द्वारा यंत्रीकृत इंटों के संयंत्र की स्थापना	Mechanised Brick Plant set up by N. B. C. C.	75
84. परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर व्यय	Expenditure on Family Planning Programmes	75—76
85. परिवार नियोजन कार्यक्रम का मूल्यांकन	Evaluation of Family Planning Pogrammes	76-77
86. भारत में जनन जीव विज्ञान पर अनुसंधान	Research on Reproductive Biology in India	77—79
87. जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य तथा दक्षिण वियतनाम की राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा (नेशनल लिब्रेशन फ्रंट) सरकार को राजनयिक मान्यता देना	Diplomatic Recognition of German Democratic Republic and National Liberation Front Government of South Vietnam	79
88. इन्डियन रैड क्रास सोसाइटी	The Indian Red Cross Society	79—82
89. इन्डियन रैड क्रास सोसाइटी के कर्मचारियों की संख्या तथा उनके वेतन	Staff of Indian Red Cross Society and their Emoluments	82
90. इन्डियन रैड क्रास सोसाइटी द्वारा प्राप्त तथा वितरित किये गये उपहार	Gifts Received and Distributed by Indian Red Cross Society	82

अता॰ प्र॰ संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
91.	इन्डियन रैड क्रास सोसाइटी द्वारा पश्चिम बंगाल में बांटे गये उपहार	Gifts Distributed by Indian Red Cross Society in West Bengal	83
92.	भारत में नये तेल भंडारों की खोज के लिये मांग	Demand for Exploration of New Oil Reserves in India	83
93.	पश्चिम बंगाल में कोयला उद्योग के कर्मचारियों की जबरन छुट्टी	Laying Off of Workers in Coal Industry in West Bengal	84
94.	खनिज पदार्थों के लिये विमान द्वारा सर्वेक्षण	Aerial Survey for Minerals	84–85
95.	सदर्न पैट्रो कैमिकल्ज कारपोरेशन लि॰ को तूतीकोरिन फर्टीलाइजर और एलाइड प्रोजेक्ट्स का आशय पत्र	Letter of Intent Issued to Southern Petro Chemicals Corporation Ltd. for Tuticorin Fertilizer and Allied Projects	85
96.	सेवा निवृत आई॰ ए॰ एस॰ अधिकारी द्वारा प्रवर्तित उर्वरक कम्पनी के विरुद्ध शिकायत	Complaint against Fertilizer Company Promoted by a Retired I. A. S. Officer	85–86
98.	दिल्ली में वायु प्रदूषण	Air Pollution in Delhi	86–87
100.	जामनगर में हुई प्रशिक्षण विमान दुर्घटना के बारे में जांच	Enquiry into Trainer Aircraft Crash at Jamnagar	87
101.	पारस्परिक आधार पर वीसा पद्धति की समाप्ति	Removal Visa System on Reciprocal Basis	87
102.	मक्का से प्रकाशित एक पत्रिका में इस्लामी राज्यों के रूप में दिखाए गये भारत के कुछ राज्य	Certain States of India shown Islamic States in a Magazine Published from Mecca	87–88
103.	भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार का पुनः शुरू किया जाना	Resumption of Trade between India and Pakistan	88

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
104.	जाति के आधार पर बनाई गई विविध सैनिक इकाईयों की मान्यता समाप्त करने का प्रस्ताव	Proposal to Derecognise Different Army Units Created on Basis of Caste	88
105.	हिन्द महासागर में रूस के नौ सैनिक अड्डे	Russian Base in Indian Ocean	89
106.	हिन्द महासागर में रूसी नौसैनिक अड्डे	Russian Base in Indian Ocean	89
107.	परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये प्रभावशाली गर्भ निरोधक गोलियां	Effective Contraceptives for Family Planning Programme	89—90
108.	प्रतिरक्षा कर्मचारियों का बीमा	Insurance of Defence Personnel	90
109.	विमान द्वारा अपहृत किए गए भारतीय यात्री	Indian Passengers Hijacked	90
110.	पन्ना की हीरा खानों से निकाले गये हीरे	Diamonds Extracted at Panna Diamond Mines	90-91
111.	अरब देशों को भारतीय लड़कियों की कथित बिक्री	Alleged Sale of Indian Girls to Arab Countries	91
112.	पूर्व पाकिस्तान से अल्प संख्यकों के आगमन को रोकने के लिये संसद् सदस्यों का प्रधान मंत्री को सुझाव	M. P's Suggestion to Prime Minister Regarding Stoppage of Influx of Minorities from East Pakistan	91—92
113.	मिग 21 विमान के कल पुर्जों का निर्माण	Manufacture of Components of MIG 21	92
114.	पश्चिम एशिया के विवाद को हल करने के लिये रूस का प्रस्ताव	Soviet Proposal for Settlement of West Asia Conflict	92—93
115.	अफ्रीकी उपनिवेशों में मुक्ति आन्दोलनों को सहायता	Aid to Liberation Movement in African Colonies	93

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos	विषय Subject	पृष्ठ Pages
116. नई दिल्ली में अरब के विद्यार्थियों के प्रदर्शन के विरुद्ध अमरीका का विरोध पत्र	U. S. Protest Against Arab Students' Demonstration in New Delhi	93
117. काश्मीर के बारे में पाकिस्तान के पक्ष का बुलगारिया द्वारा कथित समर्थन	Alleged Bulgarian Support to Pakistan's Stand on Kashmir	93—94
118. सरकारी उपक्रमों के उच्चतम अधिकारियों के दिल्ली में हुए सम्मेलन में विचार विमर्श के विषय	Topics Discussed at Conference of Heads of Public Undertakings Held in Delhi	94—95
119. पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई के बारे में अमरीका के सेनेटर का वक्तव्य	Statement by US Senator Regarding Supply of Arms to Pakistan	95
120. अनिर्णीत भारत पाक विवादों पर बातचीत	Talks on Unresolved Indo Pak. Disputes	95—96
121. ब्रिटेन में भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Entry of Indians into Britain	96
122. भारत पाकिस्तान सीमाओं पर पाकिस्तानी सेना का जमाव	Mobilization of Pakistan Forces on Indo-Pakistan Borders	97
123. केन्टोनमेंट बोर्ड हाई स्कूल, यौल	Cantonment Board High School, Yol	97
124. शहरी सम्पति की उच्चतम सीमा निर्धारित करने विषयक विधेयक	Bill Regarding Ceiling on Urban Property	97—98
125. पूर्व पाकिस्तान में चीन के नौसैनिक अड्डे	China's Naval Bases in East Pakistan	98
126. परिवार नियोजन पर होने वाले व्यय के अनुपात में उद्देश्य की पूर्ति	Cost Effectiveness of Family Planning	99

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
127.	प्रतिरक्षा सेवाओं पर अतिरिक्त व्यय कम करने के उपाय	Measures Adopted to Reduce Excess Expenditure on Defence Services	99
128.	अरब छापामारों द्वारा असैनिक वायुयानों का अपहरण	Skyjacking of Civilian Aircraft by Arab Commandos	99
129.	लुसाका सम्मेलन में भारत-चीन विवाद का मामला उठाया जाना	Raising of Sino-Indian Dispute at Lusaka Conference	100
130.	सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में नई दिल्ली नगर पालिका के स्टालों का कांग्रेस कार्य-कर्त्ताओं को आवंटन	Allotment of NDMC Stalls to Congress Workers in Sarojini Nagar, New Delhi	100
131.	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के स्पेशल ग्रेड डाक्टरों के वेतन मानों तथा सेवा शर्तों का पुनरीक्षण	Revision of Pay Scales and Service Conditions of C. H. S. Special Grade Doctors	100–101
132.	लुसाका में हुए गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि	Delegates to Non-Aligned Summit at Lusaka	101—102
133.	चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा में परिवर्तन	Change in Medical Education	102—103
134.	1965 में पाकिस्तानी सैनिक विमानों द्वारा भारतीय वायु सीमा का कथित उल्लंघन	Alleged Violation of Indian Air Space by Pak. Military Aircraft in 1965	103—104
135.	नई दिल्ली में बड़े सरकारी बंगलों के पुनर्विकास संबंधी तकनीकी समिति	Technical Committee on Redevelopment of Spacious Government Bungalows, New Delhi	104—105
136.	रूस के साथ नक्शा संबंधी विवाद पर श्वेत पत्र प्रकाशित किया जाना	Publication of White Paper on Map Controversy with USSR	105

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
137. प्रतिक्षण प्राप्त करने के बाद नागा एवं मिजो विद्रोहियों का भारत आना	Trained Nagas and Mizos Crossed over to India	105
138 ऋषिकेश स्थित एन्टिवायोटिक्स कारखाने को बन्द किये जाने के बारे में जांच	Enquiry into Closure on Antibiotic Unit at Rishikesh	106
139. बिड़ला भवन का अर्जन	Acquisition of Birla House	106
140. जमीन तथा मकानों के किराये और अधिग्रहण के सम्बन्ध में न्यायालय में मुकदमें	Court Proceedings regarding Hiring and Requisitioning of Lands and Buildings	106—107
141. सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारियों द्वारा विवाहित श्रेणी के सरकारी क्वार्टरों को खाली किया जाना	Vacation of Government Married Quarters by Retired Army Officers	107
142. कावेरी बेसिन में तेल की खोज	Research for Oil in Cauvery Basin	107—108
143. गिल्लित घाटी, जोहानिसवर्ग के भारतीय कृषकों की बेदखली	Eviction of Indian Farmers of Gillita Valley, Johannesberg	108
144. कम्बोदिया स्थित भारतीय राजदूत को एक कम्बोदियन समारोह में भाग लेने के लिये अनुदेश	Instructions to Indian Ambassador in Cambodia not to Attend Combodian Function	108 109
145. तायवान के साथ राजनयिक संबंध	Diplomatic Relations with Taiwan	109
146. लुसाका शिखर सम्मेलन का प्रभाव	Impact of Lusaka Conference	109—110
147. सरकारी क्षेत्र में तेल शोधक कारखाने की स्थापना	Setting up of Oil Refinery in Public Sector	110
148. राष्ट्रीय पेट्रोलियम आयोग की स्थापना	Setting up of National Petroleum Commission	110

तारा० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
149. कोककर कोयले का उत्पादन	Production of Coking Coal	111
150. नई दिल्ली नगर पालिका भवन का गिराया जाना	Demolition of New Delhi Municipal Building	111
151. कनाट प्लेस नई दिल्ली में फव्वारा	Fountain in Connaught Place, New Delhi	112
152. सैनिक कर्मचारियों की पेंशन का निलम्बन	Suspension of Pensions of Army Personnel	112
153. नागा विद्रोहियों द्वारा आत्म समर्पण	Surrender by Naga Rebels	112—113
154. भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी यूनिट के चार्जमैन के बारे में राज्य कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन समिति के निर्णय की क्रियान्विति	Implementation of decision of State Implementation and Evaluation Committee regarding Chargemen of Sindri Unit of Fertilizer Corporation of India	113
155. इराक से कच्चे पेट्रोलियम तथा गंधक का आयात	Import of Crude Petroleum and Sulphur from Iraq	113—114
156. दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न तथा मध्य आय वर्ग के लोगों के लिये भूमि के मूल्य में वृद्धि	Increase in Price of Land by DDA for Low and Middle Income Groups	114—115
157. कोयले पर आधारित तीन उर्वरक संयंत्रों की प्रगति	Progress at Three Coal Based Fertilizer Plants	115
158. भारत द्वारा ईरान में सह उद्यम के आधार पर एमोनियम के कारखाने का निर्माण	Construction of Ammonia Factory in Iran by India under Joint Venture	115
159. परिवार नियोजन कार्यक्रम की प्रगति	Progress regarding Family Planning Programme	115—116
160. भारतीय तेल निगम में स्वचालित मशीनों का प्रयोग	Automation in Indian Oil Corporation	116
161. राष्ट्रीय ईंधन नीति	National Fuel Policy	116—117
163. अलाभप्रद खानों का अनिवार्य विलयन	Compulsory Amalgamation of Uneconomic Mines	117

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
164.	कलकत्ता महानगर क्षेत्र में जल संभरण की योजना	Schemes for Water Supply in Calcutta Metropolitan Area	117—118
165.	कलकत्ता में क्षय रोग के रोगी	T. B. Patients in Calcutta	118
166.	भारत-नेपाल वार्ता	Indo-Nepal Talks	118
167.	उड़ीसा में खानों का विकास	Development of Mines in Orissa	119
168.	इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा इण्डो बर्मा पेट्रोलियम तथा एस्सो के प्रति दिखाया गया कथित पक्षपात	Alleged Favour Shown to Indo Burma Petroleum ond ESSO by Indian Oil Corporation	119
169.	पारादीप, उड़ीसा में उर्वरक कारखाने की स्थापना	Establishment of Fertilizer Factory at Paradeep, Orissa	119—120
170.	गुजरात में संश्लिष्ट रबड़ संयंत्र की स्थापना में हुई प्रगति	Progress made in Setting up Synthetic Rubber Plant in Gujarat	120
171.	जर्मन जनवादी गणतंत्र का युनेस्को में प्रवेश	Admission of German Democratic Republic to UNESCO	121
172.	हिन्द गल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा की गई अनियमितताओं की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	CBI Inquiry into Irregularities Committed by Hind Galvanising and Engineering Company	121
173.	भारतीय क्षेत्रों को दूसरे देशों का क्षेत्र दिखाये जाने वाले अन्य देशों द्वारा प्रकाशित नक्शों पर प्रतिबन्ध	Ban on Maps Produced by Foreign Countries showing India Territories as Belonging to other Countries	121—122
174.	भारतीय पर्यटकों की चीन यात्रा	Visit of Indian Tourists to China	122
175.	मकानों को खाली करने के बारे में सैनिक अधिकारियों की सिफारिशें	Recommendations of Army Authorities Regarding Dehiring of Houses	122
176.	किराये के मकानों को खाली किया जाना	Dehiring of House	123

प्रता० प्र० संख्या J. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
177. सरकारी फ्लेटों/मकानों में रहने वाले लोगों के निजी मकानों को खाली करना	Dehiring of Houses where Owners were in Possession of Flats/Houses	123
178. प्रतिरक्षा अधिकारियों द्वारा किराये पर लिये गये मकानों का खाली पड़े रहना	Houses Hired by Defence Authorities Remaining Vacant	123—124
179. किराये के मकानों को खाली किये जाने के विचाराधीन मामले	Pending Cases of Dehiring Houses	124
180. सिन्थैटिक ड्रग्स संयंत्रों को हुई हानि	Loss Incurred by Synthetic Drugs Plants	124—125
181. गुजरात में मीठापुर मैसर्स टाटास द्वारा उर्वरक कारखाने की स्थापना	Fertilizer Project by Tatas at Mithapur in Gujarat	125—126
182. कर्जन रोड होस्टल, नई दिल्ली में सेवाओं की अपर्याप्त व्यवस्था	Inadequate Provision of Services in Curzon Road Hostel, New Delhi	126
183. ब्रिटिश अभिलेखागार में भारत की उत्तरी सीमा के बारे में उपलब्ध सामग्री का अध्ययन	Study of Material on India's Northern Border in British Archive	126
184. विदेशों में भेजे गये औपचारिक विरोध पत्र	Formal Protest Notes sent to Foreign Countries	127
185. अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिये सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पदों का आरक्षण	Reservation of Posts in Public Sector Undertakings for Scheduled Castes and Tribes	127
186. उत्तर प्रदेश में दक्षिण सिंगरौली में कोयला भंडार	Coal Deposits in Singroli on South of U. P.	127—128
187. नई दिल्ली में सरकारी कालोनियों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालयों का कार्य	Functioning of CPWD Enquiry Offices in Government Colonies in New Delhi	128—129

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
188. सफदरजंग हस्पताल, नई दिल्ली के प्रशासन अधिकारी द्वारा की गयी अनियमितायें	Irregularities Committed by Administrative Officer Safdarjang Hospital, New Delhi	129
189. क्षयरोग अस्पताल, महरोली, दिल्ली	T. B. Hospital, Mehrauli, Delhi	129—130
190. क्षयरोग, अस्पताल, महरोली (दिल्ली) के बारे में आयोग का प्रतिवेदन	Report of Commission of T. B. Hospital Mehrauli Delhi	130—131
191. जापान के विदेश मंत्री के साथ परस्पर सहयोग के संबंध में बातचीत	Discussion on Mutual, Co-operation with Japan's Foreign Minister	131—132
192. दिल्ली में क्षय रोगियों की अस्पताल सुविधाएं	Hospital Facilities to T. B. Patients in Delhi	132
193. दिल्ली में मेडिकल कालेजों में दाखिला	Admission to Medical Colleges in Delhi	132—134
194. आधुनिकतम प्रतिरक्षा उपकरणों का देश में निर्माण	Indigenous Manufacture of Sophisticated Defence Equipment	134
195. गोआ में तेल शोधक कारखाना	Oil Refinery in Goa	134—135
196. आम प्रयोग में आने वाली औषधियों के लागत ढांचे का अध्ययन	Cost Structure Study of Bulk Drugs	135
197. छिपे नागाओं के साथ सम्पर्क	Contacts with Underground Nagas	135
198. सरकारी कर्मचारियों को गर्भ निरोधकों का नि:शुल्क वितरण	Free Supply of Contraceptives to Government Servants	135—136
199. उपभोक्ता गैस के मूल्य में कमी	Reduction in Price of Consumers Gas	136
200. बम्बई में हुई दुर्घटना से सम्बन्धित एक रूसी का स्वदेश चला जाना	Escape of a Russian Involved in an Accident in Bombay	137

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में (प्रश्न)	Re. Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance (Query)	137—138
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	138
संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रास्त्रों की सप्लाई	Supply of Arms to Pakistan by USA and USSR	138—145
श्री कंवर लाल गुप्ता	Shri Kanwar Lal Gupta	138
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	138
स्थगन प्रस्ताव के बारे (प्रश्न)	Re. Motions for Adjonrnment (Query)	145—147
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	148—153
संविधान (संशोधन) विधेयक	Constitution (Amendment) Bill	153
(एक) प्रवर समिति का प्रतिवेदन	Report of Joint Committee	153
(दो) साक्ष्य	Evidence	154
जांच आयोग (संशोधन) विधेयक	Commission of Inquiry (Amendment) Bill	154
(एक) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	(1) Report of Joint Committee	154
(दो) साक्ष्य	(2) Evidence	154
गर्भ की चिकित्सा समाप्ति विधेयक	Medical Termination of Pregnancy Bill	154
(एक) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	(1) Report of Joint Committee	154
(दो) साक्ष्य	(2) Evidence	154—155
केन्द्रीय बिक्री कर (संशोधन) विधेयक	Central Sales Tax (Amendment) Bill	155
प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये समय को बढ़ाना	Extension of Time for Presentation of Report of Select Committee	155
अविश्वास प्रस्ताव के बारे में	Re. Motions of No-Confidence	155—156
केन्द्रीय श्रम विधियां (जम्मू और काश्मीर पर विस्तारण) विधेयक	Central Labour Laws (Extension to Jammu and Kashmir) Bill	156
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	156

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री भगवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	156—163
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	158—159
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा	Shri Inder J. Malhotra	160
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	160
श्री देवेन सेन	Shri Deven Sen	161
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	161
श्री राजाराम	Shri Raja Ram	161
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	161
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्	Shri Tenneti Viswanatham	161—162
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka	162
श्री तुलशीदास जाधव	Shri Tulsidas Jadhav	162
श्री कमल नयन बजाज	Shri Kamalnayan Bajaj	162
खंड 2 से 6 और 1	Clauses 2 to 6 and 1	164—167
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass, as amended	165—167
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	167
श्री बलराज मधोक	Shri Balraj Madhok	167
श्री लखन लाल कपूर	Shri Lakhan Lal Kapoor	167
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	167—168
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	168
कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) संशोधन विधेयक	Coal Mines (Conservation and Safety) Amendment Bill	168
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	168
श्री नीतिराज सिंह चौधरी	Shri Nitiraj Singh Chaudhary	168—176
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi	168—169
श्री फ० गो० सेन	Shri P. G. Sen	169
श्री वेदव्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	169—170
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	170—171
श्री तुलशीदास जाधव	Shri Tulshidas Jadhav	171

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	172
श्री मुहम्मद इस्माइल	Shri Mohammad Ismail	172—173
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	173—174
खंड 2 से 10 और 1	Clauses 2 to 10 and 1	175—177
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	177
श्री बेणी शंकर शर्मा	Shri Beni Shanker Sharma	177—178
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	178
श्री नीतिराज सिंह चौधरी	Shri Nitiraj Singh Chaudhary	179
लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक	Iron Ore Mines Labour Welfare Cess (Amendment) Bill	179
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	179
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	179

अ

अंकिनीडु, श्री (गुडिवाडा)
अंजनप्पा, श्री (नेल्लोर)
अंबाजागन, श्री (तिरूचेंगोड)
अंबुचेजियान, श्री (डिंडीगुल)
अगड़ी, श्री स० अ० (कोप्पल)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अदिचन, श्री (अडूर)
अनिरुद्धन, श्री क० (चिरयिन्कील)
अब्राहम, श्री के० एम० (कोट्टयम)
अमजद अली, श्री सरदार (बसिरहाट)
अमात, श्री दे० (सुन्दरगढ़)
अमीन, श्री रा० की० (ढंढुका)
अमीन, श्री रामचन्द्र ज० (मेहसाना)
अयरवाल, श्री राम सिंह (सागर)
अरुमुगम, श्री (टेंकासी)
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
अवेद्य नाथ, श्री (गोरखपुर)
असगर हुसैन, श्री (अकोला)
अहमद, डा० इ० (गिरिडीह)
अहमद, श्री ज० (धुबरी)
अहमद, श्री फखरुद्दीन अली (बारपेटा)
अहिरवार, श्री नाथू राम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)
आत्म दास, श्री (मुरैना)

इ

इकबाल सिंह, श्री (फाजिलका)

उ

उइके, श्री (मंडला)
उमानाथ, श्री (पुद्दू कोटै)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारदगा)
उलाका श्री राम चन्द्र (कोरापुट)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नामनिर्देशित-आंग्ल-भारतीय)
एस्थोस, श्री मुवत्तुपुजा)

ओ

ओंकार सिंह, श्री (बदायू)
ओबराय, श्री एम० एस० (हजारीबाग)

क

कछवाय श्री हुकम चन्द (उज्जैन)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कथम, श्री बी० ना० (जलपाईगुडी)
कन्डप्पन, श्री (मैदूर)
कपूर, श्री लखन लाल (किशनगंज)
कमलनाथन्, श्री (कृष्णगिरि)
कमला कुमारी कुमारी (पालामऊ)
कर्ण सिंह, डा० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह, डा० (बीकानेर)
कलिता, श्री धीरेश्वर (गोहाटी)
कस्तुरे, श्री अ० श्री० (खामगांव)
कांबले, श्री (लातूर)
कामराज, श्री के० (नगरकोइल)
कामेश्वर सिंह, श्री (खगरिया)
कावड़े, श्री भा० रा० (नासिक)
काहानडोल, श्री ज० मं० (मालेगांव)
किकर सिंह, श्री (भटिंडा)

किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किरुतिनन, श्री (शिवगंज)
किस्कु, श्री अ० कु० (झाड़ग्राम)
कुंटे, श्री दत्तात्रेय (कोलाबा)
कुचेलर, श्री (बैल्लोर)
कुन्दू, श्री स० (बालासौर)
कुरील, श्री वै० ना० (रामसनेहीघाट)
कुरेशी, श्री शफी (अनन्तनाग)
कुशवाह, श्री यशवन्त सिंह (भिंड)
कुशोक बाकुला, श्री (लद्दाख)
कृपालानी, श्री जी० भा० (गुना)
कृपालानी, श्रीमती सुचेता (गोंड़ा)
कृष्ण, श्री मं० रं० (पेद्दपल्लि)
कृष्ण, श्री एस० एम० (मंडया)
कृष्णन्, श्री (कोलार)
कृष्णप्पा, श्री (हस्कोटे)
कृष्णमूर्ति, श्री (कडलूर)
केदरिया, श्री छ० म० (मांडवी)
केसरी, श्री सीताराम (कटिहार)
कोठारी, श्री स्वतन्त्र सिंह (मंदसौर)
कौशिक, श्री कृ० मा० (चांदा)

ख

खन्ना, श्री प्रे० कि० (शाहजहांपुर)
खां, श्री अजमल (पेरियाकुलम)
खां, श्री गयूर अली (कैराना)
खां, श्री जुल्फिकार अली (रामपुर)
खां, श्री मु० अ० (कासगंज)
खां, श्री लताफत अली (मुजफ्फरनगर)
खाडिलकर, श्री (खेड़)

ग

गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गजराज सिंह, राव (महेन्द्रगढ़)
गणेश, श्री (अंडमान तथा नीकोबार द्वीपसमूह)
गांधी, श्रीमती इन्दिरा (रायबरेली)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गार्चा, श्री देविन्दर सिंह (लुधियाना)
गिरिजा कुमारी, श्रीमती (शहडोल)
गुडाडिन्नी, श्री ब० क० (बीजापुर)
गुप्त श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुप्त, श्री कंवरलाल (दिल्ली सदर)
गुप्त, श्री राम कृष्ण (हिसार)
गुप्ता, श्री लखन लाल (रायपुरा)
गुरचरन सिंह, श्री (फीरोजपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेविट, श्री तुकाराम (नानदरबार)
गोपालन, श्री अ० कु० (कासरगोड)
गोपालन, श्री प० (तेल्लिचेरी)
गोपालन, श्रीमती सुशीला (अम्बलपुजा)
गोयल, श्री श्रीचन्द (चंडीगढ़)
गोविन्ददास, डा० (जबलपुर)
गोहेन, श्री चोब चन्द्रेत (आसाम का उत्तर-पूर्व सीमावर्ती क्षेत्र)
गोंडर, श्री मुत्तू (त्रिपत्तूर)
गौड, श्री गाडिलिंगन (कुरनूल)
गौडर, श्री नंजा (नीलगिरि)
गौडा, श्री हुच्चे (चिकमगलूर)
गौतम, श्री चि० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री गणेश (कलकत्ता दक्षिण)
घोष, श्री परिमल (घाटल)
घोष, श्री प्र० कु० (रांची)
घोष, श्री विमल कान्ति (सेरामपुर)

च

चक्रपाणि, श्री (पोन्नाणि)
चटर्जी, श्री कृष्ण कुमार (हावड़ा)
चटर्जी, श्री नि० च० (बर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रो० ला० (एटा)
चन्दा, श्री अनिल कु० (भोलपुर)
चन्दा, श्रीमती ज्योत्सना (कचार)
चन्द्रशेखर सिंह, श्री (जहांनाबाद)

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका प्रसाद, श्री (बलिया)
चह्वाण, श्री दा० रा० (करोड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव बलवन्तराव (सतारा)
चित्ती बाबू, (श्री चिंगलपट)
चौधरी, श्री जे० के० (त्रिपुरा-पश्चिम)
चौधरी, श्री त्रिदिब कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बाल्मीकि (हाजीपुर)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छत्रपति, श्रीमती विजयमाला (हथकनंगले)

ज

जगजीवन राम, श्री (सासाराम)
जमीर, श्री स० चु० (नागालैंड)
जगैया, श्री को० (ओंगोल)
जनार्दनन, श्री (त्रिचूर)
जमुना लाल, श्री (टोंक)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकन्दपुरम)
जय सिंह, श्री (होशियारपुर)
जाधव, श्री तुलसीदास (बारामती)
जाधव, श्री वें० नं० (जालना)
जेना, श्री डी० डी० (भद्रक)
जेवियर, श्री (तिरुनेलवेल्लि)
जोशी, श्री एस० एम० (पूना)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (भोपाल)

झ

झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झा, श्री शिव चन्द्र (मधुबनी)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)

ठ

ठाकुर, श्री गुणानन्द (सहरसा)
ठाकुर, श्री प्र० रं० (नवद्वीप)

ड

डार, श्री अब्दुल गनी (गुड़गांव)
डांगे, श्री श्री० अ० (बम्बई मध्य-दक्षिण)

ढ

ढिल्लों, डा० गुरदयाल सिंह (तरनतारन)

त

तापड़िया, श्री सु० कु० (पानी)
तारोडकर, श्री वें० बा० (नादेड)
तिवारी, श्री कमल नाथ (बेतिया)
तिवारी, श्री द्वा० ना० (गोपालगंज)
तुला राम, श्री (घाटमपुर)
त्यागी, श्री ओम प्रकाश (मुरादाबाद)
त्रिपाठी, श्री कृष्ण देव (उन्नाव)

द

दंडपाणि, श्री (धारापुरम)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दांडेकर, श्री नारायण (जामनगर)
दामानी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास चौधरी, श्री वे० कृ० (कूच बिहार)
दास, श्री न० ता० (जलगुई)
दास, श्री सी० (तिरूपति)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिगम्बर सिंह, श्री (मथुरा)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री ग० च० (खंडवा)
दीपा, श्री अनिरुद्ध (फूलबनी)
दीवीकन, श्री (कल्लाकुरिच्चि)
दुराथरासु, श्री (पेरम्बलूर)
देव, श्री क० प्र० सिंह (ढेंकानाल)
देव, श्री घी० ना० (अगुंल)
देव, श्री प्रताप केसरी (कालाहांडी)
देव, श्री रा० रा० सिंह (बोलनगीर)
देवगुण, श्री हरदयाल (पूर्व दिल्ली)
देवघरे, श्री न० रा० (नागपुर)
देशमुख, श्री कृ० गु० (अमरावती)
देशमुख, श्री भा० दा० (औरंगाबाद)
देशमुख, श्री शिवाजीराव शं० (परभणी)
देसाई, श्री चं० चु० (साबरकंठा)
देसाई, श्री दिनकर (कनारा)

देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)
द्विवेदी, श्री सुरेन्द्र नाथ (केन्द्रपाड़ा)

घ

घरंगघरा, श्री श्रीराज मेघराजजी (सुरेन्दरनगर)
घुलेश्वर मीना, श्री (उदयपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारी लाल (कैथल)
नम्बियार, श्री (तिरुचिरापल्लि)
नायनार, श्री इ० के० (पालघाट)
नाघनूर, श्री मु० न० (बेलगांव)
नाथ पाई, श्री (राजापुर)
नायक, श्री गुरु चरण (क्योंझर)
नायक, श्री रा० वें० (रायचूर)
नायडू, श्री चेंगलराया (चित्तुर)
नायर, श्री क० कृ० (बहराइच)
नायर, श्री नी० श्री कान्तन (क्विलोन)
नायर, श्री बासुदेवन (पोंरमाडे)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नारायणन, श्री (पोलाची)
नाहाटा, श्री अमृत (बाडमेर)
निर्लेप कौर, श्रीमती (संगरूर)
निहालसिंह, श्री (चंदौली)
नैयर, डा० सुशीला (झांसी)

प

पटेल, श्री जे० एच० (शिमोगा)
पटेल, श्री ना० नि० (बुलसर)
पटेल, श्री पाशाभाई (बड़ौदा)
पटेल, श्री बाबूराव (शाजापुर)
पटेल, श्री मणिभाई जे० (दमोह)
पटेल, श्री मनुभाई (डभाई)
पद्मावती देवी, श्रीमती (राजनन्दगांव)
पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री द० रा० (पाटन)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पस्वान, श्री केदार (रोसेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिन्डौन)
पाओकाई हाओकिप, श्री (बाह्य मनीपुर)
पाटिल, श्री अनन्तराव (अहमदनगर)
पाटिल, श्री चू० अ० (धूलिया)
पाटिल, श्री तु० अ० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री देवराव (यवतमाल)
पाटिल, श्री ना० रा० (भोर)
पाटिल, श्री स० का० (बनासकाँठा)
पाटिल, श्री स० दा० (सांगली)
पाटिल, श्री से० ब० (बागलकोट)
पाटोदिया, श्री देवकीनन्दन (जालोर)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पाण्डेय, श्री काशीनाथ (पदरौना)
पाण्डेय, श्री विश्वनाथ (सलेमपुर)
पाण्डेय, श्री सरजू (गाजीपुर)
पार्थसारथी, श्री (राजमपेट)
पालचौधरी, श्रीमती इला (कृष्णनगर)
पुनाचा, श्री चे० मु० (मंगलौर)
पुरी, डा० सूर्य प्रकाश (नवादा)
प्रताप सिंह, श्री (शिमला)
प्रधानी, श्री ख० (नौरंगपुर)
प्रबोध चन्द्र, श्री (गुरदासपुर)
प्रमाणिक, श्री जि० ना० (बलूरघाट)
प्रसाद, श्री य० ऊ० (मचिलीपट्टणम)

फ

फरनेन्डीज, श्री जार्ज (बम्बई-दक्षिण)

ब

बख्शी, श्री गुलाम मुहम्मद (श्रीनगर)
बजाज, श्री कमल नयन (वर्धा)
बदरुद्दुजा, श्री (मुर्शिदाबाद)
बनर्जी, श्री स० मो० (कानपुर)
बरमन, श्री किरित विक्रमदेव (त्रिपुरा-पूर्व)
बरुआ, श्री बेदब्रत (कलियाबोर)
बरुआ, श्री राजेन्द्रनाथ (जोरहाट)

बरुआ, श्री हेम (मंगलदाई)
बसवन्त, श्री (भिवंडी)
बसु, डा० मैत्रेयी (दारजीलिंग)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसुमतारी, श्री (कोकराझार)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेठी)
बाबू नाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारुपाल, श्री प० ला० (गंगानगर)
बिडला, श्री रा० कृ० (झुंझनू)
बिरुआ, श्री कोलाई (सिंहभूम)
बिष्ठ, श्री जं० ब० सिंह (अल्मोड़ा)
बिस्वास, श्री जि० मो० (बांकुरा)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)
बृज भूषण लाल, श्री (बरेली)
बृजराज सिंह-कोटा, श्री (झालाबाड़)
बृजेन्द्र सिंह, श्री (भरतपुर)
बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)
बेसरा, श्री स० च० (दुमका)
बेहेरा, श्री बेघर (जाजपुर)
बैरो, श्री (नामनिर्देशित-आंग्ल-भारतीय)
बोस, श्री अमीय नाथ (आरामबाग)
बोहरा, श्री ओंकार लाल (चित्तौड़गढ़)
ब्रह्मा प्रकाश, श्री (बाह्य दिल्ली)
ब्रह्मानन्द स्वामी (हमीरपुर)

भ

भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)
भगत, श्री ब० रा० (शाहबाद)
भगवान दास, श्री (औसग्राम)
भट्टाचार्य, श्री चपलाकांत (रायगंज)
भण्डारे, श्री रा० ढो० (बम्बई-मध्य)
भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह (इटावा)
भानु प्रकाश सिंह, श्री (सीधी)
भारती, श्री महाराज सिंह (मेरठ)
भार्गव, ब० ना० (अजमेर)

म

मंगलाथुमाडम, श्री (मवेलिक्करा)
मंडल, डा० प० (विष्णुपुर)
मंडल, श्री जुगल (उलुबेरिया)
मंडल श्री बि० प्र० (माधोपुरा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मधुकर, श्री क० मि० (केसरिया)
मधोक, श्री बलराज (दिल्ली-दक्षिण)
मनोहरन, श्री (मद्रास-उत्तर)
मयावन, श्री (चिदाम्बरम)
मरंडी, श्री (राजमहल)
मरन, श्री मु० (मद्रास-दक्षिण)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
मसानी, श्री मो० रु० (राजकोट)
मसुरियादीन, श्री (चायल)
महतो, श्री भजहरि (पुरूलिया)
महाजन, श्री यादव शिवराम (बुलदानी)
महाजन, श्री विक्रम चन्द (चम्बा)
महादेव प्रसाद, श्री (महाराजगंज)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़-उत्तर)
महीडा, श्री नरेन्द्र सिंह (आनन्द)
माझी, श्री महेन्द्र (मयूरभंज)
माने, श्री शंकरराव दत्तात्रय (कोल्हापुर)
मास्टर, श्री भोलानाथ (अलवर)
मिनीमाता, अगमदास गुरू, श्रीमती (जंजगीर)
मिर्जा, श्री बाकर अली (सिकन्दराबाद)
मिश्र, श्री, एस० एन० (कनौज)
मिश्र, श्री ग० शं० (छिन्दवाड़ा)
मिश्र, श्री जनेश्वर (फूलपुर)
मिश्र, श्री विभूति (मोतिहारी)
मिश्र, श्री श्रीनिवास (कटक)
मीना, श्री मीठालाल (सवाई माधोपुर)
मुकने, श्री यशवन्त राव (दहानु)
मुकर्जी, श्री ही० ना० (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व)
मुकर्जी, श्रीमती शारदा (रत्नगिरि)
मुत्तुस्वामी, श्री सी० (करूर)
मुल्ला, श्री आनन्द नारायण (लखनऊ)
मुहम्मद इमाम, श्री जे० (चित्रदुर्ग)
मुहम्मद इस्माइल, श्री (बैरकपुर)

मुहम्मद इस्माइल, श्री एम० (मंजेरी)
मुहम्मद यूसुफ, श्री (सीवन)
मुहम्मद शरीफ, श्री (रामनाथपुरम)
मूर्ति, श्री ब० सू० (अमलापुरम)
मूर्ति, श्री मि० सू० (अनकापल्लि)
मृत्युन्जय प्रसाद, श्री (महाराज गंज)
मेघ चन्द्र, श्री (आन्तरिक मनीपुर)
मेनन, श्री कृष्ण (मिदनापुर)
मेनन, श्री विश्वनाथ (एरणाकुलम)
मेलकोटे, डा० (हैदराबाद)
मेहता, श्री अशोक (भंडारा)
मेहता, श्री प्रसन्न भाई (भावनगर)
मोडक, श्री वि० कु० (हुगली)
मोडी, श्री पीलु (गोधरा)
मोलहू प्रसाद, श्री (बांसगांव)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहसिन, श्री (घाड़वाड़-दक्षिण)
मोहिन्द्र कौर, श्रीमती (पटियाला)

य

याज्ञिक, श्री (अहमदाबाद)
यादव, श्री चन्द्र जीत (आजमगढ़)
यादव, श्री जगेश्वर (बांदा)
यादव, श्री नगेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)
यशपाल सिंह, श्री (देहरादून)

र

रंगा, श्री (श्रीकाकुलम)
रघुरामैया, श्री गुन्टूर)
रजनी देवी, श्रीमती (रायगढ़)
रणजीत सिंह, श्री (खलीलाबाद)
रणधीर सिंह, श्री (रोहतक)
रमानी, श्री (कोयम्बत्तूर)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)
राजसेखरन, श्री (कनकपुरा)
राजाराम, श्री (सेलम)
राजू, डा० द०.स० (राजमंड्रि)
राजू, श्री द० ब० (नरसापुर)
राज्य लक्ष्मी, श्रीमती ललिता (धनबाद)
राणा, श्री एम० बी० (भड़ौच)
राघाबाई, श्रीमती (भद्राचलम)
राम, श्री तु० (अरारिया)
राम चरण, श्री (खुर्जा)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
राम घन, श्री (लालगंज)
राम धनी दास, श्री (गया)
राम भद्रन, श्री टी० डी० (तिन्द्रीवनम्)
राम मूर्ति, श्री (मदुरै)
राम मूर्ति, श्री एस० पी० (शिवकाशी)
राम शेखर प्रसाद सिंह, श्री (छपरा)
राम सुभग सिंह, डा० (बक्सर)
रास सेवक, श्री (जालौन)
राम स्वरूप श्री रोबट्स सगंज)
रामपुर, श्री महोदेवप्पा (गुलवर्ग)
राय, श्री चित्तरंजन (जयनगर)
राय, श्री रवि (पुरी)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, श्रीमती उमा (माल्दा)
राव, डा० कु० ल० (विजयवाड़ा)
राव, डा० वी० के० आर० वी० (बेल्लारी)
राव, श्री क० नारायण (बोबिबली)
राव, श्री जगन्नाथ (छतरपुर)
राव, श्री रामपथी (करीमनगर)
राव, श्री तिरूमल (काकिनाडा)
राव, श्री मुत्याल (नगर कुरनूल)
राव, श्री रामेश्वर (महबूब नगर)
राव, श्री नरसिम्हा (पार्वतीपुरम)
रेड्डी, श्री ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री एन्थनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री जी० एस० (मिरियीलगुडा)
रेड्डी, श्री दशरथ राम (कावली)
रेड्डी, श्री नारायण (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री नीलम संजीव (हिन्दपुर)

रेड्डी, श्री सुरेन्द्र (वारंगल)
रेड्डी. श्रीमती सुधा (मधुगिरी)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिल्हौर)

ल

लकप्पा, श्री क० (तुमकुर)
लक्ष्मी कान्तम्मा, श्रीमती (खम्मम)
लक्ष्मीबाई, श्रीमती (मेडक)
ललित सेन, श्री (मन्डी)
लास्कर, श्री नि० रं० (करीमगंज)
लिमये, श्री मधु (मुंघेर)
लुत्फुल हक (जंगीपुर)
लोबो प्रभु, श्री (उदिपि)

व

वंश नारायण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
वर्मा, श्री प्रेमचन्द (हमीरपुर)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
वाजपेई, श्री अटल बिहारी (बलरामपुर)
विजयराजे, श्रीमती (छतरा)
विद्यार्थी, श्री राम स्वरूप (करौलबाग)
विश्वनाथन, श्री (वंडीवास)
विश्वनाथम, श्री तन्नेटि (विशाखापटनम)
विश्वम्भरम, श्री (त्रिवेन्द्रम)
वीरभद्र सिंह, श्री (महासू)
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (वीदर)
वेंकटासुब्बया, श्री पें० (नन्दयाल)
बेंकटा स्वामी, श्री (सिद्धिपेट)
व्यास, श्री रमेशचन्द्र (भीलवाड़ा)

श

शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शम्भू नाथ, श्री (सैंदपुर)
शर्मा, श्री अ० त्रि० (भंजनगर)
शर्मा, श्री ना० स्व० (डुमरियागंज)
शर्मा, श्री नवल किशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माघोराम (करनाल)
शर्मा, श्री यज्ञ दत्त (अमृतसर)
शर्मा, श्री योगेन्द (बेगुसराय)
शर्मा, श्री रामावतार (ग्वालियर)
शर्मा, श्री वेणी शंकर (बंका)
शर्मा, श्री शिव (विदिशा)
शशि भूषण, श्री (खारगोन)
शशिरंजन, श्री (पपरी)
शारदानंद, श्री (सीतापुर)
शालवाले, श्री राम गोपाल (चांदनी चौक)
शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (हापुड़)
शास्त्री, श्री रघुवीर सिंह (बागपत)
शास्त्री, श्री रामानंद (बिजनौर)
शास्त्री श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिव कुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाह, श्री टी० पी० (कांकर)
शाह, श्री मानवेंद्र (टिहरी गढ़वाल)
शाह, श्री वीरेंद्र कुमार (जूनागढ़)
शाह, श्री शान्तिलाल (उत्तर-पश्चिम-बम्बई)
शाह, श्रीमती जयाबेन (अमरेली)
शिकरे, श्री (पंजिम)
शिन्दे, श्री अन्नाशाहिब (कोपरगांव)
शिव चंडिका प्रसाद, श्री (जमशेदपुर)
शिव चरन लाल, श्री (फिरोजाबाद)
शिव नारायण, श्री (बस्ती)
शिवप्पा, श्री (हसन)
शिवशंकरन, श्री (श्रीपुरेम्बूर)
शुक्ल श्री शं० ना० (रीवा)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (महासमंद)
शेर सिंह, श्री (झज्जर)
श्रीधरन, श्री (बडागरा)

स

संकटा प्रसाद, डा० (मिसरिख)
संजीरूपजी, श्री (दादरा तथा नगर हवेली)
सन्त बक्स सिंह, श्री (फतेपुर)
संतोषम, डा० म० (तिरुचडर)
संबन्धन, श्री (तिरुताणि)

सईद, श्री प० मु० (लक्कादीव, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सेट, श्री अब्राहीम सुलेमान (कोजीकोडे)
सत्य नारायण सिंह, श्री (वाराणसी)
सप्रे, श्रीमती तारा (बम्बई-पूर्वोत्तर)
सलीम, श्री मु० यू० (नलगौंडा)
सांघी, श्री न० कु० (जोधपुर)
साम्भली, श्री इस्हाक (अमरोहा)
साधू राम, श्री (फिल्लौर)
साबू, श्री गोपालन (सीकर)
सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)
सामिनाथन, श्री (गोबीचेट्टिपलयम)
साम्बसिवम, श्री (नागापट्टिणम)
साल्वे, श्री न० कु० (बेतूल)
सावित्री श्याम, श्रीमती (आंवला)
साहा, डा० शि० कु० (वीरभूम)
सिंह, श्री केदार नाथ (सुल्तानपुर)
सिंह, श्री जि० ब० (साहाबाद)
सिंह, श्री दि० ना० (मुजफ्फरपुर)
सिंह, श्री दे० वि० (सतना)
सिंह, श्री मुद्रिका (औरंगाबाद)
सिंह, श्री राम कृष्ण (फैजाबाद)
सिंह, श्री सत्यनारायण (दरभंगा)
सिद्दय्या, श्री (चामराजनर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, श्री (नालंदा)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)
सुदर्शनम, श्री म० (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)
सुन्दर लाल, श्री झ० (बस्तर)
सूपकार, श्री श्रद्धाकर (शम्बलपुर)
सुब्रावेलू, श्री (मयूरम)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूरजभान, श्री (अम्बाला)
सूरसिंह, श्री (झाबुआ)
सूर्य नारायण, श्री को० (एल्लूरू)
सेक्वीरा, श्री (मरमागोआ)
सेभियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री तु० म० (कच्छ)
सेठी, श्री प्र० चं० (इन्दौर)
सेतुरामे, श्री नं० (पांडिचेरी)
सेन, डा० रानेन (बारासाट)
सेन, श्री अ० कु० (कलकत्ता-उत्तर-पश्चिम)
सेन, श्री देवेन (आसनसोल)
सेन श्री द्वैपायन (कटवा)
सेन, श्री फ० गो० (पूर्णिया)
सैयद अली, श्री (जलगांव)
सोंधी, श्री मनोहर लाल (नई दिल्ली)
सोनार, डा० अ० ग० (रामटेक)
सोनावने, श्री (पंढरपुर)
सोमसुन्दरम, श्री (थंजावूर)
सोमानी, श्री नन्दकुमार (नागौर)
सोलंकी, श्री प्र० नं० (कैरा)
सोलंकी, श्री सोमचन्द्र (गांधी नगर)
स्नातक, श्री नरदेव (हाथरस)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंधर)
स्वेल, श्री (आसाम-स्वायत्तशासी जिले)

ह

हजरनवीस, श्री (चित्तुर)
हजारिका, श्री जो० ना० (डिब्रुगढ़)
हनुमन्तय्या, श्री (बंगलौर)
हरिकृष्ण, श्री (इलाहाबाद)
हाल्दर, श्री कं० (मथुरापुर)
हिम्मतसिंहका, श्री (गौड़ा)
हीरजी भाई, श्री (बांसबाडा)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)
होरो, श्री निरेल एनम (खूंटी)

लोक-सभा

अध्यक्ष

डा० गु० सिं० ढिल्लों

उपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री वासुदेवन नायर

श्री प्रकाशवीर शास्त्री

श्री क० ना० तिवारी

श्रीमती सुशीला रोहतगी

श्रीमती जयाबेन शाह

श्री श्रीचन्द गोयल

सचिव

श्री श्याम लाल शकधर

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री	श्रीमती इन्दिरा गांधी
खाद्य तथा कृषि मंत्री	श्री फखरुद्दीन अली अहमद
इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री	श्री ब० रा० भगत
वित्त मंत्री	श्री यशवन्तराव चव्हाण
औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री	श्री दिनेश सिंह
विधि तथा समाज कल्याण मंत्री	श्री हनुमन्तय्या
प्रतिरक्षा मंत्री	श्री जगजीवन राम
पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
रेलवे मंत्री	श्री नन्दा
संसद्-कार्य और पोत-परिवहन तथा परिवहन मंत्री	श्री रघु रामैया
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री	डा० वी०के०आर०वी० राव
श्रम तथा पुनर्वास मंत्री	श्री डी० संजीवैया
पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री	डा० त्रिगुण सेन
स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री	श्री के०के० शाह
सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री	श्री सत्य नारायण सिंह
वैदेशिक-कार्य मंत्री	श्री स्वर्ण सिंह

राज्य-मंत्री

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य-मंत्री	श्री भागवत झा आजाद
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य-मंत्री	श्री भक्त दर्शन
पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री	श्री नीतिराज सिंह चौधरी
पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री	श्री दा०रा० चव्हाण
स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री	श्री परिमल घोष

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य-मंत्री	श्री इं० कु० गुजराल
पूर्ति-मंत्री	श्री र० के० खाडिलकर
प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री	श्री नरेन्द्र सिंह महीडा
संसद्-कार्य विभाग में राज्य-मत्री	श्री ओम मेहता
गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
वैदेशिक व्यापार मंत्री	श्री ल० ना० मिश्र
स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री	श्री ब० सू० मूर्ति
गृह-कार्य मंत्रालय और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य-मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त
विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभागों में राज्य-मंत्री	श्री जगन्नाथ राव
सिंचाई तथा विद्युत मंत्री	डा० कु० ल० राव
समवाय-कार्य मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
राज्य-मंत्री	श्रीमती नन्दिनी सत्पथी
प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (प्रतिरक्षा उत्पादन)	श्री प्र० चं० सेठी
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य-मंत्री	श्री शेर सिंह
खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री	श्री अन्नासाहेब शिन्दे
वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल

उप-मन्त्री

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री रोहनलाल चतुर्वेदी
वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री के०आर० गणेश
पोत-परिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री इकबाल सिंह
खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री स० चु० जमीर
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री अ०कु० किस्कु
औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री मं०र० कृष्ण
पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उप-मंत्री	डा० सरोजिनी महिषी

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
संसद्-कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री रघुबीर सिंह पंजहजारी
संसद्-कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री पी० पार्थासारथी
इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी
वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री राम सेवक
गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री के०एस० रामास्वामी
श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री विश्वनाथ राय
रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री मु० यूनुस सलीम
सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुरेन्द्रपाल सिंह

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 9 नवम्बर, 1970/ 18 कार्तिक, 1892 (शक)
Monday, November 9, 1970/Kartika 18, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण
MEMBERS SWORN

श्री चोव चन्द्रेत गोहेन (पूर्वोत्तर सीमान्त क्षेत्र)
*(अंग्रेजी में)

श्री ए० सी० जार्ज (मुकन्दपुरम)
*(अंग्रेजी में)

श्री प्रबोध चन्द्र (गुरदास पुर)
*(हिन्दी में)

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCES

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को अपने सात मित्रों—सर्वश्री अ० सिंह सहगल, ए० डोरै-स्वामी गौंडर, सी० पी० मैथ्यु, भवान जी अर्जुन खीमजी, जार्ज थामस कौट्टुक पल्ली, श्रीमती कमला चौधरी और श्री नवल प्रभाकर के दुखद निधन की सूचना देनी है ।

श्री अमर सिंह सहगल मध्य प्रदेश के बिलास पुर निर्वाचन क्षेत्र से इस सभा के वर्तमान सदस्य थे । वे 1952 से 1967 के बीच पहली, दूसरी, और तीसरी लोकसभा के सदस्य रहे ।

*सदस्य के नाम के आगे दी गई भाषा इस बात की द्योतक है कि सदस्य ने उसी भाषा में शपथ ली थी ।

*The language shown aganist the name of the Member indicates that he took oath in that language.

उन्होने अनेक संसदीय समितियों विशेषकर प्राक्कलन समिति आश्वासन समिति और वेतन तथा भत्ता तथा अन्य सुविधाओं सम्बन्धी संयुक्त समिति में काम किया और चीन तथा रूस में गये प्रतिनिधिमण्डलों में भी भाग लिया।

श्री सहगल इस सभा के सक्रिय सदस्य रहे और वह सभा की कार्यवाही में महत्वपूर्ण योगदान दिया करते थे। श्री सहगल ने आदिवासियों के उत्थान के लिए अपना जीवन अर्पित किया था और वह सदैव अनुसूचित आदिमजातियों तथा पिछड़े वर्गों के हितों का समर्थन करते थे। वह सभा में इतने मित्रतापूर्ण और स्पष्टवादी थे कि वह किसी को भी नाराज नहीं करते थे। वह अपने व्यवहार में वाद विवाद में सक्रिय भाग और रूचि लेते थे। सभा को उनकी अनुपस्थिति अखरेगी। उनका 67 वर्ष की आयु में अल्पकाल की बीमारी के बाद 17 सितम्बर, 1970 को नई दिल्ली में निधन हो गया।

श्री डोरैस्वामी गौंडर 1957-62 के दौरान दूसरी लोक-सभा के सदस्य थे। उनका 66 वर्ष की आयु में 17 सितम्बर, 1970 को सलीम जिले के कलावी स्थान पर देहान्त हुआ।

श्री सी० पी० मैथ्यु 1952-57 के दौरान प्रथम लोक-सभा के सदस्य थे। वह एक महान शिक्षाशास्त्री थे। उनका 74 वर्ष की आयु में 24 सितम्बर, 1970 को एरनाकुलम जिले के अल्वाये नामक स्थान पर देहान्त हुआ।

श्री भवान जी अर्जुन खीमजी 1946-50 के दौरान संविधान सभा के सदस्य रहे और 1952-62 तक पहली तथा दूसरी लोक-सभा के सदस्य रहे। उनका शिक्षा तथा चिकित्सा सम्बन्धी कार्यों में सहायता करने वाले अनेक न्यासों तथा संगठनों से सम्बन्ध था। उनका 68 वर्ष की आयु में 27 सितम्बर, 1970 को बम्बई में देहान्त हुआ।

श्री जार्ज थामस कौट्टुक पल्ली 1953-62 के दौरान पहली और दूसरी लोक-सभा के सदस्य थे। वह एक सक्रिय संसद्शास्त्री तथा अच्छे वक्ता थे।

श्रीमती कमला चौधरी 1946-52 के दौरान संविधान तथा अस्थाई संसद की सदस्या रही तथा 1962-67 के दौरान तीसरी लोक-सभा की सदस्या थीं। वह सभा की कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लेती थीं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा के लिए बहुत काम किया। उनका 62 वर्ष की आयु में 15 अक्तूबर, 1970 को मेरठ में देहान्त हुआ।

श्री नवल प्रभाकर 1952-67 के दौरान पहली, दूसरी और तीसरी लोक-सभा के सदस्य रहे। वह हिन्दी के प्रकांड पंडित थे और उन्होंने 1955-57 के दौरान संसदीय समिति के सदस्य के रूप में हिन्दी के समानार्थक शब्द बनाने में बड़ा योगदान दिया। वह हरिजनों तथा पिछड़े वर्गों के मामले में सक्रिय रूप से रुचि लेते थे। उनका नई दिल्ली में 28 अक्तूबर, 1970 को 52 वर्ष की आयु में देहान्त हुआ।

हम इन मित्रों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि शोक संतप्त परिवार को शोक संवेदना संदेश भेजने में सभा मेरे साथ है।

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि आपने उल्लेख किया। इस अन्तःसत्रावधि में हमारे अनेक

भूतपूर्व सहयोगियों का स्वर्गवास हो गया । हमने सेवारत सात सदस्यों को खो दिया है। श्री अमर सिंह सहगल 196 से इस सदन के बहुत परिचित और सक्रिय सदस्य रहे। वह अपनी भद्रता, सद्व्यवहार और पिछड़ी जातियों के लिए उन्होंने जो काम किया उसके लिए विख्यात थे। उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उद्धार के लिए बहुत काम किया। वह स्काउट अभियान और सहयोग में रुचि रखते थे।

मेरे तथा अन्य सदस्यों के वे निजी मित्र थे और उनकी अनुपस्थिति हमें अखरेगी।

श्री डोरैस्वामी गौंडर बहुत समय से समाज सेवा करते आ रहे थे। स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना के बारे में कार्य करने के अतिरिक्त वह कुष्ठ रोगियों की स्थिति में सुधार करने के इच्छुक थे।

श्री सी० पी० मैथ्यु प्रख्यात शिक्षाशास्त्री थे। दक्षिण के तीन राज्यों में उन्हें विद्यार्थी एक कर्मनिष्ठ और एक निपुण शिक्षक के रूप में याद करते हैं । उन्होंने संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान तथा सांस्कृतिक संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व किया और उन्हें हमारे विचारों से अवगत कराया।

श्री भवानजी अर्जुन खीमजी मेरे परिवार के पुराने मित्र थे और मैं उन्हें बचपन से ही जानती थी। उन्हें अनेक क्षेत्रों में विशेषता प्राप्त थी। वह पुराने स्वतन्त्रता सेनानी थे। और उन्होंने अनेक सत्याग्रह आन्दोलनों में भाग लिया। वह बम्बई में व्यापार समुदाय के नेता थे और बम्बई नगर पालिका तथा बम्बई विधान सभा में प्रमुख सदस्यों में से थे। बम्बई में चलाये गये अनेक ऐच्छिक संगठनों के वे जन्मदाता थे। उनकी संगठनात्मक योग्यता का पता, विशेषतौर पर विभाजन के बाद विस्थापित व्यक्तियों को बसाने और कच्छ में आये भूकम्प के बाद, राहत कार्य करने के बाद लगा।

श्री जार्ज थामस कौट्टुक पल्ली ने केरल में राष्ट्रवादी आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया और प्रदेश कांग्रेस में वह बहुत महत्वपूर्ण पदों पर काम कर रहे थे। अनेक औद्योगिक और समाज सेवी संगठनों का उन्होंने मार्ग प्रदर्शन और नेतृत्व किया।

मैं श्रीमती कमला चौधरी को कई वर्षों से बहुत समीप से जानती थी। वह राजनीतिक कार्यकर्त्ता थीं। और उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया । उन्होंने सामाजिक कार्य में सक्रिय भाग लिया और विशेषकर उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा के लिए बहुत काम किया। वह एक लेखक थीं जिनका कार्य हिन्दी क्षेत्र में सर्वविदित है और उनकी कुछ पुस्तकें विश्वविद्यालयों और कालिजों ने स्वीकार की हैं। शायद उनके बहुत से मित्र नेताओं और सहयोगियों पर लिखी गई कविताओं के लिए उनको याद करते रहेंगे।

श्री नवल प्रभाकर, जैसा कि आपने बताया, 1952 से 1967 तक इस सदन के सदस्य रहे। उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया और दिल्ली के राजनीतिक जीवन में वह प्रमुख व्यक्ति रहे।

हम आपके दुख में भागी हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे संवेदना संदेश उनके संतप्त परिवारों को भेज दें।

आपकी अनुमति से मैं एक और दुखद मृत्यु का उल्लेख करना चाहूँगी। ऐसे व्यक्ति का जन्म यदा कदा होता है जो जनता की रुचि और भावनाओं को साकार रूप दे। संयुक्त अरब गणराज्य के दिवंगत राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासर ऐसे ही एक व्यक्ति थे। वह एक देश भक्त थे। अरब राष्ट्र के निर्माण में उनका भारी हाथ था और उनका लौकिक राष्ट्रीयता में अटूट विश्वास था। वह हमारे देश के मित्र थे। और भारत और संयुक्त अरब के बीच आदर्श सम्बन्धों के प्रतीक थे। युवावस्था में उनकी अचानक मृत्यु पर विश्व के अन्य देशों के समान हमारे देश को भी भारी दुख हुआ है। उनकी मृत्यु से संयुक्त अरब गणराज्य, अन्य अरब देशों और स्वतन्त्रता में विश्वास रखने वाले विशेषकर एशिआई और अफ्रीका देशों के व्यक्तियों को दुःख हुआ।

हमारे उप-राष्ट्रपति और औद्योगिक विकास मन्त्री उनकी शवयात्रा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। मुझे भी काहिरा जाने का अवसर मिला और मैंने श्रीमती नासिर और उनके बच्चों और राष्टपति अनवर सादत और उनके सहयोगियों से जो उनके निकटतम विश्वास पात्र थे, को निजी तौर पर अपने देश की ओर से सहानुभूति प्रकट की और उन्होंने विश्वास दिलाया कि वह राष्ट्रपति नासिर की नीतियों का पालन करते रहेंगे।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : श्री अमर सिंह सहगल, जो चौथी लोकसभा के वर्तमान सदस्य थे, की और भूतपूर्व अन्य छः सदस्यों—सर्वश्री डोरेस्वामी गौंडर, सी० पी० मैथ्यु, भवान जी अर्जुन खीमजी, जार्ज थामस कौट्टुक पल्ली) श्रीमती कमला चौधरी और श्री नवल प्रभाकर की मृत्यु से हमें बहुत धक्का लगा। वे सब सक्रिय सार्वजनिक कार्यकर्ता थे और उनकी मृत्यु से सार्वजनिक जीवन में रिक्तता आजायेगी और उनको जानने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उनकी मृत्यु से दुख होगा और विपक्षी दल को इससे और भी अधिक दुःख होगा क्योंकि वह सभी की कार्यवाही में सक्रिय भाग लेते थे और अपने व्यवहार में बहुत ही अच्छे थे।

अतः मैं आप से निवेदन करता हूँ कि आप विपक्षी दल की ओर से संतप्त परिवार को हमारा शोक संदेश भेज दें।

यह दुःख की बात है कि संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति श्री नासर की अचानक मृत्यु हो गई। अच्छा होता यदि राज्यों के अध्यक्ष उनकी शव-यात्रा में शामिल होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। श्री नासर गुट-निरपेक्ष के निर्माता थे और वह भारत के घनिष्ठ मित्रों में से थे। ऐसा कहना ठीक होगा कि वह भारत के मित्र थे। वह अरब की एकता के निर्माता थे और उन्होंने जो कार्य अपने हाथ में लिया, उसे पूरा किया। उन्होंने श्री लंका सम्मेलन में और उससे पूर्व जो कार्य किया उसको हम नहीं भूल सकते और जब कभी भी हमारे देश को उनकी सहायता की आवश्यकता हुई, उन्होंने हमें सहायता दी। अतः विपक्ष की ओर से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे संवेदना संदेश को श्रीमती नासर और संयुक्त अरब गणराज्य की जनता को भेज दें।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : आपने जो भी हमारे सहयोगियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के बारे सदन में कहा हम स्वतन्त्र दल के सदस्य इससे सहमत हैं। मेरा सरदार अमर सिंह सहगल से

घनिष्ठ सम्बन्ध था । जैसे वह अन्य सदस्यों के बीच लोकप्रिय थे और उनके मित्र थे वैसे ही वह मेरे भी मित्र थे । स्वतन्त्रता आन्दोलन में मुझे और उन्हें बेल्लौर में एक ही जेल में रहने का शुभ अवसर मिला । वह हमेशा प्रसन्न रहते थे । वह धार्मिक प्रवृत्ति के थे और अपनी संसदीय गतिविधियों, सार्वजनिक जीवन और मित्रता में बेजोड़ थे ।

वह स्वामी राधा स्वामी के अनन्य भक्त थे और उन्होंने उनके उपदेशों के अनुसार चलने का प्रयास किया ।

वह देश के पिछड़े वर्गों, हरिजनों और अन्य पिछड़े व्यक्तियों के हितों का समर्थन करते थे । कभी भी ऐसा अवसर नहीं आया जब उन्होंने उनके हित के लिए अध्यक्ष महोदय से बोलने की अनुमति लेने में हिचक की हो । अन्य माननीय सदस्यों के समान उनकी मृत्यु से मुझे निजी क्षति हुई है ।

वे सब संसद्विद् थे । हमें श्री नासर की मृत्यु से भी दुःख है वह यहां संसदविद नहीं थे लेकिन वह अपने देश के नेता थे । इनका अपने देश के विकास में बहुत हाथ था । यद्यपि वहां लोकतन्त्र नहीं है फिर भी वह बहुत लोकप्रिय सिद्ध हुए और उन्होंने अपने देश की जनता की एशिया के पश्चिम भाग में साख बनाने में मदद की । वह हमारे देश के मित्र थे और हमें उनकी दोस्ती पर नाज है । हमें उनकी मृत्यु से बहुत दुःख हुआ है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Sir, it is rather difficult for us to believe tnat Sardar Amar Singh Sahgal has left us for ever. He was a true friend of ours all the time. He became popular by his distinguished quality of associating himself with all individuals irrespective of their political, religious or other affiliations. Whenever I visited his constituency, even if he knew that I had gone there to oppose him, he came to meet me and invited me to his house. Shri Sahgal was an exception to those politicians who cannot see things in their proper perspectives because of groupism, and partisan attitude. Today we are in need of such magnanimous personalities who rising above narrow groupism, act and think in terms of mutual goodwill and fraternity.

Shri Naval Prabhakar was not a Member of the House, but his sudden demise came as a shock to us. He died of heart attack. We lost many of our friends and here I express my sincere condolences to the bereaved families.

With the death of Nasser, we lost a great leader of the world. His historical efforts to lead a country in darkness to light, and make it a brave nation, will be written in golden letters in the History. He gave a new light to Africa which was down trodden and neglected for centuries. He strived to eradicate the backwardness of his country and make it modern in all respects. In the midst of all kinds of pressures he managed to pursue an independent foreign policy. He always kept friendly relations with India. He had to declare Islam the State religion, but he kept his country away from the dangerous campaigns launched by Muslim Communal organisations. We all know that if he had become successful in his efforts in the Colombo Proposals, of course it would have become a different one. In our fight with our enemies, his moral support, he could not help us more. His sudden demise is an irretrievable loss to the world and we associate ourselves in the grief expressed by the people of U. A. R.

I express my deep condolences at the passing away of these great friends of ours and Pray to the Almightly that their souls may rest in peace.

श्री वी० कृष्णामूर्ति (कडुलूर) : अध्यक्ष महोदय, सरदार अमरसिंह सहगल, जो कि लोकसभा के सदस्य थे, और जो हम सब के मित्र थे, के अचानक निधन से हमें गहरा दुख पहुँचा

है। पददलितों की खासकर अनुसूचित जाति के लोगों की उन्होंने जो सेवा की वह सर्वविदित है। श्री डोरैस्वानी गौंडर हमारे दल से गत 50 वर्षों से सम्बन्धित रहे हैं। उन्हें विधान सभा में चुन लिया गया और उसके बाद वे लोकसभा के सदस्य बने। पिछड़ी एवं पददलित वर्गों की उन्होंने जो सेवा की थी, वह अविस्मरणीय है।

अब्दुल गमाल नासिर हमारे सब से महान मित्रों में थे। जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, तो श्री नासिर ने आक्रमण की निन्दा की। उन्होंने तटस्थता के संकल्प को सक्रिय रूप देने में स्वर्गीय जवाहर लाल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किये।

नासिर हमेशा शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों के लिये एक समस्या थे। जब उन्होंने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया तो उन्हें इन राष्ट्रों की ओर से बहुत बड़े विरोध का सामना करना पड़ा। परन्तु, उन्होंने इसका डटकर सामना किया और अपने प्रयत्न में सफल हुए। उन्होंने अरब जनता की एकता के लिये भरसक प्रयत्न किया। भले ही उन्हें इज्रायल के साथ हुए युद्ध में हार खानी पड़ी थी, फिर भी वे अरब जनता के सबसे अधिक लोकप्रिय नेता थे।

द्रमुक दल की ओर से मैं अपनी शोकसंवेदना प्रकट करता हूं।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, हमारे कई सहयोगियों तथा संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति श्री नासिर के देहान्त में सदन में जो शोक संवेदनायें प्रकट की गई हैं। मैं अपने दल की ओर से उनमें शरीक होता हूँ।

यह विश्वास करना कठिन है कि श्री सहगल जैसे विनोदप्रिय एवं जीवंत व्यक्तित्व वाले सज्जन हमारे बीच से उठ गये हैं। श्री नवल किशोर प्रभाकर, जिन्हें मैं गत 15 वर्षों से जानता हूँ, का निधन हमारे लिये दुखदायक है। प्रो० मैथ्यु, जो पहली लोक सभा के सदस्य थे, प्रतिष्ठित शिक्षाविद् थे। वे आज कल की राजनीति की वास्तविकताओं से कोसों दूर थे, मगर उन्होंने सही अर्थों में सार्वजनिक जीवन में अधिक गहरी रुचि रखी। श्री जार्ज थोमस कोट्टुकपल्ली भी हमारे बीच से उठ गये। प्रो० मैथ्यु के निधन पर शोकसंवेदना प्रकट करते हुए उनका भी निधन हुआ। यह अत्यन्त अविश्वसनीय सा लगता है।

मुझे इस बात से खुशी है कि हमारी संसद् में स्वर्गीय नासिर के महान कार्यों का स्मरण कर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। जो विश्व के महान नेता थे और पुनरुत्थित अरब जनता के सबसे प्रिय नेता थे। उन्होंने उस महत्वपूर्ण प्रदेश में साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष किया, जो कई सदियों से साम्राज्यवादियों के लिये सामरिक महत्व का स्थान रहा है। उन्हें ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जो किसी भी महान देशप्रेमी तथा सेनानी को भी परास्त करने वाली थीं, परन्तु उन्हें इसमें सफलता प्राप्त हुई। उन्होंने बड़ी धीरता के साथ स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया। वे आधुनिक काल के अरब के सबसे महान नेता थे। वे भारत के महान मित्र थे। स्वतंत्रता तथा सामाजिक क्रांति के प्रेमी थे। उनका नाम हमेशा याद किया जाता रहेगा।

श्री अ० कु० गोपालन (कासरगोड) : अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्रों ने सदन में जो संवेदनायें प्रकट की, मैं उसमें शरीक होता हूं। मैं इस सिलसिले में खासतौर पर श्री सहगल, प्रो० मैथ्यु, श्री जार्ज थोमस कोट्टुकपल्ली का स्मरण करता हूँ क्योंकि इनके साथ मेरा व्यक्तिगत

संबंध रहा है । श्री सहगल को कोई नहीं भूल सकता क्योंकि वे हमेशा प्रसन्नचित्त तथा सबसे घुलमिलकर रहने वाले थे । श्रीमान्, अपने दल की ओर से मैं सन्तप्त परिवारों के प्रति हार्दिक शोकसंवेदना प्रकट करता हूँ ।

राष्ट्रपति नासिर अरब जनता के महान नेता थे । साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करने के लिये अरब जनता को एक सूत्र बद्ध करने में उन्होंने महान भूमिका अदा की । स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण से उन्हें बहुत अधिक ख्याति मिली । .राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, उन्होंने बड़ी धीरता से उसका सामना किया । साम्राज्यवाद के विरुद्ध उन्होंने अंतिम क्षण तक संघर्ष किया और इज्रायल के विरुद्ध लड़ाई में समूची अरब जनता को एक सूत्रबद्ध कर दिया । मैं अपने दल की ओर से उस महान विश्वनेता को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आपने और हमारे कई मित्रों ने यहां जो शोकसंवेदनायें प्रकट की हैं । मैं अपने दल के साथ इसमें शरीक होता हूँ ।

दिल का दौरा पड़ने पर जब श्री सहगल को अस्पताल में लाया गया । तो मैं भी वहां हाजिर था । आशा की कि वे बहुत जल्दी ठीक हो जायेंगे । मगर उनकी असामयिक मृत्यु से हमें गहरा दुख पहुँचा है । मैं उनके बारे में अधिक कहना आवश्यक नहीं समझता क्योंकि मेरे मित्र बहुत कह चुके हैं । वे सौम्य, मिलनसार एवं धार्मिक व्यक्ति थे ।

अन्य मित्रों के सम्बन्ध में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है । जब हम श्री नासिर को श्रद्धांजलि देते हैं, तो मैं आशा करता हूं कि यह देश, यह सरकार श्री नासिर की उस धीरता, और दृढ़ता से सबक सीखेगी, जिसका उन्होंने साम्राज्यवाद के खिलाफ कड़े से कड़े संघर्ष में परिचय दिया था । स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण उनकी धीरता का ज्वलंत उदाहरण है ।

श्रीमान्, इन बन्धुओं के संतप्त परिवारों के प्रति और अरब गणराज्य की जनता के प्रति मैं अपने दल की ओर से गहरी शोकसंवेदनायें प्रकट करता हूँ ।

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : Mr. Speaker, Sir, Shri Amar Singh Saigal has left us for ever. I had personal contacts with him. He was the symbol of humanity and fraternity. I had personal contacts with Shri Naval Prabhakar also. His untimely death is a shock to us. As regards the other friends, I express hearty condolences to the bereaved families.

President Nasser was the symbol of the revival and reconstruction of Africa, if his successors and the various countries in Asia and Africa follow his footsteps, they can definitely make progress in their social reconstruction. As Shri Dwivedi has said, nationalisation of Suez canal was an unforegettabte act of Nasser. Today we need the same courage and firmness with which Nasser fought imperialism. If we assimilate this courage and firmness that will be the greatest homage to Shri Nasser. With these words I associate myself with all the Members and leaders of various Parties who expressed their sentiments of grief at the passing away of these great friends.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Mr. Speaker, Sir, there is hardly any session of the Lok Sabha when we do not pay tributes to our departed colleagues. It appears that the time is passing fast some of our colleagues were such that they will depart so early from us. Recollecting the humorous nature of Shri Saigal, it can not easily be imagined that he will depart from us so soon. It could be judged from the way Shri Amar Singh Saigal started his political life and came in contact with other Members of Parliament that he did not

belong to a particular party but to all. Even by remaining in politics he kept his spiritual feelings always before himself and as stated by our friend Shri Dwivedy, he was a great admirer of Mehar Baba and was also a great propagator of his ideologies.

Shrimati Kamla Chaudhry—Member of Parliament of the third Lok Sabha, entered the field of social service during the days when women of our country used to come out very rarely from their homes. She was a great Hindi Poet. Once or twice she delivered her speech in the House. While in politics she always protected the yardsticks of political ideologies.

Shri Naval Prabhakar was in close contact of Delhi and its social service fields. I pay homage on behalf of my colleagues and the party.

The passing away of President Nasser, at a juncture when crisis of West Asia were gradually finding a way of solution, is definitely a sad tragedy for world peace. The Arab world has suffered a loss which can not be made good of easily. To President Nasser also, I pay my heartiest tributes on behalf of my party and my own behalf.

श्री इब्न हीम सुलेमान सेठ (कोजीकोड) : अध्यक्ष महोदय, अपने दल मुस्लिम लीग की ओर से, मैं आप, प्रधानमंत्री और उन सभी सम्मानीय साथियों के साथ सम्मिलित होता हूं जिन्होंने हमारे बहुत से संसदविज्ञों के गुजर जाने पर संवेदना तथा शोक प्रकट किया है ।

जहां तक श्री सहगल का सम्बन्ध है, हम सब जानते हैं कि वे इस सदन के सदस्य थे। उनका व्यक्तित्व सुप्रिय था और वे बौद्धिक तथा मानसिक गुणों से अलंकृत थे । उनकी मृत्यु सचमुच इस सदन तथा समूल देश के लिये एक बड़ी हानि है ।

जहां तक अन्य संसदविज्ञों का सम्बन्ध है, मैं प्रोफेसर मैथ्यु तथा जार्ज कोट्टुकपल्ली को व्यक्तिगत रूप से जानता था । इन दोनों भद्रपुरुषों ने राज्य तथा देश की यथा सम्भव सेवा की है।

जहां तक राष्ट्रपति नासर के दुखद निधन और अचानक मृत्यु का सम्बन्ध है, यह न केवल अरब तथा मुस्लिम देशों के लिये एक बड़ी हानि है बल्कि उन सभी देशों की हानि है जो शांति तथा प्रगति में विश्वास रखते हैं । उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व ने मिस्र को विश्व के मानचित्र पर लाया और रूस तथा अमरीका सरीखी बड़ी बड़ी शक्तियों के दबाव का मुकाबला किया । उन्होंने इन बड़ी शक्तियों को मिस्र की प्रभुसत्ता तथा महानता मानने के लिये बाध्य किया ।

सचमुच उनका जीवन तो महान था ही, साथ ही उनकी मृत्यु भी महान थी क्योंकि उनकी मृत्यु उस समय हुई जब वे मानवता की सेवा कर रहे थे और जब वे सम्राट हुसैन तथा अल-फतह-मुजाहिद के नेता नासर अराफत के बीच समझौता करवाने का प्रयत्न कर रहे थे । मैं केवल इतना ही कहूंगा कि उनकी मृत्यु पूरी न की जाने वाली हानि थी । ऐसे लोग हमेशा पैदा नहीं होते । हर मिस्र के सभी लोगों को अपनी सहानुभूति भेजते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भगवान ऐसा ही नेता दे जो भविष्य में उन्हें शांति और प्रगति की ओर ले जाये । आज जब मिस्र औपनिवेशिक तथा फासिस्ट शक्तियों के आक्रमण का सामना कर रहा है, तो ऐसे समय में उनकी मृत्यु सचमुच एक दुखद घटना है ।

अब मैं एक पद्यांश के साथ समाप्त करता हूं :

"हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है,
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा ।"

तो राष्ट्रपति नासर का व्यक्तित्व ऐसा था । और हम उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट करते हैं।

Shri Chandrika Prasad (Ballia): Mr. Speaker, Sir, I pay my homage on the sad demise of my seven colleagues particularly Shri Amar Singh Saigal. Shri Amar Singh Saigal had particular association with our Ballia district because his family was related to Ballia. His father was one of the original inhabitant of Ballia. He had gone to Bilaspur for practice etc. where Shri Amar Singh was born.

Shri Amar Singh Saigal kept struggling through out his life for the cause of backward classes and poor people and he surrendered himself to the service of poor. But it is not understood as to why people who serve the poor pass away in this way. He always made efforts to help District Ballia which had been neglected all along. By his death our District has lost much. I on my own behalf and on behalf of my District express my heartiest tributes to the departed soul.

अध्यक्ष महोदय : दिवंगत मित्रों तथा राष्ट्रपति नासर के प्रति श्रद्धाभाव में सभा के सदस्य कुछ देर के लिये मौन खड़े हों।

इसके पश्चात सदस्य कुछ देर मौन खड़े रहे।

The Members then stood in silence for a short while.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

नेफा पराजय के विषय में हैंडरसन-ब्रुक्स के प्रतिवेदन से प्रकरण उद्धृत करने की अनुमति

*1. **श्री नाथ पाई :** **श्री हेम बरुआ :**

श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या प्रति रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक पत्रकार तथा "इण्डिया-चाइना वार" नामक पुस्तक के लेखक श्री नेविल्ले मैक्सवैल ने नेफा पराजय के विषय में हेन्डरसन ब्रुक्स के प्रतिवेदन से प्रकरण उद्धत करने हेतु अनुमति प्राप्त कर ली थी; और

(ख) यदि नहीं, तो इन प्रकरणों को प्रकाशित करने के लिए उक्त लेखक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रति रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). हेंडर्सन ब्रुक्स रिपोर्ट से उद्धरण प्रकाशित करने के लिए लेखक ने सरकार की अनुमति प्राप्त नहीं की थी, और न ही ऐसी कोई अनुमति दी ही गई थी। लेखक मुद्रक तथा प्रकाशक के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न निरीक्षण अधीन है।

श्री नाथ पाई : मुझे विश्वास है कि इस प्रश्न को आप उचित महत्व देंगे। केवल इतने उत्तर से कि सरकार ने मिस्टर हेन्डरसन को कोई दस्तावेज सप्लाई नहीं किए, यह प्रश्न छोड़ा नहीं जा सकता। यह पुस्तक, जिसके आधार पर प्रश्न पूछा गया है, नितांत पक्षपातपूर्ण और अत्यधिक पक्षपातपूर्ण पुस्तक है और फिर भी अत्यन्त रोचक है। माननीय मन्त्री ने अभी बताया कि

लेखक को कोई दस्तावेज सप्लाई नहीं किए गए थे। लेखक के स्वयं के वाक्यांशों द्वारा मैं इस वक्तव्य का खंडन करता हूँ। पुस्तक के पृष्ठ 13 पर उसने कहा है कि :

"मैंने पुस्तक के लिए सारी सामग्री भारत सरकार एवं भारतीय सेना की अप्रकाशित फाइलों तथा अभिलेखों से प्राप्त की हैं। ये दस्तावेज मुझे उन अधिकारियों द्वारा दिखाए गये जिनका विश्वास था कि पूरी बातें बताने का यह अवसर है और ठीक ढंग से लिखने के लिए जिन्होंने मेरा विश्वास किया। मैं उनका नाम नहीं बता सकता और न ही मैं उन दस्तावेजों या फाइलों के सम्बन्ध में बता सकता हूँ जिनसे मैंने सामग्री ली है। मैं केवल उन लोगों का धन्यवाद कर सकता हूं।"

अध्यक्ष महोदय : लेखक ने दावा किया है कि इस पुस्तक के लिखने के लिए उसने जिन दस्तावेजों को आधार बनाया है उसने उन्हें देखा है। इस पुस्तक से कई बातें उठती हैं। इनमें से कुछ विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचनाएं हैं जैसी मैंने दी है। जब यह सदन आज भी अपनी कार्यवाही के अनुसार चलेगा तो मेरा विश्वास है कि आप उन पर समुचित विचार करेंगे।

महोदय, मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या यह सच नहीं है कि हैन्डरसन ब्रुक्स प्रतिवेदन की केवल दो प्रतियां थीं जिनमें से एक स्वयं प्रतिरक्षा मन्त्री के पास थी और दूसरी मंत्रिमंडल सचिवालय के पास। यह बात कई कथनों से स्पष्ट होती है। मिस्टर मैक्सवेल की इस पुस्तक के पृष्ठ 223 पर लिखा है :

"न तो सरकार का मूल निर्देश और न ही थापर का वह पत्र, जिसके द्वारा उसे कमान्ड को भेजा गया, प्रकाशित किए गए हैं परन्तु लेखक को यह दिखाए गए थे। इस लेखक को प्रत्येक गोपनीय दस्तावेज दिखाया गया था।"

महोदय, जब प्रश्नों को अन्य बातों के साथ इकठ्ठा कर दिया जाता है तो इससे हमें नुकसान होता है। मैं इस बात के प्रति भी अधिक उत्सुक नहीं हूँ कि लेखक या प्रकाशक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है। पहले मैं यह जानना चाहता हूँ और यह सदन भी यह जानना चाहेगा कि वह व्यक्ति कौन है जिन्होंने ऐसे दस्तावेज सप्लाई किए जिनका देश एवं सुरक्षा की एकता एवं सुरक्षा के साथ सम्बन्ध है। यह एक अत्यन्त गम्भीर बात है यह सरकार जिस लापरवाही के ढंग से इस संसद को ले रही है वह बहुत महत्वपूर्ण है।

सदन के लगभग सभी पक्षों की ओर से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में तत्कालीन प्रतिरक्षा मन्त्री ने निम्नलिखित उत्तर दिया। मैं लोक सभा की 2 सितम्बर, 1963 की कार्यवाही में से उद्धृत कर रहा हूँ। जिस प्रतिवेदन की प्रति उस समय एक विदेशी को उपलब्ध करवाई गई थी उसकी प्रति की मांग करने पर श्री चव्हाण ने इस सदन में कहा था कि :

"मैंने इस विषय पर (अर्थात हेन्डरसन ब्रुक्स के प्रतिवेदन के संसद में देने के सम्बन्ध में) गम्भीरता पूर्वक सोचा है। बहुत ही दुःख के साथ मुझे यह प्रतिवेदन इस महान सभा को देने से इन्कार करना पड़ा है। इस प्रतिवेदन में हमारी सेनाओं की संख्या और फैलाव तथा उनकी अवस्थिति के संबंध में जानकारी है अतः इसका प्रकाशित होना हमारे शत्रुओं के लिए बहुत मूल्यवान उपयोग होगा। इससे न केवल हमारी सुरक्षा को खतरा

होगा परन्तु इससे उन लोगों के मनोबल पर भी प्रभाव पड़ेगा जिनके ऊपर हमारी सीमाओं की सुरक्षा का भार है ।"

तत्कालीन प्रतिरक्षा मन्त्री, श्री चव्हाण ने यह कहा था । यह लगभग इन्हीं शब्दों में है । अतः मैं उत्तर चाहता हूं ।

21 सितम्बर, 1963 को इस सदन में बोलते हुए मैंने सरकार को इस बात के मनवाने का प्रयास किया था कि इस प्रतिवेदन की प्रति सभा के पटल पर रखी जाए । मैं यह कहना चाहता हूँ कि संसद पूर्ण सत्य को जानने की हकदार है और जिसके जानने की यह हकदार है उसको इस संसद को न बताने के लिए प्रतिरक्षा मंत्री का दुराग्रह संसद के अधिकारों और विशेषाधिकारों पर न केवल असह्य अतिक्रमण है और शायद इसकी सत्ता के प्रति सुनियोजित आक्रमण है और इससे इस संशय की पुष्टि होती है कि लोगों को सारी सच्चाई बताने और परिणामों का सामना करने का सरकार में साहस नहीं । सच्चाई को छुपाने में सरकार के निहित स्वार्थ हैं और देश की सुरक्षा करने के अपने मूल कर्त्तव्य में असफलता के दोष के प्रति अपनी दोषपूर्णता को छिपाने के लिये राष्ट्रीय हित की दलील दी जाती है जो कि एक रमणीय और न मानने योग्य दलील है । प्रतिरक्षा मन्त्री ने कहा कि इस दस्तावेज को सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता । सितम्बर 1963 के दौरा न उन्होंने इसका औपचारिक सारांश दिया था । शायद उन्हें यह याद होगा । परन्तु हमारा संबंध व्यक्तियों के साथ नहीं सरकार के साथ है । क्या मैं जान सकता हूं कि मिस्टर मैक्सवेल को यह दस्तावेज किसने दिये या क्या भारत सरकार का यह विचार है कि दस्तावेज ठीक प्रकार से उद्धृत नहीं हुए हैं ?

श्री जगजीवन राम : मैंने इस प्रकार का उत्तर इस लिए दिया है कि प्रश्न ही इस प्रकार पूछा गया था । प्रतिरक्षा मन्त्रालय में किसी भी वर्गीकृत दस्तावेज को किसी अनाधिकृत व्यक्ति को दिखाने के लिए किसी को भी अधिकृत नहीं किया गया है और जांच पर यदि यह पाया गया (**व्यवधान**) कि वर्गीकृत दस्तावेजों को किसी व्यक्ति ने किसी अनाधिकृत व्यक्ति को सप्लाई किया है तो सरकारी गोपनीयता अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी (**व्यवधान**) ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : वह कोई आशुलिपिक भी हो सकता है जरूरी नहीं कि अधिकारी हो ।

श्री जगजीवन राम : जी, हां । ऐसा करना ही होगा । इस बात का पता लगाया ही जाना है क्योंकि तीन पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं । उन्होंने भी दावा किया है कि "गोपनीयता" तक उनकी पहुंच थी । मैंने मन्त्रालय को यह देखने को कहा है कि मैक्सवेल की इस पुस्तक में दिए गए उद्धरण क्या इन तीन पुस्तकों में से है या बाहर से है । इसमें सन्देह नहीं कि यह एक गम्भीर विषय है । सदन में व्यक्त इन भावों में मैं भी शरीक हूँ कि यदि वर्गीकृत एवं गोपनीय दस्तावेज किसी अनधिकृत व्यक्ति को उपलब्ध करवाए जाएं तो यह एक गम्भीर बात है और मैंने इस विषय की सम्पूर्ण जांच का आदेश दिया है और उस जांच से प्राप्त होने वाले परिणामों से मैं यथाशीघ्र आप सब को अवगत करवाऊंगा । मैंने इसकी शीघ्र जांच करने और पुस्तक के दस्तावेजों से मिलान का आदेश दिया है ।

श्री रंगा : यह जांच किस के द्वारा होगी ?

श्री जगजीवन राम : मन्त्रालय के अधिकारियों द्वारा । मैंने कहा है कि सदस्यों की चिन्ता में मैं भी शरीक हूं, सदन की उत्सुकता में मैं भी शरीक हूँ ।

श्री कमलनयन बजाज : क्या जांच के परिणाम आप कृपा करके इस सदन को बतायेंगे ?

श्री नाथ पाई : मुझे प्रसन्नता है कि कम से कम मेरे अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में प्रतिरक्षा मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया है कि सरकार इस विषय को उचित गंभीरता से देख रही है । मुझे विश्वास है कि इसी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी । फिर भी कुछ ऐसे प्रासंगिक प्रश्न उत्पन्न होते हैं जिनका उत्तर दिया जाना होगा । मंत्री ने कहा कि मूल दस्तावेज के संदर्भ में उनके मंत्रालय में पुस्तक का अध्ययन व इसकी जाँच की जा रही है । मैं इस से बहुत अधिक सन्तुष्ट नहीं हूं, क्योंकि हम दो या तीन दिनों में इस पुस्तक को पढ़ कर देख सके हैं कि उसमें क्या बताया गया है जबकि हमारे साथ बैठने के विशेषज्ञ नहीं । मंत्रालय द्वारा यह समीक्षा अब तक पूरी हो चुकनी चाहिये थी । इस मंत्रालय में सचिवों, संयुक्त सचिवों विशेषज्ञों आदि की भरमार है ।

और उन्होंने यह भी नहीं बताया कि क्या यह बात ठीक है कि इस प्रतिवेदन की केवल दो प्रतियां थीं । यदि वह यह कहते हैं कि यह बात ठीक है तो यह प्रश्न उठेगा कि वे दो प्रतियां किन लोगों के पास हैं और इससे ऐसे लोगों की संख्या को कम किया जा सकता है जिनके द्वारा उनके दिखाये जाने की संभावना हो सकती है । इस अवस्था में मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि इस संबंध में एक विशेषाधिकार प्रस्ताव भी है जिस पर सदन में बाद में विचार किया जायेगा और उससे इस विषय पर विचार करने के लिए अधिक अवसर प्राप्त होंगे । परन्तु माननीय मंत्री से मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह ठीक है कि इसकी केवल दो प्रतियाँ थीं और यदि केवल दो प्रतियां थीं तो वे किन व्यक्तियों के पास थीं ?

दूसरे, क्या सरकार अभी भी इस प्रकार का सारहीन उत्तर देना चाहेगी कि "हम जांच कर रहे हैं ?" मैं मंत्री महोदय का खण्डन करूंगा और यह कहूँगा कि मैक्सवेल की पुस्तक के पृष्ठ 353 पर यह दावा है कि इस घटना के संबंध में सेना की रिपोर्ट में इस नई रेखा का कोई उल्लेख नहीं है । ऐसा कोई भी दस्तावेज न था जिस तक यह महानुभाव न पहुंच सके हों । इन दस्तावेजों की सुरक्षा करने वाले लोगों की अयोग्यता पर मेरा सर शर्म से झुक रहा है । जब ऐसा कार्य एक विदेशी अनुसंधानकर्ता छात्र, विद्वान अथवा पत्रकार कर सकता है तो कितना ही अच्छा होता हमारे पत्रकार अथवा विद्वान इन बातों को लिखने का साहस करते । इस विषय के सम्बन्ध में संसद को कोई सूचना नहीं दी गई और सदा उससे छिपाए रखा गया और ऐसा एक बार नहीं अपितु अनेक बार हुआ है । मेरे पास पूरी सूची है जबकि संसद को साफ मना किया गया, उसकी उपेक्षा की गई तथा उसका उपहास किया गया । वह संस्था जोकि हैन्डरसन ब्रुक्स रिपोर्ट को प्राप्त करने की वस्तुतः अधिकारी थी उसकी हमेशा उपेक्षा की गई । इस पुस्तक में हैन्डरसन ब्रुक्स की रिपोर्ट से उद्धरण दिए गए हैं । 1957 से लेकर 1962 तक सेना की सभी रिपोर्टों और विभिन्न कमाण्डों द्वारा किए गए अभ्यासों का भी विवरण है । ऐसा किस प्रकार

हुआ ? मैं एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं। बड़े मामलों को बाद में लिया जाएगा। इस विषय पर एक विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है मैं आशा करता हूँ कि सदन इस प्रस्ताव को जल्दी लेने के लिए पक्षपात नहीं करेगा। और इसे तब ही लिया जाएगा जब मैं अपने विशेषाधिकार प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति लूंगा। मैं केवल यह पूछना चाहता हूं यदि केवल दो ही प्रतियां थी तो वह प्रतियां किन व्यक्तियों के पास थीं यह बाद में देखा जाएगा कि उनके विरुद्ध क्या और किस किस्म की कार्यवाही की जाए। मैं आशा करता हूं मंत्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर देंगें।

श्री जगजीवन राम : मैं विशेषाधिकार प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता...

श्री नाथ पाई : अध्यक्ष महोदय इस सम्बन्ध में कुछ कहें।

श्री जगजीवन राम : मैं विशेषाधिकार प्रस्ताव पर कुछ नहीं कहना चाहता किन्तु एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसे किसी अधिकृत व्यक्ति ने सप्लाई नहीं किया। जैसाकि मैंने पहले भी कहा यदि यह सप्लाई की गयी है तो यह गम्भीर उल्लंघन है।

श्री नाथ पाई : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है मैंने अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों का उल्लेख किया है और उन्हें दिखाया भी है।

श्री जगजीवन राम : मैं इसी प्रश्न पर आ रहा हूँ।

श्री पीलू मोडी : किन्तु वह व्यक्ति अधिकृत नहीं थे।

श्री जगजीवन राम : मैंने यह कहा कि किसी व्यक्ति को यह सप्लाई करने का अधिकार नहीं था। इसमें हंसने की क्या बात है यदि इसे सप्लाई किया गया है तो ऐसा अनाधिकृत रूप में किया गया है।

श्री नाथ पाई : मेरा प्रश्न यह था कि इसकी अभिरक्षा का भार किस पर था।

श्री जगजीवन राम : जहां तक वर्गीकृत दस्तावेजों अथवा कुछ गोपनीय परिपत्रों अथवा निर्देशों का सम्बन्ध है जिस क्षेत्र में इनको परिचालित किया गया उसका नाम हमें पता है और भाग्यवश वह क्षेत्र बड़ा नहीं है, अतः उन स्रोतों का पता लगाना जिनसे यह सूचना प्राप्त हुई है, कोई बहुत कठिन कार्य नहीं।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : किन्तु पुस्तक किसके पास है।

श्री जगजीवन राम : ऐसी अवस्था में, प्रतियां किसके पास हैं, यह प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है...

श्री पीलू मोडी : वह इसका उल्लेख करने जा रहे हैं।

श्री जगजीवन राम : मैं एक-एक करके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूंगा। जहां तक इन वस्तुओं का सम्बन्ध है चाहे वह पुस्तक हो या प्रतिवेदन या परिपत्र हों अथवा निर्देश इन सबका

परिचालन इतनी कम मात्रा में है कि जिन व्यक्तियों को यह भेजे गए हैं, उनका नाम भी पता है। इस सब की विस्तार से पुस्तक तथा परिपत्रों के साथ तुलना की जा रही है और उन तीन पुस्तकों की भी, जोकि इससे पहले प्रकाशित हुई थीं, तुलना की जा रही है। और उन सभी संभव स्रोतों का पता लगाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं जहां से यह सूचना प्राप्त हुई है और जैसे ही उन स्रोतों का पता लगेगा मैं संसद को इसकी सूचना दूंगा।

श्री नाथ पाई : मेरे प्रश्न का फिर उत्तर नहीं दिया गया है। मेरा विशिष्ट प्रश्न यह था कि वह दो प्रतियाँ किसके अभिरक्षण में थीं। इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। वह मुझसे सहमत हैं कि जांच के क्षेत्र को कम किया जाए। किन्तु किन सरकारी अधिकारियों अथवा मंत्रियों के पास यह दो प्रतियां थीं ? संसद को यह बताया जा सकता है क्या इसमें से एक प्रति श्री मैक्सवेल को दी गई अथवा नहीं इसकी जांच बाद में भी की जा सकती है। किन्तु इस अवस्था में यह बतलाया जा सकता है कि यह दो प्रतियां किसके पास थीं।

श्री पीलू मोदी : यह विशेषाधिकार का मामला है।

श्री जगजीवन राम : वस्तुतः प्रतियों की संख्या बहुत कम थीं।

कुछ माननीय सदस्य : कितनी प्रतियां ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्हें प्रश्न न टालने दिया जाए।

श्री जगजीवन राम : बहुत कम प्रतियां थीं...

कुछ माननीय सदस्य : किन्तु कितनी प्रतियां थीं ?

श्री जगजीवन राम : मैं इस सम्बन्ध में जांच करा रहा हूं और जबतक मुझे पूरी तरह प्रतियों की संख्या नहीं पता लगती मैं सदन को निश्चित रूप से कुछ नहीं बता सकता और ऐसी संख्या मैं बताना नहीं चाहता जिसको मुझे बाद में सुधारना पड़े।

श्री नाथ पाई : क्या आप कृपा करके 'हैन्डरसन ब्रुक्स' की रिपोर्ट को सभा पटल पर रखेंगे। मैं एक तुलनात्मक अध्ययन करना चाहता हूँ अतः मैं हैंडरसन ब्रुक्स की रिपोर्ट की एक प्रति लेना चाहता हूं। क्या आप इसे देने की कृपा करेंगे। आजकल वह श्री मैक्सवेल के पास है।

श्री जगजीवन राम : निश्चय ही मैं यह उन्हें नहीं दे सकता।

श्री नाथ पाई : मुझे उसकी आवश्यकता है और यही उत्तर मैं जानना चाहता था।

श्री जगजीवन राम : मैं सदन को कोई भी ऐसी सूचना नहीं देना चाहता जिसके बारे में मुझे पूर्ण जानकारी न हो और तब तक मैं कोई निश्चयात्मक उत्तर देने के लिए तैयार नहीं। अतः इस अवस्था में यह बतलाया नहीं जा सकता कि प्रतियों की संख्या कितनी थी। किन्तु इतना मुझे पूर्ण रूप से पता है कि प्रतियों की संख्या बहुत कम थी और मैं जांच के बाद सारी सूचना सदन के सम्मुख रखूँगा।

श्री ही० ना० मुकर्जी : इस पुस्तक में भारत के विरूद्ध अंग्रेजी साम्राज्यवाद का विष भरा पड़ा है । यह लगभग तीन महीने पहले प्रकाशित हुई थी और मुझे भी भगवान जाने किस कारण से इसकी एक प्रति मुफ्त में भेज दी गई । श्री नाथ पाई ने जो कुछ कहा उसके अतिरिक्त मैं समझता हूँ कि वह 13 सितम्बर 1959 को श्री जवाहर लाल नेहरु द्वारा तैयार किए गए मंत्रिमंडल के किसी ज्ञापन का उल्लेख कर रहे हैं जो हमारी सेना द्वारा कार्यवाही के दौरान अस्वीकृत कर दिया गया था । यही वह कहना चाहते हैं । उनका कहना है कि उन्हें इन सब बातों का पता मंत्रालय के उन कर्मचारियों से लगा है जिन्हें वर्गीकृत सूचना का ज्ञान था । मंत्री महोदय का कहना है ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है । किन्तु जैसाकि यह पुस्तक तीन महीने पहले प्रकाशित हुई अतः इन कुछ मुट्ठीभर लोगों की जांच कराने में, जिनको वर्गीकृत सूचना का ज्ञान था, देर नहीं लगानी चाहिए । वह इतना भी नहीं बता सकते इसके लिए कौन उत्तरदायी था । तथा उन्होंने हमारे देश को बदनाम करने में एक विदेशी की सहायता करने जैसा निन्दनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को दण्ड देने के बारे में क्या कार्यवाही की है ? जबकि देश के प्रैस तथा संसद सदस्यों को ऐसी जानकारी प्राप्त करने से वंचित रखा जाता है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि जांच कार्य में इतनी अधिक देरी क्यों की जा रही है जबकि पुस्तक का प्रकाशन हुए तीन महीने से भी अधिक समय हो गया है और मुझे भी डेढ़ महीना पहले इसकी एक प्रति मुफ्त में मिल चुकी है । यदि ऐसा हो सकता है तो सरकार को इस सम्बन्ध में अधिक ज्ञान होना चाहिए और संसद को बताना चाहिए कि मंत्रालय के ऐसे ब्लैकगार्डों को, जिन्होंने एक विदेशी साम्राज्यवादी एजेंट को रहने के लिए मुफ्त क्वार्टर दिया, क्या सजा मिलनी चाहिए ?

श्री जगजीवन राम : मैंने जो कुछ कहा, उससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है । पिछले ही महीने मुझे इसकी सूचना मिली है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : अक्टूबर में । इसका प्रकाशन तो अगस्त में हुआ, क्या वह सो रहे थे ?

श्री जगजीवन राम : जी हां, अक्टूबर में इसे मेरे ध्यान में लाया गया ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या वह सारा समय सोते रहे हैं ?

श्री जगजीवन राम : किन्तु मैं इस विषय में सो नहीं रहा ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : किन्तु उन्होंने इसका ध्यान नहीं किया ।

श्री जगजीवन राम : स्वभावतः इसकी तुलना...

श्री ही० ना० मुकर्जी : इस धीमी गति वाले समाजवाद से काम नहीं चलेगा ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : क्या यह सूचना तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री, श्री चव्हाण द्वारा दी गई जानकारी गलत थी । उन्हें स्पष्ट करने दिया जाए क्योंकि वह उनके पास बैठे हैं ।

श्री जगजीवन राम : कोई भी, चाहे वह मंत्री हो अथवा सचिव अथवा कोई अन्य अधिकारी... (व्यवधान)

श्रीमती सुचेता कृपालानी : श्री चव्हाण को उत्तर देने दिया जाए।

श्री जगजीवन राम : यदि किसी प्रतिरक्षामंत्री ने यह कहा है तो भी कागजों पर कुछ नहीं है जिससे कि दिखाया जा सके कि अमुक व्यक्ति ने यह कहा है। यदि किसी ने ऐसा किया भी है तो यह ओफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन है और उसके अनुसार उसे दण्ड दिया जाएगा।

डा० सुशीला नायर : इसका पता उन्हें पिछले महीने से था और अब तक तो उन्हें जांच करके प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर देना चाहिए था।

श्री हेम बरुआ : चूंकि श्री मैक्सवेल की पुस्तक 'इण्डिया-चाइना वार' में हैन्डरसन ब्रुक्स रिपोर्ट, जिसे यह सदन अत्यंत गोपनीय दस्तावेज समझता है, से विस्तृत रूप में उदाहरण दे दिए गए हैं क्या अब मंत्री महोदय उस रिपोर्ट को सभा पटल पर रखेंगे ताकि भारत के लोगों को पता चले कि नेफा की लड़ाई में भारत की उस समय सुरक्षात्मक तैयारियां क्या थी और अब इन घटनाओं को व्यतीत हुए 8 वर्ष हो गए हैं।

श्री जगजीवन राम : मैं पहले ही इसका उत्तर दे चुका हूँ और तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से मैं सहमत नहीं।

श्री हेम बरुआ : मेरा प्रश्न यह नहीं था। नेफा पराजय को गुजरे 8 वर्ष हो गए हैं। क्या सरकार आने वाले वर्षों में भी देश को अन्धकार में रखना चाहती है, जैसाकि उसने इन पिछले वर्षों में किया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

श्री हेम बरुआ : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

श्री म० ला० सोंधी : क्या राष्ट्र हित के लिए हम इस प्रश्न पर चर्चा कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आशा करता हूँ कि इस पर प्रश्न काल के बाद चर्चा नहीं की जायेगी। पहले ही हमने दो तीन मिनट इस पर अधिक लगा दिए हैं। आप इस पर चर्चा बाद में कर सकते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सरकारी क्षेत्र में विस्फोटक पदार्थ बनाने के कारखाने की स्थापना

*2. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री जी० वेंकट स्वामी :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में विस्फोटक पदार्थों का निर्माण करने वाले एक कारखाने की स्थापना करने का है ;

(ख) सरकारी क्षेत्र में विस्फोटक पदार्थों का निर्माण करने वाले उक्त प्रस्तावित कारखाने की वार्षिक क्षमता क्या होगी ;

(ग) उक्त कारखाने पर क्या लागत आयेगी, यह कहां स्थापित किया जायेगा तथा यह कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ;

(घ) क्या यह सच है कि देश में विस्फोटक पदार्थों की बहुत कमी है ; और

(ङ) यदि हां, तो तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी, हां ।

(ख) 15,000 मैट्रिक टन लगभग ।

(ग) सम्भाव्यता रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने के उपरांत ही यह जानकारी उपलब्ध हो सकेगी ।

(घ) कुछ कमी तो अवश्य है परन्तु समस्या को उग्र नहीं माना जा सकता है ।

(ङ) तत्काल आवश्यकता की पूर्ति और बफर स्टाक को संग्रहित करने के लिए, विस्फोटक की पर्याप्त मात्रा के आयात के लिये कदम उठा लिए गए हैं ।

Supply of Arms by U. S. A. to Pakistan

*3. **Shri Arjun Singh Bhadoria : Shri Ramavatar Shastri : Shri N. R. Laskar :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the action taken so far by Government in protest against the supply of arms by U. S. to Pakistan ;

(b) whether any reply has since been received from the U. S. Government in this regard ; and

(c) if so, the details thereof and whether a copy of the said correspondence would be laid on the Table ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) The Government of India has protested to the United States Government both in Washington and through the U. S. Ambassador here against their decision to supply arms to Pakistan.

(b) Yes, Sir.

(c) The United States Government have stated their views on the subject with which we do not agree. They have, however, made a statement that this is a one-time exception to the ban imposed in 1965 on the sale of lethal weapons in the area.

It is not customary to reveal details of confidential discussions and documents.

Remittances by Foreign Drug Firms Functioning in India

4*. **Shri Onkar Lal Berwa : Shri Ram Charan Shri Shree Gopal Saboo :**

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) The number of foreign drug manufacturing companies functioning in India ;

(b) the extent of profit accrued to each of them during the last three years, year-wise;

(c) the details of the amount remitted to foreign countries by these companies in the shape of royalty, service charges, technical know-how, etc., during the said period ; and

(d) the action taken to brir g down the excess margin of profits earned by the foreign drug manufacturing companies ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) Apparently, the members refer to drugs manufacturing companies having some foreign investment ; if so, there are 64 such companies operating in this country, at present.

(b) The required information has not been compiled and is not therefore, available.

(c) Industry-wise breakdown of remittance of royalty etc. has not been maintained.

(d) The Drugs (Prices Control) Order, 1970, issued on the 16th May, 1970 prescribes certain formulae for pricing of drugs. The revised pricing policy as embodied in the said Order, is aimed at bringing down excess margins of profits of all drug manufacturers.

Correction in Soviet Maps Showing Indian Territory as Chinese

*5. **Shri Meetha Lal Meena : Shri Hem Raj :**
Shri Raghuvir Singh Shastri :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether Russia has refused to carry out corrections in their maps in which the Northern frontiers of India have been shown as Chinese Territory ; and

(b) the reaction of Government of India on the outcome of their recent discussions with Russian Government on the subject ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) No, Sir.

(b) On the contrary, the Soviet Government had assured us that they would give due consideration to our representations and views in the matter. They have through their Ambassador in Delhi, recently informed us that they are shortly going to publish a new map of India which will show the Sino-Indian border as an un-settled border.

मिग-21 विमान के संशोधित माडल का निर्माण

*6. **श्री वि० नरसिम्हा राव : श्री अदिचन :**
श्री शिवचरण लाल :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने मिग-21 विमान के एक संशोधित माडल का निर्माण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त माडल की मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं और उसकी लागत कितनी है ; और

(ग) ऐसे कुल कितने विमान बनाने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी

अभी नहीं ; तदपि सोवियत सहयोग सहित मिग-21 विमान के एक सशोधित संस्करण के उत्पादन के लिए आयोजन हस्तगत किया गया है।

(ख) और (ग). यह विस्तार प्रकट करना लोकहित में नहीं है।

जोर्डन के संघर्ष में बीच बचाव कराने के लिए भारत से अनुरोध

*7. **श्री नारायणन :**
श्री सामिनाथन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इराक तथा कुछ अन्य देशों ने भारत से हाल ही में जोर्डन में फिलिस्तीनी और जोर्डन की सेनाओं के मध्य हुए संघर्ष में बीच-बचाव कराने का अनुरोध किया था ; और

(ख) यदि हां, तो भारत इस संघर्ष को सुलझाने हेतु सहायता देने में कहां तक सफल हुआ ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जोर्डन का हाल का युद्ध गृह युद्ध जैसा था। सरकार का मत है कि इन परिस्थितियों में बाहरी हस्तक्षेप से स्थिति और भी खराब होगी और इस समस्या का सर्वाधिक रचनात्मक हल यह होगा कि राजनयिक सूत्रो के माध्यम से विचार विनिमय किया जाए और दोनों पक्ष संयम और नियन्त्रण से काम लें।

देश में क्षेत्रीय चिकित्सा संस्थान

*8. **श्री प० गोपालन** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश के विभिन्न भागों में पांच क्षेत्रीय चिकित्सा संस्थान स्थापित करने की योजना तैयार की है जिससे कि डाक्टरों को चिकित्सा के विभिन्न विभागों यथा शारीरिक चिकित्सा, व्यवसायिक चिकित्सा तथा वाक चिकित्सा में प्रशिक्षण दिया जा सके ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि केरल के 7 लाख व्यक्ति कई प्रकार के विकलांग बना देने वाले रोगों से ग्रस्त हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार केरल राज्य में त्रिवेंद्रम में एक और चिकित्सा संस्थान खोलने पर विचार करेगी ; क्योंकि उस राज्य में शारीरिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा आदि के प्रशिक्षित डाक्टरों का अभाव है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में निर्णय कब तक लिया जायेगा ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं । फिर भी, देश के कतिपय संस्थानों में भौत-चिकित्सकों, व्यावसायिक चिकित्सकों तथा प्रोस्थेटिक तकनिशियनों के प्रशिक्षण के लिए वजीफे देने की एक योजना है ।

(ख) यह तथ्य सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) भारत सरकार ने धनाभाव के कारण राज्यों में पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना करने की योजना को बन्द कर दिया ।

भारतीय तेल निगम के प्रबन्ध-मण्डल में कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रतिनिधित्व दिया जाना

*9. श्री शशि भूषण : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रबन्ध-मंडल में कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रतिनिधित्व के बारे में भारतीय तेल निगम की क्या नीति है ; और

(ख) भारतीय तेल निगम के प्रबन्ध में कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व दिये जाने के बारे में सरकार की क्या राय है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). आवश्यक रूप से यह एक ऐसा विषय है जिस पर सरकार ने अपना मत निश्चित करना है। मामले पर इस समय विचार हो रहा है ।

Progress Made in Off-Shore Drilling in Arabian Sea

*10. Shri Ram Gopal Shalwale : Shri A. Sreedharan :
Shri Dhandapani :

Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals be pleased to state :

(a) whether there has, so far, been any progress regarding the proposals received by Government dealing with off-shore drilling in the Arabian sea ;

(b) the details of the proposals received ; and

(c) the amount of foreign exchange lost, so far, due to lack of early decision ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) The technical scrutiny of the offers, received for assistance in drilling in deep waters in 'Bombay High' structure, has been completed. Negotiations on commercial aspects including price of platform, are expected to be taken up with the concerned firms shortly.

(b) It is not in public interest to disclose the details of the proposals received at this stage.

(c) There is no loss of foreign exchange due to lack of early decision.

रूस से कलपुर्जों के न आने से हेलीकोप्टरों का प्रयोग न होना

*11. **श्री हिम्मत सिंहका :**
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस से कल-पुर्जों के न आने से, सशस्त्र सेनाओं के कितने रूसी हेलीकोप्टर प्रयोग में नहीं आ रहे हैं ;

(ख) इससे हमारी सीमाओं पर तैनात प्रतिरक्षा सेनाओं की सप्लाई स्थिति पर किस हद तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और क्या इससे इस वर्ष गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के बाढ़-पीड़ितों को बचाने के कार्य में भी बाधा पड़ी थी ; और

(ग) उपर्युक्त हेलीकोप्टरों का निपटान करने अथवा उन्हें प्रयोग में लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ग). ओवरहाल के लिए कुछ सोवियत हेलीकोप्टर इकट्ठे हो गए हैं। ऐसा मुख्यत: इसलिए हुआ कि हेलीकोप्टर ओवरहाल करने के लिए हमने भारत में सुविधाओं का प्रयोग करने का फैसला किया था, और यह सुविधाएं अभी हाल ही में लागू हो पाई हैं। फालतू पुर्जों की प्राप्यता और यू०एस०एस०आर० से उनके प्रत्याशित वितरण ऐसे हैं कि ओवरहाल सुविधाओं का पूरा प्रयोग प्रत्याशित हेलीकोप्टरों की एक बड़ी संख्या का ओवरहाल चालू वित्तीय वर्ष में किया जाएगा। अधिक विस्तार देना लोकहित में नहीं होगा। इन हेलीकोप्टरों में से किसी निपटारे का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) इन हेलीकोप्टरों का प्रयोग प्राय: सप्लाई उद्देश्यों से किया जाता है। गुजरात, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में हाल की बाढ़ सहायता के दौरान इन हेलीकोप्टरों द्वारा काफी उड़ान प्रयास हस्तगत किया गया था।

दिल्ली में और उसके आसपास औद्योगिक कारखानों के लिए विकसित प्लाट

*12. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का दिल्ली में भूमि के सभी प्रकार के व्यापार अर्थात् भूमि की खरीद, भूमि के विकास आदि पर एकाधिकार है और वह दिल्ली में और उसके आसपास औद्योगिक कारखानों को पर्याप्त संख्या में विकसित प्लाटों को न दे सकने से राजधानी के तीव्र विकास की तुलना में पिछड़ता जा रहा है ; और

(ख) क्या दिल्ली में विकसित प्लाटों की मांग को पूरा करने के लिये कुछ उपाय किये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). दिल्ली में भूमि के बड़े पैमाने पर अर्जन, विकास और

निपटान की योजना के अन्तर्गत, भूमि, अर्जन के बाद, दिल्ली विकास प्राधिकरण सहित विभिन्न अभिकरणों को, दिल्ली की बृहत योजना के उपबंधों के अनुसार उपयोग के लिए आवंटित की जाती है। प्राधिकरण अन्य लोगों के साथ-साथ औद्योगिक एककों को आवंटन के लिए प्लाट विकसित कर रहा है। दिल्ली के नान-कनफर्मिंग क्षेत्रों में स्थित उन सभी औद्योगिक क्षेत्रों को, जिन्होंने दिसम्बर, 1966 तक भूमि के लिए आवेदन दिया था, विकसित प्लाट आवंटित कर दिए गए हैं। हाल ही में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एककों से और भी आवेदन आमन्त्रित किए गए थे। 1400 आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके हैं, जबकि इसके विपरीत 3000 प्लाट विकास की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। नान-कनफर्मिंग क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक एककों की आवश्यकतायें पर्याप्त रूप से पूरी करने के अतिरिक्त, दिल्ली विकास प्राधिकरण नये उद्योग-पतियों को स्थान देने के लिए कई विकसित औद्योगिक प्लाटों को खुले नीलाम द्वारा भी बेच रहा है।

आवश्यक औषधियों की भारत से तस्करी

*13. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फार्मास्युटिकल्स कम्पनियों द्वारा निर्मित कुछ आवश्यक औषधियों को, औषधि (मूल्य नियन्त्रण) आदेश जारी होने के बाद से चोरी-छिपे देश से बाहर ले जाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की तस्करी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). कुछ अस्पष्ट रिपोर्टें, कि कुछ औषधियों को चोरी-छिपे भारत से बाहर ले जाया जा रहा है, हाल ही में सरकार के ध्यान में आई हैं। प्रारम्भिक जांच के परिणामस्वरूप, यह प्रतीत होता है कि इन रिपोर्टों में कोई सचाई नहीं है। फिर भी, इस बात पर कड़ी निगरानी रखी जाती है कि आवश्यक औषधियों का अनाधिकृत निर्यात न हो ?

औषधि (मूल्य नियन्त्रण) आदेश का औषधियों के मूल्यों पर प्रभाव

*14. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता :**
श्री रविराय :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में जारी किये गये औषधि (मूल्य नियन्त्रण) आदेश के औषधियों के मूल्यों पर पड़े प्रभाव की समीक्षा की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). औषधि (कीमत नियन्त्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत निर्माताओं

से प्राप्त पुनरीक्षित मूल्य सूचियों की जांच की जा रही है और व्यक्तिगत निर्माताओं से, इनके बारे में बातचीत भी की जा रही है। उक्त आदेश के अन्तर्गत पुनरीक्षित मूल्यों के बारे में सरकार ने 31 दिसम्बर, 1970 तक निर्णय लेना है। इस समय तक स्थिति यह है कि अधिकतर दवाइयों के विक्रय मूल्य, या तो कम किये गये हैं या इस आदेश के प्रवृत होने से पूर्व तत्काल प्रचलित स्तर पर स्थिर किये गये हैं। जांच कार्य के पूरा होने के बाद ही आदेश के प्रभाव का आंकन करना सम्भव होगा।

चीन अधिकृत भारतीय क्षेत्रों के संबंध में ब्रिटेन द्वारा भारत सरकार के दावे का समर्थन

*15. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में ब्रिटिश सरकार ने चीन द्वारा हथियाये गये भारतीय क्षेत्रों संबंधी भारत सरकार के दावे का समर्थन किया है ; और

(ख) भारत के इस दावे का समर्थन करने वाले अन्य देशों के नाम क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). यू० के० और कुछ अन्य सरकारों ने 1962 में चीनी आक्रमण के समय भारत की स्थिति का समर्थन किया। हमें सही रूप से यह मालूम है कि हमारी सीमा कहां पड़ती है और हमने इस मामले में अन्य देशों से समर्थन नहीं मांगा है क्योंकि यह एक द्विपक्षीय मामला हैं और हम इसे चीन के साथ शान्ति-पूर्ण ढंग से सुलझाने की आशा रखते हैं।

भारत तथा बुलारिया के बीच वीसा पद्धति का हटाया जाना

*16. **श्री क० मि० मधुकर :**
श्री राम किशन गुप्त :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सोफिया में वैदेशिक कार्य सचिव और बुल्गारिया के विदेश मन्त्री के बीच भारत और बुल्गारिया के मध्य वीसा प्रतिबधों को समाप्त करने के बारे में हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : सोफिया में बल्गारिया गणतंत्र के विदेश मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय के सचिव के बीच जो बातचीत हुई थी कि भारत और बल्गारिया के बीच बीजा नियमों को उदार बनाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

अमरीकी राजदूत द्वारा सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्रों को पुनः खोलने का अनुरोध

*17. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में अमरीकी राजदूत श्री केनेथ बी० कीटिंग ने बन्द कर दिए गए अमरीकी सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्रों को पुनः खोलने की अनुमति मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त अनुमति दे दी गई है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं । लेकिन, अमरीकी राजदूतावास तथा अन्य सम्बद्ध मिशनों के साथ सांस्कृतिक और स्थापना और संचालन की रूपरेखा के बारे में अनौपचारिक विचार विमर्श हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आसाम के लिए दूसरा तेल शोधक कारखाना

*18. **श्री दे० अमात :** **श्री सीताराम केसरी :**

श्री एस० आर० दामानी :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अक्तूबर में प्रधान मन्त्री के आसाम के दौरे के समय वहां की सरकार और जनता ने आसाम में दूसरे तेल शोधक कारखाना स्थापित करने की सम्भाव्यता अथवा वांछनीयता के सम्बन्ध में उन्हें कोई अभ्यावेदन दिये थे ;

(ख) यदि हां, तो उनका सार क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) आसाम सरकार ने प्रधान मन्त्री को 2 अक्तूबर, 1970 को पेश किये गये ज्ञापन में, आसाम में दूसरी तेल शोधनशाला लगाये जाने की मांग को दोहराया है ।

(ग) भारत सरकार ने डी० एम० टी०/पोलिस्टर पैट्रोकैमिकल परियोजना के साथ सरकारी क्षेत्र में बोनगेगांव में एक एक मिलियन मीटरी टन ग्रास रूटस रिफाइनरी लगाने की अपनी इच्छा के बारे में आसाम सरकार को सूचित कर दिया है ।

पाकिस्तान की नौसेना शक्ति में वृद्धि

*19. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या प्रति रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पाकिस्तान की नौसेना शक्ति में हुई वृद्धि से अवगत है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) सरकार ने इस चुनौती का सामना करने के लिए क्या उपाय किए हैं या करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). सरकार को स्थिति का ज्ञान है और इस संबंध में भी संभव उपाय किये जा रहे हैं ।

पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई के बारे में प्रतिरक्षा मन्त्री का वक्तव्य

*20. **श्री समर गुह** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने पाकिस्तान को हथियार तथा फालतू पुर्जे देने के अमरीका के निर्णय की भारत के प्रति अमैत्रीपूर्ण कार्य कह कर निन्दा की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय हित के इसी सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए सरकार यह अनुभव करती है कि पाकिस्तान को हथियार तथा फालतू पुर्जे देने सम्बन्धी रूस का निर्णय भारत के लिए अहितकर है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने अमरीका तथा रूस दोनों को विरोध पत्र भेजे हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). 13 अक्तूबर, 1970 को ए० आई० सी० सी० सत्र में अध्यक्षता भाषण देते समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आर) के अध्यक्ष के तौर पर मैंने कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने पाकिस्तान को घातक आयुध सप्लाई का अमैत्रिक पग उटाया था। पाकिस्तान को आयुधों की सप्लाई पर सरकार की चिन्ता राजनयिक माध्यमों द्वारा तथा उच्चतर स्तरों पर भी सोवियत संघ तथा यू० एस० ए० को सूचित कर दी गईं थीं। सोवियत सरकार ने हमारे अभिवेदनों पर विचार किया है, और हमें पूरी आशा है कि यू० एस० ए० सरकार भी पाकिस्तान को आयुधों की सप्लाई के संबंध में हमारी चिन्ता और व्यग्रता पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान करेगी। दोनों सरकारों पर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि पाकिस्तान पहले भी आवश्यकता से अधिक सशस्त्र है, और पाकिस्तान की सशस्त्र शक्ति में कोई भी वृद्धि अन्य साधनों से पाकिस्तान को आयुधों की सप्लाई और भारत की अधिक रक्षा आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए, हमारे रक्षा उत्तरदायित्वों और उपमहाद्वीप में शान्ति बनाये रखने को गम्भीरतापूर्वक प्रभावित करेगी।

हिन्द महासागर में रूस के खतरे के सम्बन्ध में अमरीका तथा ब्रिटेन के बीच बातचीत

*21. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** :
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिन्द महासागर में रूस के खतरे के बारे में अमरीका तथा ब्रिटेन के बीच हुई बातचीत का पता है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). सरकार को ऐसी किसी बातचीत की जानकारी नहीं है। हिन्द महासागर क्षेत्र के संबंध में सरकार की नीति सर्वविदित है, जो कई अवसरों पर इस सदन में बतायी जा चुकी है।

Establishment of Diplomatic Relations by Some Countries with Communist China

*22. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether Canada and some other countries and Communist China have decided to establish diplomatic relations among themselves ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) We welcome this trend.

जैसलमेर सीमा पर पाकिस्तानी सेना की गतिविधियां

*23. **श्री एन० शिवप्पा :** **श्री जी० वाई० कृष्णन :**
श्री इ० के० नायनार :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी सेना आधुनिक शस्त्रों से पूर्णतया लैस है और हमारी सेना द्वारा जैसलमेर सीमा पर उसकी गतिविधियों को देखा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). सरकार को ज्ञान है कि पाकिस्तान सेना अनेक साधनों द्वारा प्राप्त आधुनिक आयुधों से सज्जित है जबकि प्रशिक्षण अभ्यासों, सड़कों और बंकरों इत्यादि के निर्माण और सुधार जैसे साधारण सैनिक गतिविधिएं राजस्थान सीमा के पार जारी हैं, जैसलमैर सीमापार पाकिस्तानी सेनाओं का कोई असाधारण संचलन नहीं हुआ । अपने रक्षा प्रबंध करते समय, अपनी सीमाओं के पार पाकिस्तानी सेनाओं की सशस्त्र शक्ति का सरकार को ध्यान रहता है ।

Supply of Arms to Pakistan by U. S. A., U. S. S. R. and other Countries

*24. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri R. K. Birla :**
Shri Mayavan :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether the supply of arms and ammunition on a large scale is now being made to Pakistan by U. S. A. and USSR and other countries ;

(b) whether Government have apprised those countries of the dire consequences resulting therefrom ; and

(c) the type and quantum of supply of these arms ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) to (c). The House has been kept informed from time to time of the efforts made by Pakistan to acquire arms from various countries. Information regarding the military equipment supplied by various countries, after the 1965 conflict, were given in answer to Unstarred Question No. 1457 on 5th August, 1970. According to our information, the USA has recently agreed to supply 6 F-104 Star fighters, 7 B-57 bombers, 300 armoured personnel carriers and 4 maritime

patrol craft to Pakistan. The nature and quantity of supplies are reported to be under negotiation.

Government's concern over the supply of arms to Pakistan had been fully conveyed to the Government of the Soviet Union and also to the USA through diplomatic channels and also at higher levels. It had been pointed out to both the Governments that Pakistan is already over-armed and that any accretion to the armed strength of Pakistan has grave implications for our security and the maintenance of peace on this sub-continent, considering that by her own admission Pakistan's rearmament programme is aimed only against India.

The Soviet Government has given consideration to our representations. We earnestly hope the U S. Government will also pay due heed to our concern regarding the resumption of arms to Pakistan.

विमानों तथा टैंकों के फालतू पुर्जों के निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना

* 5. **श्री राज देव सिंह** : क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने विमानों तथा टैंकों के लिये आवश्यक फालतू पुर्जों के निर्माण में किस सीमा तक सफलता प्राप्त की है और इस के बारे में उसकी भावी योजना क्या है ; और

(ख) सरकार द्वारा इस योजना पर कितनी राशि व्यय किये जाने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख). विमानों और टैंकों के लिए फालतू पुर्जों के निर्माण के लिये ऐसी कोई योजना स्वीकृत नहीं की गई है। देश में उत्पादित विमानों और टैंकों के लिये फालतू पुर्जों का निर्माण समग्र उत्पादन कार्यक्रम के अंश के तौर पर आयोजित किया गया है।

जहां तक विमानों का सम्बन्ध है ऐसे अंश हैं जो हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि० द्वारा या तो इसलिये निर्माण नहीं किये जाते कि आवश्यकताएं सीमित हैं, या इसलिये कि आवश्यक सुविधाओं का गुणरूप भिन्न है। इन अंशों का फालतू पुर्जों की आवश्यकता पूरी करने के लिए भी आयात किया जाता है। तदपि हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि० ने एक सहायक डिविजन स्थापित किया है जो जब वह लगभग ढाई वर्ष के बाद उत्पादन आरम्भ करेगा सहायकों की एक संख्या के लिये फालतू पुर्जों की आवश्यकता पूरी कर सकेगा। जहां तक भारत में निर्मित टैंकों का सम्बन्ध है फालतू पुर्जों की आवश्यकतायें अधिकतर देशीय उत्पादन से पूरी की जा रही हैं, और ऐसा प्रत्याशित है कि निकट भविष्य में फालतू पुर्जों के देशीय उत्पादन की अनुपूर्ति के लिए आवश्यक आयात बहुत कम रह जायेंगे। अधिक विस्तार प्रकट करना लोकहित में नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र संघ में तिब्बतियों के बड़े पैमाने पर नरसंहार का प्रश्न उठाया जाना

*16. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चीनियों द्वारा हाल ही में बड़े पैमाने पर किये गये तिब्बतियों के नरसंहार के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह)। (क) सरकार इस बात से अवगत नहीं है कि चीनियों ने हाल में तिब्बतियों का व्यापक रूप से नरसंहार किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कश्मीर में युद्ध विराम रेखा के दूसरी ओर पाकिस्तान द्वारा सैनिक तैयारियां

*27. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में समाचार पत्रों में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि कश्मीर में युद्ध विराम रेखा की दूसरी ओर नई खाइयां खोदने तथा बंकरों के निर्माण के साथ बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी सेना की गतिविधियां और सैनिक तैयारियां हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन समाचारों के बारे में पूरे तथ्य क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने इन गतिविधियों का तथा किसी भी घटना का मुकाबला करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). सरकार ने इस विषय की समाचार-पत्रों में रिपोर्ट देखी है। कश्मीर में युद्ध विराम रेखा के उस ओर पाकिस्तानी सेनाओं के विन्यास में या उनकी सैनिक गतिविधि के ढंग में हाल में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ।

काश्मीर में युद्ध विराम रेखा के पार संवर्धनों का सतर्कता से ध्यान जारी है, और अपनी संक्रियात्मक योजनाओं में उनका ध्यान भी।

हैन्डरसन ब्रुक्स के प्रतिवेदन की एक प्रति का गुम हो जाना

*28. **श्री जनार्दनन :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेफ्टिनेंट जनरल हैन्डरसन ब्रुक्स द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की एक प्रति गुम है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन किस बारे में है ;

(ग) क्या सरकार ने उन परिस्थितियों के बारे में कोई जांच कराई है जिनमें प्रतिवेदन गुम हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो जाँच के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं।

(ख) हैन्डर्सन ब्रुक्स रिपोर्ट में शामिल हैं अक्तूबर नवम्बर 1962 मासों के दौरान अपनी उत्तरी सीमाओं में चीनियों के आक्रमण के कारण संक्रियाओं में हुई क्षतियों की जांच के लिये इंक्वायरी के परिणाम।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

एम० के०-8 तारपीड़ो में डेटोनेटर के समय से पहले फट जाने से उत्पन्न खतरा

*29. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायल नेवी के इंसपैक्टरों ने हाल ही में इस बात का पता लगाया है कि एम० के०-8 तारपीड़ो में डेटोनेटर समय से पहले फट जाते हैं ;

(ख) क्या ब्रिटेन से प्राप्त तारपीड़ो भारतीय नौसेना के फ्रिगेटों के स्टैण्डर्ड हथियार हैं और उक्त बात का पता लग जाने से भारतीय नौसेना के एम० के०-8 तारपीड़ो के विद्यमान स्टाक की पूरी तरह से पुन: जांच करना आवश्यक है ;

(ग) क्या पुन: जांच का यह कार्य आरम्भ कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्योरा क्या है ; और

(घ) क्या भारत यह योजना बना रहा है कि वह तारपीड़ो की आवश्यकताओं को पूरा करने में आत्म-निर्भर हो जाये और यदि हां, तो लक्ष्य के कब तक प्राप्त हो जाने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा-मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सूचना प्राप्त हुई थी कि रायल नेवी मे मेक 8 के तारपीड़ों के प्रस्फोटकों को प्रतिसंवेदी घोषित किया गया था ।

(ख) भारतीय नौसेना के पास मेक-8 का कोई तारपीडो नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) आत्म निर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से तारपीडोओं के सम्बन्ध में अनुसंधान और विकास हस्तगत करने के प्रस्ताव हैं । इस प्रावस्था में कोई तिथि नियमित करना संभव नहीं है ।

Change in India's Attitude towards China

30. **Shri Janeshwar Misra** : **Shri R. Barua** :
Shri Chengalraya Naidu :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether Government of India have taken any decision to change their attitude towards China even when it continues to occupy Indian territory ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) and (b). The Government of India have repeatedly stated that they are always prepared to settle all matters with our neighbours, including China, peacefully through bilateral negotiations on the basis of respect for our territorial integrity and sovereignty and the non use of force or threat of force. There is no change in this attitude.

प्रतिरक्षा मन्त्रालय द्वारा विदेशों में भेजे गये शिष्टमंडल

1. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा 20 अक्तूबर, 1970 को समाप्त होने वाले गत दो वर्षों

में विदेशों को कितने शिष्टमंडल भेजे गये तथा प्रत्येक शिष्टमंडल के सदस्यों के क्या नाम हैं, वे किन-किन देशों को भेजे गये तथा प्रत्येक यात्रा का क्या उद्देश्य था ;

(ख) इस सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा तथा विमान-किराया सहित सरकार को कुल कितना खर्च करना पड़ा ; और

(ग) इन यात्राओं के फलस्वरूप देश को यदि कोई लाभ हुआ है तो वह क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

बांडुंग में अफ्रीकी एशियाई इस्लामिक संगठन की कांग्रेस में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि

2. **श्री बाबू राव पटेल :**
श्रीमती सुशीला रोहतगी :

क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय प्रतिनिधियों के नाम क्या हैं जिन्होंने अक्तूबर, 1970 में बांडुंग में अफ्रीकी-एशियाई इस्लामिक संगठन की छः दिवसीय कांग्रेस में भाग लिया था ;

(ख) वे लोग सरकारी प्रतिनिधि थे अथवा गैर-सरकारी तथा उन्होंने किन-किन संस्थाओं का प्रतिनिधित्व किया है ;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय प्रतिनिधियों ने भारत में मुसलमानों के जीवन को अन्धकारमय तथा दुखान्त बताया तथा समस्त गैर मुस्लिम देशों में मुसलमानों को विशिष्ट सुरक्षा तथा उनके अधिकारों की रक्षा के लिये उक्त कांग्रेस में एक संकल्प पारित करने की मांग की थी ; और

(घ) क्या उक्त कांग्रेस में एक अन्तर्राष्ट्रीय इस्लामिक बैंक स्थापित करने का निर्णय किया गया था ताकि तेल का उत्पादन करने वाले सभी देश उस बैंक में अपना धन जमा करा सकें ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) मुफ्ती अतीकुर्रहमान और श्री एम० ए० खां, इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया था ।

(ख) इन दोनों प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में अपनी व्यक्तिगत हैसियत से भाग लिया था ।

(ग) जी नहीं । हमारी सूचना के अनुसार भारतीय प्रतिनिधियों ने सभा में भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यकों से संबद्ध प्रस्ताव को सफलतापूर्वक रोका था ।

(घ) बताया जाता है कि इस सभा में एक अन्तर्राष्ट्रीय इस्लामी बैंक स्थापित करने के प्रश्न पर विचार विमर्श कुछ किया गया था । किन्तु ऐसा लगता है कि कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया ।

नई दिल्ली नगरपालिका के सेन्ट्रल स्टोर से लिए गए औषधियों के नमूनों का घटिया किस्म का होना

3. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण और आवास तथा नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका के सेन्ट्रल स्टोर से फरवरी, 1970 में लिये गये औषधियों के 14 नमूनों में से पांच घटिया किस्म के पाये गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य द्वारा चलाये जाने वाले अस्पताल केंद्रीय सरकार के औषधि नियन्त्रक से औषधियों का क्रय करते हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों में राज्य द्वारा चलाये जाने वाले अस्पतालों में, राज्यवार, पैनिसिलीन तथा जिगर के इंजैक्शन देने के परिणामस्वरूप कितनी तीव्रग्राहिता प्रतिक्रियायें हुई हैं ;

(घ) क्या यह परीक्षण सुविधाओं के अभाव और घटिया किस्म की औषधियों के प्रयोग के कारण हुआ है ; और

(ङ) सरकारी अस्पतालों में सही किस्म की औषधियों की सप्लाई करने की स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं, 14 नमूनों में से केवल 4 नमूने घटिया किस्म के पाये गये थे ।

(ख) औषधि नियंत्रक (भारत) किसी भी अस्पताल को औषधि सप्लाई नहीं करता परन्तु किसी हद तक मेडिकल स्टोर्स डिपो इन्हें सप्लाई करता है ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) पेनिसिलीन एवं लीवर इंजैक्शनों के लगाने के फलस्वरूप जो एनाफिलैक्टिक प्रतिक्रिया हो जाती है उसका कारण मुख्यत: मानव शरीर में और विशेषत: उन लोगों के जिन पर इसका तीक्ष्ण प्रभाव पड़ता है, एलर्जिक प्रतिक्रिया है । इन्डैंटरों को देने से पहले मेडिकल स्टोर डिपो द्वारा सप्लाई की जाने वाली औषधी एवं अन्य मदों की जांच कर ली जाती है । तथापि सुप्रतिष्ठित निर्माताओं के मामले में दवाइयां वारंटी सर्टिफिकेटों पर ले जाती है ।

(ङ) देश मे आयातित निर्मित तथा बिकने वाली दवाओं की क्वालिटी औषध एवं अंगरोग अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विनियमित की जाती है इस अधिनियम और इसके अधीन निर्मित नियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत निर्मित तथा विक्रीत दवाओं की क्वालिटी पर राज्य औषध नियंत्रण अधिकारियों द्वारा सख्त नियन्त्रण रखा जा रहा है ।

नई दिल्ली स्थित इर्विन अस्पताल के डाक्टरों द्वारा एक अवयस्क लड़की के साथ बलात्कार

4. श्री बाबू राव पटेल :

श्री जी० वेंकट स्वामी :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल ही में नई दिल्ली स्थित इर्विन अस्पताल में चार कनिष्ठ डाक्टरों ने तिमारपुर की एक अवयस्क लड़की के साथ बलात्कार किया था ;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम तथा अस्पताल में उनके पद नाम क्या हैं ;

(ग) जिस लड़की के साथ बलात्कार किया गया था उसकी हालत कैसी है ;

(घ) अस्पताल तथा पुलिस अधिकारियों ने उक्त डाक्टरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) अस्पतालों में रात्रि के समय कार्य करने वाली नर्सों तथा अन्य महिला कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु क्या-क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास एवं नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० एस० मूर्ति) : (क) और (ख). यह आरोप लगाया गया है कि इर्विन अस्पताल, नई दिल्ली के निम्नलिखित चार हाउस-सर्जनों और मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली के एक छात्र ने तिमारपुर की एक अवयस्क लड़की के साथ अगस्त, 1970 में बलात्कार किया था :

(1) डा० वी० के० सूद	—	हाउस-सर्जन
(2) डा० एस० एस० साप्रा	—	,,
(3) डा० आर० एस० सचदेव	—	,,
(4) डा० कुलभूषण कुमार	—	,,
(5) श्री जगदीश कुमार गजनेजा	—	छात्र, मौलाना आजाद मेड़िकल कालेज, नई दिल्ली

(ग) बतलाया गया है कि वह ठीक है।

(घ) पुलिस द्वारा, जिन्होंने कि डाक्टरों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, मामले की जांच की जा रही है। अदालत ने उन्हें जमानत पर छोड़ दिया है। इसी दौरान चारों कनिष्ठ डाक्टरों की सेवाओं को, जो कि सावधिक-पदों पर कार्य कर रहे थे, समाप्त कर दिया गया है।

(ङ) पहरा एवं निगरानी कर्मचारियों की यथा-सम्भव व्यवस्था की गई है। पुलिस ने भी रात को गस्त लगाने वाले कर्मचारियों को सतर्क रहने और इन क्षेत्रों में चौकसी रखने का आदेश दिया है।

गुजरात राज्य में ठेकेदारों को रेत के बारे में एकाधिकार देना

5. **श्री भाल जी भाई परमार** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेत को मेसाल समझने के क्या कारण हैं तथा इसके बारे में ठेकेदारों को एकाधिकार किन परिस्थितियों में प्रदान किया जाता है ;

(ख) इस बारे में ग्राम पंचायतों तथा सहकारी समितियों को एकाधिकार देने की प्रक्रिया को किन परिस्थितियों के कारण समाप्त कर दिया गया है तथा गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में जिला पंचायत तथा ग्राम पंचायत को उक्त एकाधिकार न देने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). यह निमित्त जानकारी राज्य सरकार से मांगी जा रही है जो प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आयुध डिपो के कर्मचारियों के वेतन निश्चित करने सम्बन्धी अनिर्णीत मामले

6. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मुख्यालय के पास प्रथम अक्तूबर, 1970 तक आयुध डिपुओं में कार्य करने वाले कर्मचारियों के वेतन निश्चित करने, निश्चित किये जाने वाले वेतन के लागू होने की तिथि, बकाया वेतन राशि की अदायगी आदि सम्बन्धी अनिर्णीत मामलों की संख्या क्या है ; और

(ख) इनमें से ऐसे कितने मामले हैं जिनके बारे में निर्णय की गत 15 वर्ष से अधिक समय से प्रतीक्षा की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

वायुयान उद्योग में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना

7. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायुयान उद्योग में आत्म-निर्भरता प्राप्त न करने के क्या-क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि भारत के पास अपने विमानों का डिजाइन तैयार करने व उन्हें विकसित करने की सभी प्रकार की तकनीकी क्षमता है परन्तु संसाधनों की कमी है ;

(ग) क्या सरकार ने इस उद्योग में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से संसाधन जुटाने हेतु कोई विशिष्ट प्रयास किये हैं ; और

(घ) इस उद्योग के ऐसे कल-पुर्जों के बारे में ब्यौरा क्या है जो अन्य देशों को निर्यात किये जा रहे हैं तथा उन देशों के नाम क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से

(ग). भारत में वैमानिक उद्योग में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर पाने के मुख्या तथ्य रहे हैं, अभिकलान टेकनालोजी में प्राप्य सक्षमता की कमी, आवश्यकताओं का तुलनात्मिक छोटा आकार प्रकार, भारी वैकासिक लागतें तथा वैमानिक द्रव्यों साजसामान और सहायकों की सप्लाई के लिए सुविकसित औद्योगिक इन्फ्रा-स्ट्रक्चर और सहायक उद्योगों का अभाव ।

जबकि औद्योगिक तौर पर प्रगत देशों की दशा में भी विमानों के निर्माण में सम्पूर्ण आत्मनिर्भरता कठिन है, और केवल दीर्घ अवधि में ही इसके लिये प्रयास किया जा सकता है, भारत में वैमानिक उद्योग के आयोजित विकास के लिए, और विशेष कर वायु सेना की बृहत आवश्यकताओं की पूर्ति के उन्मुख अभिकल्पन क्षमता के निर्माण और प्रवर्धन के लिये हर प्रयास किया जा रहा है । आयात द्रव्यों और संघटकों के लिये देशीय प्रतिवेदनों के विकास के लिये भी यथा सम्भव सुमन्वित प्रयत्न किये जा रहे हैं । विभिन्न किस्मों के वैमानित सहायकों के निर्माण के लिये लखनऊ में एक नई फैक्टरी स्थापित की जा रही है । इन प्रायोजनाओं के आवश्यक संसाधन आवंटित किये जा रहे हैं । तदपि कई हालतों में अन्तर्ग्रत भारी व्यय मोमित आवश्यकताओं को जुटाने के लिये शायद न्याय न हों ।

(घ) डार्ट इंजनों के कुछ संघटक और अलौटो हेलिकाप्टर के संघटक यू० के० तथा फ्रांस को क्रमशः निर्यात किये जा रहे हैं ।

विदेशों को हेलीकाप्टरों की सप्लाई

8. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को चालू वर्ष में अन्य देशों से हेलीकाप्टरों की सप्लाई के क्रयादेश प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या भारत ने अभी हाल ही में हेलीकाप्टरों की सप्लाई के बारे में किसी देश से सौदा किया है और यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

प्रतिरक्षा सम्बन्धी विकास तथा अनुसंधान कार्यों पर खर्च में वृद्धि

9. **श्री देविन्दर गार्चा** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी कुछ वर्षों में सरकार का विचार प्रतिरक्षा सम्बन्धी विकास तथा अनुसंधान संबंधी कार्यों पर खर्च को 20 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई योजना तैयार की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) चौथी योजना अवधि में रक्षा अनुसंधान और विकास पर व्यय 1969-70 में 14 करोड़ रु० से 1973-74 तक 30 करोड़ रुपये तक बढ़ जाना प्रत्याशित है। तदपि अन्य कई साफिस्टिकेटिड क्षेत्रों में आर० तथा डी० की प्रत्याशित तैयारियों के फलस्वरूप खर्च अधिक बढ़ना प्रत्याशित है, कि जिन्हें इन आंकड़ों तक पहुंचते तो ध्यान में नहीं लाया गया।

(ख) और (ग). सेवाओं की ज्ञाता तथा प्रत्याशित आवश्यकताओं पर निर्धारित, रक्षा हितों के भिन्न क्षेत्रों के लिए आर० तथा डी० कार्य का पांच वर्षों का कार्यक्रम, समग्र रक्षा पंच-वर्षीय योजना के अंश के तौर पर, संगठन में प्रत्येक संस्थापन/प्रयोगशाला के लिए अलग-अलग तैयार किया गया है।

दिल्ली में नकली दवाओं का व्यापार करने वाला गिरोह

10. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**

श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भेषज नियंत्रण संगठन ने 7 अक्तूबर, 1970 को दिल्ली में नकली दवाओं का व्यापार करने वाले एक गिरोह का पता लगाया था तथा उसे खंडित किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना को सप्लाई के मार्का वाली दवायें भी पकड़ी गई हैं ;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालयों से ये दवायें कैसे चोरी हुई ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ). यह मामला आगे और जांच-पड़ताल के लिये दिल्ली पुलिस के दाण्डिक जांच विभाग (दान्डिक ब्रांच) के सुपुर्द कर दिया गया है।

दिल्ली प्राधिकरण की सामूहिक आवास योजनायें

11. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने शीघ्र सामूहिक आवास योजनाओं का एक नया कार्यक्रम चलाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) पृथक-पृथक मध्यम आय वर्ग आवास योजना तथा कम आय वर्ग आवास योजना के अधीन बनाई जाने वाली बस्तियों के क्या नाम हैं तथा उनमें निर्मित किये जाने वाले मकानों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) उक्त सामूहिक आवास योजनाओं के इस नये कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु सरकार का किस प्रकार धन राशि जुटाने का प्रस्ताव है ; और

(ङ) निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री की नियमित सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) से (ङ). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इलैक्ट्रिशियन, वायरमैन तथा सहायक वायरमैन के कर्त्तव्य

12. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इलैक्ट्रीशियन सुपरवाइजरी स्टाफ की श्रेणी में आते हैं अथवा फील्ड स्टाफ की श्रेणी में ; और

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इलैक्ट्रीशियन, वायरमैन तथा सहायक वायरमैन के क्या-क्या कर्त्तव्य है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) इलैक्ट्रीशियन, फील्ड तथा सुपरवाइजरी स्टाफ में आते हैं ।

(ख) भर्ती नियमों में दिए गए कर्त्तव्य तथा उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं :—

इलैक्ट्रीशियन : बिजली कर्मचारियों के काम का सामान्य पर्यवेक्षण तथा पथ-प्रदर्शन, जिसमें एच० टी० तथा एल० टी० इलैक्ट्रीकल इन्सटालेशन के जटिल अनुरक्षण कार्य का किया जाना शामिल है ।

वायरमैन : बिजली की मोटरों, लिफ्टों आदि जैसे महत्वपूर्ण संस्थापनों में तार लगाना तथा (उनका) अनुरक्षण ।

रिहायशी तथा गैर-रिहायशी, दोनों प्रकार के छोटे और बड़े भवनों में सभी प्रकार की तार लगाना, उनका अनुरक्षण व जांच करना । मुख्य स्विच बोर्ड, उप-वितरण बोर्ड, बिजली की मोटरें तथा स्टार्टर—जिनमें उनकी तार लगाना, अर्थ की तार लगाना आदि शामिल हैं—लगाना उनका अनुरक्षण तथा जांच ।

जहां कहीं आवश्यक हो, उसे तारों के नक्शों तथा दिए गये अनुदेशों के अनुसार लिफ्ट सम्बन्धी व्यवस्था में तार लगाना, उनकी देख-रेख तथा जांच करनी चाहिए ।

छत के पंखों, मेज वाले पंखों, तथा बाहर हवा निकलने वाले पंखों और हीटरों का लगाना, मरम्मत, देख रेख तथा जांच । जहां कहीं आवश्यक हो मौके पर प्राथमिक चिकित्सा (पुनरुज्जीवन) अवश्य दे ।

टिप्पणी : उपरोक्त सभी मदों में ए० सी० तथा डी० सी० दोनों शामिल होनी चाहिए ।

सहायक वायरमैन : तार लगाने उसकी देख रेख तथा जांच करने में वायरमैन की सहायता करना और छोटे मोटे बिजली की खराबियों को दूर करना तथा परिवर्धन तथा परिवर्तन के छोटे-छोटे कार्यों को करना ।

जवानों द्वारा गंगा जल का आचमन लेकर तथा कुरान की कसम लेकर शपथ ग्रहण करना

13. **श्री नाथ पाई** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेन्टर के जवान स्नातक प्रशिक्षणार्थी भर्ती होने वाले गंगाजल का आचमन लेकर तथा कुरान की कसम लेकर शपथ-ग्रहण करते हैं ;

(ख) यह प्रथा कब से चली आ रही है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) इस केन्द्र में प्रशिक्षण की सम्पूर्ति पर हिन्दु प्रशिक्षार्थी/रंगरूट भगवद्गीता की शपथ लेते हैं और हिन्दु पंडित द्वारा दिया गया पवित्र गंगाजल ग्रहण करते हैं ; मुस्लिम प्रशिक्षार्थी/रंगरूट कुरान की शपथ लेते हैं ।

(ख) इस प्रक्रिया का केन्द्र की स्थापना से ही अनुसरण किया जा रहा है ।

(ग) ऐसा रेजिमेंट की परम्परा के अनुसार किया जाता है ।

अमरीका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रों की सप्लाई

14. **श्री यशपाल सिंह** : **श्री मणिभाई जे पटेल** :
श्री शशि भूषण :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान को शस्त्रों की सप्लाई की है ;

(ख) यदि हाँ, तो पाकिस्तान को कौन से प्रमुख हथियार सप्लाई किये गये हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). ध्यान आज उत्तर दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या 24 के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है ।

सैनिक इंजीनियरिंग सेवा दिल्ली के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा की गई भर्ती

15. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैनिक इन्जीनियरिंग सेवा, दिल्ली के प्रशासनिक अधिकारी ने गत 18 महीनों में स्थानीय रोजगार कार्यालय के "नकली" कार्डों के आधार पर लगभग 200 व्यक्तियों को भर्ती किया था ;

(ख) क्या मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने गत जुलाई में मुख्य सेनाध्यक्ष के निवास के बाहर प्रदर्शन किया था तथा उन्हें एक ज्ञापन पेश किया था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप कर जांच कराने का है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) और (ग). 13 जुलाई 1970 को सेनाध्यक्ष के वास्य भवन के सामने स्थानीय आई० एन० टी० यू० सी० प्रतिनिधि मंडल द्वारा एक प्रदर्शन संगठित किया गया था, और उन्हें एक ज्ञापन पत्र पेश किया गया था। ज्ञापन पत्र में दिये गये विश्व जांच अधीन हैं।

लुसाका में गुट निर्पेक्ष देशों का सम्मेलन

16. **श्री यशपाल सिंह** : **श्री दे० अमात** :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या **वैदेशिक** कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्मेलन में किन-किन विषयों पर विचार विमर्श किया गया और उन पर अंतिम रूप से क्या निर्णय किये गये ;

(ख) क्या उस गुट निर्पेक्ष देशों के सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने कोई प्रस्ताव रखा था और यदि हां, तो कितने देशों ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया और उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस सम्मेलन में किये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के लिये किसी स्थायी सचिवालय के स्थापित करने का कोई प्रस्ताव था यदि हां, तो इस प्रस्ताव का कितने देशों ने समर्थन किया ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सम्मेलन ने निम्न-लिखित प्रलेखों पर विचार विमर्श करके उन्हें स्वीकार किया गया :

(1) शांति, स्वतंत्रता, सहयोग एवं अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के लोकतन्त्रीकरण पर लुसाका घोषणा।

(2) गुट निरपेक्षता एवं आर्थिक प्रगति से संबद्ध घोषणा।

(3) संयुक्त राष्ट्र तथा संयुक्त राष्ट्र महा सभा के 25वें अधिवेशन में गुट निरपेक्ष कार्यवाही कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने पर वक्तव्य।

(4) उपनिवेशवाद को समाप्त करने से संबद्ध प्रस्ताव, तत्पश्चात् जिम्बाब्वे (दक्षिणी रोडेशिया), पुर्तगाली उपनिवेश, नामिबिआ तथा जातीय पृथग्वासन और जातीय भेदभाव से संबद्ध प्रस्ताव ।

(5) मध्यपूर्व से संबद्ध प्रस्ताव, तत्पश्चात लबनान पर इजरायली आक्रमण तथा इजरायली अधिकारियों द्वारा दो अलजीरियाई नागरिकों की अवैध गिरफतारी से संबद्ध प्रस्ताव ।

(6) हिन्दचीन से संबद्ध प्रस्ताव ।

(7) साइप्रस से संबद्ध प्रस्ताव ।

(8) निरस्त्रीकरण घोषणा ।

(9) सागर तल पर वक्तव्य ।

(10) गुट निरपेक्ष देशों की भूमिका को सुदृढ़ बनाने से संबद्ध प्रस्ताव ।

(11) मेजबान सरकार को धन्यवाद ज्ञापन के लिए वक्तव्य ।

इनकी पांच प्रतियां संसद पुस्तकालय में रली जा रही हैं ।

(ख) भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने ऐसा कोई भी विशेष प्रस्ताव नहीं रखा किन्तु "सामान्य राजनीतिक स्थिति", "आर्थिक प्रश्न" "संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्तिशाली बनाने", 'निरस्त्रीकरण के प्रश्न", तथा "सागर तल" पर प्रलेखों का प्रारूप प्रचारित किया । इसे व्यापक समर्थन मिला जो अन्तिम प्रस्ताव का आधार बना ।

(ग) जी नहीं ।

भारतीय लड़की को जंजीबार के एक सैनिक अधिकारी के साथ विवाह करने को विवश किया जाना

17. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री राम गोपाल शालवाले :**
श्री शशि भूषण :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तंजानिया में रहने वाली एक भारतीय लड़की को जंजीबार के एक सैनिक अधिकारी से विवाह करने को विवश किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस बारे में जंजीबार सरकार से विरोध प्रकट किया है ; और

(ग) क्या यह लड़की भारतीय राष्ट्रिक है अथवा तंजानिया की नागरिक है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). प्राप्त सूचना के अनुसार, जंजीबार में अधिवासी तनजानियाई-राष्ट्रीयता की एक पंजाबी सिख लड़की को उसकी एवं उसके माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध वहीं के एक स्थानीय छोटे अधिकारी के साथ विवाह-

सा रचाने पर मजबूर किया गया था । परन्तु सौभाग्य से, विवाह की रसम पूरी होने से पहले ही उसे जंजीबार से मुख्य भूमि ले आया गया ।

दोरस्सलाम में हमारे हाई कमिश्नर ने इस मामले को स्वयं राष्ट्रपति नेरेरे के साथ उठाया था जिन्होंने उन्हें बताया कि उन्हें जंजीबारियों से आश्वासन मिला है कि भविष्य में बलात शादियां नहीं होंगी ।

Purchase of Rum by Canteen Stores Department of India

18. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether tenders are invited for the purchase of rum by the Canteen Stores Department of India ;

(b) if so, whether orders are placed on the firm quoting the lowest rates ;

(c) whether the Canteen Stores Department cannot compel the distilleries to supply rum according to I. S. I. specifications so that there may not be any necessity for purchasing rum at higher rate ; and

(d) the names of the firms, which supplied rum as also gin, whisky and brandy during the years 1967-68, 1968-69 and 1969-70 quoting their individual rates and the quality of rum supplied by each of them ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes, Sir.

(b) The purchase policy of CSD(I) is influenced largely by the preferences of troops who pay for the rum which they purchase. Rates are finalised through negotiations by the Board of Administration, CSD(I).

(c) Rum samples are tested and supplies are accepted only if the samples conform to ISI specifications. Uniformity in purchase rates at the lowest level is not feasible due to consumer preferences and the popularity of particular brands.

(d) Information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Indigenous Components of Tanks Manufactured at Madras

19. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the percentage of foreign and indigenous components in the tanks being manufactured at Madras ;

(b) the percentage of components being imported from U. K. in the foreign components ;

(c) the amount of foreign exchange given to the Vicker Company in this regard ;

(d) the number of tanks manufactured so far at the Madras factory and delivered to the Army ; and

(e) the time by which India is likely to become self-sufficient in the manufacture of tanks ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b). The percentage of imported and indigenous content in the Vijayanta Tanks being manufactured at Madras is about 40 and 60 respectively. The imported components come mostly from the U. K.

(c) and (d). It will not be in the public interest to disclose this information.

(e) The manufacturing techniques have been establised and from the point of view of

technological capability we are broadly self-sufficient. So far as quantitative achievement is concerned the indigenous content is steadily going up and with armour plates coming from Hindustan Steel the indigenous content will go up considerably. However, a few components would continue to be imported in so far as it is not economical, on account of the small quantities required to set up the indigenous manufacturing capacity.

Decline in Indian Image in U.S.A.

20. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shrimati Ila Pal Choudhuri :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Indian Ambassador in U.S.A., Shri L. K. Jha, expressed concern on the 14th September, last at San Fransisco over India's image having gone down among the U.S. intelligentsia ; and

(b) if so, the factors responsible therefor and the effective steps being taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) No, Sir. The Ambassador had only mentioned in general terms that due to recent tendency of isolationism in U.S A with reference to Asia, particularly because of the experience of their involvement in Indo-China, the appraisal of the rest of Asia including India had suffered.

(b) Does not arise.

Alleged Exorbitant Prices Charged by American Drug Manufacturers for Drugs Sold to India

21. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri K. P. Singh Deo :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Mission of the U.S. Agency for International Development located in India has admitted that some American drug manufacturers have charged exorbitant prices from India on the sale of their drugs and an amount of 1.75 lakh dollars out of such excessive profits has come to light ; and

(b) if so, the details thereof and the action taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R Chavan) : (a) According to the USAID authorities in India, prices charged by the American companies for supplies made to other countries against USAID funds are periodically verified by their auditors and claims for refunds made wherever prices are charged in excess of those permissible under the Rules. It is understood that refunds due on the above account in respect of sales to India during the last eighteen years or so are of the order of 1.75 lakh dollars.

(b) Action to ascertain the refunds admissible to this country and recovery thereof has been initiated through the Indian Embassy in Washington.

Recommendations of Seminar on Nuclearisation

22. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government have considered the recommendations made in the Seminar on Nuclearisation held in Vigyan Bhavan, New Delhi on the 22nd, 23rd August, 1970 ;

(b) if so, the salient features thereof ; and

(c) the reaction of Government thereto and the action proposed to be taken thereon ?

The Minister of Defence (Shri Jagjiwan Ram) : (a) to (c). Government have seen newspaper reports pertaining to the recommendations made in the Seminar on Nuclearisation held in New Delhi in August, 1970.

In regard to the development of nuclear weapons for the defence of the country, the policy of Government has been stated in Parliament on a number of occasions, including in the last Session. The policy remains unchanged.

Many of the other recommendations made in the Seminar have been covered in the report of the Study Team on Defence matters set up by the Administrative Reforms Commission, which is at present under examination.

Supply Arms to Pakistan by Indonesia

23. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether Pakistan is getting arms from Indonesia in large quantity ; and

(b) if so, the details thereof and the reaction of Government thereto ?

The Minister of Defence (Shri Jagjiwan Ram) : (a) Government have been assured by the Government of Indonesia that there is no substance in these reports.

(b) Does not arise.

राजस्थान के सवाई माधोपुर में तेल शोधक कारखाना

24. **श्री मीठा लाल मीना :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सवाई माधोपुर, राजस्थान में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) सरकार सरकारी क्षेत्र में अतिरिक्त शोधन क्षमता की स्थापना के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है । स्थल के विषय में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठाता ।

Peaceful Political Solution of Sino-Indian Problems

25. **Shri Meetha Lal Meena :** **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri N. K. Somani :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether India is seeking peaceful political solution to Sino-Indian problems ; and

(b) if so, the efforts made in this direction and the results thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) It has already been the policy of the Government of India to seek peaceful solutions of all questions and Sino-Indian question is not an exception to this policy.

(b) The Prime Minister has said more than once that our doors are open for a dialogue consistent with our national interest and honour. If and when any concrete proposals in accord with this policy are made, they will receive our due consideration.

Hijacking of Planes

26. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state the role played by Government to check the incidents of hijacking of planes by Palestenian guerillas at the International level ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : The International Civil Aviation Organisation (ICAO) is taking suitable steps to find a solution to this problem. The Government of India have been actively associated with these efforts.

जल-मल शरीरक्रिया विज्ञान परीक्षणशाला की स्थापना

27. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री वे० कृ० दासचौधरी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जलसेना जल के भीतर जीवन की समस्याओं का सामना करने और उनका समाधान करने के लिये एक जलगत शरीरक्रिया विज्ञान परीक्षणशाला की स्थापना करने के बारे में सक्रिय रूप से विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो परीक्षणशाला के कब तक स्थापित हो जाने की सम्भावना है ; और

(ग) उक्त परियोजना पर कुल कितना धन व्यय होगा ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह महीडा) : (क) से (ग). नौसेना मुख्यालय शरीर क्रियात्मिक प्रयोगशाला स्थापित करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। प्रस्ताव के विस्तार अभी तैयार किए जाने हैं।

चीन द्वारा बंगाल की खाड़ी में मध्यवर्ती दूरी के प्रक्षेपास्त्र का परिक्षण

28. **श्री नारायणन :** **श्री सामिनाथन :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों और प्रतिरक्षा के विशेषज्ञों ने भी यह स्वीकार किया है कि चीन का विचार इस वर्ष या 1971 के प्रारम्भ में बंगाल की खाड़ी में मध्यवर्ती दूरी के प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). जबकि सरकार ने समाचार पत्रों में बंगाल की खाड़ी में चीन द्वारा एक आई०आर०बी०एम० के परीक्षण की संभावना संबंधी रिपोर्टें देखी हैं, इस संबंध में कोई पक्की सूचना नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र में संशोधन

29. **श्री नारायणन :** **श्री सामिनाथन :**

श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ देशों ने संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र में संशोधन करने हेतु संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक संकल्प पेश किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया ;

(ग) यदि हां, तो इसको समर्थन न देने के क्या कारण हैं ; और

(घ) उक्त घोषणापत्र में प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अधिवेशन में अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

पाकिस्तान द्वारा समूची राजस्थान सीमा में सेना का जमाव

30. **श्री नारायणन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने अपनी सेना का रेगिस्तानी डिवीजन बनाया है तथा वह राजस्थान सीमा पर अपनी सेना का जमाव कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह भी सूचना दी गई है कि पाकिस्तान ने समूची राजस्थान सीमा पर भारी संख्या में सेना का जमाव किया है ;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) इस स्थिति का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ). सरकार को ज्ञान है कि जिन पाकिस्तानी सेनाओं को इस अंचल में संक्रियात्मक कार्य सौंपा गया है, वह मरुभूमि में युद्धकला में प्रशिक्षित हैं। जबकि प्रशिक्षण अभ्यासों सड़कों और बंकरों इत्यादि के निर्माण और सुधार जैसी सैनिक गतिविधिएं जारी हैं, राजस्थान सीमी के पार पाकिस्तानी सेनाओं का कोई विशेष संचलन नहीं हुआ है। अपने रक्षा प्रबंध करते समय, अपनी सीमाओं के पार सशस्त्र पाकिस्तानी सेनाओं की शक्ति का ध्यान रखना सरकार द्वारा जारी है।

Insanitary Conditions near Sarojini Nagar, New Delhi

31. **Shri J. Sundar Lal :**
Shri Narayan Swaroop Sharma :

Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5305 on the 6th April, 1970 regarding insenitary conditions near Sarojini Nagar, New Delhi and state :

(a) whether it is a fact that the said plot of land is being used by Jhuggi dwellers and other persons to answer the call of nature in the morning and as such make Sarojini Nagar vulnerable to diseases at a large scale ;

(b) whether they propose to make more arrangements at that place whereby the people residing nearby may not spread the diseases by using that place for answering the call of nature ;

(c) if so, whether it is proposed to construct a 'Bharat Ghar' at that place or a pucca wall around that place and fix barbed wire on that wall ; and

(d) if so, when and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes.

(b) and (c). It is proposed to construct a brack masonry compound will along the road leading to the Central Public Works Department Central Stores and 'L' Block quarters at Sarojini Nagar, New Delhi, at an estimated cost of Rs. 4,465.

(d) The work would be executed after the estimate is sanctioned.

रामकृष्णापुरम में तथा सरोजनी नगर, नई दिल्ली के समीप दुग्धशालाओं और झुग्गियों का गिराया जाना

32. **श्री झा० सुन्दर लाल :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 अक्तूबर, 1970 के दैनिक "हिन्दुस्तान" के पृष्ठ 3, कालम 6 में प्रकाशित इस आशय का समाचार सही है कि रामाकृष्णपुरम, नई दिल्ली के निकट दो दर्जन दुग्धशालाओं और 200 झुग्गियों को गिरा दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा, नई दिल्ली के इस क्षेत्र को भी सुन्दर बनाने के लिये सरोजनी नगर स्टेशन और (मोती बाग के निकट) दिल्ली सफदरजंग स्टेशन के बीच केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सेन्टर डिवीजन गोदाम नं० 1 और 2 के निकट तथा सरोजिनी नगर की बगल में स्थित झुग्गियों को भी गिरा देने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, हां ।

(ख) झुग्गियां अनधिकृत रूप से दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर बनाई गई थी,

जिसने (प्राधिकरण) वसन्त-लोक क्षेत्र तथा सामुदायिक एवं पण्यन केन्द्र का विकास पूरा करना है।

(ग) और (घ). सरकार की नीति के अनुसार केवल वह भूमि जो तुरन्त पुनर्विकास के लिए अथवा यातायात-सुरक्षा आदि के लिए अपेक्षित है, खाली कराई जाती है। फिलहाल इस क्षेत्र के मामले में ऐसी आवश्यकता विद्यमान नहीं है।

भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी कारखाने के कर्मचारियों को ताप, धूल तथा गैस भत्ते देना

33. **श्री प० गोपालन** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय में तत्कालीन राज्य मंत्री श्री रघु रामैया ने 1967 में संसद सदस्य श्री आनन्द नम्बियार के माध्यम से फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के सिन्दरी कारखाने के कर्मचारियों को ताप, धूल और गैस भत्ते दिये जाने का आश्वासन दिया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 25 नवम्बर, 1969 को संसद सदस्य श्री नम्बियार के नेतृत्व में गये एक शिष्टमण्डल को पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री द्वारा समझौते के उस अंश के कार्यान्वयन के बारे में इस शर्त पर आश्वासन दिया गया था कि यह भारतीय उर्वरक निगम के किसी अन्य कारखाने में भी दिया जाता हो ;

(ग) क्या भारतीय उर्वरक निगम के नांगल कारखाने के कर्मचारियों को जोखिम भत्ता दिया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा सिन्दरी कारखाने के कर्मचारियों को ताप, धूल और गैस भत्ते कब तक देने का विचार है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं। मंत्री महोदय ने केवल यही बताया था कि ताप, धूल धुआं आदि के वातावरण में कार्य करने वाले श्रमिकों को दिये जाने वाले भत्ते से समन्धित निर्णय जल्दी ही किया जायेगा।

(ख) श्री नम्बियार उर्वरक निगम कामकार यूनियन सिन्दरी के श्री ए० के० रौय के साथ पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री को 24-11-1969 (25-11-1969 को नहीं) को मिले लेकिन कोई आस्वासन जैसा कि प्रश्न में बताया गया है, नहीं दिया गया।

(ग) नांगल एकक में, नाइट्रोलाइमस्टोन संयत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों को असहूलियत भत्ता दिया जा रहा है, जो अस्थाई रूप में दिया गया था और जोकि हालात में सुधार होने पर वापिस लिया जा सकता है। चूंकि अब हालात सुधर गये हैं उक्त भत्तों को वापिस लेने का प्रस्ताव निगम के विचाराधीन है।

(घ) निगम के समक्ष सिन्दरी एकक में ऐसा भत्ता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विभिन्न राज्यों में अलौह धातुओं का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण

34. **श्री शशि भूषण** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आन्ध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल तथा राजस्थान में अलौह धातुओं के निक्षेपों का पता लगाने के लिए विमान द्वारा सर्वेक्षण कराया है ;

(ख) यदि हां, तो जिन अलौह धातुओं का पता लगा है उनका ब्यौरा क्या है और उनके कितनी मात्रा में प्राप्त होने की संभावना है ; और

(ग) अब तक पाई गई धातुओं को निकालने में कितना समय लगेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी, हां। परन्तु हवाई सर्वेक्षण के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र ने समस्त राज्य को पूर्णतः सम्मिलित नहीं किया बल्कि भागतः किया।

(ख) और (ग). हवाई खनिज सर्वेक्षण और समन्वेषण द्वारा किये गये हवाई सर्वेक्षणों के परिणाम स्वरूप, जस्ता-सीसा खनिजीकरण के दो क्षेत्र 6-3 और 3 मीटर चौड़े विश्लेषित 4.5 प्रतिशत लगभग सम्मिलित धातु के, राजस्थान के देदवास देवपुर क्षेत्र में पाए गये हैं। 2.5 प्रतिशत सी यू आभापन पर ताम्र खनिजीकरण का एक छोटा क्षेत्र, चिचोली (राजस्थान) में भी प्रतिच्छेदित हुआ है। 400 मीटर स्ट्राक लम्बाई पर विश्लेषणीय 2 से 3 प्रतिशत ताम्र वाहारा-गोरा, बिहार में ताम्र खनिजीकरण के दो क्षेत्र पाए गये हैं इनमें तथा अन्य क्षेत्रों में काम आगे भी प्रगति पर है।

काम के पूरा हो जाने पर ही उपलब्ध मात्रा का निर्धारण किया जा सकता है।

राजधानी में पेथोडाईन औषधि की धोखाधड़ी

35. **श्री शशि भूषण : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 15 अक्तूबर, 1970 के समाचार पत्र "दि टाइम्स आफ इन्डिया" में "राजधानी में पेथोडाईन औषधि की धोखाधड़ी के बारे में चौंकाने वाली कहानी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा केमिस्टों द्वारा औषधियों के भंडार को छिपाकर रखने जैसी समाज-विरोधी कार्यवाहियों को तथा अपने विशेष मित्र या प्रभावशाली डाक्टरों और शैल्य चिकित्सकों के लिए एक या दो एम्पोल अलग से रखने को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ;

(ग) ऐसी कितनी अन्य महत्वपूर्ण औषधियां हैं जो समय-समय पर बाजार से गायब हो गई हैं ; और

(घ) बाजार से महत्वपूर्ण औषधियों को गायब होने तथा बेईमान व्यक्तियों द्वारा पीड़ित व्यक्तियों से अनुचित लाभ उठाने को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हाँ ।

(ख) राजधानी में "पैथाडाइन" की अस्थाई कमी निर्माताओं द्वारा औषधि के प्रपुंज-आयात में विलम्ब करने के कारण थी । स्थिति में अब सुधार हो गया है और एक निर्माता ने 3 नवम्बर, 1970 तक बाजार में 8,000 एम्पुलस सुलभ कर दिये थे । "पैथीडाइन" इन्जैक्शन के उत्पादन तथा बिक्री का विवरण देने के लिए दिल्ली के निर्माताओं को निदेश दिया गया है । औषधि निरीक्षकों को भी निदेश दिये गये हैं कि विभिन्न केमिस्टों के पास उपलब्ध पैथीडाइन हाइड्रोक्लोराइड इन्जैक्शन के स्टाक को चेक करें और उनकी नियमित सप्लाई रखने के लिए उनकी ध्यानपूर्वक निगरानी रखें ।

(ग) और (घ). आइसोफेन, इन्सुलिन, डाइलैन्टिन, सोडियम कैप्सूल तथा डिपथेरिया रोधी टैक्सिन जैसी औषधी की अस्थाई कमी की शिकायतें कुछ दिनों पहले प्राप्त हुई हैं । जहां तक आइसोफेन इन्सुलिन तथा डिप्थेरिया रोधी टैक्सिन का सम्बन्ध है, इन्हें आयात व्यापार नियन्त्रण नीति पुस्तक अनुसूची की लिस्ट में सम्मिलित कर दिया गया है ताकि ऽ मान्यता प्राप्त आयातकों द्वारा इनका पर्याप्त आयात किया जा सके । डाइलैन्टिन सोडियम कैप्सूल की कमी के बारे में यह है कि कमी खाली जेलेटिन कैप्सूल उपलब्ध न होने के कारण थी । औषधि नियन्त्रक (भारत) ने विदेश से खाली जेलेटिन कैप्सूल की आवश्यकता का आयात करने में एक फर्म की सहायता की थी ।

देश में उपलब्ध न होने वाली औषधियों की जरूरतों को पूरा करने में व्यक्तियों, डाक्टरों तथा अस्पतालों की सहायता करने के लिए आयात व्यापार नियन्त्रण नीति में व्यवस्था कर दी गई है जिसके अनुसार आयात व्यापार नियन्त्रण विनियम के अधीन आयात लाइसेन्स के बिना ही वैयक्तिक उपयोग के लिए निर्दिष्ट मूल्य तक औषधों के आयात की आज्ञा है ।

Sale of Adulterated Butter in Delhi

36. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether the attention of the Central Government has been drawn to the news item that butter in Delhi is sold after being mixed with the fat of cows, pigs, horses and donkeys ;

(b) the number of such factories which deal with trade unearthed by the Health Department of the Delhi Municipal Corporation during the last three years ; and

(c) the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) No.

(b) No such case has come to notice.

(c) Does not arise.

Recruitment of Trained Rebel Negas in Naga Regiment

37. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether rebel Nagas have been recruited in the Naga Regiment after giving them six months training ;

(b) the aim of giving training to these rebel Nagas ;

(c) whether Government are confident that these rebel Nagas will not revolt after being recruited to the Regiment ; and

(d) the number of such rebel Nagas who are being kept in these camps and the facilities being provided to them ?

The Minister of Defence (Shri Jagjiwan Ram) : (a) to (d). There are about 300 Nagas who have surrendered voluntarily with arms and are being assisted to rehabilitate themselves in peaceful vocations. They are being provided free rations and a stipend pending their rehabilitation. Those who are fit in all respects to join the Army, are being considered, along with others, for recruitment to the Naga Regiment, after full screening. Government expect and hope that the erstwhile rebels who have voluntarily surrendered with arms and desire recruitment in the Naga Regiment will prove patriotic and loyal.

Application by a Vaid of the Dhanvantri Aushadhalaya, Khol (Amkot), District Pauri Garhwal (U.P))

38. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Member of Lok Sabha has forwarded an application of the Vaid of Dhanvantri Aushadhalaya, Village Khol (Amkot) P.O. Kyark, District Pauri Garhwal, alongwith his own letter dated the 5th September, 1970 ;

(b) if so, the demands made by the Vaid in his application ;

(c) whether it is also a fact that the Vaid has sought financial assistance for giving free medical treatment to the people of the area and if so, the amount of assistance asked for ; and

(a) the amount of assistance proposed to be given by Central Government to the Vaid of the said Aushadhalaya and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes.

(b) and (c). A request for a grant of Rs. 5,000 has been made to provide free medical treatment.

(d) The request is being examined in consultation with the State Government.

Adverse Remrks on Supreme Court of India

39. **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Ram Avtar Sharma :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Radio Moscow and Radio Peace and Progress had commented adversely on the Supreme Court of India ;

(b) whether a written and formal protest note was sent to Russia in this regard and whether any reply has since been received from the Soviet Government ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Government is not aware of any criticism of the Supreme Court of India by Radio Peace and Progress. A certain judgement of the Supreme Court of India was criticised by Radio Moscow.

(b) and (c). The attention of the Government of the U.S.S.R. was drawn to the impropriety of such broadcasts. The Soviet authorities have taken note of our views and expressed the hope that there would be no further cause for complaint in future.

बरौनी उर्वरक परियोजना में प्रगति

40. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरौनी उर्वरक परियोजना का निर्माण कार्य रुक गया है और इसमें विलम्ब होने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कितना विलम्ब होने की संभावना है ; और

(ग) निर्माण कार्य में अब कितनी वास्तविक प्रगति हुई है और विलम्ब को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) परियोजना का, अप्रैल 1970 के अन्त तक चालू हो जाना निश्चित था। हाल ही में निर्माण कार्य के पुनरीक्षण से पता चलता है कि परियोजना के पूरे होने में लगभग 12 महीनों की देरी होगी। अब आशा है कि परियोजना मार्च, 1971 के अन्त तक पूरी हो जायेगी। किन्तु किसी समय पर किसी भी कारण से निर्माण कार्य पूर्णतया नहीं रुके।

(ख) मुख्य कारण, जिनसे विलम्ब हुआ निम्न हैं :—

(1) कुछ मुख्य स्वदेशी बनाये हुए संयंत्रों की प्राप्ति में देरी ;

(2) श्रमिकों में असन्तोष ; और

(3) परियोजना खनिज क्षेत्र के लिए भूमि के बंटन से सम्बन्धित कठिनाइयां।

(ग) प्रिलींग टावर पर शिलान्यास-कार्य पूरा हो चुका है और अमोनियम संयंत्र कम-प्रैसर कक्ष पर कार्य शुरू हो गया है। अमोनिया संयत्र वायलर कक्ष में निर्माण कार्य भी उन्नति कर रहा है। लगभग 83 प्रतिशत कारखाना सिविल-निर्माण और 55 प्रतिशत भूमि-भरण कार्य पूरा हो गया है। यूरिया सिलों की 5 परतों में से दो पूरी हो गई हैं। लगभग 6800 मीटरी टन आयातित और स्वदेशी सामग्री पहुंच चुकी है। हारटन स्फीयर के सभी 9 स्तम्भ खड़े कर दिये गये हैं। प्रधान रिफार्मर के 78 मीटरी टन उपकरण भी खड़े किये जा चुके हैं। उत्पाद परिवाहक गैण्टरीज, पाइप ट्रैस्टलज, वेस्ट हीट ब्यालर्स और कोल हैण्डलिंग सिस्टम के इस्पात कार्य के पूर्ति-तथा-निर्माण ठेकेदारों ने स्थल पर कार्यों को संगठित करना शुरू कर दिया है और उनकी सामग्री प्राप्त की जा रही है।

विदेशी तेल कम्पनियों के साथ तेल-शोधक कारखानों सम्बन्धी करार

41. **श्री हिम्मतसिंहका :** **श्री लतीफ अली खां :**
श्री एस० आर० दामानी :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विदेशी तेल कम्पनियों की सरकार के इस प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया है कि उन्हें तेल-शोधक कारखानों सम्बन्धी करार समाप्त कर देना चाहिए जिसके अनुसार उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत उनको अशोधित तेल के आयात के लिए सामान्य औद्योगिक लाइसेंस लेने जैसे विशेष अधिकार दिये गये है ;

(ख) क्या एक तेल कम्पनी ने पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्रालय से कहा है कि वे उन्हें यह बतायें कि सरकार का उनको करार में परिवर्तन करने को कहने में क्या विशेष उद्देश्य हैं और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में करार ने ठीक-ठीक क्या स्पष्टीकरण दिया है ; और

(ग) इस समय करार में परिवर्तन करने का प्रस्ताव किस चरण पर है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग). भारत सरकार ने विदेशी तेल कम्पनियों को तेल शोधक कारखानों सम्बन्धी करार समाप्त कर देने का कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं दिया है। किन्तु शोधन-कारखानों सम्बन्धी करारों की तरमीमों के बारे में विदेशी तेल कम्पनियों के साथ कुछ बातचीत हुई है, ताकि उन्हें, उस समय, जब ये किये गये थे, से भिन्न हालात में मौजूदा नीतियों के अनुरूप बनाया जा सके। यह बातचीत अभी बिल्कुल अन्वेषी अवस्था में है और इसे बताना जनहित में नहीं होगा।

डा० धर्म तेजा को स्वदेश वापस लाया जाना

42. **श्री हिम्मतसिंहका :** **श्री रामसेवक यादव :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डा० धर्म तेजा और उनकी पत्नी के स्वदेश वापस लाने के लिए इस बीच आगे और क्या कार्यवाही की गई है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : भारत सरकार ने यूनाइटेड किंगडम से डा० धर्म तेज के प्रत्यर्पण के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और यह मामला लंदन में न्यायालय में पेश है।

पाकिस्तान को अमरीका के वमवर्षक विमानों की सप्लाई

43. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री शारदा नन्द :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय समाचारों की ओर दिलाया गया है कि अमरीका

फिर से पाकिस्तान को घातक एक-104 और दो-57 वमवर्षक विमानों तथा बख्तरबन्द कर्मचारी वाहन वाहनों को सप्लाई करने पर विचार कर रहा ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार को ठीक-ठीक जानकारी क्या है तथा उस पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). ध्यान आज उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 24 के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है ;

पाकिस्तान द्वारा फ्रांस में निर्मित मिराज-5 लड़ाकू विमानों का क्रय

44. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री बे० कु० दासचौधरी :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने अपनी वायु सेना को सुदृढ़ बनाने के लिये हाल ही में फ्रांस में निर्मित कई मिराज-5 लड़ाकू विमानों का क्रय करने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इससे भारत की वायु शक्ति पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) अपनी रक्षा तैयारी करते समय इस तथ्य का भारतीय वायु सेना द्वारा ध्यान रखा जायेगा ।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में मंडलीय विक्रय प्रबन्धक (विपुलता) की नियुक्ति

45. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि हाल ही में इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड में 1300-1800 रुपये के वेतन मान में नियुक्त मंडलीय विक्रय प्रबन्धक (विपुलता) राज्य-व्यापार निगम में 400-900 रुपये का वेतनमान पर कार्य कर रहे थे ;

(ख) क्या इस अधिकारी के विरुद्ध जांच करने के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कहा गया था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह अधिकारी इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड में ऊंचे वेतनमान पर नियुक्त किये जाने की अर्हतायें रखता है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां, अखिल भारतीय स्तर पर एक खुले विज्ञापन के आधार पर अफसर की नियुक्ति हुई थी और चयन, एक यथावत गठित चुनाव समिति द्वारा किया गया था । उसकी

कुल उपलब्धियां भारतीय औषध तथा भेषज लि० में 1670 रुपये प्रतिमास के मुकाबले में राज्य व्यापार निगम में 570 रुपये प्रतिमास थी।

(ख) और (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी।

उड़ीसा के लिए आवर्ती आवास निधि

46. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने भारत सरकार से आवर्ती आवास निधि की स्थापना के लिये 10.86 करोड़ रुपये के विनिधान के लिये प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या विनिश्चय किया गया है ?

स्वास्थ्य यथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख). उड़ीसा सरकार ने हाल ही में आठ ऐसी परियोजनाएं भेजी हैं जिनमें वे आवास तथा नगर विकास वित्त निगम के आवर्तन निधि से पूंजी लगाना चाहेंगे। परियोजनाओं में मूल पूंजी के रूप में 8.87 करोड़ रुपये की कुल सहायता परिकल्पित है। क्योंकि ये प्रस्ताव निर्धारित निर्देशनों के अनुसार नहीं हैं राज्य सरकार को इनका समुचित संशोधन करने के लिए अनुरोध किया गया है।

डा० एन० एस० का पानी द्वारा नेत्र आपरेशन के नए उपाय

47. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान 5 अक्तूबर, 1970 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में विश्व प्रसिद्ध भारतीय नेत्र वैज्ञानिक डा० एन० एस० कापानो के बारे में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके आविष्कारों तथा इस विषय पर उनके द्वारा लिखित अन्य पत्रों आदि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन्होंने अमरीका में ख्याति प्राप्त की है और अमरीका ने उनकी खोजों को मान्यता देते हुये उन्हें उचित सम्मान दिया है ;

(घ) क्या उक्त वैज्ञानिक ने 'अपनी जन्म भूमि में तात्कालिक नेत्र शल्य चिकित्सा' का नया युग प्रारम्भ करने की इच्छा प्रकट की है ;

(ङ) यदि हां, तो सरकार को इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(च) क्या सरकार का विचार उन्हें भारत आने के लिये प्रेरित करने का है ताकि भारतीय उनकी खोजों आदि से लाभान्वित हो सकें ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० एस० मूर्ति) : (क) से (घ). जी हां ।

(ख) उन्होंने लगभग 60 पेपर लिखे हैं । यह भी बतलाया गया है कि उन्होंने लगभग 25 अविष्कार किए हैं अथवा उनमें सहायता दी है ।

(ङ) "लेसर वोम आपरेशन" डा० एन० एस० कापानो का नया अविष्कार नहीं है और न इसे तात्कालिक नेत्र शल्य चिकित्सा ही कहा जा सकता है । इस पद्धति के कुछेक संकेत हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं हैं और अनेक सीमायें हैं ।

(च) फिलहाल ऐसा कोई प्राभाव विचाराधीन नहीं है ।

भारतीय उर्वरक निगम के सिंदरी कारखाने में ठेका श्रमिक व्यवस्था

48. **श्री भगवान दास** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उर्वरक निगम के सिंदरी कारखाने में जिप्सम को उतारने और उर्वरकों को लादने का काम ठेके के मजदूरों द्वारा किया जाता है ; और

(ख) क्या सरकार का भारतीय उर्वरक निगम के सिंदरी कारखाने से ठेके की श्रमिक व्यवस्था को ठेके के श्रमिकों को नियमित रूप में नामांकन करके, समाप्त करने का विचार है ; यदि हां, तो कब तक ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) सिन्दरी में जिप्सम को उतारने का कार्य नियमित कर्मचारियों द्वारा परिचालित टिप्पलर आदि, यान्त्रिक व्यवस्था के माध्यम से किया जाता है । कुछ वेगनों को, जो टिप्पलर पर नहीं सम्भाले जा सकते, ठेकेदारों द्वारा खाली करवाया जाता है ।

नियमित कर्मचारी उर्वरकों का लदान करते हैं और केवल कभी कभी जब अतिरिक्त लदान की आवश्यकता होती है या उर्वरक पिण्डाकृति बन जाता है ठेकेदार को उवर्रक के लदान या पिण्डाकृत सामग्री को तोड़ने के लिए नियुक्त किया जाता है ।

(ख) भाग (क) के उत्तर में बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए, ठेके के श्रमिकों को खपाने का प्रश्न नहीं उठता ।

हल्दिया तेल शोधक परियोजना के कार्य में हुई प्रगति

49. **श्री धीरेश्वर कलिता :**

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया में तेल-शोधक कारखाने को स्थापित करने के कार्य में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) उस पर अब तक कितना व्यय हुआ है ; और

(ग) तेल शोधक कारखाने में कब तक कार्य प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) हल्दिया शोधक कारखाने के निर्माण में हुई प्रगति का सारांश निम्न प्रकार है :—

निम्नलिखित पूर्व-निर्माण एवं आयोजना कार्य मुकम्मल हो चुके हैं :—

(1) उत्पाद पैटर्न, उत्पाद विशिष्टियों, टैंकेज आवश्यकताओं, भरण-स्थलों आदि के अध्ययन ।

(2) प्रोसैस लाइसेंस, प्रयोगात्मक एवं आपटिमाईजेशन अध्ययन ।

(3) शोधक कारखाने के स्थल के मिट्टी की विस्तृत जांच ।

(4) प्रौसस डिजाइन ।

(5) विस्तृत इन्जीनियरिंग रूपांकन, उपकरण/सामग्री की सप्लाई और फ्रांस तथा रुमानिया के सहयोगियों के साथ तकनीकी सहायता जुटाने के लिए व्यापारिक करारों का किया जाना ।

निर्माण कार्य में प्रगति

सितम्बर, 1970 के अन्त तक निम्नलिखित सिविल कार्यों में प्रगति जारी थी :—

(1) स्टोरेज टैंकेज क्षेत्र के लिए भूमि का प्री-ट्रीटमैंट ।

(2) भूमि का काम और स्थल ग्रेडिंग ।

(3) उपनगर और सड़कों के पहले चरण का भूमि का काम ।

प्राप्ति की स्थिति :

1. **देशीय** : शोधक कारखाने के ईंधन खण्ड के लिए उपकरण/सामग्री के लिए 53,975,515 रुपये के आर्डर दिये गये हैं । शोधक-कारखाने के लूब खण्ड के लिए, सितम्बर, 1970 के अन्त तक 59.4 लाख रुपये के देशीय आर्डर दिये गये थे ।

2. **अन्य देशों से खरीदें** : 193 लाख (सी०आई०एफ० कलकत्ता) के आर्डरों को अब अन्तिम रूप दे दिया गया है और विदेशी पार्टियों को क्रयादेश दे दिये गये हैं । इन खरीदों के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा के लिए मन्जूरी दी जा चुकी है।

3. **इन्जीनियरिंग** : सिविल निर्माण के अलावा, फ्रांस के टैकनिप, रुमानिया के इन्डस्ट्रीयलएक्सपोर्ट और नई दिल्ली में इन्जीनियर्स इण्डिया लि० के कार्यालयों में विस्तृत इन्जीनियरिंग कामों में भी प्रगति हो रही है ।

(ख) अब तक 570 लाख रुपये खर्च हुए हैं ।

(ग) शोधक कारखाने के ईंधन खण्ड के 1972 के अन्त तक और लूब आयल खण्ड के 1973 के मध्य तक मुकम्मल हो जाने की आशा है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को स्थान दिलाने में भारत का समर्थन

50. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री जनेश्वर मिश्र :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को स्थान दिलाने के प्रस्ताव का समर्थन करने का विर्णय किया है ;

(ख) क्या 2 अक्तूबर 1970 को राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर चीनी दूतावास में हुए स्वागत समारोह में भाग लेने वाले उनके मन्त्रालय के अनेक अधिकारियों के साथ चीनी दूतावास के अधिकारियों की कोई वार्ता हुई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) भारत सरकार सिर्फ चीन लोक गणराज्य की सरकार को ही मात्र चीन की वैध सरकार मानती है अतः उसने संयुक्त राष्ट्र में चीन का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदैव चीन लोक गणराज्य के अधिकारों का समर्थन किया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

1964 में किए गये करार के कार्यान्वयन के लिए श्रीलंका के साथ वार्ता

51. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत मूलक व्यक्तियों के संबंध में 1964 में हुए करार की क्रियान्विति से संबन्धित समस्या का हल निकालने के लिए श्रीलंका और भारत के बीच अधिकारी स्तर पर हो रही वार्ता समाप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). 1964 के श्री भारत-श्रीलंका करार की समीक्षा तथा प्रगति का आंकलन करने के लिए भारत और श्रीलंका के प्रतिनिधियों की अधिकारी स्तर की समय-समय पर बातचीत होती है । इन वार्ताओं में करार को प्रभावित करने वाले आपसी हित की समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाता है ।

अस्पतालों में औषधि-बिक्री केन्द्रों की स्थापना

52. **श्री दे० अमात :**
श्री राम किशन गुप्त :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनता को सस्ते और उचित मूल्यों पर औषधियों की बिक्री करने के

लिए अस्पतालों में औषधि बिक्री केन्द्रों की स्थापना करने सम्बन्धी प्रस्ताव किस स्तर पर विचाराधीन है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : जहां तक दिल्ली का संबंध है, सुपर बाजार की एक शाखा इर्विन अस्पताल के अहाते में चल रही है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के आहाते में एक दवाई की दुकान है और विलिंगडन अस्पताल के आहाते में भी सुपर बाजार की एक शाखा खोलने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। यद्यपि सुपर बाजार सफदरजंग अस्पताल के बहुत ही निकट है तथापि उस अस्पताल में भी उचित दर/सुपर बाजार की एक शाखा खोलने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

जहां तक राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन चल रहे अस्पतालों का सवाल है यह विषय संबंधित राज्यों का है।

दक्षिण अफ्रीका को ब्रिटिश हथियारों की सप्लाई का भारत द्वारा विरोध

53. **श्री समर गुह :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटेन द्वारा दक्षिण अफ्रीका को हथियार भेजे जाने के उसके निर्णय के विरुद्ध कोई विरोध पत्र भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो ब्रिटेन सरकार से प्राप्त उत्तर क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्र मण्डल के सदस्य अफ्रो-एशियाई देशों में जनमत जाग्रत करने के लिए कोई पहल की है, ताकि दक्षिण अफ्रीका को हथियार सप्लाई न करने के लिए ब्रिटेन की सरकार को मनाया जा सके ;

(घ) क्या इस प्रकार के प्रस्ताव के विफल होने पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्र मण्डल छोड़ने का प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). सरकार ने दक्षिण अफ्रीका को हथियार बेचने की उस अभिप्रेत ब्रिटिश कार्रवाई की घोर निन्दा की है, जिसका परिणाम यह निकलेगा कि दक्षिण अफ्रीका में जातिवादी शासन सुदृढ़ होगा और हिन्द महासागर प्रदेश में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में खतरा उत्पन्न होगा। सरकार ने ब्रिटिश सरकार को अपनी गहरी चिंता व्यक्त कर दी है जिन्होंने यह कहा है कि उन्होंने इस मामले में अन्तिम निर्णय नहीं लिया है और यह तब तक विचाराधीन है जब तक वे राष्ट्रमण्डल के अन्य सदस्यों से परामर्श न करलें।

(ग) से (ङ). सरकार ने उन अन्य गुटनिरपेक्ष देशों के साथ जो लुकासा में मिल रहे हैं

अफ्रीकी एकता मित्रन संगठन के दक्षिण अफ्रीका को हथियार देने से यू०के० सरकार को रोकने के प्रयासों का समर्थन किया है, जिसके अध्यक्ष जाम्बिया के राष्ट्रपति कौंडा है। अपना भावी कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए सरकार उभरती हुई स्थिति पर निगाह रख रही है।

काहिरा स्थित चीनी प्रतिनिधि से भारतीय राजदूत की वार्ता

54. **श्री समर गुह :** **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1970 के द्वितीय सप्ताह में संयुक्त अरब गणराज्य में भारतीय राजदूत ने काहिरा स्थित चीनी राजदूत से 75 मिनट तक भेंट वार्ता की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या चीन के साथ पड़ौसी सम्बन्धों को सामान्य बनाने की दिशा में राजनयिक पहल का यह एक अंग है ;

(ग) यदि हां, तो भारतीय और चीनी राजदूतों की भेंट वार्ता का परिणाम क्या निकला और दोनों देशों के राजनयिक सम्बन्धों को सामान्य बनाने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ;

(घ) क्या भारत के प्रति चीन के रुख में परिवर्तन के बारे में सरकार को अन्य कोई संकेत प्राप्त हुए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो ये राजनयिक संकेत क्या हैं और इनके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) यह सामान्य शिष्टाचारी भेंट भी कोई राजनयिक कदम नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) चीन के अधिकारियों एवं राजनयिकों का व्यवहार पहले से कहीं अधिक भद्र एवं सहज हैं और भारत विरोधी प्रचार में भी कमी दिखाई दी है। दो अवसरों पर चीन के नेताओं ने हमारे प्रधान मन्त्री को शुभ कामनाएं भेजी हैं। स्वभावतः भारत सरकार इस तरह के परिवर्तित रुख का स्वागत करती है।

कलकत्ता गन्दी बस्ती का सुधार करने के लिए समय बद्ध योजनायें

55. **श्री समर गुह :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता निगम के महापौर ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को एक अभ्यावेदन दिया था जिसमें उन्होंने कलकत्ता गन्दी-बस्ती विकास परियोजनाओं को बनाने के लिए गठित कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग की थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान कलकत्ता निगम के महापौर के इस प्रस्ताव के प्रति प्रतिकूल प्रेस टिप्पणियों की ओर आकर्षित किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या कलकत्ते की गन्दी बस्तियों के शीघ्र सुधार के लिए कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण ने समय-बद्ध योजनाएं तैयार कर ली हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां :

(ख) सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है कि कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण को समाप्त कर दिया जाए ।

(ग) जी, हां ।

(घ) कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण ने काशीपुर, किदरपुर, तोलीगंज, हावड़ा, बारानगर-कमरहटी और रिशरा-चम्पदानी क्षेत्रों में लगभग 5.34 लाख जनसंख्या वाली 1200 बस्तियों के विकास के हेतु 8.5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के एक विकास कार्यक्रम को पहले ही मंजूरी दे दी है । इसके अतिरिक्त, कलकत्ता नगर के कतिपय गन्दे क्षेत्रों में भी ऐसे ही विकास कार्य के लिए कलकत्ता निगम को 1.5 करोड़ रुपये की धनराशि दी जा रही है । कार्य प्रारम्भ होने वाला है और इन कार्यक्रमों में से अधिकांश को 1971-72 में ही पूरा करने का प्रयत्न किया जाएगा ।

(ङ) विकास कार्यक्रमों में शुल्क शौचालयों को जल वाले स्वच्छ शौचालयों में बदलना, सामुदायिक नलकों तथा स्नान स्थलों की व्यवस्था करना, गलियों तथा रास्तों को पक्का करना, नालियों का विकास करना तथा रुके हुए पानी को हटाना और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करना आदि सम्मिलित हैं। इन विकास कार्यों के अतिरिक्त बस्तियों की सफाई तथा पुनर्विकास के लिए विशेषतया नगर के केन्द्रीय क्षेत्रों के लिए कलकत्ता विकास ट्रस्ट, हावड़ा विकास ट्रस्ट तथा राज्य सरकार के आवास निदेशालय आदि सम्बन्धित एजेन्सियों के परामर्श से एक कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है ।

जंजीबार में एक भारतीय नवयुवती द्वारा आत्महत्या का प्रयास

56. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1970 के महीने में ज़ंजीबार में एक पंजाबी नवयुवती द्वारा आत्म-हत्या का प्रयास किये जाने के मामले में कोई जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). प्राप्त

सूचना के अनुसार जंजीबार में अधिवासी तनजानिबाई राष्ट्रीयता की एक पंजाबी सिख लड़की को विवाह-सा रचाने पर मजबूर किया गया था यद्यपि उसने आत्महत्या का प्रयत्न किया था। परन्तु सौभाग्य से विवाह की रस्म पूरी होने से पहले उसे जंजीबार से मुख्य भूमि ले आया गया।

सैनिक कर्मचारियों को विशिष्ट सहायता

57. **श्री बे० कु० दासचौधरी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के सैनिक कर्मचारियों को कुछ विशेष सहायता देने पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : (क) और (ख). सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों के लिए कुछ भत्तों, पेन्शनरी लाभों और रियायतों के रूप में सुधार स्वीकार किये हैं जिनकी कुल लागत अनुमानत: लगभग 16 करोड़ रुपये वार्षिक होगी उन कठिन स्थितियों का विचार करते हुए कि जिनमें सशस्त्र सेनाओं के सेविवर्ग को लम्बी अवधियों के लिए काम करना पड़ा है, हाल के एक पुनरीक्षण के बाद ऐसा विचार किया गया था कि उन्हें कुछ विशेष अतिरिक्त राहत दी जाए। इस प्रश्न पर कुछ समय के लिए विचार किया गया है। सरकार ने निर्णय किया है कि नकद और द्रव्यों में लाभों सहित उपलब्धियों के ढांचे का तृतीय वेतन आयोग द्वारा समग्र पुनरीक्षण तक व्यापक तौर पर 1 सितम्बर, 1970 से (अवसरों समेत) सशस्त्र सेनाओं के सेविवर्ग को राहत दी जाए, उस अंतरिम राहत के अतिरिक्त, जो समस्त नियमित सरकारी कर्मचारियों के लिए व्यापक तौर पर घोषित की गई है। इस विषय पर औपचारिक आदेश 14 अक्तूबर, 1970 को जारी किये गये थे।

2. इस विशेष राहत की अनुमानित लागत लगभग 6.5 करोड़ वार्षिक के स्तर की है। और उसके विस्तार नीचे दिए गए हैं :—

1. **सेना, नौ-सेना और वायु सेना में आयुक्त अफसरों के लिए :**

सेना में ब्रिगेडियर पद और उससे निम्न पदों, अफसरों तथा नौ-सेना और वायु सेना में समतुल्य पदों के अफसरों को देय किट के लिए रखरखाव भत्ता 10 रुपये प्रति मास तक और विशेष डिस्टरवेंस भत्ता 15 रुपये मासिक तक बढ़ा दिया गया है। 2-लेफ्टिनेंट और इसके समतुल्य पदों के कनिष्ट अफसरों को देय उच्च स्थानों-अस्वस्थ्य जल वायु भत्ता 5 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। तीनों सेवाओं के अफसरों के लिए रिनियूक्वल आउट फिट अलाउंस जो प्रत्येक 7 वर्ष के बाद देय होता है 200 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। सैनिक नर्सिंग अफसरों की हालत में वर्दी रखरखाव भत्ता 240 रुपये वार्षिक से बढ़ाकर 360 रुपये कर दिया गया है। फार्म-डी के प्रयोग में यात्रा रियायत जो अब तक लेफ्टिनेंट कर्नल के पद के अफसरों तक देय थी बिना किसी पद के ख्याल के सभी अफसरों पर लागू कर दी गई है।

2. अफसर पद के नीचे सेविवर्ग के लिए :

वस्त्र भत्ता किट रखरखाव भत्ता, विशेष प्रतिकर भत्ता उच्च स्थानों-अस्वस्थ्य जलवायु भत्ता या छंटे नौ-सैनिक पोतों में सेवा कर.रहे नाविकों की हालत में हार्ड लाइंग वनी की दर में वृद्धि के रूप में उसकी उपलब्धियों में व्यापक तौर 'पर 4 रुपये प्रति मास की नेट वृद्धि कर दी गई है ।

सुधरे रूप में मिग-21 विमान के लिए रूस और हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लि० के बीच समझौता

58. श्री बे० कु० दासचौधरी : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुधरे रूप में मिग-21 विमान के निर्माण के लिए सोवियत संघ के अधिकारियों और हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लि० के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) यह विस्तार देना लोकहित में नहीं है ।

पाकिस्तान से सुपर कान्स्टेलेशन विमानों से मिग-19 लड़ाकू बमवर्षक विमान बदलने का कथित इंडोनेशियाई प्रस्ताव

59. श्री बे० कु० दासचौधरी : श्री मयावन :
श्री दंडपाणि :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान को सुपर कान्स्टेलेशन विमानों के बदले में मिग-19 लड़ाकू बमवर्षक विमान देने के कथित इंडोनेशियाई प्रस्ताव के समाचार की सरकार ने पुष्टि कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). सरकार ने इंडोनेशियाई सरकार के इस आश्वासन को स्वीकार कर लिया है जिसमें उसने यह कहा है कि वह पाकिस्तान को सुपर कंसटीलेशन एयर लाइनर्स के बदले पाकिस्तान को मिग-19 लड़ाकू जहाज नहीं दे रहा है ।

Sending of Nuns from Kerala to Foreign Countries

60. **Shri Ram Avtar Sharma :** **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Jageshwar Yadav :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether the enquiry into the sending of nuns from Kerala to Europe etc. has been completed ;

(b) if so, the details thereof and whether any follow-up action has been taken ;

(c) whether action has been taken against any individual or association in India for indulging in the sending of nuns to foreign countries ; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (d) The Government's inquiry into the sending of Nuns from Kerala to Europe is continuing. The House will be informed of its findings when it is complete.

Setting up of Ancillary Industries by Public Sector Undertakings

61. **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri D. N. Patodia :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that Government undertakings under his Ministry have been asked to give proposals by the end of this year in regard to such ancillary industries as can supply material needed by these undertakings or can bring the products of these undertakings into their use :

(b) whether it is also a fact that in accordance with the directions of the Ministry every undertaking will analyse every production activity and suggest the production activity which can be entrusted to the ancillary industries and will select new places suitable for setting up the ancillary industries ; and

(c) if so, the criteria to be adopted while selecting new places for setting up the ancillary industries which Government propose to set up in Madhya Pradesh, which is a backward State ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) Yes.

(b) This will be done to the extent possible at this stage.

(c) No specific criteria have been laid down for selecting new places for setting up ancillary industries. It is for the public sector undertakings to adopt such criteria which they consider appropriate considering the merits of each case. The ancillary industries if any proposed to be encouraged in Madhya Pradesh will be known only after the proposals are several from the public sector undertakings.

भारत में पनडुब्बियों का निर्माण

62. **श्री राम किशन गुप्त :** **श्री केदार नाथ सिंह :**
श्री अदिचन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में पनडुब्बियों का निर्माण करने सम्बन्धी प्रस्ताव किस स्तर पर विचाराधीन है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्रसिंह महीडा) : इस विषय में कोई सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं है ।

पश्चिम एशिया पर शांति वार्ता के संबंध में इसरायल की नीति

63. **श्री एन० शिवप्पा :**

श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त अरब गणराज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महापरिषद् में जनमत एकत्र करने के लिए भारत सरकार से समर्थन मांगा है जिससे पश्चिम एशिया संबंधी शांति वार्ता के बारे में इसरायल की नीति का निरनुमोदन किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) संयुक्त अरब गणराज्य सरकार ने भारत और कुछ अन्य मित्र देशों से इस बात का अनुरोध किया था कि वे 22 नवम्बर 1970 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के क्रियान्वयन के लिए जारिंग मिशन को फिर से सक्रिय करने के प्रस्ताव का समर्थन करें।

(ख) भारत सरकार का यह विश्वास है कि उक्त प्रस्ताव के पूर्ण क्रियान्वयन से ही पश्चिम एशिया में न्यायोचित एवं स्थायी शांति लाई जा सकती है। अतः सरकार ने इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन से सम्बद्ध सभी प्रस्तावों का समर्थन किया है।

बन्धीकरण आपरेशन के पश्चात् रोगी की मृत्यु के फलस्वरूप बंगलौर की एक लेडी डाक्टर का निलम्बित किया जाना

64. **श्री एन० शिवप्पा : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर में अगस्त में बन्धीकरण आपरेशन के पश्चात् रोगी की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप लेडी डाक्टर के निलम्बन से मैडिकल व्यवसाय से सम्बन्धित व्यक्तियों तथा राज्य सरकार के बीच विवाद में हस्तक्षेप करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). इस विभाग को ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकार से भी आगे और पूछताछ की जा रही है।

फ्रांस द्वारा पाकिस्तान को पनडुब्बियों की सप्लाई

65. **श्री दण्डपाणि :** **श्री मयावन :**

श्री नि० रं० लास्कर :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस ने पाकिस्तान को फ्रांसिसी पनडुब्बियां सप्लाई की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्रसिंह महीडा) : (क) जी, हां ।

(ख) पनडुब्बी विध्वंसक उपायों के सशक्तीकरण और सुधार के लिए सभी संभव पग उठाए जा रहे हैं ।

मिट्टी का तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण), आदेश, 1970

66. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने मिट्टी का तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण) आदेश, 1970, जिसमें मिट्टी के तेल के व्यापारियों की कमीशन निश्चित की गई है, जारी कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) व्यापारियों को इस समय कितनी कमीशन मिलती है ;

(घ) क्या इस आदेश को जारी करने से पूर्व परचून विक्रेताओं के संगठनों से परामर्श किया गया था ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) मिट्टी का तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण) आदेश, 1970 को पहले ही भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 1-6-1970 में प्रकाशित कर दिया गया है और उसकी एक प्रति आज सभा के पटल पर रखी जा रही है ।

(ग) इस आदेश की धारा 3 (सी) के अधीन, कमीशन की दर 7.70 रुपये प्रति किलो लीटर है बशर्ते कि राज्य सरकारें व्यापारियों को उस असाधारण खर्च का जो कि उन्हें स्थानीय परिस्थितियों के कारण करना पड़ता है, पुनर्भगतान करें ।

(घ) और (ङ). जैसा कि तेल मूल्य समिति ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि इस सम्बन्ध में लाभदायक परामर्श करने के लिए एजन्टों/व्यापारियों का कोई संगठित निकाय नहीं है । अतः समिति ने राज्य सरकारों के विचार प्राप्त किये और उनमें से बहुतों का विचार था कि मिट्टी के तेल के लिए कमीशन की वर्तमान दर, प्रासांगिक खर्च और स्थानीय अधिकारियों द्वारा अधिकृत अन्य भत्तों के पुनर्भुगतान को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त थी ।

दिल्ली लघु उद्योग के सम्बन्ध में सी०बी०आई० की जांच रिपोर्ट

67. **जार्ज फरनेन्डीज** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री दिल्ली लघु उद्योग के बारे में सी०बी०आई० जांच रिपोर्ट से सम्बन्धित 20 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10403 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली लघु उद्योग के विरुद्ध मध्यस्थता की कार्यवाही इस बीच पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ;

(ग) इस मामले में विशेष पुलिस विभाग ने क्या सिफारिशों की ; और

(घ) दोषी अधिकारियों और फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) चूंकि मामला अभी विचाचन न्यायालय में न्याय अधीन है, इस अवस्था में एस०पी०ई० की सिफारिश व्यक्त करना वांछनीय नहीं है ।

(घ) अपराधी अफसरों के विरुद्ध कार्यवाही प्रगतिशील है ।

फर्म के साथ 28-7-1969 से व्यापारिक व्यवहार स्थापित कर दिया गया है संबंधित फर्म के विरुद्ध अधिक कार्यवाही करने का प्रश्न पर निवाचन न्यायालय के सामने प्रस्तुत मामले को अन्तिम रूपरेखा के पश्चात् विचार किया जाएगा ।

राष्ट्रीय कोयला संगठन कर्मचारी संघ, रांची का ज्ञापन

68. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला संगठन के कर्मचारी संघ ने उनके हाल ही के रांची के दौरे के समय उन्हें कोई ज्ञापन दिया ;

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन में उल्लिखित मुख्य मामले क्या थे और उस पर क्या कार्यवाही की गई ;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के उन अधिकारियों के विरुद्ध जांच के लिए कोई समिति नियुक्त करने का है, जिन पर भ्रष्टाचार और भाई—भतीजावाद के आरोप लगाये गये हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). जी, हां । ज्ञापन में अन्तर्विष्ट प्रमुख तथ्यों को दर्शित करने वाला और उनमें से प्रत्येक के सम्बन्ध में की गई कार्रवाई/सही स्थिति का तालिकाकार विवरण संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०—4188/70]

(ग) और (घ). भाग (क) और (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, सरकार इन अभिकथनों की जांच हेतु समिति को नियुक्त करना आवश्यक नहीं समझती है ।

Houses for Middle Income Groups in Delhi

69. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether there is any scheme to build some houses for the people in the middle income groups in Delhi ;

(b) if so, the time by which the work will be stated ; and

(c) the amount proposed to be spent by Government on this project ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri Parimal Ghosh) : (a) Yes, Sir.

(b) 264 houses are nearing completion ; work on construction of 2621 houses is in progress and another 5436 houses are proposed to be built by the Delhi Development Authority.

(c) The information is being obtained from the Authority and will be laid on the Table of the House.

Maltreatment of Patients in Hospitals of Delhi

70. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleassd to state :

(a) whether any complaints regarding maltreatment of patients in some of the hospitals of Delhi have been received ;

(b) whether any arrangement for secret enquiry has been made in the main hospitals in Delhi ; and

(c) if so, the results thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c). Such complaints are occasionally received from patients or their relatives and are invariably enquired into. Suitable remedial measures are taken where considerd necessary. Action is also taken against the delinquent staff if the allegations in the complaints are found to be true.

Arrangements for secret enquiries are made if circumstances so warrant.

जी० डी० एम० ओ० की पदोन्नति

71. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय** विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने मई, 1970 में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों के एसोसिएशन को यह आश्वासन दिया था कि जी०डी०एम०ओ० ग्रेड II से जी०डी०एम०ओ० ग्रेड I तक की पदोन्नति सूची 31 अगस्त, 1970 तक प्रकाशित कर दी जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सूची के प्रकाशन में क्या अड़चनें हैं ;

(ग) जी०डी०एम०ओ० ग्रेड II के ऐसे डाक्टरों के बारे में क्या कार्यवाही की गई है, जो 1969-70 में सेवानिवृत्त हो गए थे, हलांकि वे जी०डी०एम०ओ० ग्रेड-I में पदोन्नति के योग्य थे, क्योंकि उन्होंने अक्तूबर-नवम्बर, 1967 में जी०डी०एम०ओ० ग्रेड II में पांच वर्ष की नौकरी पूरी कर ली थी ;

(घ) क्या यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पदोन्नति-सूची के प्रकाशन में उनके मंत्रालय द्वारा किये गये विलम्ब से उनकी पेंशनों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?.

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ङ). अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों के संघ को मई, 1970 में ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था कि जनरल ड्यूटी अफसर ग्रेड II से जनरल ड्यूटी अफसर ग्रेड-I में अधिकारियों की पदोन्नति सूची 31 अगस्त, 1970 तक जारी कर दी जायेगी । तथापि, उक्त संघ के प्रतिनिधियों को जुलाई, 1970 में बतलाया गया था कि जनरल ड्यूटी अफसर ग्रेड II के ऐसे अधिकारियों की सूची जो कि समय समय पर संशोधित केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमावली 1963 के नियम 8(1) के अधीन जनरल ड्यूटी अफसर ग्रेड I में पदोन्नति के पात्र हों, जहां तक सम्भव होगा प्रतिवर्ष 31 अगस्त तक अन्तिम रूप से तैयार की जाएगी ।

(ख) जनरल ड्यूटी अफसर ग्रेड- के अधिकारियों की जनरल ड्यूटी अफसर ग्रेड I में पदोन्नति के मामले को फरवरी, 1969 में संघ लोक सेवा आयोग को भेजा गया था संघ लोक सेवा आयोग ने बतलाया कि कतिपय अधिकारी जो केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के भूतपूर्व प्रवर्ग 'ङ' में कनिष्ट थे किन्तु उन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी उन्हें इस सेवा के प्रारम्भिक गठन के समय जनरल ड्यूटी अफसर ग्रेड-I में पदोन्नति दे दी गई थी । दूसरी ओर प्रवर्ग 'ङ' के कुछ अधिकारी जो कि पद में वरिष्ट थे, जनरल ड्यूटी अफसर ग्रेड I में इस प्रकार पदोन्नत नहीं किये गये थे क्योंकि उन्होंने तब 5 साल की सेवा पूरी नहीं की थी । ये अधिकारी अब जनरल ड्यूटी अफसर ग्रेड-I में पदोन्नत होने पर पहले प्रकार के अधिकारियों की तुलना में वरिष्ठता खो बैठेंगे । इस लिए जिन अधिकारियों की वरिष्ठता पर प्रभाव पड़ा उन्हें सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक समझा गया । इस हेतु केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमावली में संशोधन करना आवश्यक था । इस नियमावली में आयोग तथा अन्य सम्बंधित मंत्रालयों के परामर्श से तदनुसार संशोधन किये जा रहे हैं ।

उक्त सूची को अन्तिम रूप से तैयार करने के रास्ते में दूसरी कठिनाई सभी पात्र अधिकारियों की सेवा रिकार्डों का संचय करना है । ये रिकार्ड केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों और केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में भाग लेने वाले संगठनों से प्राप्त करने होते हैं । इन रिकार्डों का संचय करने में काफी समय लग जाता है क्योंकि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में भाग लेने वाले अनेक

संगठनों तथा इससे सम्बंधित अधिकारियों की संख्या बहुत बड़ी है । फिर भी, उक्त सेवा रिकार्डों को एकत्र करने एवं संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से उस सूची को अन्तिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(ग) समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 1963 के नियम 8(1) के उपबन्धों के अनुसार जनरल ड्यूटी अफसर ग्रेड-I के रिक्त पद विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर चयन कर लिये जाने के बाद जनरल ड्यूटी अफसर ग्रेड-II के पदों पर कार्य कर रहे ऐसे अधिकारियों को पदोन्नति से भरने होते हैं जिन्होंने उस ग्रेड में अथवा उसके समकक्ष किसी पद पर न्यूनतम 5 साल की सेवा पूरी कर ली हो ।

कोई जनरल ड्यूटी अफसर ग्रेड II जैसे ही उस ग्रेड में 5 वर्ष पूरे करे उसे स्वतः ही जनरल ड्यूटी अफसर ग्रेड I में पदोन्नत करना नियमाधीन अनिवार्य नहीं है क्योंकि पदोन्नतियां केवल भावी तिथि से ही लागू होती हैं । सेवा निवृत अधिकारियों के मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(घ) और (ङ). केन्द्रीय सरकार के पेंशन नियमों के अधीन पेंशन वास्तविक तौर पर लिये जा रहे वेतन पर गिनी जाती है और इसलिये जो वेतन प्राप्त नहीं किया गया है उसे पेंशन निर्धारण के लिये हिसाब में नहीं लगाया जाएगा । पेंशन प्राप्त करने के लिये एक अधिकारी की कम से कम 10 वर्ष की सेवा होनी चाहिए क्योंकि जनरल ड्यूटी अफसर ग्रेड-I केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का निम्नतम ग्रेड है अतः ऐसे व्यक्ति अधिक नहीं होंगे जो 1969-70 में सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेंगे । उनकी पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है क्योंकि मासिक पेंशन की राशि उनके द्वारा अन्तिम प्राप्त वेतन पर निर्भर करेगी ।

छिपे नागा उपद्रवियों द्वारा बलात धन, राशन का संग्रह और संघीय नागा सेना के लिए जबरन भर्ती

72. **श्री राजदेव सिंह** : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छिपे उपद्रवी नागा लोग ग्रामीणों से बलात् धन तथा राशन संग्रह करके और उन्हें नागा संघीय सेना में बलात भर्ती करके उन्हें भयभीत कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार छिपे नागाओं की उन गतिविधियों से अवगत है, जिनमें वे धन, रसद और रंगरूट जबर्दस्ती प्राप्त करते हैं । लेकिन गांवों के लोगों के असहयोग और विरोध और राज्य प्रशासन पुलिस और सुरक्षा बल की चौकसी के कारण उनके प्रयास धीरे-धीरे निष्फल होते जा रहे हैं ।

(ख) सरकार छिपे नागाओं की गतिविधियों का प्रतिकार करने तथा गांव के लोगों की संतोषजनक रूप से रक्षा करने की व्यवस्था करने के उपाय कर रही है ।

हिन्द चीन समस्या पर अमरीकी प्रस्ताव

73. श्री देवकी नन्दन पटोदिया : श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका ने हिन्दचीन संघर्ष को समाप्त करने के लिए कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उसका ब्यौरा प्राप्त हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). अमरीका सरकार ने अक्तूबर, 1970 के राष्ट्रपति निक्सन के वक्तव्य में रखे गए प्रस्तावों को भारत सरकार के पास भेजना है ।

(ग) उसका ब्यौरा इस सदन को भली प्रकार ज्ञात है । भारत सरकार का विश्वास है कि हिन्दचीन समस्या का हल केवल शांतिपूर्ण बातचीत से निकाला जा सकता है, युद्ध से नहीं । हमारा विश्वास है कि इस बातचीत के दौरान यदि सभी दल ईमानदार रहें तो जेनेवा समझौते के सिद्धांतों के ढांचे में जिन्हें सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया गया है प्रगति हो सकती है । विभिन्न प्रस्तावों में से सामान्य आधार वाले क्षेत्रों की खोज एवं विस्तार से यह काम हो सकता है । सम्बद्ध विभिन्न पक्षों एवं अन्य सरकारों के बीच हुई बातचीत के आधार पर हमारा अनुमान है कि अगर समुचित समय सारणी के अनुसार सभी विदेशी सैनिक हटा लिये जाएं और इसका प्रारम्भ अमरीका से हो, और दक्षिण वियतनाम में सभी तत्वों के मेल से व्यापक विचारों पर आधारित सरकार का निर्माण हो, तो उनसे पेरिस वार्ता में होने वाली महत्वपूर्ण बातचीत की प्रगति में सुविधा होगी ।

मध्यपूर्व में युद्ध विराम

74. श्री देवकी नन्दन पटोदिया : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव का समर्थक होने के नाते मध्यपूर्व में शांति स्थापना के लिए संयुक्त अरब गणराज्य सरकार पर युद्ध विराम को स्वीकार करने के लिए जोर डाला है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस मामले में इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दूसरे देशों का सहयोग प्राप्त करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). संयुक्त अरब गणराज्य ने 22 नवम्बर, 1967 के संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव 242 को बिना किसी शर्त स्वीकार

कर लिया था । उन्होंने बाद में 19 जून, 1970 की अमरीकी पहलकदमी को भी स्वीकार किया जिसमें इस बात की मांग की गई थी कि युद्ध विराम किया जाये और 22 नवम्बर, 1967 के सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के क्रियान्वयन के लिये जारिंग मिशन को फिर से सक्रिय किया जाए । संयुक्त अरब गणराज्य सरकार ने 4 नवम्बर, 1970 को महासभा के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति की अब घोषणा कर दी है जिसमें इस बात की मांग की गई है कि युद्ध विराम का विस्तार किया जाये और सयुक्त राष्ट्र संघ के मध्यस्थ डाक्टर जारिंग के तत्वाधान में शांति वार्ता किर से शुरू की जाये ।

संयुक्त राष्ट्र महा सभा में पूर्व पाकिस्तान से आ रहे शरणार्थियों का मामला उठाना

75. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री शंकर राव मान :**
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान में शरणार्थियों के आगमन में कुछ कमी हुई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) सरकार ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र महासभा में उठाने की चेष्टा की है, अथवा अन्य मित्र मुस्लिम राष्ट्रों से उसकी समाप्ति के लिए सहयोग मांगा है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां । हाल में संख्या में कुछ कमी हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने या इस द्विपक्षीय मामले में तीसरे पक्ष को लाने से न तो कोई महत्वपूर्ण कार्य सधेगा न इस देश का दीर्घकालीन हित पूरा होगा । लेकिन 19 सितम्बर, 1970 को विदेश मन्त्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में अपने भाषण के दौरान इस मामले की ओर संकेत किया था ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में विशेष प्रकार का फ्लू

76. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री सीता राम केसरी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में एक विशेष प्रकार का फ्लू जिसे 'डेंगू' कहते हैं व्यापक रूप में फैला हुआ है ;

(ख) क्या इस रोग के इतना अधिक फैलने का सम्बन्ध नालियों और गलकुण्डों में रोगाणुनाशक बनाने के कार्य को स्थगित करने से है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने जनता को आकाशवाणी अथवा समाचार-पत्रों द्वारा बचाव सम्बन्धी उपाय करने के लिये घोषणा नहीं की थी और यदि हाँ, तो इस उदासीनता के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सरकार जानती है कि दिल्ली में फ्लू फैला हुआ है। फिर भी इस मौसम में मच्छरों (एडिज एजिप्टी) द्वारा फैलाया जाने वाला डेंगू नामक एक और विषाणु रोग भी आम तौर पर फैल जाता है। इन दोनों में से कोई भी रोग भयंकर रूप में नहीं फैला हुआ है।

(ख) नालियों और हौदियों को रोगाणु मुक्त बनाने से फ्लू के प्रकोप पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि फ्लू हवा के साथ फैलाने वाला एक श्वास संबंधी संक्रमण है। ऐसे उपाय बरतने से 'डेंगू' को भी नहीं रोका जा सकेगा क्योंकि उसे फैलाने वाले मच्छर ऐसे स्थानों पर नहीं पैदा होते।

(ग) फ्लू विषाजन्य रोग है और यह आमतौर पर इस मौसम में फैल जाता है। कुछ वर्षों में अन्य वर्षों के बजाय यह अधिक फैल जाता है। जहां तक डेंगू का संबंध है इस साल उसका प्रकोप इतना गंभीर नहीं है कि उसे आसाधारण कहा जाय।

(घ) सरकार ने पहले ही निम्नलिखित उपाय बरत लिए हैं :

(i) समाचार-पत्रों के द्वारा लोगों को सलाह दे दी गई है कि वे इस रोग की रोक थाम के लिए आम सावधानी बरतें।

(ii) ये रोग दिन प्रति दिन कैड़ा रुख पकड़ते जा रहे हैं इस बात का बड़ी सावधानी से अध्ययन किया जा रहा है और रोकथाम के उपयुक्त उपाय बरते जा रहे हैं।

(iii) इस स्थिति पर विचार करने तथा इन रोगों को यथा समय काबू कर लेने के उपाय खोजने के लिए शहर के चिकित्सा विशेषज्ञों की एक बैठक बुलाई गई।

(iv) इन दोनों रोगों के प्रयोगशाला निदान, जांज प्रबंध तथा उपचार के संबंध में संबंधित अधिकारियों को तकनीकी निर्देश दे दिए गए हैं ; और

(v) शहर में एडिज एजिप्टी मच्छरों के नियंत्रण के बारे में संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों को तकनीकी सलाह दे दी गई है।

विदेशों में भारतीय राजनयिकों के 'भारतीयकरण' के बारे में किए गए उपाय

77. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नागालैंड के स्वास्थ्य मंत्री हाझे सेमा द्वारा 1 अक्तूबर,

1970 को नई दिल्ली में दिये गये इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि कुछ 'युवा और अनुभवहीन' भारतीय राजनयिकों ने सरकार की खुले रूप से निन्दा की है और वे लोग भारतीय जीवन पद्धति से अपरिचित हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार को इस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या श्री हाफे सेमा ने, उन राजनयिकों के व्यवहार के बारे में, जिनसे वे लन्दन, पेरिस तथा बर्लिन में मिले थे, कोई प्रतिवेदन दिया है ;

(घ) यदि हां, तो उनके नाम तथा इस बारे में अन्य मुख्य ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार ने विदेशों में अपने राजनयिकों का 'भारतीयकरण' करने के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) कोई अधिकारिक रिपोर्ट मिलने से पूर्व इन प्रेस रिपोर्टों को देखकर सरकार को आश्चर्य हुआ था ।

(ग) और (घ). श्री सेमा ने लौटने पर प्रधान मंत्री के नाम एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कुछ अनुभव एवं सुझाव दिये थे । इस में अन्य सुझावों के साथ ही विदेशों के इस तरह के दौरों के लिए तथाकथित अपर्याप्त अतुज्ञेय विदेशी मुद्रा, विदेशों में रहने वाले भारतीय डाक्टरों को भारत में आकर काम करने के लिए प्रेरणा देना, विदेशों में भारतीय विद्यार्थियों के वजीफों में वृद्धि की आवश्यकता और हमारे राजनयिक मिशनों के कार्य से सम्बद्ध सुझाव भी थे । पत्र में श्री सिबल, तृतीय सचिव, भारत का राजदूतावास, पैरिस को छोड़कर किसी अन्य नाम का उल्लेख नहीं था जिनकी मंत्री महोदय की सहायता करने के लिए प्रशंसा की गई थी ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता । परन्तु मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार इस बात का सुनिश्चय करने का निरन्तर प्रयत्न करती रहती है कि प्रत्येक दिशा में अपने आपको आगे बढ़ाने के लिए हमारे राजनयिकों को आवश्यक सलाह एवं निर्देश मिल जायं ताकि विदेश में वे भारत की बेहतर तस्वीर प्रस्तुत कर सकें ।

Army Regiment Formed on the Basis of States and Castes

78. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the number of regiments in the army formed on the basis of particular States or Castes and their names :

(b) the date on which each of these regiments were raised together with the special reasons therefor ; and

(c) whether any regiment was raised during 1969 70 after any States or castes aud if so, the special reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Eleven.

(b) Their names and dates of raising are given in the attached Statement.

These regiments were raised long ago. It is, therefore, not readily possible to recall special reasons for their raising.

(c) No, Sir. Government have, however, announced on 1-8-70 the raising of a Naga Regiment composed of recruits from Nagaland and other regions of India. This regiment is being called the Naga Regiment as a special case and to encourage the recruitment of Nagas and other people.

STATEMENT

Sl. No.	Namg of Regiment	Year of Raising
1.	PUNJAB Regiment	1757
2.	MADRAS Regiment	1758
3.	MARATHA Light Infantry	1768
4.	JAT Regiment	1803
5.	SIKH Regiment	1846
6.	SIKH Light Infantry	1941
7.	DOGRA Regiment	1858
8.	ASSAM Regiment	1941
9.	BIHAR Regiment	1941
10.	MAHAR Regiment	1941
11.	JAMMU & KASHMIR Rifles	1837

Eye-Grafting Operations

79. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the names of the hospitals in the country where eye-grafting operations are performed ;

(b) the number of eye-grafting operations undertaken in each of the said hospitals and the percentage of successful cases out of them ; and

(c) whether such experiments have been conducted in the recent past in which pupils of the calves have been successful grafted in human eyes and if so, the names of the places where such experiments have been conducted ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c). The required information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

X-Ray Facilities in Rural Areas

80. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that X-ray facilities in rural areas are available at District Head Quarters only and patients have to face great difficulties because a district covers an area of more than 50 miles ;

(b) whether Government have any scheme to provide X ray facilities in the primary health centres in the rural areas ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to) (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Provision of Drinking Water Facilities during Fourth Plan

81. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whethar any scheme has been formulated for providing drinking water facilities in the country during the Fourth Five Year Plan and if so, the details thereof ; and

(b) the targets fixed for making drinking water available in the entire country during the year 1970-71 ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). The required information is given in the statement.

STATEMENT

A scheme entitled 'National Water Supply and Sanitation Programme' both for Urban and Rural Areas was launched by the Government of India in the year 1954-55 and is continuing since then. The rural programme envisages provision of potable drinking water supply to the rural community in India through piped water supply schemes involving a measure of technical skill for their design and execution. Further a scheme for providing simple wells/handpumps in the villages has been in operation since the inception of the First Five Year Plan under the Community Development Programme, the Local Development Works Programme (redesignated as Wells Construction Programme since 1967-68) and under the Backward Classes Sector.

In the Fourth Plam a sum of Rs. 124.49 crores has been allocated for rural water supply schemes out of a total provision of Rs. 407.29 crores as decided by the Planning Commission (on 19-5-1970) for 'Water Supply Sector'. Central assistance is now given to the States by way of block loans and block grants in the ratio of 70% and 30% respectively for all plan schemes, including water supply programme, without reference to any particular scheme or head of development. Even though central assistance to the States is given by way of block loans and block grants including water supply programme, specific provision has been earmarked for rural water supply schemes. It is, however, for the State Governments to provide necessary funds in their Annual Plans, draw priorities for the implementation of water supply schemes and execute them.

During the Annual Plan 1970-71, the outlay for 'Water Supply Sector' is Rs. 63.07 crores out of which a sum of Rs. 21.507 crores has been earmarked for rural water supply schemes. The physical targets for the year 1970-71 are 259 schemes for urban areas and 1389 schemes for rural areas as per available information from the States.

औद्योगिक विस्तार योजना

82. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री औद्योगिक विस्तार योजना के बारे में 19 अगस्त, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 484 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त प्रश्न में उल्लिखित प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या सिफ़ारिशें हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कब तक प्रस्तुत किया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्ज मन्त्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). जी नही। रिपोर्ट अभी सरकार पेश नहीं की गई। वह दिसम्बर 1970 में सम्पूर्ण होनी प्रत्याशित है।

नेशनल बिल्डिंग कन्सट्रक्शन कारपोरेशन द्वारा यंत्रीकृत ईंटों के संयंत्र की स्थापना

83. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल बिल्डिंग कन्सट्रक्शन कारपोरेशन द्वारा सरकारी ऋण से वर्ष 1969 में स्थापित किए गए यंत्रीकृत ईंट संयंत्र को इस बीच 20 लाख रुपये की हानि हो चुकी है ;

(ख) क्या ऐसी स्थिति में जबकि ईंटों की कीमत अत्यधिक चढ़ गई है हानि के कारण का विश्लेषण किया गया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में उठाए गए या उठाये जाने वाले प्रस्तावित उपचारी कदम क्या हैं ?

स्वास्थ्य यथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, हां। 1967 में प्लांट के लाने से लेकर 31-3-1970 तक हुई कुल हानि 19.62 लाख रुपये है।

(ख) और (ग). जी, हाँ। प्लांट के कार्य का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया गया है। अब तक की हानि उत्पादन के कम होने के कारण हुई है जो अन्य कारणों के साथ 2 तैयार ईंटों के भारी मात्रा में अस्वीकृत करने तथा ईंटों के सुखाने में प्लांट में कुछ कमियों का होना है। विभिन्न किये गये अध्ययनों के फलस्वरूप मिट्टी के समिश्रण में और ईंटों के बनाने तथा सुखाने में सुधार करने के लिए कदम उठाये गये हैं। तेल से जलने वाली भट्टियां लगाई जा चुकी हैं और ईंटों के सुखाने की प्रक्रिया की गति में सुधार करने के लिए सुखाने वाले कृत्रिम यंत्र लगाये गये हैं। इसके अतिरिक्त, मजदूरों से उत्पादन में सुधार के लिए विचार विमर्श किया गया है और इनसे लाभकारी परिणामों की आशा है।

परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर व्यय

84. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में तथा उसके पश्चात् तीन वार्षिक योजनाओं में वर्षवार एवं चौथी पंचवीय योजना के प्रथम वर्ष में परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर कुल कितना व्यय किया गया ;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों में परिवार नियोजन पर कुल कितना धन व्यय करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या 1955-56 से चालू परिवार नियोजन कार्यक्रमों से भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में कुछ कमी आई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सूचना इस प्रकार है :

	रुपये लाखों में
दूसरी योजना	215.58
तीसरी योजना	2485.95
1966-67	1342.61
1967-68	2652.29
1968-69	3051.45 (अनुमानित)
1969-70	4153.13 (अनुमानित)

(ख) 288 करोड़ रुपये ।

(ग) जन्म-दर और मृत्यु दर में अन्तर की जनसंख्या वृद्धि दर होता है । परिवार नियोजन कार्यक्रम वस्तुतः 1966 में तेज किया गया । परिवार नियोजन कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप रोके गए जन्मों के अनुमानों के आधार पर लगाए गए हिसाब से पता चलता है कि वर्ष 1967-68 में जन्म दर गिरने लगी थी जो 1966-67 के 2.55 प्रतिशत की अपेक्षा अनुमानतः 2.54 प्रतिशत हो गई थी । 1951-60 में अनुमानित जन्म दर जो 41.7 प्रति हजार थी, 1969-70 में कम होकर अनुमानतः 38.3 हो गई थी । इस बीच में अनुमानित मृत्यु दर में, जो 1951-60 में 22.8 थी, अधिक कमी आ गई और वर्ष 1969-70 में अनुमानतः 13.5 हो गई ।

परिवार नियोजन कार्यक्रम का मूल्यांकन

85. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वह क्षेत्र कौन से हैं जहां सरकार द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किये जाने से लेकर अब तक जनसंख्या में वृद्धि की गति तेज हुई है अथवा कम हुई है ;

(ख) क्या परिवार नियोजन कार्यक्रम का नियमित मूल्यांकन किया जाता है ; और यदि हां, तो हाल के मूल्यांकन के निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसे मूल्यांकन के लिए कोई व्यवस्था करने का सरकार का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) किसी भी देश, प्रदेश या क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि-दर,

वहां की जन्म-दर, मृत्यु-दर और वास्तविक प्रवास पर आधारित होती है। प्रवास सम्बन्धी विस्तृत आंकड़े 1971 की जनगणना के बाद उपलब्ध होने की आशा है। फिर भी वर्ष 1969-70 में रोके गए जन्मों के आधार पर लगाए गए हिसाब के अनुसार अनुमान है कि सारे भारत की जन-संख्या वृद्धि-दर के आंकड़ों में थोड़ी कमी आई है अर्थात् जो वर्ष 1966-67 में 2.55 प्रतिशत थी वह घटकर 2.48 प्रतिशत हो गई है।

(ख) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें दोनों स्तरों पर परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये काम का साथ-साथ नियमित मूल्यांकन किया जाता है। परिवार नियोजन के तरीके अपनाने वालों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि होती जा रही है। चालू वर्ष में (अगस्त 1970 तक) इन अपनाने वालों की कुल संख्या 2,169,694 है जबकि गत वर्ष इसी अवधि में यह संख्या 1,665,292 थी। परिवार नियोजन कार्यक्रम के परिणामस्वरूप वर्ष 1969-70 तक 52 लाख 2 हजार जन्म रोके गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में जनन जीव विज्ञान पर अनुसंधान

86. **श्री सु० कु० तापड़िया : स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में जनन जीव विज्ञान पर संगठित अनुसंधान करने का कोई प्रयत्न किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस स्थान पर तथा ऐसे अनुसन्धान पर व्यय की जाने वाली वार्षिक राशि कितनी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का, विचार ऐसे अनुसन्धान को देश में जनसंख्या वृद्धि को रोकने सम्बन्धी कार्यक्रम का अंग बनाने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). जी हां,। प्रजनन जीव विज्ञान पर अनुसंधान कार्य मुख्यत: संस्थानों में किया जा रहा है, जिनके नाम संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

(1) भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद, नई दिल्ली और

(2) केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ दो संस्थाओं को चिकित्सीय और जीव-विज्ञान सम्बन्धी अनुसंधान के लिए प्रत्येक वर्ष सहाय्यानुदान सीधे परिवार नियोजन विभाग से मिलता है और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद तब अनुसंधानों और संस्थानों/विश्वविद्यालयों को, जो वास्तविक रूप से इस अनुसंधान कार्य में संलग्न है, अनुदान देती है। गत तीन वर्षों में इन दो संस्थानों को इस विभाग

द्वारा दी गई सहाय्यानुदान की रकम इस प्रकार है :—

	1967-68	1968-69	1969-70
	रुपये	रुपये	रुपये
1. केन्द्रीय औषध अनुसंधान परिषद, लखनऊ	2,97,000	4,30,000	5,89,000
2. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली ।	9,00,764	12,73,329	24,72,000
योग	11,97,764	17,03,329	30,61,000

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

1. केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ ।
2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ।
3. केन्द्रीय परिवार नियोजन संस्थान, नई दिल्ली ।
4. प्राणि विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ।
5. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ ।
6. कृषि विज्ञान संस्थान, आनन्द ।
7. भारतीय कैन्सर अनुसंधान केन्द्र, बम्बई ।
8. प्रजनन सम्बन्धी अनुसंधान संस्थान, सेठ जी० एस० मेडिकल कालेज, पारेल, बम्बई ।
9. अन्तःस्रावी विज्ञान एकक, टोपीवाला नेशनल मेडिकल कालेज, बम्बई ।
10. एन० आर० एस० मेडिकल कालेज, कलकत्ता ।
11. शरीर क्रिया विज्ञान विभाग, यूनिवर्सिटी कालेज आफ साइन्स, कलकत्ता ।
12. प्राणि विज्ञान विभाग, कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवार ।
13. भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जत नगर ।
14. प्राणि विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
15. के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ ।
16. प्राणि विज्ञान विभाग, मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर ।

17. प्राणि विज्ञान विभाग, केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम ।

18. प्राणि विज्ञान विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी ।

19. कुछ अन्य केन्द्र ।

जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य तथा दक्षिण वियतनाम की राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा (नेशनल लिब्रेशन फ्रंट) सरकार को राजनयिक मान्यता देना

87. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य तथा वियतनाम की राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा (नेशनल लिब्रेशन फ्रन्ट) सरकार को राजनयिक मान्यता देने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय किए जाने की सम्भावना है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) अभी कोई तारीख बतलाना सम्भव नहीं है ।

इण्डियन रैड-क्रास सोसाइटी

88. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन रैड-क्रास सोसाइटी तथा इसकी प्रत्येक राज्य शाखा के वर्तमान पदाधिकारियों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) सोसाइटी के विभिन्न स्तरों पर पदाधिकारियों का किस प्रकार चुनाव किया जाता है तथा गत चुनाव कब हुए थे ;

(ग) वर्ष 1968-69 से 1970-71 तक वर्ष वार सोसाइटी तथा इसकी प्रत्येक राज्य शाखा को केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा अनुदान के रूप में कितनी धनराशि दी गई ;

(घ) क्या सोसाइटी की गतिविधियों और वित्तीय लेन देन पर सरकार का कोई नियंत्रण है ; और यदि हां, तो नियंत्रण का स्वरूप क्या है ; तथा इसकी आय के अन्य सूत्रों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) वर्ष 1968-69, 1969-70 और 1970-71 में सोसाइटी की अन्य और व्यय का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) इण्डियन रैड-क्रास सोसाइटी के मुख्यालय के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । सोसाइटी की राज्य शाखाओं के बारे में ऐसी ही सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) इण्डियन रैड-क्रास सोसाइटी एक सांविधिक निकाय है जिसे 1920 के अधिनियम

15 के अधीन स्थापित किया गया था । इसकी गतिविधियों तथा वित्तीय कार्रवाईयों पर सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है किन्तु यह सोसाइटी सरकार के सम्पर्क में कार्य करती है । तथापि इस सोसाइटी के हिसाब-किताब की लेखा परीक्षा महा लेखा पाल केन्द्रीय राजस्व द्वारा की जाती है । इस सोसाइटी की आय के स्रोतों का पूर्ण ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है ।

(ङ) इस सोसाइटी की 1968-69 की आय एवं खर्च तथा 1970 के बजट का ब्यौरा अनुलग्नक II, III और IV में दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 4189/70]

विवरण

(क) इण्डियन रैड-क्रास सोसाइटी के पदाधिकारियों का ब्यौरा इस प्रकार है :

अध्यक्ष	श्री वी० वी० गिरि, भारत के राष्ट्रपति ।
अध्यक्षा	श्रीमती वी० सरस्वती गिरि, राष्ट्रपति की पत्नी ।
सभापति	श्री के० के० शाह, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्री ।
उप-सभापति	डा० गुरु बक्स सिंह, सदस्य, महानगर परिषद ।
अवैतनिक कोषापाल	मेजर जनरल एस० एस० मित्रा ।

(ख) इस सोसाइटी के अधिकारियों की नियुक्ति इस प्रकार की जाती है :

1. अध्यक्ष	भारत के राष्ट्रपति सोसाइटी के पदेन अध्यक्ष होते है ।
2. अध्यक्षा	राष्ट्रपति की पत्नी
3. सभापति	सोसाइटी के नियमानुसार राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है ।
4. उप-सभापति	इनका निर्वाचन सोसाइटी के नियमानुसार सोसाइटी के प्रबन्ध निकाय द्वारा किया जाता है ।
5. अवैतनिक कोषपाल तथा महा सचिव	इस सोसाइटी के नियमानुसार इनकी नियुक्ति सोसाइटी के प्रबन्ध निकाय द्वारा की जाती है ।

अधिकारियों की नियुक्ति/निर्वाचन पिछली बार उनके नाम के समक्ष लिखित तिथि को हुआ ।

1. अध्यक्ष	जिस दिन उन्होंने राष्ट्रपति के पद का कार्य भार संभाला किन्तु उनकी औपचारिक स्वीकृति 7 सितम्बर 1969 को दी गई ।
2. अध्यक्षा	14 अक्तूबर 1969 ।
3. सभापति	16 अप्रैल, 1970 ।
4. उप-सभापति	8 जुलाई, 1970

5. अवैतनिक कोषपाल 3 जुलाई, 1969

6. महा सचिव 17 जून, 1969

(ग) स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, एवं निर्माण आवास एवं नगर विकास मंत्रालय की ओर से सोसाइटी के सामान्य खर्चों की पूर्ति के लिए 1968-69 तथा 1969-70 में सोसाइटी को हर वर्ष दो-दो लाख रुपये का अनुदान मिला। 1970-71 में भी इसी प्रकार का अनुदान देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

अनुलग्न I

इण्डियन रैड क्रास सोसाइटी की आय के स्रोत (हेडक्वार्टर)

1. प्रचार सामग्री की बिक्री

2. निवेश ब्याज

(क) मूल संग्रह

(ख) सामान्यनिधि

(1) जाइंट काउन्सिल

(2) रजत जयन्ती नियतन

(3) अन्य निवेश

3. सामान्य खर्चों के लिये भारत सरकार से अनुदान

4. सदस्यों से चन्दा

5. दान एवं अंशदान

(क) धन संचयन अभियान

(ख) सामान्य

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास

6. प्रचार—

(क) सिनेमा सेक्शन

(1) सामग्री, स्लाइडों, फिल्मों आदि की बिक्री।

(2) फिल्म लाइब्रेरी अंशदान

(ख) जरनल—

चन्दा एवं विज्ञापन।

7. स्टाफ क्वार्टर किराया—

काका नगर

विजय नगर

रेडक्रास रोड

8. विविध आय ।

इण्डियन रैड क्रास सोसाइटी के कर्मचारियों की संख्या तथा उनके वेतन

89. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1970 को इंडियन रैड क्रास सोसाइटी तथा राज्यों में स्थित इसकी प्रत्येक शाखा में श्रेणीवार कुल कितने कर्मचारी काम करते थे ; और

(ख) इसके प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों को दिया जाने वाला कुल वेतन तथा अन्य उपलब्धियों क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). इंडियन रैड क्रास सोसाइटी के मुख्यालय द्वारा नियुक्त प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या तथा उनके द्वारा 30 सितम्बर, 1970 तक ली गई कुल परिलब्धियों से सम्बन्धित सूचना संलग्न विवरण में दी गई हैं । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी०—4190/70] । इस सोसाइटी की राज्य शाखाओं से सम्बन्धित इसी प्रकार की सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

इंडियन रैड क्रास सोसाइटी द्वारा प्राप्त तथा वितरित किये गये उपहार

90. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 से 1970-71 तक इंडियन रैड क्रास सोसाइटी तथा इसकी राज्यों की शाखाओं को भारत से तथा विदेशों से कुल कितने मदवार तथा कितने मूल्य के उपहार प्राप्त हुए ;

(ख) इनमें से प्रत्येक वर्ष में किन विदेशी मिशनों, फाउंडेशनों और लोकहितैषी संगठनों ने इंडियन रैड क्रास सोसाइटी के माध्यम से भारत के लिए उपहार दिये तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) सोसाइटी द्वारा प्रत्येक राज्य में वर्ष 1968-69 से 1970-71 तक वर्षवार बांटे गये उपहारों (मदवार) का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) प्रत्येक राज्य के उन संगठनों के नाम क्या हैं जिनके माध्यम से ये उपहार वितरित किये गये थे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

इन्डियन रेड क्रास सोसाइटी द्वारा पश्चिम बंगाल में बांटे गये उपहार

91. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्डियन रैड क्रास सोसाइटी द्वारा पश्चिम बंगाल में हाल की बाढ़ से ग्रस्त लोगों को कितने उपहार, मदवार, बांटे गये तथा उनका मूल्य क्या था ; और

(ख) दोनों सरकारी तथा गैर-सरकारी विदेशी मिशनों, प्रतिष्ठानों और मानव-कल्याण संगठनों के माध्यम से अलग-अलग कितने उपहार बांटे गये तथा उनका मूल्य क्या था ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जून-अक्तूबर 1970 में भारतीय रेडक्रास सोसाइटी के हेडक्वार्टर से पश्चिमी बंगाल के बाढ़ ग्रस्त लोगों तथा पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों में वितरणार्थ 2,72,700 रु० के मूल्य का सामान भेजा गया । उपहार का मूल्य तथा उसकी मात्रा (मदवार) संलग्न विवरण में दी गई है । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4191/70]

(ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारत में नये तेल भंडारों की खोज के लिए मांग

92. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के ज्ञात तेल भण्डारों में तेल की तेजी से कमी हो रही हैं, परन्तु किसी नये महत्वपूर्ण तेल भण्डारों का पता नहीं लगा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि तेल की मांग बढ़ रही है जिसके फलस्वरूप बड़ी मात्रा में तेल आयात करने की आवश्यकता पड़ रही है ; और

(ग) स्थिति का सामना करने के लिए उठाये गये या उठाये जाने वाले प्रस्तावित कदम क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) पिछले वर्षों में, देश में नये तेल भण्डारों की मात्रा पहले से ही स्थापित तेल क्षेत्रों से उत्पादित हो रहे तेल की मात्रा के बराबर नहीं रही है ।

(ख) जी हां ।

(ग) बड़ी मात्राओं में तेल के नये भण्डार मालूम करने के लिए, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा त्रिपुरा, जम्मू और खम्भात की खाड़ी, जहां तेल तथा गैस के बड़े बड़े भण्डारों के लिए अनुकूल भूवैज्ञानिक परिस्थितियां मिलती हैं, जैसे नये क्षेत्रों में अन्वेषण करने के विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

पश्चिम बंगाल में कोयला उद्योग के कर्मचारियों की जबरन छुट्टी

93. **श्रीमती इलापाल चौधरी :**

श्री हेम बरुआ :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि पश्चिम बंगाल के कोयला उद्योग (200 कोयला खानों को मिला कर) के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में हुई हड़तालों से हाल ही में इस उद्योग को धक्का पहुंचा है कि यह लगभग नष्ट होने के किनारे पहुँच गया है तथा जिसके परिणामस्वरूप लगभग सवा लाख कर्मचारियों को रोजगार से हाथ धोने की नौबत आ गई है ;

(ख) क्या इस स्थिति का कोई सर्वेक्षण या जांच कराई गई है ;

(ग) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) स्थिति को और खराब होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह) : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जाएगी ।

खनिज पदार्थों के लिए विमान द्वारा सर्वेक्षण

94. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज पदार्थों का विमान द्वारा सर्वेक्षण हेतु भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था के अधीन हाल ही में एक विशेष विभाग की स्थापना की गई है ;

(ख) क्या खान तथा धातु विभाग के सचिव उपर्युक्त विभाग के 'मुख्य समन्वयक' का पद संभालेंगे और भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था को बताए बिना समझौता करने आदि की शक्ति अपने पास रखेंगे ;

(ग) उक्त प्रणाली को, जोकि वास्तविक में तकनीकी है, बनाए रखने का क्या लाभ है ; और

(घ) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था के महानिदेशक को मुख्य समन्वयक के पद पर नियुक्त न करने के कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) से (घ). यू० एस० (एड) की सहायता से यू० एस० सर्विदकार के माध्यम से "ओपरेशन हार्ड राक" के रूप में विदित प्रायोजना का कार्यान्वयन करने के लिए हवाई खनिज सर्वेक्षण एवं समन्वेषण नाम के एक अलग संगठन की स्थापना की गई थी क्योंकि यू० एस० (एड) और भारत सरकार के बीच हुआ ऋण करार भारत सरकार के भीतर ही एक संगठन स्थापित

करने के लिए उपबन्धित करता है जो कि 'एड' के समाधान हो जाने पर है, वह पर्याप्त कर्मचारियों से युक्त है, सुसंगठित है और प्रायोजना के कार्यान्वयन और प्रायोजना के माध्यम से पाए गए खनिज निक्षेपों के अन्वेषण और मूल्यांकन को पूरा करने हेतु इस प्रयोजन के लिए वास्तव में अनुदत्त किसी प्रकार के ऋण से पहले ही, परिपूर्ण हैं। यह भी विनिश्चित किया गया था कि सचिव, खान तथा धातु विभाग को प्रायोजना के समन्वयक के रूप में नामनिर्देशित किया जाए। करार के चालू रहने के दौरान में सचिव के समन्वय के रूप में रहने की यह व्यवस्था चलती रहेगी।

हाल में ही ऐसा अनुभव किया गया कि यह विशेषत्रीय संगठन भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण का सुभिन्न स्कन्ध होना चाहिए। इस बारे में आदेश जारी कर दिये गये हैं। यह आशा है कि भविष्य में हवाई सर्वेक्षण से संबंधित समस्त कार्य भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में इस सकन्ध द्वारा किये जायेगे।

नियमानुसार सरकार के सचिव को समस्त मामलों में सरकार के निमित्त संविदा करने का प्राधिकार है।

सदर्न पैट्रो-कैमिकल्ज कारपोरेशन लि० की तूतीकोरिन फर्टीलाइजर और एलाइड प्रोजेक्ट्स को आशय पत्र

95. **श्री सं० चं० सामन्त** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तूतीकोरीन फर्टिलाइजर एण्ड एलाइड प्रोजेक्ट्स के बारे में सरकारी क्षेत्र में तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम को दिए गए आशय पत्र को अब सदर्न पेट्रो-कैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड को देने की उनके मन्त्रालय ने मन्जूरी दे दी है ; और

(ख) क्या तूतीकोरीन परियोजना को आयातित नेफ्था दिया जाएगा जैसा कि 2 अक्तूबर, 1970 के 'इकनामिक टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां, तूतीकोरीन में उर्वरक परियोजना के बारे में।

(ख) तूतीकोरीन में प्रस्तावित उर्वरक परियोजना के लिए कच्चे माल के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सेवा निवृत्त आई० ए० एस० अधिकारी द्वारा प्रवर्तित उर्वरक कम्पनी के विरुद्ध शिकायत

96. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री 6 अप्रैल, 1970 के सेवा निवृत्त आई० ए० एस० अधिकारी द्वारा प्रवर्तिक एक उर्वरक कम्पनी के विरुद्ध शिकायत के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 5189 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उक्त ज्ञापन में निहित जानकारी और आरोपों की जांच कर ली है ; और

(ख) क्या औद्योगिक विकास विभाग, तमिलनाडु सरकार तथा वित्तीय संस्थानों को पहले ही सचेत कर दिया गया था ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री श्री (दा० रा० चव्हाण) : (क) शिकायत पर हस्ताक्षर नहीं थे। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्षतः कोई निर्णय अगली कार्यवाही हेतु नहीं था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में वायु प्रदूषण

98. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 अगस्त, 1970 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित जन स्वास्थ्य इन्जीनियरिंग अनुसंधान संस्थान के उप निदेशक के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि नई दिल्ली स्थित इन्द्रप्रस्थ एस्टेट के बिजली घर से प्रतिदिन 60 टन सल्फर डाइआक्साइड और 45 टन धुयें के कारण निरन्तर वायु प्रदूषित होती रहती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) इन्द्रप्रस्थ एस्टेट के बिजली घर से बिजली घर से निकलने वाले सल्फर डाइआक्साइड तथा धुयें से कथित वायु दूषण की समस्या के विस्तृत सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप निश्चित निष्कर्षों की सरकार को कोई निश्चित जानकारी नहीं है। वातावरण में एकत्रित गन्दे तत्वों के स्तर के बारे में विस्तृत सर्वेक्षण के अभाव में यह निश्चित करना कठिन है कि क्षेत्र में किस हद तक स्वास्थ्य को खतरा है। तथापि देश, में वायु दूषण की आम समस्या का हल निकालने के विचार से, सरकार ने निम्नलिखित निदेश-पदों से एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है :—

(क) देश में वायु दूषण के बारे में पहले से उपलब्ध सामग्री को एकत्र करना और उसका समन्वय करना।

(ख) देश में विभिन्न एजेन्सियों द्वारा वायु दूषण के बारे में पहले ही किये गये कार्य का अध्ययन करना।

(ग) हवा में वायु दूषण के विभिन्न संघटनों से होने वाले दूषण की अधिकतम सहय मात्रा के मानक निर्धारित करना।

(घ) हवा के नमूने लेने तथा उनके विश्लेषण की विधियां तथा साधन तैयार करना।

(ङ) वायु मण्डलीय दूषण की रोकथाम के लिए कार्य-संहिता और नियमावली तैयार करना।

(च) अन्य देशों में मौजूदा वायु दूषण विषयक अधिनियमों का अध्ययन करना और भारत के लिए वायु दूषण नियन्त्रण विधेयक का एक प्रारूप तैयार करना ।

आशा है कि समिति इस विषय पर अपनी रिपोर्ट तथा विधेयक का प्रारूप शीघ्र ही प्रस्तुत करेगी ।

जामनगर में हुई प्रशिक्षण विमान की दुर्घटना के बारे में जांच

100. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा 13 जुलाई, 1970 को जामनगर में हुई भारतीय वायु सेना के प्रशिक्षण विमान की दुर्घटना की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला तथा इसके परिणामस्वरूप सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). कोर्ट आफ इन्क्वायरी की अन्तिम रूपरेखा अभी नहीं हो पाई । आवश्यक कार्यवाही इसकी प्राप्ति पर की जायेगी ।

पारस्परिक आधार पर वीसा पद्धति की समाप्ति

101. **श्री अदिचन :**
श्री केदार नाथ सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारस्परिक आधार पर वीसा पद्धति को समाप्त करने के लिए विभिन्न देशों की सरकारों के साथ विचारों का आदान प्रदान किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन सरकारों के साथ बातचीत की गई है ; और

(ग) इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, यूगोस्लाविया, जर्मन संघीय गणराज्य, जापान, फ्रांस, बलगारिया, नीदरलैंड्स, तुनीसिया, संयुक्त अरब गणराज्य, इटली और तुर्की ।

(ग) अधिक से अधिक 90 दिन की अल्पावधि यात्राओं के लिए पारस्परिक आधार पर वीजा समाप्त करने का समझौता नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, यूगोस्लाविया और जर्मन संघीय गणराज्य के साथ हो गया है ।

Certain States of India Shown as Islamic States in a Magazine Published from Mecca

102. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in a Muslim monthly magazine "Rabita-e-Alam-e-Islam"

published from Mecca, copies of which were sold and are still being sold in various parts of India, Kashmir and certain other States of India have been shown as Islamic States ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) The issues of the magazine 'Rabita e-Alam e-Islami' published from Mecca have come to the notice of the Government of India. These contain a map entitled 'the Muslim World' and the map shows the areas inhabited by the Muslims in a green wash. Jammu and Kashmir and parts of Gujarat are included in this area but they are not shown as part of any Islamic State.

(b) The Government decided to release these issues after putting on the map the superscription that "the external boundaries of India as shown therein are neither authentic nor correct".

Resumption of Trade between India and Pakistan

103. **Shri Janeshwar Misra :** **Shri V. Narasimha Rao :**
Shri Bhogendra Jha :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Shri Rahman, leader of Pakistani Delegation of Commerce and Industry expressed his opinion in favour of resuming trade ties between the two countries ;

(b) when the trade relations between these two countries were broken off ; and

(c) whether Government propose to resume the trade ties with Pakistan ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) During the 1965 conflict.

(c) On its part the Government of India unilaterally lifted the ban on trade with Pakistan on 27th May, 1966, and invited Pakistan to do likewise. The Government of Pakistan have refused to reciprocate in this matter, despite repeated requests by India.

जाति के आधार पर बनाई गई विविध सैनिक इकाइयों की मान्यता समाप्त करने का प्रस्ताव

104. श्री दिनकर देसाई : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जाति के आधार पर बनाई गई विविध सैनिक इकाइयों की मान्यता समाप्त करने का है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्द महासागर में रूस के नौ सैनिक अड्डे

105. **श्री दिनकर देसाई** : क्या. **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सोवियत संघ के हिन्द महासागर में अड्डे बनाने से विश्व के इस भाग में जो शीतयुद्ध आरम्भ होगा उसे रोकने के लिये क्या सरकार का राजनयिक कार्यवाहियां प्रारम्भ करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : भारत सरकार का यह विचार है कि हिन्द महासागर शान्ति और सहयोग का क्षेत्र बना रहे। लुसाका में गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का हाल में जो सम्मेलन हुआ उसमें इस स्थिति का समर्थन किया गया है। सभी संबद्ध सरकारों को भी सरकार के विचार सम्प्रेषित कर दिये गये हैं।

हिन्द महासागर में रूसी नौसैनिक अड्डे

106. **श्री दिनकर देसाई** : क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत नौसेना हिन्द महासागर में आती जाती रहती है ; और

(ख) क्या स्वेज नहर के यातायात के लिये पुनः खुल जाने पर रूस का विचार हिन्द महासागर में एक नौसैनिक अड्डा बनाने का है ?

प्रति-रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : (क) जी हां।

(ख) इस विषय में सरकार को कोई विश्वसनीय सूचना नहीं है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए प्रभावशाली गर्भ निरोधक गोलियां

107. **श्री दिनकर देसाई** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बढ़िया तथा प्रभावशाली गर्भ निरोधक गोलियों के अभाव के कारण परिवार नियोजन कार्यक्रम की गति मन्द पड़ गई है ; और

(ख) यदि हां, तो पर्याप्त, बढ़िया तथा प्रभावशाली गर्भ निरोधक गोलियां उपलब्ध कराने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जहां यह सत्य है कि यदि अधिक अच्छे और प्रभावकारी गर्भ निरोधक उपलब्ध होते तो परिवार नियोजन कार्यक्रम की गति तेज हो सकती थी, वहां लोगों को गर्भनिरोधक के अनेक तरीकों में से अपनी पसन्द का तरीका अपनाने को कह कर भारत सरकार उपलब्ध गर्भ निरोधकों का पूरा-पूरा उपयोग कर रही है। यह इस बात से देखा जा सकता है कि जबकि नसबन्दी और लूप कार्यक्रम पर जोर दिया ही जा रहा है, प्रचलित गर्भनिरोधकों की सप्लाई में भी कोई कमी नहीं हुई है जिसका प्रमाण यह है कि ऐसे गर्भनिरोधकों की सप्लाई में हर वर्ष वृद्धि ही की जा रही है।

(ख) अधिक अच्छे गर्भनिरोधक तैयार करने के लिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय अनुसंधान जारी है ।

प्रति रक्षा कर्मचारियों का बीमा

108. **श्री दिनकर देसाई** : क्या प्रति-रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिस प्रकार हवाई जहाज से जाने वाले प्रत्येक वायु सेना कर्मचारी को उड़ान-पुरस्कार दिया जाता है उसी प्रकार क्या सरकार का विचार थल सेना, नौसेना तथा वायु सेना के प्रत्येक जवान का बीमा करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रति-रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह महीडा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विमान द्वारा अपहृत किए गए भारतीय यात्री

109. **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमानों द्वारा अपहृत किये गये यात्रियों में भारतीयों की संख्या कितनी थी जिन्हें गुरिल्लाओं द्वारा युर्दन के रेगिस्तानों में ले जाया गया ; और

(ख) सरकार ने उनको मुक्त कराने के लिये क्या प्रयत्न किये हैं और इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) स्विस विमान में दो, टी० डब्यू० ए० में अट्ठारह और बी० ओ० ए० सी० में बावन भारतीय यात्री थे ।

(ख) फिलस्तीन कमाण्डों ने अपहरण किये गए विमान में सवार भारतीय यात्रियों के साथ अच्छा बर्ताव किया और उन्हें तुरंत छोड़ दिया ।

Diamonds Extracted at Panna Diamond Mines

110. **Shri Yashwant Singh Kushwab :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the variety of the diamonds found in Panna area of Madhya Pradesh during the last three years ;

(b) the names of other diamond mines in the country, location thereof and the details of the finds therefrom during the last three years ; and

(c) the percentage of the value of diamonds given to the workers engaged in exracting the diamonds from the mines and the percentage retained by Government ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) The diamonds which are being recovered from

the Panna Diamond Mines of the National Mineral Development Corporation Limited are classified as (i) Gems (ii) Offcolours and (iii) Industrials.

(b) Regular mechanised mining of diamonds is now confined to the Panna Diamond Mines of N. M D. C. in Madhya Pradesh. Some diamonds are, however, reported from shallow diggings in Panna belt.

The N. M. D. C. had also undertaken a preliminary appraisal for diamonds in Ramallakota and Vajrakarur area in Andhra Pradesh in August, 1968. During the course of preliminary prospecting 552 diamonds weighing 102 carats have been recovered since its inception.

(c) In so far as the N. M. D. C. is concerned, the workers in the Panna Diamond Mines are engaged on the basis of daily and monthly wages. An incentive bonus at the rate of Re. 1 per carat for all Gems above one carat found by the worker is given in addition to their regular wages. The N. M. D. C. also pays royalty to the State Government at 10% of the sale value at the pit's mouth.

In the case of private parties working the shallow mines, 80% of the value is given to the workers and the remaining 20% retained by the State Government as royalty.

Alleged Sale of Indian Girls to Arab Countries

111. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn towards a news item published in the "Indian Political Suspense" on page 1 of the 28th September, 1970 in which the details had been given of the sale of 2,000 Indian girls by some undesirable elements in Bombay to Arab countries ; and

(b) the reaction of Government thereto and the steps taken by Government in this direction ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Government have already issued cetain administrative instructions in regard to the emigration of Indian women to Persian Gulf countries for employment as aiyas, or domestic servants. In pursuance of these instructions, minor girls are not allowed to emigrate ; and only women more than 35 years of age are permitted to take up employment in the Persian Gulf area. In exceptional cases, and even then only on the recommendations of our Mission in the country concerned, and after careful enquiries regarding the standing and reputation of the future employer this age limit is relaxed but in no case is a women under 25 years of age allowed to take up employment in the Persian Gulf area. The question of imposing further restrictions, such as additional security deposits, is under consideration.

The matter is being looked into further in consultation with the State Governments concerned and with our concerned Missions abroad.

It may, however, be stated in this connection that under the Passports Act, 1967, passports facilities cannot normally be denied if the applications are in order.

पूर्व पाकिस्तान से अल्प संख्यकों के आगमन को रोकने के लिये संसद सदस्यों का प्रधान मन्त्री को सुझाव

112. **श्री केदार नाथ सिंह** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को लुसाका जाने से पूर्व अनेक संसद सदस्यों द्वारा उनको दिये

गये ज्ञापन में यह सुझाव दिया था कि पूर्व पाकिस्तान से अल्प संख्यकों के आगमन को रोकने के लिये गुटनिरपेक्ष देशों की सहायता ली जाये ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में ठीक रूप से क्या सुझाव दिया गया था ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा लुसाका में गुट निरपेक्ष देशों की बैठक में क्या प्रतिक्रिया थी ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). जी, हां। 12 सदस्यों ने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान से भारी संख्या में अल्प-संख्यक वर्ग के लोगों के आगमन से उत्पन्न समस्याओं को सुलझाने के विभिन्न सुझाव दिए गए हैं और साथ-साथ यह भी सुझाव दिया गया है कि लुसाका में गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी गुट निरपेक्ष देशों की सहायता इस मामले में ली जाए।

(ग) सरकार का यह विश्वास है कि यह समस्या आपस में हल की जा सकती है और इसमें किसी भी तीसरे पक्ष को लाने से कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं सकेगा।

मिग विमान के कल पुर्जों का निर्माण

113. **श्री केदार नाथ सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक औद्योगिक कारखाने में मिग 21 विमान के कल पुर्जों का किस हद तक उत्पादन किया गया था तथा कितने कल पुर्जों का रूस से आयात किया जाता है ; और

(ख) देश में मिग 21 विमान के लिये वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता क्या है तथा उसके विस्तार तथा विकास के लिये किसी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). विमान ढांचे के संघटक नासिक में निर्मित किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रानिकी साजसामान के अंश हैदराबाद में बनाए जा रहे हैं और इंजन के हिस्सों के घड़ने का काम कोरापुट में हस्तगत किया गया है। मूल उद्देश्य यह है कि विमान ढांचे, इलेक्ट्रानिकी साजसामान और इंजन में साधारणतः लगाए जाने वाले सभी हिस्से बनाए जांए, और इस दिशा में काफी प्रगति हुई है। एच०ए०एल० ने मिग-21 विमानों के एक संशोधित संस्करण के उत्पादन के लिए आयोजन को हस्तगत कर रखा है। अधिक विस्तार प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

पश्चिम एशिया के विवाद को हल करने के लिए रूस का प्रस्ताव

114. **श्री वासुदेवन नायर** :
श्री अविचन :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम एशिया के विवाद के राजनीतिक हल के लिए रूस के प्रस्तावों का अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके बारे में सरकार के क्या विचार हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) सुरक्षा परिषद के 22 नवम्बर, 1967 के प्रस्ताव को क्रियान्वित करने वाले सभी प्रयासों का भारत सरकार समर्थन करती है ।

अफ्रीकी उपनिवेशों में मुक्ति आन्दोलनों को सहायता

115. **श्री वासुदेवन नायर :** **श्री भोगेंद्र झा :**
श्री जे० अहमद :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अफ्रीका के शेष उपनिवेशों में मुक्ति आन्दोलनों के लिये ठोस सहायता दिये जाने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में क्या निर्णय किए गए हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). जैसा कि सदन को पहले भी सूचित किया गया है कि भारत सरकार ने अफ्रीका के विभिन्न स्वतंत्रता आन्दोलनों को साज सामान की सहायता दी है और भविष्य में भी देती रहेगी । इस सहायता के अन्तर्गत दवाइयां, कंबल, कपड़े, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए लेखन सामग्री तथा भारत में उच्चशिक्षा के लिए वजीफे भी आते हैं । सरकार ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाले शरणार्थियों की सहायता के लिए तथा रंग भेद के शिकार व्यक्तियों के लिए सुरक्षा सहायता निधि में भी अंशदान दिया है ।

नई दिल्ली में अरब के विद्यार्थियों के प्रदर्शन के विरुद्ध अमरीका का विरोध पत्र

116. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी एशिया में अमरीकी साम्राज्यवाद के विरोध में नई दिल्ली में अरब के 60 विद्यार्थियों द्वारा हाल ही में किये गये प्रदर्शन के विरुद्ध अमरीका के राजदूत से सरकार को एक कड़ा विरोध पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने विरोध पत्र का जवाब दे दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारत सरकार ने कोई विरोध पत्र प्राप्त नहीं किया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

काश्मीर के बारे में पाकिस्तान के पक्ष का बुलगारिया द्वारा कथित समर्थन

117. **श्री रा० रा० सिंह देव** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 सितम्बर, 1970 के पाकिस्तान टाइम्स में प्रकाशित—

पाकिस्तान में स्थित बुलगारिया के राजदूत के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है—जिसमें काश्मीर समस्या के बारे में पाकिस्तान के पक्ष का समर्थन किया गया है

(ख) यदि हां, तो क्या बुलगारिया के राजदूत ने काश्मीर समस्या को वियतनाम तथा कोरिया की समस्या के साथ सम्मिलित कर लिया है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) इस बारे में सरकार ने प्रेस रिपोर्ट देखी है ।

(ख) 6 सितम्बर, 1970 के 'पाकिस्तान टाइम्स' में प्रकाशित होने वाली ए०पी०पी० की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान में बल्गारिया के राजदूत पर आरोपित एक वक्तव्य छपा था, जिसमें काश्मीर वियतनाम और कोरिया सहित विश्व के सभी लोगों को अपने विवाद "आत्म-निर्णय" कैसे निपटाने के अधिकार का समर्थन किया गया था । बाद में बल्गारिया के राजदूत ने उस रिपोर्ट का खंडन किया । यह खंडन, या स्पष्टीकरण जैसा कि उन्होंने इसे कहा है, संपादक के नाम पत्र के रूप में 11 सितम्बर, 1970 के 'पाकिस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुआ । उस पत्र में बल्गारिया के राजदूत ने शिकायत की है कि अखबार वालों ने उनके भाषण का स्वतंत्रता से अर्थ लगाया था और उन पर काश्मीर की समस्या के प्रति उनके दृष्टिकोण की भी बात कही है जब कि उन्होंने इसका कतई उल्लेख नहीं किया था ।

(ग) पाकिस्तान के अखबारों द्वारा विदेशी अतिथियों के वक्तव्यों की गलत रूप में पेश करने अथवा ऐसे वक्तव्यों को, जो उन्होंने कभी दिए ही न हों, उनके सिर थोपने की घटनाओं की इस पुनरावृत्ति पर, सरकार को कोई आश्चर्य नहीं है ।

सरकारी उपक्रमों के उच्चतम अधिकारियों के दिल्ली में हुए सम्मेलन में विचार-विमर्श के विषय

11 . **श्री रबि राय :**
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 12 अक्तूबर, 1970 को दिल्ली में हुए सरकारी उपक्रमों के उच्चतम अधिकारियों के सम्मेलन में भाग लिया था ;

(ख) उन बैठकों में किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया तथा उक्त सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये ; और

(ग) क्या इन उपक्रमों से तीन महीनों की अवधि में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने से सम्बन्धित अपनी आवश्यकताएं बताने के लिए कहा गया है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). एजेंडा (कार्यसूची) की एक प्रति संलग्न है। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—4192/70।] सम्मेलन में लिए गये मुख्य निर्णय निम्न प्रकार हैं :—

(1) सहायक उद्योगों के बारे में, जो विकसित किये जा सकते हैं, प्रस्ताव सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों द्वारा इस वर्ष की समाप्ति से पूर्व भेजे जाएं।

(2) सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों की चयन समितियों में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जायेगा।

(3) सरकारी-क्षेत्रीय उपक्रम, उपक्रम के भीतर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग का पुनरीक्षण करेंगे और इस बारे में 15-12-1970 से पहले सरकार को रिपोर्ट करेंगे।

(4) सरकारी क्षेत्रीय उपक्रम, 15 दिसम्बर, 1970 से पहले, व्यक्तियों के समेकित प्रशिक्षण के कार्यक्रम को अंतिम रूप देंगे।

पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई के बारे में अमरीका के सेनेटर का वक्तव्य

119. **श्री रवि राय** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान अमरीकी सेनेट के डैमोक्रेट सेनेटर श्री फ्रेंक चर्च के 13 अक्तूबर, 1970 के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई पुनः चालू करने के बारे में अमरीका के निर्णय का विरोध करेंगे ;

(ख) यदि हां, तो उनके वक्तव्य का पूरा पाठ क्या है ; और

(ग) सरकार ने उनसे तथा उनके विचारों का समर्थन करने वाले अमरीकी सेनेट के अन्य सेनेटरों को इस बारे में भारत सरकार के विचारों का ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए उनसे सम्पर्क स्थापित करने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सेनेटर चर्च ने 14 अक्तूबर, 1970 को अमरीकी कांग्रेस में जो वक्तव्य दिया था उसका मूलपाठ संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4 93/70**]

(ग) हम दिल्ली में और संयुक्त राज्य अमरीका में भी सभी सम्बद्ध व्यक्तियों को जिनमें सेनेटर भी शामिल हैं, बार-बार अपने विचार बता चुके हैं।

अनिर्णीत भारत-पाक विवादों पर बातचीत

120. **श्री चेंगलराया नायडू** :

श्री रा० बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा पाकिस्तान के बीच अनिर्णीत विवादों को हल करने के लिए दोनों देशों के नेताओं की निकट भविष्य में बैठक होने की कोई संभावना है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में इस बीच कोई बातचीत हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) कोई भी ऐसा प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

ब्रिटेन में भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध

121. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री रा० बरुआ :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन तथा कुछ अन्य यूरोपीय देशों ने इन देशों का दौरा करने वाले भारतीयों पर हाल ही में बहुत से प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं जिससे वे वहां स्थायी रूप से न बस सकें ;

(ख) क्या इन प्रतिबन्धों से उन देशों का दौरा करने वाले भारत के वास्तविक पर्यटकों को भारी कठिनाई तथा असुविधा हुई है ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को उन देशों के साथ उठाया है ; और

(घ) क्या सरकार ने भारतीयों के विदेशों को अनधिकृत प्रवर्जन को रोकने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). भारत-स्थित ब्रिटिश हाई कमीशन ने निर्देश जारी किया है कि अल्पावधि के लिए युनाइटेड किंगडम जाने वाले पर्यटकों को "भारत छोड़ने से पहले प्रवेश प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करना उनके हित में होगा ।" इसके कारण कुछ मामलों में युनाइटेड किंगडम जाने वाले सदाशयी भारतीय पर्यटकों को असुविधा हुई है । इस प्रकार के जितने मामलों की सूचना मिली थी उन सबको युनाइटेड किंगडम के अधिकारियों के समक्ष उठाया गया है ।

कुछ यूरोपीय देशों ने अपने यहां भारतीयों की यात्रा पर प्रतिबन्ध लगा दिया है इस रिपोर्ट पर कार्यवाही करते हुए सरकार ने इस मामले को सम्बद्ध देशों के समक्ष रखा है । उन देशों से सरकार को आश्वासन मिले हैं कि उनके देश में पर्यटन के उद्देश्य से आने वाले भारतीय राष्ट्रिकों को अन्य देशों से आने वाले पर्यटकों से भिन्न नहीं समझा जाता है ।

(घ) सरकार भारतीय राष्ट्रिकों को बड़े पैमाने पर उत्प्रवासन के लिए प्रोत्साहित नहीं करती । परन्तु, हमारे कानून की परिधि में अन्य देशों में जाकर बसने की इच्छा रखने वाले भारतीय राष्ट्रिकों को ऐसा करने से नहीं रोका जा सकता है ।

भारत-पाकिस्तान सीमाओं पर पाकिस्तानी सेना का जमाव

122. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रा० बरुआ :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तान भारत-पाकिस्तान सीमाओं पर अपने सैनिक जमाव के लिए पूरा प्रयत्न कर रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान अपनी सशस्त्र सेना को आधुनिक हथियारों से लैस कर रहा है जो अमरीका तथा कुछ अन्य देशों से प्राप्त किये जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया है तथा स्थिति का सामना करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जबकि पाकिस्तानी सेनाएं भारत-पाक सीमाओं पर अभी भारी संख्या में विद्यमान हैं, हाल में उनकी संख्या या विन्यास में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ ।

(ख) जी, हां ।

(ग) इस सम्बन्ध में सम्वर्धनों का अपने रक्षा प्रबन्ध करते समय ध्यान रखा गया है ।

कैंटोनमेंट बोर्ड हाई स्कूल, यौल

123. **श्री हेमराज** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी कमान ने केन्टोनमेंट बोर्ड हाई स्कूल, यौल को चलाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस स्कूल का हिमाचल प्रदेश को हस्तांतरण करने का है और क्या सरकार से कोई प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : (क) मुख्यालय पश्चिमी कमान से ऐसी कोई सिफारिश या रिपोर्ट इस मन्त्रालय को प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर के समक्ष प्रश्न नहीं उठता ।

शहरी सम्पति की उच्चतम सीमा निर्धारित करने विषयक विधेयक

124. **श्री हेम राज :**
श्री मुहम्मद शरीफ :
श्रीमती सुशीला रोहतगी :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री 27 जुलाई, 1970 में तारांकित प्रश्न संख्या 5 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी सम्पति की उच्चतम सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से उत्तर प्राप्त हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उन मतों को ध्यान में रख कर इस विषय में एक विधेयक लाने का कोई निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरयाणा, जम्मू और काश्मीर, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, तामिल नाडु तथा हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने अन्तरिम उत्तर भेजे हैं जिनमें यह कहा गया है कि मामले पर विचार किया जा रहा है ।

नागालैण्ड की सरकार ने यह कहा है कि नागालैंड में उचित रूप से विकसित कोई नगर नहीं है, और नगरीय क्षेत्रों में मुश्किल से कुछ व्यक्ति होंगे जिनकी सम्पति मूलभूत आवश्यकताओं से अधिक होगी । इस प्रकार इस राज्य में नगरीय सम्पति पर सीमा लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

मनीपुर सरकार ने यह उत्तर दिया है कि क्योंकि संघ क्षेत्र पर राष्ट्रपति का शासन है और विधान सभा भंग कर दी गई है, नगरीय सम्पत्ति सीमा पर संसद द्वारा पारित कानून संघ क्षेत्र पर लागू होगा । अन्यथा, मनीपुर को राज्य का दर्जा दिए जाने के बाद, जब सभा निर्वाचित होगी तब विधान की धारा 252 के अन्तर्गत संकल्प पर विचार किया जा सकता है ।

पांडेचेरी की सरकार ने यह बताया है कि क्योंकि राज्य सभी ओर से तामिलनाडु से घिरा हुआ है, वहां की सरकार केवल तामिलनाडु सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही मालूम करने के पश्चात ही अपने विचारों को अन्तिम रूप देगी ।

गोवा दमन और ड्यू सरकार का विचार नगरीय सम्पति की सीमा निर्धारित करना और इस विषय पर केन्द्रीय कानून बनाने का प्रतीत होता है ।

(ग) निर्णय करने की व्यवस्था अभी नहीं आई है ।

पूर्व पाकिस्तान में चीन के नौसैनिक अड्डे

125. **श्री हेम राज** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन पूर्व पाकिस्तान के समुद्री पट पर नौसैनिक अड्डे बनाने के लिए पाकिस्तान से बातचीत कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इससे भारत की सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : (क) सरकार इस विषय में कोई विश्वसनीय सूचना नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Cost Effectiveness of Family Planning

126. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1688 on the 18th May, 1970 regarding cost effectiveness of family planning and state :

(a) the further action taken in the matter ; and

(b) if no, further action has been taken, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Further developments since May, 1970 are as under :—

At a Seminar on Evaluation arranged by the International Institute of Population Studies, Bombay, it was recommended that the cost-benefit studies should be recommended only upto State level. The Demographic and Evaluation cells in States are expected to undertake such studies.

A training course has also been started from 2nd November, 1970 under the auspices of ECAFE for training in demography and evaluation in various aspects including 'cost-benefit' study. The question of setting up a cell in the Department which also undertake such studies is under consideration.

(b) Does not arise.

Measures Adopted to Reduce Excess Expenditure on Defence Services

127. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether any remedial measures have been adopted to reduce the excess expenditure as pointed out recently in the Appropriation Accounts (Defence Services) 1968-69 :

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) to (c). The excess in the Appropriation Accounts (Defence Services) 1968-69 have been examined by the Public Accounts Committee. The recommendations made by them in this regard are ueder examination. Steps taken in pursuance of their recommendations will be reported to the Public Accounts Committee.

अरब छापामारों द्वारा वायुयानों का अपहरण

128. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में अरब छापामारों ने कई असैनिक वायुयानों का अपहरण किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकार ने वायुयानों के अपहरण की निन्दा नहीं की है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). सरकार ने विमानों के अपहरण की निन्दा की है तथा इस समस्या के लिए उपयुक्त हल खोजने के अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों से सरकार सक्रिय रूप से संबद्ध है ।

लुसाका सम्मेलन में भारत-चीन विवाद का मामला उठाया जाना

129. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लुसाका में हाल में हुई तटस्थ देशों की बैठक में भारत ने भारत-चीन विवाद का मामला उठाया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्य देशों का समर्थन प्राप्त करने में भारत को कितनी सफलता मिली है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में नई दिल्ली नगर पालिका के स्टालों का कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आवंटन

श्री हरदयाल देवगुण : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगर पालिका ने सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में कुछ स्टाल बनाये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन स्टालों में से 25 स्टाल काग्रेस कार्यकर्ताओं को आवंटित किये गये हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि ये व्यक्ति इस व्यवसाय में नये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इन व्यक्तियों को ये स्टाल किस आधार पर आवंटित किये गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). जी नहीं ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के स्पैसल ग्रेड डाक्टरों के वेतन मानों तथा सेवा शर्तों का पुनरीक्षण

131. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के स्पेशल ग्रेड डाक्टरों ने सरकार से उनके वेतन-मानों का पुनरीक्षण करने तथा सेवा-शर्तों में सुधार करने के लिए अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा तथा इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). अप्रैल 1970 में नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिकारी संघ ने इस मन्त्रालय से अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में भर्ती पद्धति को तर्क संगत बनाने, विभागीय उम्मीदवारों की पदोन्नति के लिए मार्ग निकालने तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के वेतन मानों को औचित्यपूर्ण बनाने एवं उनमें संशोधन करने संबंधी कुछ सुझावों पर विचार करने का आग्रह किया था। तथापि केवल दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विशिष्ट ग्रेड के डाक्टरों के वेतनमानों में संशोधन हेतु कोई विशिष्ट सुझाव नही था।

जहां तक भर्ती पद्धति के तर्क संगत बनाने का सम्बन्ध है संस्था ने यह सुझाव दिया था कि (i) इस सेवा में भर्ती केवल एक ही स्रोत से होनी चाहिये (ii) इस सेवा में श्रेणी-II को समाप्त कर दिया जाना चाहिए तथा (iii) भारतीय प्रशासनिक सेवा की भांति इस सेवा में भी भर्ती उच्च वेतनमान वाले पदों में ही की जानी चाहिए तथा इस सेवा में भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या को तदनुसार समायोजित किया जाना चाहिए। इस संघ ने कनिष्ठ वेतनमान, वरिष्ठ वेतनमान (टाइम स्केल एवं चयन वर्ग) तथा वरिष्ठ पदों के लिए नये वेतनमानों का सुझाव भी दिया था।

विभिन्न मांगों/सुझावों पर इस संस्था के प्रतिनिधियों के साथ जुलाई, 1970 में एक मीटिंग में विचार-विमर्श किया गया तथा उन्हें यह सलाह दी गई कि संघ इस मामले को वेतन आयोग के विचारार्थ प्रस्तुत करे।

लुसाका में हुए गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि

132. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **बैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, 1970 में लुसाका में हुए गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के नाम क्या हैं ?

बैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : सितम्बर, 1970 में लुसाका में हुए गुट-मुक्त देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमण्डल सदस्यों की सूची नीचे दी जा रही है :—

1. श्रीमती इन्दिरा गांधी, प्रधान मंत्री।
2. सरदार स्वर्ण सिंह, विदेश मंत्री
3. श्री टी० एम० कौल, विदेश सचिव
4. श्री के० बी० लाल, सचिव, विदेश व्यापार मंत्रालय
5. श्री पी० एन० हक्सर, प्रधान मन्त्री के सचिव
6. श्री आई० जे० बहादुर सिंह, भारत के राजदूत, काहिरा
7. श्री जे० सी० कक्कड़, भारत के हाई कमिश्नर, लुसाका
8. श्री मोहम्मद युनुस, भारत के राजदूत, अलजीयर्स

9. श्री आर० जयपाल, भारत के राजदूत, बेलग्रेड

10. श्री नरेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव, विदेश मन्त्रालय

11. श्री के० नटवर सिंह, निदेशक, प्रधान मंत्री सचिवालय

12. डा० एस० पी० जगोता, निदेशक, विदेश मंत्रालय

13. श्री एच० वाई० शारदा प्रसाद, निदेशक, प्रधान मन्त्री सचिवालय

14. श्री सी० आर० घरेखान, उप सचिव, विदेश मंत्रालय

15. श्री पी० एम० जार्ज, उप निदेशक, भारतीय सूचना सेवा

16. श्री के० के० पुरी, प्रथम सचिव, भारत का हाई कमीशन, दार-एस-स्लाम

17. श्री ई० पोचपा दास, प्रथम सचिव, भारत का दूतावास, पेरिस

18. श्री बी० एम० दत्त, प्रथम सचिव, भारत का हाई कमीशन, लुसाका

19. श्री पी० गोपीनाथ, अवर सचिव, विदेश मंत्रालय

20. श्री एन० के० सिंह, अवर सचिव, विदेश व्यापार मंत्रालय।

21. श्री आर० गणपति, प्रेस सहचारी, भारत का हाई कमीशन, लुसाका।

22. श्री डी० लाहिरी, तृतीय सचिव, भारत का हाई कमीशन, नैरोबी।

चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा में परिवर्तन

133. **श्रीमती सुचेता कृपलानी** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्री महोदय का ध्यान 26 सितम्बर, 1970 के "दि टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के भूतपूर्व महानिदेशक ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के विचार से नवीनतम जानकारी चिकित्सकों को देने हेतु चिकित्सा शिक्षा में परिवर्तन करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के भूतपूर्व महानिदेशक डा० सी० जी० पंडित के प्रस्ताव की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं :—

(1) "मेडिकल कालेजों को समाज द्वारा दी गई चूनौतियों का उत्तर देना चाहिए ताकि भारतीय डाक्टर देश की स्वास्थ्य सेवाओं की अपेक्षाओं भली भांति पूरा कर सकें।

(2) पाठ्य-चर्या में यहां-वहां केवल कुछ घण्टों का बढ़ाना अथवा घटाना ही पर्याप्त नहीं

है । राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के लिए जन स्वास्थ्य चिकित्सकों के प्रशिक्षण के लिए स्वास्थ्य शिक्षा को अग्रणी होना चाहिए। मेडिकल कालेजों को चाहिए कि वे अपने छात्रों को जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रही वर्तमान प्रगति से अवगत कराते रहें ।"

(3) "चिकित्सक का काम मात्र शारीरिक त्रुटियों को देखना ही नहीं हो सकता । जो शिक्षा प्रणाली अपेक्षित जन स्वास्थ्य की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती उसे सफल नहीं कहा जा सकता ।"

(4) "मेडिकल कालेजों को इस महत्वपूर्ण समस्या का हल ढूंढना पड़ता है कि जनता को अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवा कैसे दी जा सकती है ।"

(5) "प्रशिक्षित चिकित्सकों को मनुष्य के अड़ोस-पड़ोस के सम्बन्ध में अच्छी जानकारी रखनी चाहिए ।

मानव विज्ञान एक मनोविज्ञान जैसे नान-मेडिकल तथा आधारभूत विज्ञान की प्रगति से उन्हें जानकारी करानी चाहिए । कुछ मेडिकल कालेजों में नान-मेडिकल विज्ञान को पढ़ाने की सुविधायें उपलब्ध नहीं है । इस कमी को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालयों के साथ घनिष्ठ संबंध रखने के लिए कदम उठाने चाहिए ।

(ग) राष्ट्रीय आवश्यकताओं तथा संसाधनों की दृष्टि से चिकित्सा शिक्षा के विषय परिचायक ज्ञान के महत्व को देखते हुए, मेडिकल स्नातकों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए भारत सरकार ने 1969 में एक चिकित्सा शिक्षा समिति नियुक्त की थी । समिति ने इस विषय पर विस्तृत सुझाव दिए हैं । इस समिति की सिफारिशों को जुलाई, 1970 में नई दिल्ली में आयोजित चिकित्सा शिक्षा सम्मेलन द्वारा संशोधित एवं परिवर्धित स्वरूप में 23 जुलाई 1970 को औरंगाबाद में आयोजित केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद की कार्यकारिणी की छठी बैठक में रखा गया था । सिफारिशों को मानते हुए कायकारिणी ने सुझाव दिया कि सम्मेलन के संशोधनों एवं परिबंधनों के सहित चिकित्सा शिक्षा समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाये और उनको शीघ्र ही कार्यान्वित किया जाये । भारत सरकार ने समिति की सिफारिशों को एक संकल्प के रूप में मान लिया है और इसकी प्रतियां, सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों को कार्यान्वित करने के लिए भेज दी गई है ।

सम्बन्धित अधिकारियों के परामर्श से इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं । इनके पूरा हो जाने पर डा० पंडित द्वारा दिए गये सुझावों की भी क्रियान्वित हो जायेगी ।

1965 में पाकिस्तानी सैनिक विमानों द्वारा भारतीय वायु सीमा का कथित उल्लंघन

134. **श्रीमती सुचेता कृपलानी :**

श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 सितम्बर, 1970 के 'दि टाइम्स आफ इंडिया' में

प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान के भूतपूर्व वायु सेना अध्यक्ष 1965 के युद्ध के दौरान भारत (श्रीनगर) के ऊपर 50,000 फुट की ऊंचाई पर से सैनिक उपकरण प्राप्त करने के लिए विमान द्वारा चीन गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री अय्यूब खान के भी तत्कलीन एयर मार्शल असगर खान तथा तत्कालीन वैदेशिक कार्य मंत्री श्री जुल्फिकार अली भुट्टों के साथ 22 सितम्बर, 1965 को उसी गुप्त उद्देश्य से श्री नगर के ऊपर से उतनी ही ऊंचाई पर विमान द्वारा चीन गये थे ;

(ग) क्या पाकिस्तान सरकार ने भारतीय क्षेत्र के ऊपर से उडने के लिये भारत सरकार से पूर्वनुमति नहीं मांगी थी ; और

(घ) क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की थी और यदि नहीं, तो इसके कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ). सरकार ने समाचार पत्रों की रिपोर्ट देखी हैं। प्रश्नगत उडाने शायद भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान हुई थी। कोई निपटान नहीं मांगा गया था न दिया ही गया था। ऐसा विश्वास कर पाना कठिन है कि वह उड़ानें बिना पता लगे हो पाई हों।

नई दिल्ली में बड़े सरकारी बंगलों के पुनर्विकास सम्बन्धी तकनीकी समिति

135. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में ऐसी जमीन, जहां बड़े सरकारी बंगले स्थित हैं, के पुनर्विकास पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त तकनीकी समिति ने सिफारिश की है कि इस क्षेत्र के एक मंजिल के मकानों को वहां नहीं रहने दिया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) समिति को कितने बंगलों के बारे में विचार करने के लिए कहा गया था ; और

(घ) समिति की सिफारिशों पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, हाँ।

(ख) कमेटी की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

(i) दिल्ली की बृहत योजना में परिकल्पित उच्चतर सघनता प्राप्त करने के लिए, ऊंची तथा नीची संरचनाओं को मिला कर बनाना होगा। किसी एक मंजिले निर्माण की सिफारिश नहीं की जाती।

(ii) क्षेत्र के पुनर्विकास ब्यौरे की जांच करने के लिए एक विशेष कक्ष बनाया जाना

चाहिए जो समस्या के समाज शास्त्रीय, यातायात सम्बन्धी सुख-सुविधायें तथा बाह्यरूप के पहलुओं का अध्ययन करे ;

(iii) सघनता में पर्याप्त वृद्धि होने से जल, सीवरेज डिस्पोजल, बिजली आदि जैसी नागरिक सेवाएं प्रदान करने के साधनों को बढ़ाना आवश्यक होगा ।

(ग) संदर्भाधीन क्षेत्र में लगभग 500 सरकारी बंगले हैं ।

(घ) जैसे कि तकनीकी कमेटी ने सिफारिश की है, सर्वप्रथम विशेष-कक्ष बनाने के उपाय किए जा रहे हैं ।

रूस के साथ नक्शा संबंधी विवाद पर श्वेत पत्र प्रकाशित किया जाना

136. **श्री घी० ना० देव :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई संसद् सदस्यों ने प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री को पत्र भेज कर यह मांग की है कि सोवियत संघ के साथ नक्शा सम्बन्धी विवाद पर एक श्वेत पत्र जारी किया जाए जिसमें उपर्युक्त विषय पर दोनों देशों द्वारा एक दूसरे को भेजे गये पत्रों को प्रकाशित किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इस मामले से सम्बन्धित सभी अनिवार्य तथ्य सदन के सामने रखे जा चुके हैं, सरकार इस विषय पर श्वेत पत्र प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं समझती ।

Trained Nagas and Mizos Crossed Over to India

137. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the number of Naga and Mizo rebels who crossed over to India during the last 5 months after receiving Military and semi-military training in Pakistan and China ; and

(b) the number of Naga and Mizo rebels arrested during the said period ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b). According to the information available with the Government about 200 underground Mizos in small groups infiltrated into Mizo Hills District from East Pakistan during June July 1970. Of the them till the middle of October, 16 were killed in clashes with Security Forces, 10 were captured and 6 had surrendered.

As regards underground Nagas there has been no infiltration from Pakistan or China except possibly in very small numbers.

ऋषिकेश स्थित एन्टिबायोटिक्स कारखाने को बन्द किये जाने के बारे में जांच

138. **श्री पी० विश्वम्भरन :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऋषिकेश एन्टिबायोटिक्स कारखाने को बन्द किये जाने के बारे में जांच की गई है ; और

(ख) क्या जांच पूरी हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं। ऋषिकेश स्थित संयंत्र के बन्द हो जाने की रिपोर्ट मिलने के बाद तुरन्त ही इन्डियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल्स के चेयरमैन एवं प्रबन्ध निदेशक वहां पहुंचे। उनकी विस्तृत रिपोर्ट और अन्य स्रोतों से उपलब्ध हुई सूचना से सरकार को संतोष है कि अभूतपूर्व बाढ़, जिसका न ही पूर्वानुमान हो सकता था और जिसकी न ही रोक थाम की व्यवस्था की जा सकती थी, के फलस्वरूप कारखाने को बन्द करना जरूरी हो गया था। उपरोक्त परिस्थिति को दृष्टि में रखते हुए, किसी जांच का कराया जाना आवश्यक नहीं समझा जाता है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

बिड़ला भवन का अर्जन

139. **श्री पी० विश्वम्भरन :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिरला भवन को, जहां महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, अर्जित करने की कार्यवाही करने सम्बन्धी आदेश सरकार ने दिल्ली प्रशासन को जारी कर दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली प्रशासन ने अपेक्षित कार्यवाही शुरू कर दी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या दिल्ली प्रशासन ने बिड़ला भवन के अर्जन सम्बन्धी सरकार के आदेश पर आपत्ति की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

जमीन तथा मकानों के किराये और अधिग्रहण के सम्बन्ध में न्यायालय में मुकदमें

140. **श्री पी० विश्वम्भरन :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) जनवरी, 1967 के बाद जमीन और मकानों को किराये पर लेने और अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में न्यायालयों में कितने मुकदमें चले हैं ;

(ख) सरकार के पक्ष में और उसके विरुद्ध कितने मुकदमों का फैसला हुआ ;

(ग) कितने मामलों में सरकार के पक्ष में तथा उसके विरुद्ध यथा पूर्व स्थिति को बनाये रखने का निर्णय किया गया ; और

(घ) कितने मामलों में सरकार के पक्ष में और उसके विरुद्ध निपटारे हो चुके हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारियों द्वारा विवाहित श्रेणी के सरकारी क्वार्टरों को खाली किया जाना

141. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966, 1967 और 1968 में सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारियों द्वारा विवाहित श्रेणी के सरकारी क्वार्टरों को खाली न किये जाने के कितने मामले सरकार के ध्यान में आये हैं ;

(ख) उपरोक्त कोटि में ऐसे कितने लोग हैं जिनके अपने मकान सरकार द्वारा किराये पर लिए गये हैं ; और

(ग) इन सैनिक अधिकारियों के अपने मकानों को खाली करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ताकि सेवानिवृत्ति के बाद वे अपने मकानों में रह सकें ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

कावेरी बेसिन में तेल की खोज

142. **श्री पी० विश्वम्भरन : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने कावेरी बेसिन में तेल की खोज के बहुत प्रयत्न किये हैं ;

(ख) ये प्रयत्न कब से किये गये थे ;

(ग) इस पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है ; और

(घ) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) 1958 से

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने केवल कावेरी थाला में अन्वेषण पर व्यय के अलग हिसाब-किताब नही बनाया है ।

(घ) इस तथ्य के बावजूद कि अधिक मात्रा में भूगर्भीय, गुरुत्व, चुम्बकीय और भूकम्पीय सर्वेक्षणों तथा संरचनात्मक एवं गहरे व्यधन कार्यों को किया गया है ; परन्तु अभी तक तेल या प्राकृतिक गैस का कोई व्यापारिक रूप में महत्वपूर्ण संचय मालूम नहीं हुआ है ।

गिल्लित घाटी, जोहानिसबर्ग के भारतीय कृषकों की बेदखली

143. **श्री जे० अहमद : क्या वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जोहानिसबर्ग में डर्बन के समीप गिल्लित घाटी के 2000 से अधिक भारतीय कृषकों को बेदखल किया गया है ;

(ख) क्या यह जातिगत भेदभावपूर्ण कार्य है ; और

(ग) यदि हां, तो बेदखल किये गये कृषकों की सहायता के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार ने इस आशय की अखबारी खबरें देखी हैं कि प्रसिद्ध ग्रुप एरियाज एक्ट के अन्तर्गत डर्बन के निकट गिल्लित घाटी से लगभग 2000 भारतीय किसानों को निष्कासित किए जाने की संभावना है । लेकिन यह समझा जाता है कि अभी तक दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) जी हां । यह होगा ।

(ग) पृथग्वासन की नीति के संबंध में भारत सरकार की स्थिति सर्वविदित है । हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में और अन्य सभी अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर इसकी सुसंगत और सुस्पष्ट रूप से निन्दा की है दक्षिण अफ्रीका की सरकार विश्व जनमत और दक्षिण अफ्रीका में मानवता के विरूद्ध अपराध कर्म किए जाने से सम्बद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों का निरन्तर विरोध कर रही है । चूंकि भारत ने दक्षिण अफ्रीका की सरकार के साथ सभी सम्बन्ध तोड़ लिए हैं अतः पृथग्वासन के विरुद्ध विश्व जनमत तैयार करने के सिवा और कोई सहायता देना सम्भव नहीं है ।

कम्बोदिया स्थित भारतीय राजदूत को एक कम्बोदियन समारोह में भाग न लेने के लिए अनुदेश

144. **श्री सीताराम केसरी : श्री राम सेवक यादव :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नोप पेन्ह में भारतीय राजदूत को यह अनुदेश दिया था कि वह

9 अक्तूबर को कम्बोदिया को गणराज्य उद्घोषित करने के लिए किए जाने वाले समारोह में भाग न लें ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अनुदेशों के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने राजकुमार सिहानुक के शासन को मान्यता प्रदान करने का निर्णय कर लिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). भारत सरकार की स्थिति अभी भी वही है जैसी कि इस सदन में पहले भी स्पष्ट की जा चुकी है चूंकि कम्बोदिया की स्थिति अस्थिर है अतः कम्बोदिया में हाल में हुए किसी भी परिवर्तन को मान्यता प्रदान न करना ही श्रेयस्कर होगा हम सभी पक्षों से सम्पर्क बनाए हुए हैं और स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है।

तायवान के साथ राजनयिक सम्बन्ध

145. **श्री सीताराम केसरी :**
श्री बाल्मीकी चौधरी :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसद सदस्यों ने भारत और तायवान के बीच राजनयिक संबंध स्थापित करने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारत सरकार ने एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य देखा है जो कुछ संसद-सदस्यों द्वारा जारी किया गया बताया जाता है, जिसमें ताइवान से राजनयिक संबंध शुरु करने की मांग की गई है ।

(ख) भारत सरकार की नीति सर्व विदित है । सरकार चीन लोक गणराज्य को मान्यता देने तथा उनसे राजनयिक सम्बन्ध बनाये रखने की अपनी नीति में परिवर्तन करने का कोई कारण नहीं देखती ।

Impact of Lusaka Conference

146. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the unity among the nations opposed to Imperialism and War has strengthened as a result of the Lusaka Conference ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the details of the role that India has played in the aforesaid conference ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b). Through the Lusaka Declaration the participating countries noted that the forces of racism, aparthied, colonialism and imperialism continued to bedevil

world peace and secondly, that classical colonialism was attempting to perpetuate itself in the grab of neo-colonialism through economic and political domination over the developing countries. The participants, therefore, agreed "to achieve full solidarity and to initiate effective and concrete measures against all forces that jeopardize and violate the indipendence and territorial integrity of the non-aligned countries, and for this purpose, to cooperate with and cosult each other as and when necessary," and, in addition, "to intensify joint efforts for the liquidation of colonialism and racial discrimination: to this end, to pledge their utmost possible moral, political and material support to national liberation movements and to ensure implementation of international decision including measures by the Security Council in accordance with the relevant provisions of the United Nations Charter".

Similar decisions were taken by the participating countries through the adoption of other documents, in particular the General Resolution on Decolonization, the Resolution on Zimbabwe, on Portuguese Colonies (Angola, Mozambique and Guinea Bissau), on Namibia, and on Apartheid and Racial Discrimination.

(c) India was one of the Vice-Chairmen of the Conference, and, in that capacity, presided over the Political Committee. India also chaired the Political drafting Committee as well as all its Sub-committees. The Indian delegation took an active part in the informal consultations on all important subjects and contributed to the emergence of consensus on several of them.

सरकारी क्षेत्र में तेल शोधक कारखाने की स्थापना

147. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में एक नया तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के बारे में सरकार ने विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया ।

राष्ट्रीय पेट्रोलियम आयोग की स्थापना

148. **श्री रामावातार शास्त्री** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री एक सांविधिक राष्ट्रीय पेट्रोलियम आयोग की स्थापना के बारे में 27 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7706 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). सरकार राष्ट्रीय पेट्रोलियम आयोग की नियुक्ति के बारे में की गई सिफारिशों को स्वीकार नहीं कर सकी है ।

कोककर कोयले का उत्पादन

149. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दशक में कोककर कोयले का उत्पादन न्यूनाधिक रूप से एक सा ही रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या चौथी योजना के दौरान कोककर कोयले की मांग प्रतिवर्ष एक करोड़ सत्तर लाख टन से बढ़कर 2 करोड़ 80 लाख टन होने की संभावना है ; और

(घ) यदि हां, तो कोककर कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार क्या विचार कर रही है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) कोककर कोयले का उत्पादन, उसकी मांग के अनुरूप ही निर्बन्धित है, जो धातु-कर्मीय उद्योगों की वृद्धि पर निर्भर है। वृद्धि उस मात्रा तक दृश्यमान नहीं हुई जिसके लिए कोककर कोयले के अतिरिक्त उत्पादन की अपेक्षा की जाए।

(ग) चतुर्थ योजना की कालावधि के दौरान में कोककर कोयले की मांग 170 लाख मैट्रिक टन से 250.00 लाख मैट्रिक टन लगभग तक बढ़ जाने की सम्भावना है।

(घ) पहले ही संग्रहीत क्षमता और संग्रहण-प्रक्रिया की मांग को पूरा करने में पर्याप्त होगी और चतुर्थ योजना की कालावधि के दौरान में उत्पादन की प्रावस्था मांग में वृद्धि के साथ समकालिक होगी।

Demolition of New Delhi Municipal Building

150. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the building of the New Delhi Municipal Committee is being demolished ;

(b) if so, when the decision was taken to demolish the said building and the reasons therefor ; and

(c) the particulars of the building in which the Municipal Committee is functioning at present ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes, but the building is to be demolish in phases.

(b) In September, 1968, it was decided to demolish the existing Town Hall Building in order to make a fuller and intensive use of the valuable land under the Town Hall Complex.

(c) All the New Delhi Municipal Committee offices except the Engineering and Electrical Departments continue to function in the retained structures of Town Hall Building. The two Departments have been shifted to another Building of the New Delhi Municipal Committee known as Vidyut Bhawan.

Fountain in Connaught Place, New Delhi

151. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether a fountain installed in a park in Connaught Place, New Delhi was inagurated recently ;

(b) if so, the total expenditure incurred thereon ; and

(c) the amount spent on the inauguration ceremony ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes.

(b) Rs. 5.18 lacs.

(c) Rs. 2,000/-.

सैनिक कर्मचारियों की पेंशन का निलम्बन

152. **श्री बेघर बेहरा** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सैनिक कर्मचारियों की, जो सेवा निवृत्ति के बाद सरकारी मकानों में ही रह रहे हैं, पेंशन निलम्बित कर दी गयी है ;

(ख) ऐसे सैनिक यक्तियों की संख्या क्या है जो सरकारी "विवाहितों के लिए" मकानों में रह रहे हैं ; और

(ग) सरकारी 'विवाहितों के लिए' मकानों में, इन सेवा निवृत्त व्यक्तियों के रहते रहने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). चूंकि ऐसा कोई सेना अफसर नहीं है कि जिस की पेंशन अलाट किये गये वास्य भवन में अधिकृत समय से अधिक रह जाने के कारण स्थगित कर दी गई हो, उनकी संख्या तथा अधिक रिहाईश के कारण दर्शाने का प्रश्न नहीं उठता ।

Surrender by Naga Rebels

153. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the number of Naga rebels who have so far surrendered themselves before the Government ;

(b) the number of arms and ammunition surrendered by them ;

(c) the number of those arms which belonged to China and Pakistan :

(d) the number of Naga rebels who are still underground as per information of Government ; and

(e) the estimated number of Naga rebels who are undergoing training in China and Pakistan ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) There have been about 9,500 surrenders of Naga rebels between 1st January 1956 and 31st October, 1970.

(b) 8550 arms were recovered from the underground Nagas during the same period. A considerably quantity of ammunition was also recovered.

(c) As the markings on these weapons are generally non-existent or obliterated, it is difficult to say how many of them are of Pakistan or Chinese origin. 295 of them were recovered from the China returned Nagas.

(d) According to the information available with the Government, the strength of the underground Nagas is about 3,000.

(e) It is estimated that about 50 or 60 underground Nagas in East Pakistan and a small number in China.

भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी यूनिट के चार्जमैन के बारे में राज्य कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन समिति के निर्णय की क्रियान्वित

154. **श्री सी० के० चक्रपाणी** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम लि० के सिन्दरी यूनिट के चार्जमैन सम्बन्धी मामलों पर राज्य कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन समिति की 2 नवम्बर, 1968 को पटना में हुई 28वीं बैठक में क्या निर्णय किया गया है ;

(ख) क्या इसे कार्यान्वित कर दिया गया है ; और

(ग) अगर नहीं, तो इसके कारण क्या हैं और यह कब तक कार्यान्वित होगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) सिन्दरी यूनिट के चार्जमैन के सम्बन्ध में द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 अप्रैल, 1964 से लागू किया जाना चाहिए।

(ख) जी नहीं।

(ग) भारतीय उर्वरक निगम के प्रबन्धकों का मत है कि द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशें सिन्दरी यूनिट के चार्जमैन पर लागू नहीं होती है क्योंकि वे (चार्जमैन) बिहार औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट के अन्तर्गत आते हैं।

तथापि चार्जमैन को, उनके विशेष अनुरोध पर, बिहार औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट से स्वेच्छा से अलग होने की छूट दे दी गई थी और उन्हें 1-3-67 से संशोधित वेतन मानों का लाभ दे दिया गया था।

इराक से कच्चे पेट्रोलियम तथा गंधक का आयात

155. **श्री जी० वेंकटस्वामी** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इराक ने अपने हित में प्रतिकूल व्यापार को संतुलित करने के लिये भारत को अधिक से अधिक कच्चा पेट्रोलियम तथा गंधक खरीदने के लिए प्रेरित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). इस वर्ष के शुरू में इराक सरकार ने सुझाव दिया था कि भारत को, भारतीय मूल की मशीनरी तथा उपकरण आदि के बदले में उस देश से कच्चे तेल, गंधक और तरलीकृत गैस का आयात करना चाहिए। इराक सरकार के प्राधिकारियों को बताया गया था कि निकट भविष्य तथा लगभग 1972 तक भारतीय शोधनशालाओं की कच्चे तेल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पहले ही प्रबन्ध कर लिया गया है। उपलब्ध कच्चा तेल तकनीकी रूप में उपयुक्त तथा मूल्य और टेके की अन्य शर्तें पारस्परिक सन्तोष के अनुरूप ठहराये जाने पर, 1972 के बाद इराकी कच्चा तेल के हल्दिया शोधनशाला द्वारा प्रयोग के लिये जब वह चालू होगी, यदि आवश्यकता हुई, आयात पर विचार करना संभव हो सकता है।

जहां तक गंधक का सम्बंध है इराक सरकार इसे आगामी दो वर्षों में भारत को निर्यात करने की स्थिति में नहीं है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न तथा मध्य आय वर्ग के लोगों के लिये भूमि के मूल्य में वृद्धि

156. **श्री जी० वेंकटस्वामी** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निम्न तथा मध्य आय वर्ग के लोगों के लिए भूमि के न्यूनतम मूल्य में वृद्धि कर दी है, यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ;

(ख) मूल्य निश्चित करने के लिये क्या मापदंड हैं ;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्थायी समिति ने मूल्य वृद्धि पर आपत्ति की है ; और

(घ) क्या मूल्य घटाये जा रहे हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) विकसित प्लाटों के आवंटन के लिए पूर्व निर्धारित दर दिल्ली प्रशासन द्वारा नियत की जाती है, तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण प्लाटों को बेचने के लिये इन दरों को अपनाता है। कई मामलों में पूर्व निर्धारित दरें मुख्यत: निम्नलिखित कारणों से बढ़ गई हैं :

(i) न्यायालयों द्वारा भूमि के लिए मुआवजे में वृद्धि ;

(ii) विकास की लागत में वृद्धि, जिसमें दिल्ली इलैक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग द्वारा मांगी गई बिजली लगाने की लागत शामिल है ; और

(iii) अधिक संख्या में अपेक्षाकृत छोटे प्लाट काटने की दृष्टि से ले-आउट प्लानों में परिवर्तन।

(ख) पूर्व-निर्धारित दर में अर्जन तथा विकास की लागत और उसमें सामान्य अतिरिक्त प्रभार शामिल है।

(ग) और (घ): दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्थायी समिति ने कीमतों के बढ़ाने पर विचार करने का सुझाव दिया है। उप-राज्यपाल ने मामले पर गौर करने के लिये एक समिति नियुक्त की है।

Progress at three Coal Based Fertilizer Plants

157. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state the progress so far made in regard to the setting up of three fertilizer factories based on coal in Talcher, Ramagundam and Korba ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D R. Chavan) : The foundation stone for Talcher and Ramagundam fertilizer projects was laid on 3-2-70 and 2-10-70 respectively. Fertilizer Corporation of India has concluded agreements with West German and Italian parties for the purchase of certain licence and process know-how for these projects. The Corporation has also entered into an agreement, subject to the approval of Government, with an Italian firm for supply of equipment for certain sections of these projects. The various requirements of the two projects like land, power water railway siding etc. are being worked out and processed. The phasing of Korba project is under consideration.

Construction of Ammonia Factory in Iran by India under Joint Venture

158. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state the progress made so far regarding the construction of Ammonia Producing Factory in Iran by India in collaboration with Iran ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : No final decision has yet been taken regarding the setting up of a joint venture ammonia plant in Iran.

Progress Regarding Family Planning Programme

159. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the progress made regarding Family Planning Programme during the last three years ; and

(b) its effects on the increase of population ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The progress of the Family Planning Programme during the years 1967-68 to 1970-71 (upto August, '70) is as follows :—

Year	Sterilization	IUCD insertions	Conventional Contraceptive users	Total acceptors
			(figures in Millions)	
1967-68	1.84	0 67	0.48	2.99
1968 69	1.66	0.48	0.96	3.10
1969-70	1.42	0.46	1.51	3.50*
1970-71 (upto August 1970.)	0.34	0 14	0.70	1.18**

*Expected.

**Figures incomplete.

More facilities have been made available by increasing the number of District Family Planning Bureaus, Rural Welfare Planning Centres, and Sub-Centres. By 1969-70. 318 District Family Planning Bureaus, 4812 Rural Welfare Planning Centres and 28912 Sub-Centres have been reported as functioning. Besides, the number of Regional Family Planning Training Centres has increased and Post Partum facilities are now available in more hospitals.

(b) As a result of the work done so far under the Family Planning Programme upto the year 1969-70, 5.202 million births have been averted. Taking this into consideration, it is estimated that the birth rate in 1969-70 has come down to 38.3 per 1000 population as against the birth rate of 41.7 in 1960-61. It is also estimated that eventually 22 million births will have been averted as a result of the work done upto the end of 1969-70.

भारतीय तेल निगम में स्वचालित मशीनों का प्रयोग

60. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम में स्वचालित मशीनों का प्रयोग शुरू कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या स्वचालित मशीनों के प्रयोग से देश के कुछ शिक्षित लोग बेरोजगार हो जायेंगे; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें किस प्रकार पुन: रोजगार पर लगाया जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (घ). भारतीय तेल निगम में इलैक्ट्रोनिक कम्प्यूटर्ज के प्रतिस्थापन के रूप में स्वचालित मशीनों का प्रयोग शुरू नहीं किया गया है। परन्तु तेजी से बढ़ती हुई कुल बिक्री के साथ कदम रखने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि मार्किट प्रभाग में गणना करने तथा दित्ता तैयार करने की पद्धतियों में यान्त्रीकरण का प्रयोग किया जाये। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक हो गया है कि, गणना तथा सांख्यिकी विश्लेषण से सम्बन्धित विशेष कार्य के लिए, कई विशेषता प्राप्त एजेन्सियों की समय समय पर सेवाओं का प्रयोग किया जाए। इस कारण कोई स्टाक फालतू नहीं हुआ है और न ही भविष्य में ऐसा होने की आशा है।

राष्ट्रीय ईंधन नीति

162. **डा० रानेन सेन** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय ईंधन नीति बनाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित ईंधन नीति के उद्देश्य क्या हैं ; और

(ग) नीति की घोषणा कब तक सम्भावित है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) इसका उद्देश्य देश में उपलब्ध समस्त ईंधन संसाधनों का निर्धारण करना है ताकि उनका अनुकूलतम उपयोजन हो सके ।

(ग) सरकार ने 15 अक्तूबर 1970 को एक उच्च शक्ति ईंधन नीति समिति गठित की है जिसे एक वर्ष की कालावधि के दौरान अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है । समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने और उसकी सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार कर लिये जाने के उपरान्त नीति आख्यापित की जायेगी ।

अलाभप्रद खानों का अनिवार्य विलयन

163. **डा० रानेन सेन :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अलाभप्रद खानों के अनिवार्य विलयन के लिये कानून बनाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कानून की प्रमुख विशेषतायें क्या हैं ; और

(ग) इसे कब संसद् के समक्ष लाया जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी, हां ।

(ख) विधान को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(ग) इस समय उस संभावित तारीख को उपदर्शित करना कठिन है जिस तारीख तक उसे संसद् के समक्ष रखा जायेगा ।

कलकत्ता महानगर क्षेत्र में जल संभरण की योजना

164. **डा० रानेन सेन :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के अन्तर्गत कलकत्ता महानगर क्षेत्र में जल संभरण में सुधार के लिये कोई योजनाएं तैयार की गई हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी योजनाएं तैयार की गई हैं और उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त योजनाओं का अनुमानित व्यय क्या है ; और

(घ) योजना को क्रियान्वित करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) पश्चिमी बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार कलकत्ता निगम क्षेत्र में तथा साथ ही कलकत्ता महानगर जिले के अन्य शहरी क्षेत्रों में जलपूर्ति में सुधार के लिये 19 योजनायें

तैयार की गई हैं। इन योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4194/70]

(ग) इन योजनाओं की कुल अनुमानित लागत 34 2.00 लाख रुपये है। चौथी योजना अवधि के लिये कुल परिव्यय 2880.87 लाख रुपये निर्धारित किया गया है। चालू वर्ष के लिये 539.80 लाख रुपये का नियतन किया गया है।

(घ) 19 योजनाओं में से दो योजनायें पूरी हो गई हैं तथा दो लगभग पूरी होने वाली हैं। 6 योजनायें चल रही है। 6 नई योजनाएं मंजूर की गई हैं तथा 3 योजनाओं के लिये विस्तृत प्लान एवं प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं।

कलकत्ता में क्षय रोग के रोगी

165. **डा० रानेन सेन :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय नर तत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा कलकत्ता में किये गये सर्वेक्षण से पता लगा है कि कलकत्ता महानगर में लगभग दस लाख लोग गन्दी बस्तियों में रहते हैं और बस्तियों के प्राय: प्रत्येक घर में क्षय रोग के कुछ सक्रिय रोगी हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में क्षय रोग को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या उक्त रोग को दूर करने के लिये शहर में एक पूर्णरूपेण व्यवस्थित क्षय रोग का नया अस्पताल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारत-नेपाल वार्ता

166. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल सरकार के साथ पारगमन विजा आदि के नवीकरण संबंधी वार्ता समाप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो विशेषतया पश्चिमी कोसी नहर के संबंध में उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारत और नेपाल सरकार के बीच व्यापार एवं पारगमन संधि पर बातचीत हुई है और इस संबंध में शीघ्र ही और बातचीत होने को है। वीसा के प्रश्न पर बातचीत का कोई कार्यक्रम नहीं है।

(ख) इस बातचीत में पश्चिमी कोसी नहर शामिल नहीं है।

उड़ीसा में खानों का विकास

167. **श्री स० कुण्डू :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का विचार चौथी योजनावधि में उड़ीसा में खानों के विकास हेतु कितनी धनराशि खर्च करने का है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा उड़ीसा में खानों के विकास के लिए इस समय चौथी पंचवर्षीय योजना में कोई उपलब्ध अन्तर्विष्ट नहीं है ।

इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम तथा एस्सो के प्रति दिखाया गया कथित पक्षपात

168. **श्री स० कुण्डू :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आयल कारपोरेशन के अधिकारियों द्वारा इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम एवम एस्सो के प्रति असाधारण पक्षपात दिखाये जाने के विरुद्ध अखिल भारतीय इण्डियन आयल डीलर्स एसोसिएशन बम्बई-3 ने सरकार को शिकायत की थी ;

(ख) इस सम्बन्ध में लगाये गये अन्य आरोप क्या हैं तथा क्या कोई जांच की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग). एक विज्ञापन जिसे अखिल भारतीय इंडियन आयल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी किया गया समझा जाता है, प्राप्त हुआ था । इसमें निम्नलिखित बातें लिखी थीं :—

(i) कि भारतीय तेल निगम मैसर्स एस्सो एवं इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम को अपने उत्पाद कम दामों पर दे रहा है ;

(ii) कि भारतीय तेल निगम प्राक्कलन समिति की इस बारे में की गई सिफारिशों का उलंघन कर रहा है ; और

(iii) कि भारतीय तेल निगम के भूतपूर्व प्रबन्धक और इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम के मौजूदा प्रबन्ध निदेशक, श्री एस० वी० बुद्धिराजा, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है ; आदि

उपरोक्त बातों की जाँच की गई और आधारहीन पाई गई ।

परादीप उड़ीसा में उर्वरक कारखाने की स्थापना

169. **श्री स० कुण्डू :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के उर्वरक निगम ने उड़ीसा स्थित पारादीप में उर्वरक कारखाने की स्थापना

के बारे में तकनीकी आर्थिक सम्भाव्यता प्रतिवेदन तैयार किये जाने से कितनी राशि स्वीकृत की है ; और

(ख) यह प्रतिवेदन कब तक तैयार होगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). भारतीय उर्वरक निगम तकनीकी आर्थिक सम्भाव्य रिपोर्ट को तैयार करने के व्यय को अपने निजी संसाधनों से पूरा करता है। इस उद्देश्य के लिए सरकार ने कोई अलग मंजूरी जारी नहीं की है। रिपोर्ट के शीघ्र उपलब्ध होने की आशा है।

गुजरात के संश्लिष्ट रबड़ संयंत्र की स्थापना में हुई प्रगति

170. **श्री इसहाक सम्भली :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात पेट्रो-केमिकल्स उद्योग समूह द्वारा सरकारी क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले संश्लिष्ट रबड़ सन्यन्त्र के सम्बन्ध में पोलिमेर कारपोरेशन आफ कनाडा के व्यवहार्यतः प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन के ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) आगामी 13 वर्षों के लिए कृत्रिम रबड़ की प्रत्येक किस्म की मांग पर एक सम्भाव्य अध्ययन को तैयार करने तथा मांग को पूरा करने हेतु कृत्रिम रबड़ों की कई किस्मों के लिए निर्माण सुविधाओं के प्रतिस्थापन की उपयुक्तता में, पोलिमेर कारपोरेशन ने भारतीय पेट्रो-केमीकल्स कारपोरेशन लि० को सहायता की है।

(ख) रबड़ की विभिन्न किस्मों की मांग में पूर्वानुमानित वृद्धि के अध्ययन के आधार पर यह सुझाव दिया गया है कि आरम्भ में प्रतिवर्ष 20,000 मीटरी टन आई-सिस पोलीबुटाडाइन के उत्पादन के लिए एक सन्यन्त्र स्थापित किया जाना चाहिए, जो चौथी योजना के अन्त तक उत्पादन शुरू करे। 1980 में प्रतिवर्ष अन्य 20,000 मीटरी टन तक इस क्षमता का विस्तार करने की आवश्यकता होगी। 1978 में एस०बी०आर० उत्पादन के प्रतिवर्ष अन्य 30,000 मीटरी टन तक विस्तार की आवश्यकता होगी और ऐसी सुविधा में विशिष्ट रबड़ों का निर्माण शामिल होगा। 1980 में प्रतिवर्ष 20,000 मीटरी टन एक बुटियल कृत्रिम रबड़ संयंत्र का उत्पादन शुरू कर देने की और इस के बाद तीन वर्षों में अन्य 10,000 मीटरी टन तक विस्तृत होने की आवश्यकता होगी।

1984 में एस०बी०आर० तथा स्पेशलेटी की प्रतिवर्ष अतिरिक्त 30,000 मीटरी टन की आवश्यकता होगी।

इन संयंत्रों की प्रक्षेपित मांग (आवश्यकता) के सही समय निर्धारण का पुनरीक्षण करते रहना होगा।

(ग) भारतीय पेट्रो-केमीकल्स कारपोरेशन लि० प्रतिवर्ष 20,000 मीटरी टन हाई सिस पोलीबुटाडायन कृत्रिम रबड़ के, जिसकी चौथी योजना के अन्त तक आवश्यकता है, निर्माण के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अतिशीघ्र प्रस्तुत करेगा।

जर्मन जनवादी गणतंत्र का युनेस्को में प्रवेश

171. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन जनवादी गणतन्त्र ने यूनेस्को में प्रवेश पाने के पक्ष में भारत से समर्थन माँगा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारत ने प्रवेश के पक्ष में मत दिया।

हिन्द गल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा की गई अनियमितताओं की केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जांच

172. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री 11 मई, 1970 के हिन्द गेल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा की गई अनियमितताओं की केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा की गई जांच के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 1549 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट सरकार को इस बीच प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो रिपोर्ट के कब तक प्राप्त होने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग). जैसा कि 16 मार्च, 1970 को लोक सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 478 के उत्तर में बताया गया है, सरकार इस बात पर विचार कर रही थी कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निष्कर्षों के प्रकाश में मामले पर आगे कौनसी उत्तम कार्यवाही की जाये। की जा रही आगामी कार्यवाही के ब्यौरे बताना जनहित में नहीं होगा। इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो कोई जांच नहीं कर रहा है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पहले निष्कर्षों को बताना जनहित में नहीं होगा।

भारतीय क्षेत्रों को दूसरे देशों का क्षेत्र दिखाए जाने वाले अन्य देशों द्वारा प्रकाशित नक्शों पर प्रतिबन्ध

173. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न देशों द्वारा प्रकाशित उन सभी नक्शों पर इस बीच प्रतिबन्ध लगा दिया

गया है जिनमें भारतीय क्षेत्रों को या तो चीन का अथवा पाकिस्तान का भाग दिखाया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). 3-9-1970 को लोक सभा में प्रस्ताव पारित होने से पहले ही भारत की बाह्य सीमाओं को गलत ढंग से दिखलाने वाले विदेशों प्रकाशित नक्शों के खिलाफ सीमा-शुल्क अधिनियम 1962, फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम, 1961 और वित्त मंत्रालय (राजस्व तथा बीमा विभाग) से जारी की गई संबद्ध अधिसूचनाओं के अधीन कार्रवाई की जा रही थी। ऐसे नक्शों को या तो प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई अथवा ठीक तरह से मिटाकर या उसके ऊपर यह अंकित करके ही आने दिया गया कि नक्शे में दिखायी गई भारत की बाह्य सीमाएं न तो प्रामाणिक हैं, न सही। भारत सरकार के सभी संबद्ध विभागों का इस प्रस्ताव की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उचित कार्रवाई के लिए नए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

भारतीय पर्यटकों की चीन यात्रा

174. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के कुछ पर्यटकों ने हाल ही में चीन की यात्रा की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया था ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार को इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है कि हाल में किसी भारतीय पर्यटक ने चीन की यात्रा की हो।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मकानों को खाली करने के बारे में सैनिक अधिकारियों की सिफारिशें

175. **श्री क० लकप्पा** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संख्या 6, सरदार पटेल मार्ग, लखनऊ कैंट और रोककैंडस, बोलाराम रोड, सिकंदराबाद को खाली कराने की सिफारिश करने वाले सम्बन्धित सेना अधिकारियों द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं ;

(ख) क्या सिफारिशें स्वीकार कर ली गई थीं ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : (क) से (ग). सम्बन्धित सेना अधिकरणों द्वारा की गई सिफारिशों को प्रकट करना वांछनीय न होगा क्योंकि अन्य बातों सहित इससे स्वतन्त्र और उदारतापूर्वक राय व्यक्त करने में बाधायें आयेंगी।

किराये के मकानों को खाली किया जाना

176. **श्री क० लकप्पा** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1970 से कितने मकान खाली कर दिए गए हैं ;

(ख) खाली किये जाने वाले मकान को छोड़कर मालिकों/माता-पिता, भाइयों/बहिनों आश्रितों के कब्जे में कितने मकान या फ्लैट हैं ; और

(ग) ऐसे कितने मकान हैं जिनमें सरकारी कब्जे के समय किरायेदार बदले और जिन्हें बाद में खाली कर दिया गया ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग). सूचना प्राप्त नहीं है और इसे इकट्ठा करने और जोड़ने में अन्तर्ग्रस्त प्रयास प्राप्त हो पाने वाले परिणामों के अनुरूप न होगा।

सरकारी फ्लैटों/मकानों में रहने वाले लोगों के निजी मकानों को खाली कराना

177. **श्री क० लकप्पा** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्नलिखित मकानों अर्थात् संख्या 9 स्टेवली रोड, पूना केंट, रोकलैंड्स, बोलाराम रोड, सिकंदराबाद और संख्या 6, सरदार पटेल मार्ग लखनऊ में, से कुछ ऐसे मकान खाली कर दिये गये हैं जिनके मालिक किसी सरकारी फ्लैट अथवा मकान में रह रहे थे ; और

(ख) यदि हां, तो इन मकानों को खाली कराने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : (क) और (ख). किराये पर लिए गए प्रश्नगत तीनों भवनों को तदवर्ती स्थिति के अनुसार प्रत्येक मामले के तथ्यों को आधार पर विमुक्त कर दिया गया था।

पूना छावनी के स्टेबले मार्ग पर बंगला संख्या 9 के मालिक का पूना शहर में एक भवन था और स्वास्थ्य कारणोवश वह बंगले में अन्तरित होना चाहता था।

सिकंदराबाद में बोलाराम मार्ग पर राकलैंड की स्वामिनी ने प्रार्थना की थी कि वह अपने पुत्र के साथ रहने को विवश थी परन्तु वह अलग रहना चाहती थी। इसपर ऐसी रिपोर्ट मिली थी कि भवन की भारी मरम्मत आवश्यक थी।

लखनऊ के सरदार पटेल मार्ग के भवन संख्या 6 के स्वामी ने बताया था वह और उसकी पत्नी विधान फ्लैटों में रह रहे थे, और उन्हें वह शीघ्र खाली करना पड़ रहा था, क्योंकि वह राज्य विधान सभा के सदस्य न रहे थे।

प्रतिरक्षा अधिकारियों द्वारा किराये पर लिए गए मकानों का खाली पड़े रहना

178. **श्री क० लकप्पा** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1967 से किराये पर लिये गये कितने मकान खाली पड़े हैं ;

(ख) एक महीने, तीन महीने और चार महीने से अधिक समय से कितने मकान खाली पड़े हैं ;

(ग) क्या लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा इस बारे में कोई आपत्तियां उठाई गई थीं ; और

(घ) यदि हां, तो लेखा-परीक्षा अधिकारियों की आपत्ति को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

किराये के मकानों को खाली किये जाने के विचाराधीन मामले

179. **श्री क० लकप्पा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने मामले विचाराधीन हैं जिनके बारे में सम्बन्धित कमांड हैडक्वार्टर्स ने मकानों को खाली करने की सिफारिश की है ; और

(ख) सितम्बर, 1970 तक प्रत्येक छावनी में मामलों की अलग-अलग संख्या कितनी है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). जहां तक प्राप्य अभिलेखों से पता कर पाना संभव रहा है इस समय सरकार द्वारा विचार किये जाने के लिए छावनियों में किराये पर लिए भवनों की विमुक्ति के लिए 4 मामले हैं । इनमें एक अम्बाला में है और तीन पूना में ।

सिन्थैटिक ड्रग्स संयंत्रों को हुई हानि

180. **श्री हेम बरुआ :**

श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र में दवाइयों के वाणिज्यिक स्तर उत्पादन में संलग्न तीन सिन्थैटिक ड्रग्स संयंत्रों को 20 करोड़ रुपयों की हानि हुई है ;

(ख) क्या इन संयंत्रों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) 31 मार्च, 1970 के अन्त में समाप्त होने वाले वर्ष तक भारतीय औषध और भेषज लिमिटेड के तीन एककों अर्थात् एन्टीबायोटिक्स परियोजना ऋषिकेश, सिन्थैटिक ड्रग्स परि-

योजना हैदराबाद और सर्जीकल इंस्ट्रूमेंट्स परियोजना मद्रास द्वारा हुई कुल हानि 21.69 करोड़ रुपये है।

(ख) और (ग). सरकार कंपनी से प्राप्त सामयिक रिपोर्टों और विवरणियों से तथा निदेशक मण्डल में सरकारी प्रतिनिधियों के माध्यम से भी कंपनी के कार्यकरण का लगातार पुनरीक्षण कर रही है। प्रारंभिक वर्षों में विशेष रूप से किसी एक परियोजना के पूर्वचालन अवधि के दौरान, हानियों का होना अनिवार्य है। कंपनी ने अपने कार्यकरण में सुधार लाने तथा हानियों को कम करने और इसी प्रकार लाभप्रदता को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(i) निर्धारित क्षमताओं को प्राप्त करने और निर्धारित समय के अंदर सहयोगियों द्वारा सूचित किये गये उत्पादन और खपत के मान दण्डों को उपलब्ध करने के लिए कंपनी के प्रयास अब संकेद्रित हैं। यह प्रयास एन्टीबायोटिक्स और सिन्थैटिक ड्रग्स के उत्पादन को स्थिर करेंगे और मूल्यों को मानक अनुमानों के स्तर तक कम करेंगे।

(ii) मानीय मितव्ययता की उपलब्धि द्वारा कम कीमत को प्राप्त करने के बिचार से, फेनासटिन, सल्फानिलामाइड, अनलजिन, अमीडोपापरीन, बिटामिन बी 1, बिटामिन बी 2, कोलिक एसिड और किनोबारबीटोन के लिए सीमांत उपकरण की वृद्धि द्वारा क्षमताओं में बढ़ोतरी की जा रही है।

(iii) सिन्थैटिक ड्रग्स प्लांट की उपलब्ध सुविधाओं के भीतर पारा सीटामोल और पाज जैसे नये औषधियों के उत्पादन के लिए क्षमताओं का कार्यक्रम बनाया गया है।

(iv) सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्लांट में क्षमता का पूर्णतया इस्तेमाल करने के विचार से दोनों वर्तमान उत्पाद-मिश्र तथा प्लांट पर नये विकसित इंस्ट्रूमेंट्स के लिए आदेश-स्तर को बढ़ाने तथा जाब आर्डरस (कार्य-आदेशों) के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं।

गुजरात में मीठापुर मैसर्स टाटास द्वारा उर्वरक कारखाने की स्थापना

181. **श्री हेम बरुआ** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसर्स टाटास का उर्वरकों का निर्माण करने के लिए 56 करोड़ रुपये की लागत का कारखाना स्थापित करने के लिए अनुमति दे दी है ;

(ख) क्या बीस लाख मीटरी टन के मूल प्रस्ताव को घटा कर नौ लाख मीटरी टन कर दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) सरकार ने मीठापुर में उर्वरक कारखाने की स्थापना के लिए टाटा बन्धुओं का

पुनरीक्षित प्रस्ताव सिद्धांत रूप में कुछ शर्तों पर अनुमोदित कर दिया है। तदनुसार 25 जुलाई, 1970 को एक आशय-पत्र जारी किया गया है। पार्टी द्वारा आशय-पत्र में दी शर्तों को पूरा करने पर इस विषय में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

(ख) जी, हां।

(ग) मूल प्रस्ताव में दी गई बातें सरकार को मान्य नहीं थीं।

कर्जन रोड होस्टल नई दिल्ली में सेवाओं की अपर्याप्त व्यवस्था

182. **श्री हेम बरुआ : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली "सेवाओं" के न दिये जाने के कारण वर्तमान कर्जन रोड होस्टल, नई दिल्ली गन्दा क्षेत्र बन गया है ;

(ख) क्या गत एक वर्ष से सामान और पुर्जों की कमी तथा अपर्याप्त कर्मचारियों के कारण पेय जल की व्यवस्था तथा बिजली और फर्नीचर की मरम्मत के कार्य को लम्बित रखा गया ; और

(ग) क्या सरकार का विचार किरायेदारों को, गत बारह महीने के किराये में कमी करके पर्याप्त मुआवजा देने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

ब्रिटिश अभिलेखागार में भारत की उत्तरी सीमा के बारे में उपलब्ध सामग्री का अध्ययन

183. **श्री हेम बरुआ : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1962 में भारत-चीन के संघर्ष के समय वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के ऐतिहासिक प्रभाग के निदेशक डा० एस० गोपाल को मन्त्रालय के अनुरोध पर ब्रिटिश अभिलेखागार में भारत की उत्तरी सीमा के बारे में उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करने के लिए लन्दन भेजा गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने मंत्रालय को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ; और

(ग) क्या यह प्रतिवेदन लन्दन के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

विदेशों में भेजे गए औपचारिक विरोध-पत्र

184. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में भारत द्वारा विदेशों को कितने औपचारिक विरोध पत्र भेजे गए ;

(ख) किन-किन तारीखों को ये पत्र भेजे गए और उनके भेजे जाने के क्या कारण थे ; और

(ग) उन देशों द्वारा प्रत्येक विरोध-पत्र का क्या उत्तर दिया गया ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है।

अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पदों का आरक्षण

185. **श्री सिद्दय्या** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय के अधीन सरकारी उयक्रमों में अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उन्हें ऐसे आरक्षण करने के लिए कोई निदेश दिये गये हैं ; और

(घ) क्या भारतीय उर्वरक निगम ने सभी भर्तियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण करने का निर्णय किया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रखी जायेगी।

Coal Deposits in Singroli on South of U. P.

186. **Shri Bansh Narain Singh** : Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the deposits of coals in Singroli on the south of Uttar Pradesh are huge and uncomparable with any such deposits in the country :

(b) if so, whether it is also a fact that the British Government carried out exploration for coal in 1948 but left the work incomplete due to political reasons :

(c) whether Government intend to restart the exploration on the said tract ; and

(d) if so, when and if not, the reasons therfor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) The Singrauli coalfield contains the thickest

coal seam but the known reserves of coal in Singrauli coalfield are not the largest in the country.

(b) The British Government left India in 1947 and therefore, the question of carrying out exploration of coal by the British in 1948 in Singrauli does not arise.

(c) and (d). The Geological Survey of India carried out geological mapping in this field during 1949-51. Exploratio i by drilling was done by Geological Survey of India during 1958-66 and by the Indian Bureau of Mines during 1961-64. Exploration by drilling by Geological Survey of India is in progress again since 1969 in the Singrauli coalfield.

नई दिल्ली में सरकारी कालोनियों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालयों का कार्य

187. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेवा नगर, किदवई नगर, सरोजिनी नगर, नेता जी नगर, और लक्ष्मी बाई नगर स्थित केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालय वहां के निवासियों की कठिनाइयों को जल्दी दूर करने के लिए कदम उठाने में असफल हो गये हैं ;

(ख) अप्रैल से सितम्बर 1970 तक कुल कितनी शिकायतें उक्त प्रत्येक पूछताछ कार्यालय में पंजीकृत की गई ;

(ग) ऐसी कितनी शिकायतें हैं जिन पर (i) 24 घंटे (ii) 3 दिन (iii) एक सप्ताह (iv) एक महीना (v) दो महीने (vi) तीन महीने, तथा (vii) छः महीने में कार्यवाही की गई और कितनी शिकायतों पर छः महीने से भी कार्यवाही नहीं की गई ; और

(घ) पूछताछ कार्यालयों को सक्षमता से चलाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 4195/70]

(घ) पूछताछ कार्यालयों द्वारा कुशलता पूर्वक कार्य सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(1) शिकायतें मालूम करने तथा उन्हें दूर करने के लिए सहायक इन्जीनियर का नियमित रूप से सरकारी कर्मचारियों के मकानों में जाना ।

(2) जिम्मेवार विभागीय अधिकारियों द्वारा शिकायत-रजिस्टर का अपेक्षाकृत अधिक ध्यान तथा बारम्बार जांचना ।

(3) मरम्मत, चीजें बदलने आदि के लिए पूछताछ कार्यालयों में सामग्री का पर्याप्त भण्डार रखना ।

(4) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के संबंधित अधिकारियों तथा रेजीडेंट्स एसोसिएशनों के बीच अधिक तालमेल ।

(5) छतों तथा नालियों आदि का वर्षा-ऋतु से पूर्व निरीक्षण ।

सफदरजंग हस्पताल, नई दिल्ली के प्रशासन अधिकारी द्वारा की गई अनियमितताएं

188. **श्री ए० श्रीधरन : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार को गत तीन वर्षों में सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के प्रशासन अधिकारी द्वारा किये गये कदाचार, पक्षपात, अधिकार का दुरुपयोग अनुचित लाभ उठाने और अन्य अनियमितताएं सम्बन्धी गम्भीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रत्येक शिकायतों का क्या विषय वस्तु है ;

(ग) ऐसी प्रत्येक शिकायत पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ;

(घ) उक्त मामले को जांच के लिये क्या सरकार का विचार केन्द्रीय जांच ब्यूरों को सौंपने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ङ). नई दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध 1967 से 1970 तक कुल 16 शिकायतें प्राप्त हुई । उनका ब्यौरा तथा तद विषयक कार्यवाही का उल्लेख सम्बद्ध विवरण में किया गया है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए** संख्या एल० टी०—4196/70] उन्हें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों में भेजना आवश्यक नहीं समझा गया ।

क्षयरोग अस्पताल महरौली, दिल्ली

189. **श्री देवेन सेन : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षय रोग अस्पताल, महरौली, दिल्ली के मेडीकल अधीक्षक का मूल वेतन अब 1800.00 रुपये प्रति मास है जब कि 1960 में यह 600.00 रुपये था ;

(ख) क्या इस अस्पताल के कर्मचारियों के भिन्न-भिन्न वर्गों के वेतन मान बढ़ाये गये हैं और यदि हां, तो किस सीमा तक ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ ऐसे कर्मचारियों की, जो पिछले 10-14 वर्षों से सेवा में हैं, विभागीय पदोन्नतियां नहीं की गई हैं ;

(घ) यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों के ब्यौरे का तत्सम्बन्धी कारण क्या है ;

(ङ) क्या यह सच है कि अस्पताल कर्मचारी पंचायत (पंजीकृत) के महामन्त्री ने स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक को 16 जुलाई, 1970 को एक पत्र लिखा था ; और

(च) यदि हां, तो उस पत्र के ब्यौरे क्या हैं और सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है या की जानी है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) इस समय चिकित्सा अधीक्षक का मूल वेतन 1300-60-1600-75-1750 रुपये के वेतन मान में 1750 रुपये है। 1960 में वेतनमान 600-40-1000 रुपये था।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी०—4197/70]

(ग) से (च). क्षय रोग अस्पताल मेहरौली कोई सरकारी संस्था नहीं है और यहां पदोन्नतियां भारत सरकार के नियमों के अनुसार नहीं की जाती। अपनी पदोन्नति के बारे में अस्पताल के कर्मचारियों की कुछ शिकायतें थीं और अस्पताल कर्मचारी पंचायत (पंजीकृत) के महामंत्री ने 16-7-70 को एक पत्र स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक को लिखा जिसमें पदोन्नतियों के बारे में कर्मचारी की शिकायतों का उल्लेख किया गया था। इस पत्र में तथा कर्मचारी पंचायत से इससे पहले प्राप्त अन्य अभ्यावेदनों में उठाई गई विभिन्न बातों पर भारतीय टी० बी० एसोसियेशन के महा सचिव ने पंचायत प्रतिनिधियों और अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के साथ बातचीत की। चिकित्सा अधीक्षक ने भी कर्मचारी पंचायत के प्रतिनिधियों से इन बातों पर विचार विमर्श किया। इस अस्पताल में नियुक्त कर्मचारियों की शिकायतें यथासम्भव दूर करना भारतीय टी० बी० एसोसियेशन का काम है। टी० बी० एसोसियेशन ने कुछ शिकायतें तो पहले ही दूर कर ली है और कुछ पर वे विचार कर रहे हैं।

क्षय रोग, अस्पताल महरौली (दिल्ली) के बारे में आयोग का प्रतिवेदन

190. **श्री गुणानन्द ठाकुर** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेफ्टिनेंट जनरल बी० एन० राव के एक सदस्यीय आयोग को क्षय रोग अस्पताल महरौली, दिल्ली के मामलों की जांच करने के लिये नियुक्त किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है और सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) लेफ्टीनेन्ट जनरल बी० एम० राव से, जो भारतीय टी० बी० एसोसियेशन की कार्यकरिणी समिति के सदस्य थे, इस अस्पताल के किसी डिस्पेन्सर द्वारा 1961 में की गई औषधियों की कथित चोरी विषयक शिकायत की जांच करने के लिए अनुरोध किया गया था।

(ख) लेफ्टीनेन्ट जनरल राव ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सुझाव दिये :

(1) दाण्डिक ब्रांच में चोरी का मामला दर्ज कराया जाये ।

(2) तुरन्त कार्यवाही के रूप में हेड क्लर्क, एक क्लर्क और एक चौकीदार को इस अस्पताल से बदली कर दी जाये ।

(3) सभी औषधियों पर जब वे स्टोरों में रखी जायें, अस्पताल की मोहर लगा दी जाये ।

(4) इस अस्पताल के प्रशासन को स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपने के प्रश्न पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाये ।

टी० बी० एसोसियेशन आफ इण्डिया को कार्यकारिणी समिति ने जनरल राव की रिपोर्ट पर विचार किया तथा इस अस्पताल के कम्पाउण्डर को बरखास्त करने में चिकित्सा अधीक्षक का समर्थन करते हुए एक संकल्प पारित किया । चूंकि यह कार्यवाही प्रामाणिक थी बाद में निम्न-लिखित कार्यवाही की गई :—

(1) इस औषधि की चोरी का मामला दान्डिक ब्रांच में दर्ज कराया गया ।

(2) चूंकि एक प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करने का निश्चय किया गया था इसलिए डा० राव की रिपोर्ट (मद सं० 2) में उल्लिखित कर्मचारियों को स्थानान्तरित करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

(3) स्टोरों में रखी गई सभी औषधियों पर अस्पताल की मोहर (टी०बी०एच०एम०) लगायी गई ।

(4) कार्यकारिणी समिति ने उपर्युक्त क्रम संख्या (4) पर उल्लिखित सिफारिश पर विचार किया और इस बात को और आगे न बढ़ाने का फैसला किया ।

जापान विदेश मंत्री के साथ परस्पर सहयोग के सम्बन्ध में बातचीत

191. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार तथा जापान के विदेश मंत्री के बीच हाल ही में हुई बातचीत मुख्य रूप से परस्पर आर्थिक सहयोग के सम्बन्ध में थी ;

(ख) क्या इण्डो-चाइना की स्थिति सम्बन्धी हाल ही में हुए यकार्ता सम्मेलन के बारे में भी चर्चा हुई थी ; और

(ग) क्या जापान के विदेश मंत्री के दौरे के परिणामस्वरूप जापान तथा भारत के मध्य निकटतम आर्थिक एवं राजनैतिक सहयोग की सम्भावना है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) । (क) जी नहीं, इनमें आपसी हित की सभी बातें शामिल थी ।

(ख) जी हां।

(ग) इस यात्रा से दोनों देशों में निकट सहयोग की सम्भावनायें बढ़ी हैं।

दिल्ली में क्षय रोगियों को अस्पताल सुविधायें

192. **श्रीमती शारदा मुकर्जी :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम के सिल्वर जुबली टी० बी० अस्पताल में दाखिले के लिये लगभग 4000 क्षय रोगी प्रतीक्षा करते रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली में 30,000 से अधिक क्षय रोगी हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस बीमारी के फैलाव को रोकने और जिन लोगों को बचाया जा सकता है उन्हें समय पर डाक्टरी सहायता देने हेतु सरकार की कोई योजना है ; और

(घ) इस योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) दिल्ली में क्षय रोग की एक व्यापक योजना पहले से ही चल रही है।

(घ) क्षय रोग की नैदानिक, उपचारात्मक तथा बी०सी०जी० निरोधी सेवायें दिल्ली की जनता को मंडल आधार पर दी जाती हैं। ये सेवायें उपलब्ध कराने के लिए नगर को 10 मंडलों में बांटा गया है और हर मंडल में भली भाँति सुसज्जित तथा कर्मचारी युक्त चिकित्सालय की व्यवस्था की गई है जो क्षय रोग से पीड़ित रोगियों का निशुल्क उपचार कर अपनी सीमा में क्षय रोग नियन्त्रण के लिए जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त ऐसे सब रोगी जिन्हें अस्पताल में उपचार की आवश्यकता समझी जाती है और जिनकी स्थिति जटिल हो अथवा जिन्हें शल्य क्रिया की आवश्यकता हो उन्हें शहर के लगभग 300 पलंगों की क्षमता वाले दो प्रमुख अस्पतालों नामतः राजन बाबू टी० बी० अस्पताल, तथा टी० बी० अस्पताल महरौली, में दाखिल कर दिया जाता है। नई दिल्ली टी० बी० केन्द्र में 15 तथा आर० के० मिशन टी० बी० क्लीनिक, करौल बाग नई दिल्ली में 28 अध्ययनार्थ पलंग भी हैं। टी० बी० के सक्रिय रोगियों का पता लगाने के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा एक चलता फिरता एक्स-रे यूनिट भी दिया गया हैं। विभिन्न मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्रों में भी नये उत्पन्न बच्चों तथा शिशुओं के लिये बी० सी० जी० निरोधी सुविधायें उपलब्ध हैं और स्कूल जाने वाले बच्चों को भी बी० सी० जी० के टिके लगाये जा रहे हैं।

दिल्ली में मेडिकल कालेजों में दाखिला

193. **श्रीमती शारदा मुकर्जी :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रि-मेडिकल क्लास में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की बहुत बड़ी संख्या को दिल्ली में मेडिकल कालेजों में दाखिला नहीं मिलता ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रवेश परीक्षायें चालू किये जाने की जिस योजना के संबंध में वचन दिया गया था वह लागू नहीं की गई है ;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप मेडिकल काले़ज के प्रत्याशियों में यह भावना बढ़ रही है कि दाखिले गुण एवं न्याय के आधार पर नहीं दिये जाते ;

(घ) यदि हां, तो दिल्ली के मेडिकल कालेजों के इस प्रकार के कुप्रबन्ध को ठीक करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ङ) प्रस्तावित उपचार कदमों के मुख्य ब्यौरे क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली तथा मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली, इन तीन चिकित्सा, कालेजों में प्रवेश-परीक्षा की स्थिति इस प्रकार है :

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

इस संस्थान में क्वालिफाइंग परीक्षा में प्राप्त अंकों तथा अखिल भारतीय आधार पर इस संस्थान द्वारा आयोजित प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित पात्रता के अनुसार दाखिले किये जाते हैं।

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली

इस कालेज में दाखिले फिलहाल केवल क्वालिफाइंग विश्वविद्यालय परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित पात्रता के अनुसार ही किये जाते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय तथा हाल ही में अनुमोदित अतिरिक्त 30 सीटों के अलावा दाखिले अखिल भारतीय आधार पर किये जाते हैं। ये सीटें दिल्ली विश्वविद्यालय को प्री—मेडिकल परीक्षा में पहली श्रेणी के अंक प्राप्त केवल उन छात्रों के लिए आरक्षित होती है जिन्हें सामान्य दाखिलों के अन्तर्गत दाखिल नहीं किया जा सकता।

इस कालेज में प्रवेश के लिए एक प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव पर दिल्ली विश्वविद्यालय को जिससे यह कालिज सम्बद्ध है शैक्षिक/कार्यकारी परिषदें सक्रियता से विचार कर रही हैं।

मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली

इस कालेज में दाखिला प्री-मेडिकल अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित पात्रता के अनुसार दिया जाता है। इस कालेज में प्रवेश दिल्ली में निवास तथा ऐसी अन्य शर्तों के आधार पर दिये जाते हैं जो कालेज द्वारा समय-समय पर निकाले गये विवरण पत्र में दी गई हों।

इस कालेज में प्रवेश के लिये एक प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव पर दिल्ली विश्वविद्यालय को शैक्षिक/कार्यकारी परिषदें सक्रियता से विचार कर रही हैं।

(ग) दाखिले गुणावगुणों के आधार पर किये जाते हैं और किसी प्रकार के अन्याय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) दिल्ली के उन छात्रों द्वारा अनुभूत होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से प्री-मेडिकल परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की थी अर्थात् जिन्होंने 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये थे, इस वर्ष (1970) 40 सीटें मौलाना आजाद मेडिकल कालेज और 30 सीटें लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज में बढ़ा दी गई हैं।

आधुनिकतम प्रतिरक्षा उपकरणों का देश में निर्माण

194. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा उपकरणों के निर्माण के आधुनिकतम क्षेत्रों में प्रवेश करने की सरकार की योजना है ;

(ख) यदि हां, तो यह नये क्षेत्र कौन से हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन नये क्षेत्रों में विदेशी सहयोग के साथ प्रवेश करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो किन देशों के साथ ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ). देश में मीजाईलों के निर्माण के एक योजना कार्यान्विति अधीन है। अधिक विस्तार देना लोकहित में नहीं है।

गोआ में तेल शोधक कारखाना

195. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** :
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :
श्री बाल्मीकी चौधरी :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गोआ में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह रोस्तम के कच्चे तेल पर आधारित होगा ;

(ग) क्या तेल शोधक कारखाना स्वदेशी रूप से अथवा विदेशी सहयोग के साथ स्थापित किया जायेगा ; और

(घ) इसमें उत्पादन कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) गोआ में एक शोधनशाला की स्थापना का प्रश्न परीक्षाधीन है।

(ख) से (घ) इस समय प्रश्न नहीं उठता।

आम प्रयोग में आने वाली औषधियों के लागत ढांचे का अध्ययन

196. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उचित विक्रय मूल्य नियंत्रक नियत करने के विचार से आम प्रयोग में आने वाली 25 प्रतिशत औषधियों के लागत ढांचे की जांच पूरी कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में निकाले गये निष्कर्षों के ब्यौरे और औषधियों के लिए नियत किये गये मूल्य क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं, जांच जारी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

छिपे नागाओं के साथ सम्पर्क

197. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अथवा नागालैंड सरकार और छिपे नागाओं में हाल ही में कोई सम्पर्क स्थापित हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) छिपे नागाओं को वास्तविकता से अवगत कराने तथा उन्हें विवेक और शांति के पथ पर लाने के लिए नागालैंड के मंत्री विधान सभा के सदस्य और अन्य प्रतिष्ठित लोग उनसे बराबर अनौपचारिक सम्पर्क बनाए रहे हैं।

(ख) इस निरन्तर सम्पर्क के फल स्वरूप हाल के महीने में बड़ी संख्या में छिपे नागाओं ने आत्म समर्पण किया है तथा उनके मुख्य संगठन की संख्या में कमी आई है। इस अनौपचारिक सम्पर्क से उग्रपंथियों पर संयमकारी प्रभाव भी पड़ा है।

सरकारी कर्मचारियों को गर्भ-निरोधकों का नि:शुल्क वितरण

198. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों अथवा केन्द्र में सरकारी कर्मचारियों को गर्भ निरोधक नि:शुल्क रूप से वितरित किये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस निःशुल्क वितरण पर वर्षानुसार व्यय हुई धन-राशि क्या है ;

(ग) क्या उन लोगों को भी गर्भ-निरोधकों का निःशुल्क वितरण किया जाता है जो स्वायत्त निकायों और सरकारी उपक्रमों में कार्य करते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस पर व्यय हुई धन-राशि वर्षानुसार क्या थी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) प्रचलित गर्भ-निरोधक परिवार कल्याण नियोजन केन्द्रों/उप-केन्द्रों । विभिन्न एजेन्सियों द्वारा चलाए जा रहे क्लीनिकों में सभी वर्गों के व्यक्तियों को, जिसमें सरकारी कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, मुफ्त सप्लाई किये जाते हैं ।

(ख) वर्गावार हिसाब नहीं रखा जाता ।

(ग) ऐसे स्वायत्त निकायों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को, जिन्होंने अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र खोल रखे हैं, सरकार वितरण हेतु प्रचलित गर्भ-निरोधक निःशुल्क सप्लाई करती है ।

(घ) अलग हिसाब नहीं रखा जाता । पिछले तीन वर्षों में प्रचलित गर्भ-निरोधक मुफ्त बांटने पर खर्च की गई कुल राशि इस प्रकार है :—

	रुपये लाखों में
1967-68	14 29
1968-69	80.94
1969-70	84.15

उपभोक्ता गैस के मूल्य में कमी

199. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपभोक्ता गैस (इन्डेन आदि) का मूल्य घटाने का सरकार ने निर्णय किया था ;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया था ;

(ग) क्या यह निर्णय कार्यान्वित कर दिया गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (घ). तरल पेट्रोलियम गैस का मूल्यांकन सरकार के सक्रिय विचाराधीन है ।

Escape of a Russian Involved in an Accident in Bombay

200. **Shri Meetha Lal Meena : Shri Devindar Singh Garcha : Shri Virendrakumar Shah :**

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Maharashtra Government have written to the Central Government about an employee of Russian Consulate at Bombay who was involved in an accident and left for Russia before the completion of the Investigations ; and

(b) if so, the action taken by Government of India thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Inquiries have been instituted into this occurrence.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में (प्रश्न)

RE: CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE (QUERY)

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमने अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियार सप्लाई किये जाने के बारे में ध्यान दिलाने वाली सूचना दी थी। क्या हमारे नाम भी इस प्रस्ताव में जोड़ दिये गये हैं ? हम चाहते हैं कि हमारे प्रस्ताव को अलग से लिया जाये क्योंकि हमने रूस द्वारा पाकिस्तान को हथियार सप्लाई किये जाने के मामले को अपने प्रस्ताव में नहीं उठाया।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : इस सम्बन्ध में नियम 197 बिल्कुल स्पष्ट है कि एक प्रस्ताव में एक से अधिक मामले को नहीं लिया जाना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : इनमें से एक मामला एक वर्ष से भी पहले हुआ था।

अध्यक्ष महोदय : यह एक ही मामला है अर्थात् अन्य राष्ट्रों द्वारा हथियारों की सप्लाई।

श्री ही० ना० मुकर्जी : इस मामले पर चर्चा करने के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है परन्तु दो मामलों को जोड़ दिया गया है, रूस द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई का मामला पिछले साल में सभा में उठाया गया था। अतः इसको इस समय उठाना उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : दो प्रस्ताव आये हैं। एक रूस तथा दूसरा अमरीका द्वारा हथियारों की सप्लाई।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : It was stated during the last session that two motions, if their wording is different are not clubbed. This time the names have been clubbed. My submission is that one procedure should be followed.

अध्यक्ष महोदय : श्री कंवर लाल गुप्ता के प्रस्ताव में दोनों देशों का उल्लेख है। इसी विषय पर अन्य भी कई प्रस्ताव थे। अतः सबको इसी प्रस्ताव के साथ जोड़ दिया गया है।

Shri Shiva Chandra Jha : The matter pertaining to supply of arms to Pakistan by U.S.A. is a burning problem and this matter was raised by the Prime Minister with the concerned Government. So it should be taken up separately.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रास्त्रों की सप्लाई

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : I call the attention of the hon. Minister of External Affairs to the following matter of urgent Public importance and I request that he may make a statement thereon :

"Arms supply to Pakistan by U.S.A. and U.S.S.R. and Pakistani's declaration to use the arms against India".

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों की सप्लाई के बारे में अमरीकी सरकार की नवीनतम घोषणा के विषय में संसद में सभी दलों को जो चिन्ता हो गयी है, सरकार उसे समझती है और वह भी उन्ही की तरह चिन्तित है। इस निर्णय का यह परिणाम निस्संदेह हो सकता है कि पाकिस्तान, जिसके पास पहले से ही हथियारों का बहुत अंबार है, इस शस्त्र शक्ति की अभिवृद्धि का उपयोग भारत को धमकाने के लिए करे बजाय अपने मतभेदों को द्विपक्षीय विचार-विमर्श से शान्तिपूर्व सुलझाने के।

2. जैसा कि सदन को याद होगा, 1965 में अमरीकी सरकार ने पाकिस्तान और भारत को घातक हथियार देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। 30 सितम्बर, 1970 को हमें आधिकारिक रूप से यह सूचना दी गयी कि अमरीकी सरकार ने इस प्रतिबन्ध में एक अपवाद करने का निश्चय किया है और पाकिस्तान के जो विमान और वक्तरबन्द गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गयी हैं और इस्तेमाल के कारण घिस-घिसा गई हैं उन्हें बदलने के लिए उसे कुछ विमान और वक्तरबन्द गाड़ियाँ देगा। हमने यहां अमरीकी राजदूत के माध्यम से और संयुक्त राज्य अमरीका में अपने राजदूत के माध्यम से भी अमरीकी सरकार से विरोध प्रकट किया है। अमरीकी सरकार ने हमें यह आश्वासन दिया था और बाद में एक सार्वजनिक वक्तव्य भी जारी किया था कि यह बिक्री उक्त प्रतिबन्ध में एक बार के लिए छूट होगी।

3. अमरीकी सरकार ने हमें बताया है कि उन्होंने एफ-104 किस्म के 6 स्टार फाइटर-इन्टरसेप्टर, 300 वक्तरबन्द कर्मचारी वाहन, सात बी-57 बमवर्षक और चार समुद्री गश्ती विमान बेचने की पेशकश की है। ये बहुत सूक्ष्म आक्रामक सैनिक सामान हैं।

4. हमारे विरोध के जवाब में अमरीकी सरकार ने यह कह कर अपने निर्णय को न्यायोचित सिद्ध करने की कोशिश की है कि उपस्करों की इस बदली को बहुत महत्व नहीं देना चाहिए और यह भी कहा कि यह बिक्री पाकिस्तान की रक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जा रही है। हमने उन्हें यह बताया है कि हम इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने बार-बार यह कहा है कि भारत ही उसका एक मात्र दुश्मन है। जैसा कि सदन

को मालूम है कि भारत ने ताशकन्द घोषणा पर हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त भी पाकिस्तान से युद्ध न करने की संधि की बार-बार पेशकश की है और उसके साथ अपने संबंधों को सामान्य करने के लिए कई तरह से पहल की है। .इसलिए पाकिस्तान को भारत की ओर से किसी खतरे की आशंका रहने का कोई कारण नहीं है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने ही स्वाधीनता के बाद से तीन बार आक्रमण किया है। कतिपय पाकिस्तानी नेताओं ने जो 1965 में ऊंचे-ऊंचे पदों पर थे, अपने हाल के चुनाव आन्दोलन के दौरान बड़े जोर दार शब्दों में यह कहा है कि पाकिस्तान ने उन्हीं के नेतृत्व में भारत के साथ ये संघर्ष शुरू किए थे।

5. विश्वसनीय आकलन के अनुसार 1954 से 1965 तक पाकिस्तान को 1.5 से 2 बिलियन डालर के मूल्य की अमरीकी सहायता दी गई थी। इस सौदे में विशेष रूप से जो असंतोषजनक बात है वह यह है कि संयुक्त राज्य अमरीका इस आधार पर इसे न्यायोचित सिद्ध करने का प्रयास करता है कि जो उपस्कर प्रयोग और समय के कारण काम में लाने के लायक नहीं रहे हैं, उनके स्थान पर वे उपस्कर दे रहे हैं। बदली की जिम्मेदारी सिद्धान्त में स्वीकार करना मात्र ही गम्भीर चिन्ता का कारण बन जाता है। किन्तु अगर अमरीका ने पाकिस्तान को हथियार न दिये होते तो यह उप-महाद्वीप कई विनाशकारी युद्धों से बच गया होता।

6. पहले यह जो आश्वासन दिया गया था कि भारत के विरुद्ध पाकिस्तान अमरीकी हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा, निष्फल सिद्ध हुआ, और इस समय भी इस प्रकार का आश्वासन दिया गया है। इससे इस बात का पता चलता है कि स्वयं अमरीकी सरकार यह समझती है कि हमारे विरुद्ध इन हथियारों का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार की कार्रवाई से इस उप-महाद्वीप में न केवल तनाव बढ़ेगा और शख्त होड़ होगी, बल्कि भारत के प्रति पाकिस्तान और भी दुराग्रही होगा और पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों को सामान्य बनाने में और भी कठिनाई उत्पन्न होगी। अतः संयुक्त राज्य अमरीका का निर्णय, विशेष रूप से इस समय, और भी खेदजनक है जब कि हम कुछ क्षेत्रों में पाकिस्तान के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की आशा रखने लगे हैं।

7. 1968-69 में सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ ने पाकिस्तान को जो हथियार दिए थे उनके खिलाफ भी हमने विरोध प्रकट किया था। हमने उन्हें यह बताया था कि उनका सैनिक साज-समान, अमरीका और चीन से पाकिस्तान को पहले ही प्राप्त हथियारों की तरह ही, स्पष्टतः भारत के खिलाफ इस्तेमाल किये जाने के लिए है। उस समय रूसी सरकार ने हमें यह आश्वासन दिया था कि पाकिस्तान को वे जो हथियार दे रहे हैं उसका मन्तव्य भारत को नुकसान पहुँचाना नहीं है बल्कि हो सकता है कि इस माध्यम से पाकिस्तान को भारत के साथ अपने संबंध सामान्य करने के लिए राजी करने में सहायता मिले। हम इस तर्क से सहमत नहीं थे। इसीलिए हमने सोवियत सरकार के समक्ष बार-बार विरोध किया। हमें इस बात की खुशी है कि सोवियत सरकार ने हमारे विरोध प्रदर्शन को महत्व दिया है और हमें यह सूचित किया है कि उन्होंने विगत में पाकिस्तान को जो कुछ हथियार दिए हैं उन्हें छोड़कर उसे उन्होंने और हथियार सप्लाई नहीं किए हैं और न ही सप्लाई करने का उनका कोई इरादा है।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि "आरमर्ड पर्सनल कैरियर" का क्या अर्थ है। क्या ये टैंक होते हैं अथवा कुछ अन्य चीज।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को बिना अनुमति के नहीं बोलना चाहिए। यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के बोलेगा तो उसकी बात को रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

Shri Kanwar Lal Gupta : No, we will be satisfied with the reasons advanced by U.S.A. for supplying arms to Pakistan. The two big powers *i.e.* Russia and America are supplying arms to Pakistan although both of them are aware that Pakistan is getting arms from China and other countries also and that these arms will used against India only. Is this due to the failure of our foreign policy. I also want to know what is meant by this 'one time exception'. What is the logic behind it.

Are these big powers pressuring us so that we may reach at some settlement with Pakistan on Kashmir and also sign non-proliferation treaty. This time I want an assurance from the Government to the effect that Kashmir is not negotiable.

I also want to know whether some assessment has been made regarding the quantity of arms supplied by Russia to Pakistan. It has just now been stated that Russia will not supply any more arms to Pakistan. I want to know whether this assurance has been given by Russia in writing or verbally ? It is true that the armed strength of Pakistan has been doubled since 1965. What action has been taken to counteract this strength.

Shri Mahida has stated that there is every likelihood that Pakistan may start Israel type war with India. I want to know the basis of that ? Is it also fact that now a days the intelligence of Pakistan is more active in India and infiltration is also on the high side.

So far as self reliance is concerned I want to know whether we are producing goods according to our targets and requirements ? My information is that our production is not according to our targets. We are dependent upon Russia for MIGs and many other things. Several parts of the MIGs are being imported.

I also want to know whether Government is proposed to make an announcement that no negotiations will be held with China as long as she continues to be an aggressor ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं सर्वप्रथम श्री सोंधी के प्रश्न का उत्तर दूंगा। आरमर्ड पर्सनल कैरियर कोई टैंक नहीं है। यह सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षा से ले जाने वाली गाड़ी है। इसमें छोटे हथियार लगे होते हैं।

जहां तक श्री गुप्त के प्रथम प्रश्न के बारे में मेरा उत्तर 'नहीं' में है। जहां तक 'वन टाइम एक्सैप्शन' का सम्बन्ध है हम समझते हैं कि हथियारों की केवल यही खपत उनको दी जायेगी। अमरीका इस बात पर दृढ़ रहता है अथवा नहीं यह एक अलग बात है। अमरीका तथा रूस से काफी ऐसा संकेत नहीं मिला कि वे हम पर दबाव डालने के लिए पाकिस्तान को हथियार दे रहे हैं जिससे हम कश्मीर तथा अणुशक्ति प्रसार संधि के बारे में अपने रवैये में परिवर्तन करें। इस बारे में हमने राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया है और हम इस पर दृढ़ रहेंगे।

जहां तक पाकिस्तान को रूस, अमेरिका तथा अन्य देशों से मिलने वाले हथियारों की मात्रा का सम्बन्ध है इस बारे में सभा को समय-समय पर जानकारी दी जाती रही है। अमरीका ने इस बारे में स्वयं घोषणा कर दी है। जब तक सप्लायर से जानकारी प्राप्त न हो यहां पर जानकारी देन मेरे लिए उचित नहीं है।

यह सच नहीं है कि पाकिस्तान ने उसको 1965 में हुई हानि को पूरा कर लिया है।

हमने प्रतिरक्षा सम्बन्धी अपनी नीति तथा योजना बनाते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखा है।

जहां तक श्री महीडा द्वारा दिए गए वक्तव्य का सम्बन्ध है तो मेरा निवेदन है कि यह प्रश्न उनसे ही पूछा जाना चाहिए। यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

हमने सदा आत्म-निर्भरता पर अधिक जोर दिया है। परन्तु जो सामान अभी हम स्वयं नहीं बना सकते उनकी सप्लाई के साधनों की हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें जहां से भी हथियार मिलेंगे हम उन्हें लेने का प्रयास करेंगे।

जहां तक चीन के बारे में नीति अपनाने का सम्बन्ध हैं यह एक अलग प्रश्न है और इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, I wanted to know the quantum of arms supplied by Russia to Pakistan. It has not been replied too...

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने कहा है कि रूस ने सप्लाई नहीं किये हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : It has been given in the statement that :

"We are glad that the Soviet Government have given consideration to our representations and informed us that they have not supplied and do not intend to supply any military hardware to Pakistan in addition already supplied in the past."

I want to know the quantum of arms supplied by Russia to Pakistan in the past.

My question regarding China is also relevant as China and Pakistan are our two enemies. I wanted to know whether that is the only way that we should start negotiations with China unconditionally to solve this problem ?

श्री स्वर्ण सिंह : अमरीका ने स्वयं यह बता दिया है कि वह पाकिस्तान को क्या तथा कितने हथियार दे रहे हैं। रूस ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि उन्होंने पाकिस्तान को कितने हथियार सप्लाई किए हैं। रूस ने हमें जो हथियार दिए हैं उसके बारे में भी उन्होंने किसी को नहीं बताया।

श्री कंवर लाल गुप्त : आपने पहले एक अवसर पर बताया था कि रूस ने पाकिस्तान को टैंक तथा 130 मिलीमीटर की तोपें सप्लाई की हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : यह जानकारी मैं पहले ही सभा को दे चुका हूं। परन्तु मैंने इनकी संख्या के बारे में नहीं बताया था। आज भी तत्सम्बन्धी आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : वास्तव में सरकार ने इस बारे में कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की है। अमरीका, रूस तथा चीन से पाकिस्तान को हथियारों का अत्यधिक सप्लाई के कारण देश को एक गम्भीर खतरे का सामना है।

गम्भीर द्वारा सप्लाई किये जाने वाले हथियारों का ब्यौरा दिया गया है हमारा यह अनुभी ठीक ही है कि ये हथियार हमारे विरुद्ध इस्तेमाल किये जायेंगे। यह भी बताया जाना चाहिए था कि इस चुनौती का सामना करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है।

रूस का उल्लेख एक छोटे से पैरा में किया गया है। इस बारे में प्रसन्नता प्रकट की गई कि उन्होंने हमारे अभ्यावेदनों पर उचित ध्यान दिया है।

रूस ने पाकिस्तान को शस्त्र देने के सम्बन्ध में जो स्पष्टीकरण दिया है, उसमें उन्होंने बताया है कि वे अपनी नीति के अनुरूप ही उन्हें हथियार दे रहे हैं और वह नीति है दोनों देशों के बीच सम्बन्धों को सामान्य बनाना। रूस यही तर्क देता है कि वह पाकिस्तान तथा भारत के सम्बन्ध सामान्य बनाने के लिए सहायता कर रहा है। रूस वालों की दृष्टि से यह भी ताशकन्द समझौते का ही एक अंग है जिसे वे क्रियान्वित कर रहे हैं। इस मामले पर सभा में चर्चा के लिए पहले जब हमने मांग की थी तो सरकार ने उसे नहीं माना था। इस वक्तव्य में भी एक बड़ा ही सुगठित वाक्य है जिससे यह ध्वनि निकलती है कि रूस ने पाकिस्तान को सैनिक साज-सामान नहीं दिया है। सरकार का कहना है कि रूस ने पाकिस्तान को हथियार नहीं दिये हैं। शायद, उनका तात्पर्य ट्रैक्टरों, हेलिकाप्टर, विमान आदि की सप्लाई से है। परन्तु क्या रूस ने पाकिस्तान को एम एम/तोप-बन्दूकें नहीं दी थी क्या इन बन्दूकों को सैनिक हथियारों के अन्तर्गत नहीं माना जा सकता। हमारी सरकार ने अमरीका द्वारा पाकिस्तान को की गई शस्त्रों की सप्लाई के बारे में तो बहुत से आंकड़े एकत्र किये, किन्तु रूस द्वारा की गई सप्लाई से सम्बन्धित आंकड़े उसने क्यों एकत्र नहीं किये ?

मैं एक बात और जानना चाहता हूँ। सोवियत रूस का कहना है कि उन्होंने हमें जानकारी दे दी है। यह जानकारी वास्तव में कब दी गयी ? क्या उस समय जब अमेरिका जाती हुई हमारी प्रधान मंत्री जी कोसिजिन से मिली थी अथवा हमारे देश में हो रहे विरोध को देखते हुए ऐसा किया गया है।

पाकिस्तान को आवश्यकता से अधिक शस्त्रास्त्र दिये जाने तथा उस संदर्भ में हमारी सुरक्षा नीति पर नियमित रूप से सभा में चर्चा होनी चाहिए तभी हम संतुष्ट हो सकेंगे। हमारी सेना की कुछ डिवीजनें नागालैंड तथा चीन से लगने वाले क्षेत्र में और कुछ देश के आंतरिक मामलों में लगी हुई हैं तथा पाकिस्तान से जूझने के लिए केवल कुछ डिवीजन रह जायेंगी। क्या रूस हमें भी उसी प्रकार की सैनिक सहायता देगा जिस तरह की उन्होंने पाकिस्तान को दी है ? इससे हम पाकिस्तान का सामना कर सकेंगे और जिस सामान्य स्थिति की बात की जाती है, वह स्थिति उत्पन्न हो सकेगी।

श्री स्वर्ण सिंह : पहले प्रश्न के सम्बन्ध में मैं सभा के वरिष्ठ सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह इस समय सोवियत रूस द्वारा दी जाने वाली शस्त्रास्त्र सहायता के सम्बन्ध में उतनी ही विस्तृत चर्चा न करें जितनी कि अपने उत्तर में उन्होंने अमरीका द्वारा शस्त्रास्त्र दिये जाने के बारे में कही है। मैं सदस्य महोदय को स्मरण कराना चाहता हूं कि सोवियत रूस द्वारा शस्त्रास्त्र देने के बारे में सभा में विस्तार से चर्चा हो चुकी है।

मैं इस कथन का जोरदार विरोध करता हूँ कि इस सम्बन्ध में चर्चा करते समय हम दोहरी नीति अपनाते हैं। निश्चय ही पाकिस्तान को टैंक, तोपें इत्यादि सैनिक साज-सामान दिया गया है और ये बहुत घातक हथियार हैं। मैंने अपने वक्तव्य में सोवियत रूस द्वारा पाकिस्तान को हथियार दिये जाने के सम्बन्ध में किसी भी बात को छिपाया नहीं है।

जहां तक आश्वासन दिये जाने का प्रश्न है कि यह कब दिया गया । आश्वासन तो बहुत पहले दिया गया था । इसे प्रधान मंत्री की श्री कोसिजिन की वार्ता के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए । जहां तक इस सम्बन्ध में सभा में चर्चा किये जाने का प्रश्न है तो प्रतिरक्षा मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा करते समय इन सभी बातों पर चर्चा की जाती है । मेरे विचार से मैंने उठाये गये सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : हमें अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई का उतना ही विरोध करना चाहिये जितना कि पिछले दिनों सोवियत रूस द्वारा पाकिस्तान को हथियार दिये जाने के बारे में किया गया था । इस सम्बन्ध में अमरीका तथा रूस दोनों देशों द्वारा जो तर्क दिये जाते हैं वे न तो प्रभावपूर्ण हैं और न ही संगत । जब अमरीका हथियार देता है तो वह कहता है कि ऐसा सोवियत रूस के प्रभाव को कम करने के लिए किया जा रहा है और सोवियत रूस का कहना है कि वह पाकिस्तान में अमरीका के प्रभाव को कम करने के लिये हथियार दे रहा है ।

हथियारों की सप्लाई को न्यायसंगत ठहराने के लिए एक और तर्क दिया जाता है कि इन्हें भारत के विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जायेगा । इस बात में भी कोई तथ्य नहीं है । कुछ समय पूर्व राष्ट्रपति अयूब ने कहा था कि "हम हथियारों की सहायता, उन्हें गद्दों में रखने के लिए नहीं ले रहे हैं ।" मंत्री महोदय श्री महिडा ने भी कहा है कि पाकिस्तान द्वारा छेड़छाड़ किये जाने की सम्भावना है । मन्त्री महोदय को सभा में आकर बताना चाहिये कि उन्होंने किस आधार पर वक्तव्य दिया था अन्यथा उन्हें अनुत्तरदायित्वपूर्ण वक्तव्य देने का दोषी माना जाये ।

किन्तु केवल अमरीका या रूस को दोष देने से काम नहीं चलेगा । हमें अपने घर की स्थिति का भी निरूपण करना होगा । हमारी विदेश नीति असफल सिद्ध हुई है । हमारी नीति निर्गुट न होकर केवल रूस को प्रसन्न रखने की हो गयी है । हम यह कह कर सन्तोष प्राप्त करते हैं कि रूस के साथ हमारे सम्बन्ध अनेक दिशाओं में है और हथियारों की सप्लाई को उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिये । मन्त्री महोदय ने अमरीका द्वारा पाकिस्तान को दिये गये हथियारों का विस्तृत विवरण देने से इनकार किया है । वास्तव में वह इस तथ्य को छिपा रहे हैं कि सोवियत रूस द्वारा पाकिस्तान को दिये गये हथियारों की मात्रा अमरीकी हथियारों से कहीं अधिक है । इसी मन्त्रालय द्वारा कुछ समय पूर्व सभा में बताया गया था कि भारत सरकार की जानकारी के अनुसार 1968-69 में सोवियत रूस ने पाकिस्तान को 150 टैंक, 13 एम० एम० जी, राडार अन्य विभिन्न प्रकार के हथियार दिये थे । मैंने दो और प्रश्न पूछने हैं । विश्व की चार बड़ी शक्तियां भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को हथियार सप्लाई क्यों करती है ? क्या अब सरकार को विश्वास हो गया है कि बदलती हुई विश्व की राजनीति के अनुसार विदेश नीति में परिवर्तन की आवश्यकता है और रूस को प्रसन्न करने की नीति छोड़कर वास्तविक निर्गुट नीति अपनायी जानी चाहिए ।

श्री स्वर्ण सिंह : सदस्य महोदय ने अधिकतर अपने ही विचार प्रकट किये हैं । अन्त में उनका यही कहना है कि हमें सच्चे अर्थों में निर्गुट नीति अपनानी चाहिये । यह प्रसन्नता की बात है कि स्वतन्त्र पार्टी भी इस नीति के गुणों को पहचान गयी है । किन्तु वह एकतरफा बात

कर रहे हैं। जो बातें भी कही गयी हैं उन पर सभा में सविस्तार चर्चा की जा चुकी है। किसी देश को प्रसन्न करने की हमारी नीति नहीं है किन्तु सोवियत संघ द्वारा जो इतनी अधिक सहायता सैनिक, औद्योगिक क्षेत्र आदि में दी गयी है, उसके महत्व को भी कम नहीं किया जाना चाहिए। प्रस्तुत परिस्थितियों में चर्चा का विषय अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई है किन्तु आश्चर्य है कि सदस्य महोदय ने इस बारे में कोई भी प्रश्न नहीं किया है। इस तरह से हमारी अपनी ही स्थिति कमजोर होती है। मुझे बहुत अफसोस है कि उन्होंने मेरे पहले के भाषणों से कुछ बातें उद्धृत कर गलत प्रभाव डालने का प्रयत्न किया है ' मुझे याद है कि प्रतिरक्षा मन्त्री के नाते मैंने इस सम्बन्ध में अनेक प्रश्नों का उत्तर दिया है और सोवियत संघ द्वारा पाकिस्तान को दी गयी हथियारों की सहायता की मात्रा भी बताई होगी किन्तु मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि हमारी जानकारी समाचारपत्रों पर आधारित थी किन्तु यहां तो अमरीका की सरकार द्वारा वक्तव्य में हथियारों की सप्लाई की बात कही गयी है। इसलिए हमारी नीति में परिवर्तन किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मेरे मुख्य प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मन्त्री जी ने कहा है कि सोवियत संघ द्वारा दिये गये हथियारों सम्बन्धी जानकारी गोपनीय है किन्तु उन्होंने पहले इस सम्बन्ध में विवरण दिया था क्या वह इस बात से इनकार कर सकते हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जानकारी को न बताने का मेरा कभी भी इरादा नहीं रहा है। पहले मैंने जो भी शब्द कहे हैं मैं उस पर दृढ़ हूँ। सदस्य महोदय को मेरे ही शब्दों को मेरे विरुद्ध प्रयोग नहीं करना चाहिये।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है कि क्या यह सत्य हैं कि रूस द्वारा दिये गये हथियारों की संख्या अमरीकी हथियारों से कहीं अधिक है।

अध्यक्ष महोदय : वह उत्तर दे चुके हैं, और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। (अन्तर्बाधा)

श्रीमती इला पालचौधरी (कृषनगर) : इस बात को देखते हुए कि अमरीका हमारी बातों पर ध्यान न देकर पाकिस्तान को हथियार दे रहा है और अकेला वह ही नहीं और भी देश हथियार दे रहे हैं जैसे पाकिस्तान फ्रांस से मिराज—III तथा जर्मनी संघ गणराज्य से कोबरा-एन्टी-टैंक मिसाइल तथा जमीन से वायु में मार करने वाले प्रक्षेपणास्त्र प्राप्त कर रहा है, तो भारत के लिए हथियार जुटाने के सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है।

मुझे माननीय मंत्री जी के कथन से प्रसन्नता हुई है कि हमें देश पर आये खतरों का सामना करने के लिए प्रयत्न करना चाहिये। माननीय प्रधान मन्त्री ने भी अपने न्यूयार्क के संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही है कि भारत की स्थिति बिल्कुल भिन्न है क्योंकि विदेशी सेनायें हमारी सीमा से केवल 20 फुट की दूरी पर हैं। वास्तव में काश्मीर तथा नादिया जैसे बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र में ये सेनायें 20 फुट से भी कम दूर हैं। इस बात को देखते हुए मैं जानना चाहती हूँ कि हमारी सीमाओं विशेषकर पश्चिम बंगाल की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

तीसरे हमारे आयुध कारखानों में भी घुसपैठ हुई है। पाकिस्तान को मिले भारी मात्रा में मिले हथियारों तथा हमारे आयुध कारखानों में काम बन्द किये जाने से खतरा काफी बढ़ गया है। इस चीज को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है ?

चौथे क्या सरकार को जानकारी है कि पाकिस्तान ने इन हथियारों को प्राप्त करने के पश्चात तोड़-फोड़ करने के कार्य में ही प्रशिक्षण देने के लिये बहुत से केन्द्र खोले हैं जहां 10,000 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और काश्मीर सीमा के पार पाकिस्तान ने आधे दर्जन से अधिक भूमिगत हवाई अड्डों का निर्माण किया है ? ऊरी क्षेत्र में जिस जासूसी अड्डे का सफाया किया गया था, उसमें हमारे भी कुछ आदमी शामिल थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने उनकी सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुना है। वे सभी संगत तथा महत्वपूर्ण हैं। किन्तु उन्होंने प्रश्न गलत मंत्री से पूछे हैं। उनका सम्बन्ध या तो प्रतिरक्षा मन्त्रालय अथवा गृह मन्त्रालय से है और मुझे विश्वास है कि यदि उन्हें उचित ढंग से पूछा गया तो उत्तर अवश्य दिया जायेगा।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)

RE. MOTION FOR ADJOURNMENT (QUERY)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मैं अपना विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश करना चाहता हूँ जिस की मैं ने सूचना दे रखी है।

अध्यक्ष महोदय : कई विशेषाधिकार प्रस्ताव हैं। मैं उन सब पर विचार कर रहा हूँ।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) मैं ने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

अध्यक्ष महोदय : संसद का इससे कोई संबंध नही कि विधायक-गण क्या करते हैं। मैंने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है।

श्री प्र० के० देव : उड़ीसा सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुमति मांगी थी कि क्या राज्य सरकार अपने इस्पात संयंत्र के बारे में स्वयं ही आगे कार्यवाही करते रहे। अब वहां स्थिति नाजुक है। लोग आवेश में तथा वहां के विधायक यहां आये हुए हैं। यदि आप उक्त स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नही करते तो मैं सभा छोड़ कर चला जाऊंगा।

इसके बाद श्री प्र० के० देव सभा भवन से बाहर चले गये।

Shri P.K. Deo then left the House.

श्री नाथ पाई : मेरा विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रत्यक्षत: तथ्यपूर्ण था और मुझे प्रसन्नता है कि आपने उसमें वर्णित विषय पर विचार करना स्वीकार कर लिया है।

अध्यक्ष महोदय : उस पर मैंने अपना निर्णय रोक रखा है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं ने भी पश्चिम बंगाल की कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उससे सहमत नहीं हूँ। यह प्रस्ताव कानून तथा व्यवस्था से संबंधित है जो कि एक निरन्तर जारी रहने वाला विषय है।

श्री राम मूर्ति (मदुरै) : वहां पुलिस को पहले से ही सूचित किये जाने के बाद भी श्रीमती के० सी० बोस की हत्या कर दी गई।

श्री समर गुह : वह राज्य राष्ट्रपति के शासनाधीन है तथा वहां की हर बात के लिये केन्द्र सरकार उत्तरदायी है।

श्री ज्योतिमय बसु (डायमंड हार्बर) : सरकार तो वहां चुनाव जीतने के लिये वहां के अन्य राजनैतिक लोगों की हत्या करवा रही है। सरकार को अपने इस कार्य पर शर्म आनी चाहिये।

श्री उमानाथ (पुद्दुकोटै) : श्रीमती बोस को पुलिस सुरक्षा नहीं दी गई तथा ऐसे मामलों पर चर्चा करने के लिये उस राज्य में कोई विधान सभा भी नहीं है अतः इस संबंध में तो इस सभा में ही प्रश्न उठाया जा सकता है। हमारा निवेदन है कि आप इस प्रश्न पर विचार करके उक्त प्रस्ताव को अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : यदि समय मिल सका तो इस बारे में भी चर्चा कर लेंगे क्योंकि ऐसे अनेक मामले हैं...(**व्यवधान**)

श्री नाथ पाई : मुझे स्पष्ट नहीं हुआ कि आप उक्त स्थगन प्रस्ताव को कैसे अस्वीकार कर सकते हैं।...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति।

श्री समर गुह : सलाहकार समिति की बैठक छः मास से नहीं हुई है और इस बारे में प्रधान मंत्री ने मेरे पत्र का उत्तर तक ही नहीं दिया। ऐसी बातें हम और कहां जाकर उठायें? पश्चिम बंगाल में प्रतिदिन आधा दर्जन लोग मारे जाते हैं, 32 पुलिस कर्मचारी भी मारे गये। कुछ दिन पूर्व एक सज्जन महिला की नृशंस हत्या कर दी गई। अब ऐसी बातों को भी यदि हम लोक सभा में न उठायें तो कहां जायें? पश्चिम बंगाल वहां के नागरिकों के लिये नर्क बन गया है। वहां राजनैतिक कर्मचारियों की भी हत्यायें की जा रही हैं। अतः हमारा यह स्थगन प्रस्ताव आज ही विचारार्थ स्वीकार किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इन माननीय सदस्य ने एक ही समय पर दो विभिन्न प्रस्तावों की सूचना दी है। और भी अनेक ऐसे प्रस्ताव हैं। मैं उन पर योग्यता के आधार पर विचार करके अपना निर्णय बताऊंगा।

श्री दी० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तरपूर्व) : पश्चिम बंगाल में कई घटनायें घटी हैं तथा वहां

बड़ी जटिल स्थिति उत्पन्न हो गई है । अनेक गंभीरतम घटनायें हो जाने पर भी गठित सलाहकार समिति इस बीच एक भी बैठक नहीं की है । और इसी कारण यहां संसदसदस्यों में चिन्ता व्याप्त है । साथ ही न तो सरकार स्वयं इस स्थिति पर चर्चा आरम्भ करती है और न ही संसदसदस्यों को यह प्रश्न यथार्थ सभा में उठाने देती है । अब यदि आप ही कोई आश्वासन दें कि इस विषय पर चर्चा होगी तथा स्थिति में सुधार किया जायेगा तो हम शान्त हो सकते हैं ।

श्री अ० कु० गोपालन (कासर गोड) : मैंने और श्री ज्योतिर्मय बसु ने मिलकर कलकत्ता से प्रधान मंत्री को एक तार भेजा था । श्रीमती के० जी० बोस एक स्कूल अध्यापिका थीं उन्होंने अपने जीवन को खतरे के बारे में पुलिस को भी सूचित किया । 15 व्यक्ति इनके स्कूल में घुसे और उनकी हत्या कर डाली । यह एक मामूली ही घटना नहीं है ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : The other adjournment motion is about the murder of democracy in U.P. It is also not an ordinary thing. You kindly reconsider about that motion too...

अध्यक्ष महोदय : राज्यपाल आदि की कार्यवाही मेरे विचार से स्थगन प्रस्ताव के विषय नहीं है । क्योंकि सलाहकार समिति की बैठक नहीं हुई इसलिये मैं गृह-कार्य मंत्री तथा संसद-कार्य मंत्री से इस विषय पर चर्चा हेतु कुछ समय तय करने को कहूंगा ।

गृह कार्य मंत्रालय में और इलैक्ट्रोनिकस और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : सलाहकार समिति की बैठक के बारे में संसदसदस्यों की चिन्ता को मैं अनुभव करता हूँ । यह बैठक अब इस मास की 17 तारीख को हो रही है ।

श्री दी० ना० मुकर्जी : हमें उसकी सूचना मिल चुकी है । परन्तु हम तो उस अन्तरिम अवधि की बात कर रहे । प्रधान मंत्री अब तक क्या करती रहीं ?

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्तावों में कई मामले उठाये गये हैं । हम उनके लिये कुछ समय निश्चित करेंगे । यह बैठक 17 नवम्बर को हो रही है । अच्छा होता कि यह बैठक पहले हो जाती ताकि यह शिकायत न उठती । मैं समझता हूँ कि इस पर यहां चर्चा होनी चाहिये उत्तर प्रदेश के बारे में भी कुछ समय तय किया जायेगा ।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : Recently, when the ex-Ministers who were found guilty by the Ayyar Commission, were trying to topple the Bihar Government. The Governor of the State said in an interview with Press that the Bihar Government is the most unstable Government among those of all the other State. May I know whether this is the view of the Central Governmen t or of the Governor himself ? Let the hon. Minister clarify this point.

अध्यक्ष महोदय : यह बात कभी फिर उठायी जा सकती है ।

Shri Ram Charan (Khurja) : The statement given about the accident conceals facts. The hon. Minister should resign. Eight persons have been stated to be killed whereas the dead bodies of 60-70 people have been hidden. All these persons belonged to my Jatav Harijan Class. The accident occurred at my station.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में विवरण

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री रोहन लाल चतुर्वेदी) : मैं हाल ही की कुछ रेल दुर्घटनाओं के बारे में एक विवरण तथा भारत सरकार की रेलों में गत पांच वर्षों के दौरान दुर्घटनाओं की प्रवृत्ति की समीक्षा और कुंजरू तथा बांचू समितियों की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल०टी०—4170/70]

विदेशी मुद्रा विनियम (संशोधन) अध्यादेश

संसद-कार्य और पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं संविधान के अनुच्छेद 123(2) (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा विनियम (संशोधन) अध्यादेश, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो 20 सितम्बर, 1970 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया गया था। सभा पटल पर रखता हूँ। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—4171/70]

अखिल भारतीय विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : मैं अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 19 के अन्तर्गत अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1969-70 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—4172/70]

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक एक प्रति :

(एक) मिट्टी तेल (अधिकतम मूल्यों का निर्धारण) आदेश 1970 जो दिनांक 1 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 864 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) मिट्टी तेल (अधिकतम मूल्यों का निर्धारण) संशोधन आदेश, 1970, जो

दिनांक 16 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1794 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) मिट्टी तेल (अधिकतम मूल्यों का निर्धारण) दूसरा संशोधन आदेश, 1970, जो दिनांक 16 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1795 में प्रकाशित हुआ था। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4173/70]

(2) उपर्युक्त मद (1) (एक) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4174/70]

———

उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना तथा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पत्र की प्रति

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अन्तर्गत दिनांक 1 अक्तूबर, 1970 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई थी, और जो दिनांक 2 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1756 में प्रकाशित हुई थी।

(2) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया दिनांक 1 अक्तूबर, 1970 के आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति जो दिनांक 2 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1757 में प्रकाशित हुआ था। ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4175/70]

(3) उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के दिनांक 2 सितम्बर, 1970 के प्रतिवेदन की एक प्रति जो राष्ट्रपति के नाम भेजा गया था। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4176/70]

(4) संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 18 अक्तूबर, 1970 का उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में 1 अक्तूबर, 1970 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा को रद्द किया गया तथा जो दिनांक 18 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1799 में

प्रकाशित हुई थी। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4177/70]

अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना देश में बाढ़ की स्थिति और हरिद्वार के टिकट अपरगगा नहर से रेल निकालने के बारे में विवरण

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण अधिनियम, 1968 की धारा 2 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस०ओ० 3125 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 23 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 के अधीन स्थापित दामोदर घाटी निगम द्वारा विद्युत ऊर्जा की पूर्ति से या इस प्रकार की पूर्ति के प्रयोजन के लिये विद्युत ऊर्जा के निर्माण, संग्रहण या प्रेषण से सम्बद्ध सेवा को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4178/70]

(2) देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में एक अनुपूरक विवरण। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4179/70]

(3) हरिद्वार के निकट अपरगंग नहर में से रेत निकालने के बारे में एक विवरण। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4180/70]

आयकर अधिनियम, धन कर अधिनियम, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण अधिनियम और सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) एस०ओ० 2877, जो दिनांक 1 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 जून, 1968 की अधिसूचना संख्या एस०ओ० 2063 में कतिपय संशोधन किये गये थे।

(दो) एस०ओ० 2879, जो दिनांक 1 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) एस०ओ० 2880, जो दिनांक 1 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चार) एस०ओ० 2882, जो दिनांक 1 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—4181/70]

(2) धन कर अधिनियम, 1957 की धारा 46 की उप धारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) एस०ओ० 2878, जो दिनांक 1 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 जून, 1968 की अधिसूचना संख्या एस०ओ० 2064 में कतिपय संशोधन किया गया था।

(दो) एस०ओ० 2881, जो दिनांक 1 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—4182/70]

(3) केन्द्रीय उत्पादन तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (12वां संशोधन) निगम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 17 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1791 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—4183/70]

(4) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) एस०ओ० 2771, जो दिनांक 22 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) एस०ओ० 2847, जो दिनांक 29 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) जी०एस०आर० 1244, जो दिनांक 29 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चार) जी०एस०आर० 1245, जो दिनांक 29 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) जी०एस०आर० 1246, जो दिनांक 29 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) जी०एस०आर० 1247, जो दिनांक 29 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) जी०एस०आर० 1306, जो दिनांक 5 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(आठ) जी०एस०आर० 1307, जो दिनांक 5 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(नौ) जी०एस०आर० 1308, जो दिनांक 5 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) जी०एस०आर० 1309, जो दिनांक 5 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । [ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०—4184/70]

(5) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 54वां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 29 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1242 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 58वां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 29 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1243 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 59वां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 5 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र के अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1298 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 60वां संशोधन, नियम, 1970, जो दिनांक 5 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1299 में प्र काशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रयि उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 61वां संशोधन, नियम, 1970, जो दिनांक 5 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1300 में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क, निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 62वां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 5 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1301 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात-शुल्क वापसी (सामान्य) 63वां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 5 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1302 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात-शुल्क वापसी (सामान्य) 56वां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 5 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1303 में प्रकाशित हुई थे।

(नौ) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 57वां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 5 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1304 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 58वां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 5 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1305 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सख्या एल० टी०—4185/70]

अध्यक्ष महोदय : श्री जमीर यहां उपस्थित नहीं हैं अतएव कोई अन्य मंत्री महोदय उनकी ओर से पत्र सभा पटल पर रखें।

संसद-कार्य और पोत परिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघु रामैया) : मैं श्री स० चु० जमीर की ओर से अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण अधिनियम, 1968 की धारा 2 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी०एस०आर 1876 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 7 नवम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत स्थापित भारतीय खाद्य निगम में सेवाओं को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है, सभा पटल पर रखता हूँ। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4186/70]

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा): मैं भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

साक्ष्य

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : मैं भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति तथा समिति की 12 अक्तूबर, 1970 की हुई बैठक के कार्यवाही—सारांश सभा पटल पर रखता हूँ ।

———

जाँच आयोग (संशोधन) विधेयक
COMMISSION OF INQUIRY (AMENDMENT) BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : मैं जांच आयोग अधिनियम, 1952 को और संशोधन करने वाला संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

———

जाँच आयोग (संशोधन) विधेयक
COMMISSION OF INQUIRY (AMENDMENT) BILL

साक्ष्य

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : मैं जांच आयोग अधिनियम, 1952 को संशोधन करने सम्बन्धी विधेयक पर संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

———

गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति विधेयक
MEDICAL TERMINATION OF PREGNANCY BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती तारा सप्रे (बम्बई-पूर्वोत्तर) : मैं रजिस्ट्रीकृत चिकित्सकों द्वारा कतिपय गर्भों की समाप्ति तथा तत्सम्बन्धी या प्रासंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

———

गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति विधेयक
MEDICAL TERMINATION OF PREGNANCY BILL

साक्ष्य

श्रीमती तारा सप्रे (बम्बई-पूर्वोत्तर) : मैं रजिस्ट्रीकृत चिकित्सकों द्वारा कतिपय गर्भों की

समाप्ति तथा तत्सम्बन्धी या प्रासंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गए साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

केन्द्रीय विक्रय-कर (संशोधन) विधेयक
CENTRAL SALES TAX (AMENDMENT) BILL

प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय को बढ़ाना

श्री रा० की० अमीन (ढंढ़का) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

"कि यह सभा केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956, का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए नियत समय को 3 मई, 1971 तक बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि यह सभा केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956, का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए नियत समय को 3 मई, 1971 तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अविश्वास प्रस्ताव के बारे में
RE: MOTION OF NO-CONFIDENCE

अध्यक्ष महोदय : क्या श्री शिवचन्द्र झा अपना अविश्वास प्रस्ताव वापिस ले रहे हैं या नहीं ?

Shri Shiva Chandra Jha : It has been the tradition of this House that the leader of the House remain present here at the time of raising the No-Confidence Motion. The questions of withdrawing the motion does not arise.

Mr. Speaker : There is no tradition that no-confidence motion is not taken in the absence of the leader of the House. Other Member have withdrawn their no confidence motion.

Shri Shiva Chandra Jha : At present there is neither Leader nor Deputy Leader. First you call the leader or take this subject after lunch.

अध्यक्ष महोदय : सभा के समक्ष यह प्रस्ताव है । ऐसा कोई नियम नहीं है कि मंत्रियों को बुलाया जाये ।

श्री राम सेवक यादव (बाराबकी) : वे इसके लिए जोर नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस पर मत विभाजन चाहते हैं तो मैं मध्याह्न भोजन के

पश्चात इसे सभा में मतदान के लिए रख सकता हूँ अन्यथा यह समय इसको वापिस ले लेने के लिए उपयुक्त है। अब हम मध्याह्न भोजन के लिए सभा को स्थगित करते हैं।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजकर तीस मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till thirty minutes past Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर तैंतीस मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha Reassembled after lunch at thirty three Minutes past Fourteen of the Clock.

[श्री श्रीचन्द गोयल पीठासीन हुए
Shri Shri Chand Goyal *in the Chair*]

केन्द्रीय श्रम विधियां (जम्मू और काश्मीर पर विस्तारण) विधेयक

CENTRAL LABOUR LAWS (EXTENSION TO JAMMU AND KASHMIR) BILL

सभापति महोदय : श्री भागवत झा आजाद

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कतिपय केन्द्रीय श्रम विधियों का जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर विस्तारण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : I have a point of order.

श्री भागवत झा आजाद : अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत संविधान के उपबन्ध, जो कि पहिले ही जम्मू तथा काश्मीर पर लागू नहीं होते हैं.....

Shri Shiva Chandra Jha : I have objection on this Bill. This Bill is on the introduction stage and not a consideration stage.

सभापति महोदय : आप को यह सब पता है और आप कोई बात उठाने से पूर्व सूचना देते रहे हैं चूंकि आपने यह नहीं किया है.....

Shri Shiva Chandra Jha : I have constitutional objection on it.

Mr. Chairman : This cannot be taken for consideration.

Shri Shiva Chandra Jha : The purpose of raising Point of Order will be defeated after its introduction.

सभापति महोदय : मैं अपनी कठिनाई को समझता हूँ, उन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया

है तथा वे इस पर बोल रहे हैं, आपने लिखित रूप में सूचना नहीं दी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी बारी आने पर इन बातों को उठायें।

Shri Shiv Chandra Jha : The Bill is on the consideration stage and the point can be raised.

अध्यक्ष महोदय : यह सभा आपके द्वारा संविधान से सम्बन्धित उठाये गये प्रश्नों पर विचार कर सकती है। अब मंत्री महोदय ने प्रस्ताव को प्रस्तुत कर दिया है तथा वे इस पर वक्तव्य दे रहे हैं। अतएव उनको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

श्रम, रोजगार, तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत, संविधान के उपबन्धों, जो जम्मू तथा काश्मीर पर पहले लागू नहीं होते थे और ऐसे मामलों से सम्बन्धित नहीं थे, जिनके लिये राज्य का विलय भारत संघ में हुआ था, को जम्मू तथा काश्मीर सरकार की सहमति से राष्ट्रपति के आदेश द्वारा राज्य पर लागू किया जा सकता है। संविधान जम्मू तथा काश्मीर पर लागू आदेश, 1954, जिसमें कि समय-समय पर संशोधन किया गया है, के द्वारा संविधान की सातवीं अनुसूची समवर्ती सूची में कुछ निम्नलिखित प्रविष्टियां जम्मू तथा काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में लागू की गई है :—

प्रविष्टि-22 : कार्मिक संघ, औद्योगिक तथा श्रमिक विवाद

प्रविष्टि-23 : सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, रोजगार तथा बेरोजगारी

प्रविष्टि 24 : काम करने की हालत, भविष्य निधि, नियोजकों का दायित्व काम करने वालों की क्षतिपूर्ति, निर्बलता तथा वृद्धावस्था पेन्शन, और प्रसूति सुविधाओं सहित श्रमिक कल्याण

प्रविष्टि-36 : कारखाने

वर्तमान विधेयक उक्त प्रविष्टियों के सम्बन्ध में 19 केन्द्रीय श्रम अधिनियमों का जम्मू तथा काश्मीर का विस्तारण करने का प्रयास कर रहा है। इन अधिनियमों के विस्तारण के लिए राज्य सरकार की सहमति प्राप्त कर ली गई है और राज्य सरकार इस बात के लिए भी सहमत हो गई है कि इन अधिनियमों का विस्तारण बिना किसी परिवर्तन के कर दिया जाए। पहले ही खान अधिनियम, 1952 और प्रशिक्षु अधिनियम 1961, का विस्तारण इस राज्य पर किया जा चुका है।

समस्त भारत में विभिन्न श्रमिक कानूनों में एकरूपता लाने के विचार से वर्तमान विधेयक अनुसूची में उल्लिखित 19 अधिनियमों को जम्मू तथा काश्मीर में लागू करने का निर्णय किया गया है। यद्यपि संविधि पुस्तक में जम्मू तथा काश्मीर राज्य के कुछ श्रमिक कानून हैं। फिर भी इसी तरह के राज्य के अधिनियमों की तुलना में केन्द्रीय श्रमिक कानूनों में श्रमिकों के लिए अच्छी सुविधाओं की व्यवस्था है। उदाहरणार्थ केन्द्रीय कर्मकार प्रतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति की दर राज्य के इसी तरह के अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति की दर की तुलना में अधिक है और यह काफी व्यापक भी है। कुछ अधिनियमों जैसे कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1947, कोयला खान भविष्य निधि और बोनस योजना अधिनियम, न्यूनतम

मजूरी अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, मातृत्व प्रसुविधा अधिनियम और बोनस भुगतान अधिनियम, के पहली बार लागू किया जा रहा है क्योंकि राज्य में कोई भी तत्स्थानीय अधिनियम लागू नहीं है ।

पहले दो अधिनियमों में कोयला खान मजदूरों के कल्याण के लिए तथा भविष्य निधि और उपस्थिति बोनस देने की व्यवस्था है । न्यूनतम मजूरी अधिनियम में असंगठित और कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जा सकेगी । कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में बीमारी, मातृत्व और काम करते हुए क्षति होने के मामलों में कर्मचारियों के लिए कुछ सुविधाओं की व्यवस्था है । मातृत्व प्रसुविधा अधिनियम और कर्मचारी प्रतिपूर्ति अधिनियम उन मामलों में लागू होंगे जहां कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू नहीं होता । सामान्य तौर पर औद्योगिक मजदूरों को बोनस का भुगतान करने के लिए बोनस भुगतान अधिनियम में व्यवस्था है । इस प्रकार इन अधिनियमों को लागू करने से जम्मू तथा काश्मीर के मजदूरों को अमूल्य सुविधायें दी जायेगी ।

इन शब्दों के साथ मैं सदन से सिफारिश करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाए ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कतिपय केन्द्रीय श्रम विधियों का जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर विस्तारण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani): It is clearly indicated in the Financial memorandum attached to the Bill that the expenditure amounting to rupees fifty lakhs approximately involved will be met from the Consolidated Fund of India. This is a money Bill and the recommendation of President is necessary which is not with this Bill.

सभापति महोदय : संविधान की धारा 117 (1) तथा 117 (3) और 274 (1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर ली गई थी जो लोक सभा की बुलेटिन भाग-2 में 18 अगस्त 1969 को प्रकाशित हो चुकी थी । उसके पश्चात धारा 117 (3) के अन्तर्गत संशोधित वित्तीय ज्ञापन और राष्ट्रपति की अनुमति भी प्राप्त कर ली गई थी । संशोधित वित्तीय ज्ञापन 28 नवम्बर, 1967 को प्रचलित किया गया था और राष्ट्रपति की नई सिफारिश लोकसभा की बुलेटिन भाग-2 में 13 दिसम्बर, 1969 को प्रकाशित हो गया था । इसलिए दोनों बातों की पूर्ति हो गई है ।

Shri Shiva Chandra Jha : On a point of order, Sir, since the Recommendation of the President was taken in the last session, this has lapsed and as such a fresh recommendation should be taken first.

सभापति महोदय : विधेयकों के मामलों में सिफारिशें रद्द नहीं होती । केवल वे सिफारिशें एक सत्र के पश्चात रद्द हो जाती हैं जो संशोधनों के साथ होती हैं । परन्तु विधेयकों के मामले में ऐसा नहीं होता ।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों सम्बन्धी विवरण में समूचे

भारत में जिसमें जम्मू तथा काश्मीर शामिल है, अनेक कानूनों को समान रूप से लागू करने की बात कही गई है। सर्व प्रथम यह निश्चय करना चाहिए कि क्या इन कानूनों को समान रूप से लागू किया जा सकता है और तब क्या काश्मीर अन्य राज्यों की तरह किसी भी प्रकार से एक समान है और उसके बाद क्या इन कानूनों को जम्मू और काश्मीर पर लागू किया जाना चहिए ।

इस देश में जिस प्रकार से ये श्रमिक कानून लागू किये जा रहे हैं ये सभी को भली प्रकार मालूम है । मुश्किल से कोई एक दिन ही ऐसा जाता होगा जिस दिन किसी न किसी स्थान पर हड़ताल न होती हो । अब यह निर्णय किया जाना चाहिए कि इस प्रकार की कोई समान प्रणाली अपनाई जाये अथवा नहीं और क्या यह एक समान बनाई जा सकती है जब कि विशेष रूप से देश के विभिन्न भागों में विभिन्न स्थितियां व्याप्त हैं । इन परिस्थितियों में देश के सभी भागों के लिए एक कानून के बारे में विचार करना उचित नहीं हैं ।

काश्मीर की स्थिति राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टि से अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी भिन्न हैं । प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि काश्मीर में कोई उद्योग नहीं है क्योंकि राज्य सरकार वहाँ पर अन्य भागों के लोगों को उद्योग स्थापित करने की अनुमति नहीं देती । काश्मीर में अधिकतर कुटीर उद्योग है और वे भी परिवार के आधार पर है । इस प्रश्न पर भी विचार करना चाहिए कि क्या सरकार यह चाहती है कि ये कानून किसी विशेष उद्योग के, जिसमें नियोजकों और कर्मचारियों के बीच सामान्य सम्बन्ध विद्यमान नहीं है, विकास के सम्बन्ध में लागू किये जायें । काश्मीर में इन कानूनों को लागू करने से कोई परिणाम नहीं निकलेगा ।

यह भी देखना होगा कि इस विधेयक को पेश करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य निहित है । क्या सरकार इन कानूनों को लागू करने से काश्मीर पर किसी प्रकार का आधिपत्य जमाना चाहती हैं, जैसा कि इसका पहले ही उस पर आधिपत्य क्या है । इस चरण में कोई राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए इस विधेयक को लागू करने में सरकार का कोई गुप्त उद्देश्य निहित है ।

यह ठीक होगा कि यदि औद्योगिक विवाद अधिनियम और मजदूर संघ अधिनियम का अभी इस राज्य पर विस्तारण नहीं किया जाता है क्योंकि इन दो अधिनियमों के बारे में इस देश में काफी मतभेद है । यह भी ठीक होगा कि यदि इन दोनों अधिनियमों का विस्तारण तब तक स्थगित रखा जाये, जब तक सरकार राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों पर कार्यवाही नहीं कर लेती ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम के बारे में हमें भली प्रकार जानकारी है । इससे नियोजकों और श्रमिकों के झगड़े समाप्त नहीं होते । हड़तालें समाप्त नहीं होती बल्कि उनके परिणाम स्वरूप हानि उपभोक्ता और करदाता को भी उठानी पड़ती है । हड़तालों से हुई हानि का प्रभाव वस्तुओं के मूल्यों पर पड़ता है । अतः ऐसे विवादों व हड़तालों का निपटारा करने के लिए एक सुनिश्चित न्यायालय होना चाहिए । श्रमिकों को उचित मजूरी तो दी जानी चाहिए परन्तु इसका निर्धारण ठीक प्रकार से होना चाहिए युगोस्लाविया में अगर हड़ताल होती है तो वह केवल कुछ घंटों की ही होती है हम वही तरीका यहां क्यों नहीं अपना सकते ।

श्री स० मो० बनर्जी : यहां समाजवाद है ।

श्री लोबो प्रभु : यहां आप सब लोग मैं समझता था कि स्वतन्त्र दल के विरोधी हैं । मुझे पता नहीं था कि आप हमें धोखा देने जा रहे हैं । अतः मैं यह सिफारिश करता हूं कि हमारे यहां भी रूसी ढंग के मजदूर संघ होने चाहिए, जिससे कि लोगों के हितों को कोई ठेस पहुंचाये बिना उनके हितों की रक्षा की जा सके ।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू) : सरकार से मेरी यह शिकायत है कि श्रम सम्बन्धी कानूनों का जम्मू और कश्मीर तक विस्तार करने का विधेयक अब तक क्यों नहीं लाया गया । इस प्रकार के विधेयक पहले भी सभा के सामने आते रहे हैं, यहां तक कि लगभग सभी सत्रों के दौरान ऐसे विधेयक पेश किये गये हैं ।

सरकार को चाहिये कि वह भारत संघ और जम्मू तथा कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में वर्तमान संविधानिक व्यवस्था के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाए और अन्तिम रूप में ऐसी संविधानिक व्यवस्था करे जिससे कि सभा द्वारा पास किया गया प्रत्येक विधेयक स्वतः जम्मू तथा कश्मीर पर लागू हो जाये ।

हमें इस बात का हर्ष है कि ये कानून जम्मू तथा कश्मीर में लागू किये जा रहे हैं । राज्य विधान द्वारा पारित तथा फिलहाल लागू कानूनों के अन्तर्गत हम राज्य में श्रम आन्दोलन की गति को बढ़ाने में अत्यधिक कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, पर अब जैसा कि स्वयं मन्त्री महोदय ने कहा हमें उसे गति देने और मुख्य धारा में शामिल होने का अवसर मिलेगा । जम्मू तथा कश्मीर में भी श्रम सम्बन्धी वैसी ही समस्याएं हैं जैसी कि देश के अन्य भागों में । बहुत नये उद्योग जो वहां पहले नहीं थे उनको वहां स्थापित किया जा रहा है उन्हें समुचित सुविधाएं तथा भूमि दी जा रही है । तथा यह कहना सर्वथा गलत है कि भारत के अन्य भागों के लोगों को वहां उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाती है ।

पिछले वर्ष बिड़ला के कारखाने में तीन महीने तक हड़ताल हुई पर पर्याप्त कानून होने के कारण हम समस्या को न सुलझा सके । अब इन कानूनों के विस्तार से और विभिन्न श्रम समस्याओं को आसानी से सुलझाया जा सकेगा ।

यह कहा गया है कि यह एक राजनैतिक कदम है । मैं मानता हूं कि यह एक राजनीतिक कदम है, पर यह इसलिए किया गया है, क्योंकि सरकार देश के अन्य भागों में प्रचलित कानूनों को यहां लागू करना चाहती है, जिससे कि जम्मू तथा कश्मीर में भी श्रम आन्दोलन को भली-भांति चलाया जा सके ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : I fully support this Bill, but I would like to ask the reason for brining forward with this legislation so late. Government should start industries there also so that people can get employment. And after the implementation of these legislations in the State, the labour there can also have the same facilities as the labourers of the other part of the country. Government should also give them legal help because they are ignorant of all these legislations.

All the legislations so far possed or likely to be passed, should be extended to the State of Jammu and Kashmir. The workers of all other trades like agriculture, transport,

eduction etc., should get the benefit of those legislations ? Their demand of increasing wages should be met.

In future all the Bills of the Union of India should be implemented there also and article 370 of the constitution should be abrogated.

Shri Deven Sen (Asansol) : I support the Bill and congratulate the Government for introducing it. But one thing that I would like to say is that all the labour laws should be extended to this State. The workers of this State should also get the same benefits.

Shri Shashi Bhushan (Khargaon) : I thank the hon. Minister for bringing this Bill. But we see that these banks are not even applicable in many places in Union of India like Hospital workers, Gymkhana Club workers. They should also get the benefit of these laws.

श्री राजा राम (सलेम) : स्वतन्त्रता प्राप्ति के 23 वर्ष बाद श्रम कानून जम्मू तथा कश्मीर राज्य में लागू किये जा रहे हैं और इनके द्वारा केन्द्रीय सरकार वहां के मजदूरों को भी उनका लाभ देना चाहती है। द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

अब क्योंकि वहां बहुत से उद्योग पनप रहे हैं ऐसी दशा में इन कानूनों को वहां लागू करने से वहां के लोग भारत संघ के अन्य मजदूरों के समान अधिकारों का लाभ उठा सकेंगे और अपने आपको शोषण से बचा सकेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मुझे इस बात से अत्यधिक प्रसन्नता हुई है कि अब जम्मू और कश्मीर के मजदूर भी उन सब कानूनों का लाभ उठा सकेंगे जिनका लाभ भारत के अन्य भागों के मजदूर उठाते हैं। पर साथ ही मुझे इस बात से बड़ा दुख होता है कि अब भी भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो यह नहीं चाहते हैं कि मजदूर संघों को पंजीयित किया जाये या उन्हें मान्यता दी जाये।

हड़ताल को टालने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत मध्यस्थता के लिए मामला देने पर हड़ताल को टाला जा सकता है। अतः इस अधिनियम को जम्मू तथा कश्मीर तक बढ़ाने पर मुझे प्रसन्नता है।

इसके साथ ही मैं एक बात जम्मू-ऊधमपुर और श्रीनगर में प्रतिरक्षा विभाग के असैनिक कर्मचारियों के संघ के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। सशस्त्र सेना विभाग के कार्यालयों में काम करने के कारण इनके संघ को मान्यता नहीं दी जा रही है। यह मामला जम्मू तथा कश्मीर के मुख्य मन्त्री के सन्मुख भी आया था पर उन्होंने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और उनके संघ को मान्यता दी जानी चाहिए। जीमखाना क्लब तथा अस्पतालों के कर्मचारियों को भी इस अधिनियम के अन्तर्गत लाना चाहिए और औद्योगिक विवाद अधिनियम में समुचित संशोधन किये जाने चाहिएं।

अन्त में मैं प्रार्थना करूंगा कि इन अधिनियमों को सुचारू ढंग से लागू किये जायें। यदि ऐसा किया गया तो हड़तालें नहीं होंगी। पर यदि उन पर प्रतिबन्ध लगाया गया तो कर्मचारी इसका विरोध करेंगे। फिर चाहे वे कहीं के भी कर्मचारी क्यों न हों।

श्री तिम्मेटी विश्वनाथम् (विशाखापट्टनम) : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जम्मू और

कश्मीर राज्य को भी अन्य राज्यों के समकक्ष लाया जा रहा है। सरकार को हड़तालों से नहीं डरना चाहिए। हड़तालें अधिकतर मालिकों की उपेक्षा के कारण होती हैं और अन्त में हड़तालियों को वह मिलता है जोकि वे चाहते हैं। जहां हिंसा की बात है, सरकार उसे उचित और सामयिक बल प्रयोग से टाल सकती है। वास्तविकता तो यह है कि यदि हड़तालें न हों तो मालिक सतर्क न रहें।

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : सभापति महोदय, मैं इस उपाय का स्वागत करता हूँ क्योंकि इसके अन्तर्गत कुछ श्रम सम्बन्धी कानूनों को जम्मू तथा कश्मीर राज्य में भी लागू करने की व्यवस्था है। श्रमिक संघों के बीच प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई है जिसके कारण काफी कठिनाई हो रही है। इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए ताकि उत्पादन में कोई कमी न आए और काम सुचारू रूप से चल सके।

वस्तुतः पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐसा विधान बनाया था कि केवल एक ही संघ को मान्यता प्रदान की जाएगी। लेकिन वहां जब एक संघ को मान्यता प्रदान की जाती है तो इसका प्रतिद्वन्द्वी संघ उठ खड़ा होता है और ऐसे वचन देता है जो मान्यता प्राप्त संघ नहीं दे सका। श्रमिक अल्पबुद्धि जीवी होते हैं और अपने हितों को नहीं समझते। अतः इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि वे लोग जिन्हें श्रमिकों से कोई वास्ता नहीं है, वे श्रमिकों के बीच कठिनाइयां उत्पन्न न कर सकें। और उत्पादन में अनावश्यक बाधाएं उपस्थित न हो सकें।

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati) : This has been discussed in the House several times that whatever legislations are carried out, are not applied to Jammu and Kashmir. It is good that in this Bill there is a provision that Workers Compensation Act, Trade Unions Act, Payment of Wages Act will also apply to the State of Jammu and Kashmir. But in this regard I would like to say that the labourers are not aware of the laws and therefore while implementing those laws we should make them understand the purpose of the legislation. For this purpose training class should be held.

Shri Kamalnayan Bajaj (Wardha) : Kasmir is a part of India but no legislation is made appreciable to that State. I would like to say that legislation should be applied to Kashmir. Any delay in this regard would not be in the interest of Kashmir as well as India. An hon. Member has rightly stated that Political pressure on Trade Unions is not in the interest of labourers as well as production in the country. Labourers are well aware of the legislation and it is necessary for the Government to make legislation so that maagement can not be affected by political pressure and our production may not go down. There is discontentment among the labourers and they stage demonstrations in support of their illegal demands. In view of this, we should make amendments in labour laws for their betterment. I want that Government should pay their attention towards all these points.

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : यह स्वाभाविक था कि सदन के सभी माननीय सदस्य इस विधेयक का समर्थन करें। इन 19 विधानों से, जो कि जम्मू तथा काश्मीर पर भी लागू होंगे जम्मू तथा कश्मीर के श्रमिकों को ऐसे लाभ होंगे जोकि उनको जम्मू तथा काश्मीर द्वारा बनाए गए श्रमिक कानूनों के अधीन प्राप्त नहीं हो रहे। उन्हें प्रसूति सुविधाएं भी प्राप्त हो सकेंगी। तीसरे इस विधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग यह है कि हम कश्मीर के औद्योगिक सम्बन्धों और उद्योगों को अपने निकट ला रहे हैं जिसके परिणाम-

स्वरूप देश की एकता और भी बढ़ेगी। श्री लोबो प्रभु ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा है कि जम्मू तथा काश्मीर पर इसे लागू करने की क्या आवश्यकता है? इसके उत्तर में अन्य माननीय सदस्यों ने पहले ही बता दिया है कि ऐसा अधिक लाभों तथा एकता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। संविधान की अनुच्छेद संख्या 370 में दिए गए उपबन्ध के बावजूद भी सरकार जम्मू-कश्मीर के साथ सहयोग और एकता बढ़ा रही है। अतः यह कहना निरर्थक है कि विधान को जम्मू कश्मीर पर लागू क्यों किया जा रहा है। माननीय सदस्य ने औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा मजदूर संघ अधिनियम के बारे में आपत्ति की है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि ये दोनों अधिनियम पहले से ही जम्मू-कश्मीर में लागू हैं। अब, चूंकि ये समवर्ती सूची में हैं, राज्य सरकार इनको जम्मू-कश्मीर में लागू करने के लिए मान गई है और हम इन अधिनियमों को जम्मू-कश्मीर में लागू कर रहे हैं। ये अधिनियम औद्योगिक शांति स्थापित करने तथा देश में सम्पत्ति उत्पन्न करने वाले उत्पादन के विभिन्न अंगों में अच्छे सम्बन्ध बनाने में सहायक होंगे। माननीय सदस्यों ने ऐसे कई मामलों का हवाला दिया है जो इस विधेयक की सीमा में नहीं आते। श्री स० मो० बनर्जी ने एक ऐसे मामले का हवाला दिया है जिसमें प्रतिरक्षा मंत्रालय के असैनिक कर्मचारियों के संघ को मान्यता प्रदान नहीं की गई। मैं नहीं कह सकता कि सम्बन्धित मन्त्रालय ने संघ को मान्यता प्रदान क्यों नहीं की परन्तु नियम यह है कि सरकार अनुशासन संहिता के अधीन सदस्यता के सत्यापन के बाद संघ को मान्यता प्रदान करने हेतु सम्बन्धित मन्त्रालय को भेज देती है।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा कहना तो यह है कि जम्मू-कश्मीर में संघ बनाने की अनुमति देना तो दूर रहा उन्हें संघ को पंजीकरण कराने की भी अनुमति नहीं दी गई।

श्री भागवत झा आजाद : किन्हीं भी सात व्यक्तियों को संघ बनाने और उसे पंजीकृत कराने का पूरा अधिकार है। मैं नहीं कह सकता कि जम्मू-कश्मीर में संघ बनाने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। माननीय सदस्य कृपया मंत्रालय से पूछताछ करें क्योंकि ऐसी जानकारी देना मंत्रालय का ही काम है और यदि मेरी सहायता की कोई आवश्यकता होगी, तो मैं अवश्य सहायता करूंगा।

श्री देवेन सेन ने उपदान विधेयक का हवाला दिया है और पूछा है कि सदन द्वारा पारित किए गए अधिनियम जम्मू-कश्मीर पर सीधे लागू क्यों नहीं किए जाते? जैसा कि सदन को पता है कि संवैधानिक उपबंधों के अधीन हमें राज्य सरकार की सहमति लेनी पड़ती है। अब जम्मू-कश्मीर सरकार स्वयं यह माँग कर रही है कि ये अधिनियम जम्मू-कश्मीर पर भी लागू किये जांए और सरकार इस मामले में प्रयत्नशील है और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में हम इन नियमों को जम्मू-कश्मीर पर भी लागू कर सकेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। प्रतिरक्षा मन्त्रालय ने कुछ आदेश जारी किए गए हैं जिसमें कहा गया है कि किसी भी संघ को पंजीकृत करने से पूर्व प्रतिरक्षा मन्त्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा। मैं यह मामला प्रतिरक्षा मन्त्रालय के साथ उठा रहा

हूं और चाहता हूँ श्रम मंत्रालय भी इस मामले में सहायता करे क्योंकि यह आदेश श्रमिकों के हित में नहीं है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कतिपय केन्द्रीय श्रम विधियों का जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर विस्तारण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब हम खण्ड-वार विचार करेंगे ।

खंड 2 (कतिपय श्रम विधियों में संशोधन और विस्तारण)

Shri Shiva Chandra Jha : I beg to move my amendment No. 5.

I support the Bill but the hon. Minister has not replied categorically. Why this legislation had not been implemented so far ? Why Kashmir has been treated as separate part uptil now in view of industrial relation ? I want amendment in clause 2. It is feared that certain things in detail may not be applied or ignored as has been done, Therefore, I would like that for carrying the spirit of this Bill, the hon. Minister may please add the word "whatsoever" after accepting my amendment.

Shri Bhagwat Jha Azad : Mr. Chairman, Sir, I welcome the feelings expressed by the hon. Member while moving the amendment that such schemes should be extended to the State of Jammu and Kashmir. I mean by whatever I have said that all the schemes will be extended to the State of Jammu and Kashmir. But it is difficult to add the word 'whatsoever'. Therefore, his amendment cannot be accepted.

सभापति महोदय : क्या वह अपने संशोधन के लिये मत लेना चाहते हैं ।

श्री शिव चन्द्र झा : जी, नहीं ।

(सभा की अनुमति से संशोधन वापस ले लिया गया है)

(The amendment was, by leave, withdrawn)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2 was added to the Bill.

खंड 3-6 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 3-6 were added to the Bill.

अनुसूची

The Schedule

संशोधन किया गया

3. पृष्ठ 5, पंक्ति 13 में—
"1969"

शब्द के स्थान पर "1970" शब्द रख दिया जाये (संख्या 3)

[श्री भागवत झा आजाद]

Amendment made

3. Page 5, line 13, for "1969" *substitute* "1970".

[Shri Bhagwat Jha Azad]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संशोधित अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

संशोधित अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

The Schedule, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 1

Clause 1

संशोधन किया गया

2. पृष्ठ 1, पंक्ति 34 में—
"1969"

शब्द के स्थान पर "1970" शब्द रख दिया जाये (संख्या 2)

[श्री भागवत झा आजाद]

Substitute made :

2. Page 1, line 34, for "1969" *substitute* "1970".

[Shri Bhagwat Jha Azad]

श्री शिव चन्द्र झा : मैं अपना संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूँ।

Mr. Chairman, Sir, my amendment is that these laws should be made applicable to Jammu and Kashmir at once. A suitable provision should be made to that effect.

Shri Bhagwat Jha Azad : Mr. Chairman, Sir, some administrative formalities have to be gone through before the laws could be enforced in Jammu and Kashmir. The laws could not be made applicable at once.

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : The administrative difficulties should not stand in the way of early implementation of the Act. The Government should ensure that the Act is enforced at once.

श्री बि० प्र० मंडल (मधेपुरा) : मैं माननीय मित्र श्री शिव चन्द्र झा के संशोधन का समर्थन करता हूं। इसका कारण यह है कि अभी तक सरकार ने इस बात का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया कि यह सभी अधिनियम जम्मू तथा कश्मीर पर लागू क्यों न किये जायें। अतः ऐसा होने की संभावना है कि भविष्य में भी सरकार किसी न किसी बहाने इस अधिनियम को क्रियान्वित करने के काम को स्थगित करती रहेगी। इसीलिए मेरा विचार है कि यदि 'तुरन्त' शब्द जोड़ दिया जाये तो उचित होगा। मैं श्री झा का पूरा समर्थन करता हूं।

संशोधन संख्या 4 सभा में मतदान के लिये रखा गया

सभा में मत—विभाजन हुआ

पक्ष में 14—विपक्ष में 103

Ayes 14—Noes 103

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि "खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 1 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1, as amended, was added to the Bill

सभापति महोदय : अधिनियमन सूत्र के लिए सरकारी संशोधन संख्या एक है।

संशोधन किया गया।

1. पृष्ट 1, पंक्ति 1

"बीसवां" के स्थान पर "इक्कीसवां" प्रतिस्थापित किया जाए।

[श्री भागवत झा आजाद]

Amendment made :

1. **Page 1, line 1—**

for "Twentieth" *substitute* "Twenty-first".

[Shri Bhagwat Jha Azad]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि।

"कि खंड 1 अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

"अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The enacting Formula, as amended was added to the Bill

शीर्षक विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The title was added to the Bill

श्री भागवत झा आजाद : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Mr. Chairman, Sir, it is good that the Bill has been passed and this labour law will be extended to Jammu and Kashmir also. But I may emphasise that the labour laws are not being fully enforced in any State. In this connection I can quote an example of my State.

Even in public sector, these laws are being ignored. The Government should see that all such laws are enforced fully and seriously throughout the country. The private sector is exploiting the labour by not giving them due wages and leave etc. It is highly objectionable. The Government should ensure that the interests of the labour are protected.

Shri Bal Raj Madhok (South Delhi) : Mr. Chairman, Sir, I welcome the passing of this Bill today. But everytime, the Government has to come forward with an amendment for extending the Bill to Jammu and Kashmir, why ? When it is an undisputed fact that Jammu and Kashmir was an integral part of India, there should be no question of extension of any act passed by Parliament to that State. All the acts which are passed by this angust House should be *ipso facto* applicable to Jammu and Kashmir also. There should not be any necessity of bringing amendments to these Bills time and again. This sort of practice on the part of the Government has created doubts in the minds of the people of Jammu and Kashmir as to whether Jammu and Kashmir is a part of India or not ?

It should be decided once for all that any act passed by Parliament should be made applicable to Jammu and Kashmir, alongwith other States. The present policy, adopted by Government of India, towards Jammu and Kashmir is totally wrong. I hereby warn that it is high time that the Government should change its policy otherwise we may lose Jammu and Kashmir.

Shri Lakhan Lal Kapoor (Kishanganj) : I welcome the Bill which is being passed today. It is often seen that even after getting a Bill passed, the Government is reluctant to implement the same if it hampens the interests of capitalists. So I want to emphasise that after it is passed, it should be implemented without any delay. It should not be put in cold storage under the pressure of capitalists.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

Secondly, it has been rightly stated by Shri Madhok, that amending of Bills for Jammu and Kashmir, has led to doubts in the minds of the people of Jammu and Kashmir. All the Acts which are applicable to rest of the country should be *ipso facto* applicable to Jammu and Kashmir also since it was an integral part of India.

Shri Shiva Chandra Jha : The Minister should clarify whether this Bill will be applicable to Pak-occupied Kashmir also. In case, it is not made applicable to that part of Kashmir, it will not be of any use.

The Government should bring forward a Bill providing that all the acts passed by Parliament which are applicable to the rest of the country, should be applicable to Jammu and Kashmir also.

Besides being beautiful Kashmir, has been blessed with the wealth of Nature also. It is a world attraction. Now, when industrialists like Birlas, have started setting up their industries in Kashmir, the Government should take steps to ensure that this State is not exploited by this. The labour participation in management of new industries which are being set up in this State by the Private sector should be ensured.

Shri Bhagwat Jha Azad : It has been suggested by various Members that the provisions of the Bill should be implemented honestly after it has been passed. I would like to assure the House that Government is equally anxious to confer the valuable benefits of this Bill on the workers in Jammu and Kashmir.

I may further clarify that such Bills cannot be made applicable to Jammu and and Kashmir immediately because of article 370 of the Constitution. Concurrence of the State Government has to be obtained in this connection.

As regards the application of the Bill to that part of Jammu and Kashmir which is under Pak-occupation the position is that the Government regards this area as a part and parcel of this country. This Bill will definitely be applicable to that part also.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) संशोधन विधेयक
COAL MINES (CONSERVATION AND SAFETY) AMENDMENT BILL

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

सरकार कोकिंग कोयला खानों के विकास के लिए 75 पैसे प्रति टन उत्पादन शुल्क लेती रही है परन्तु अधिनियम में उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए यह विधेयक सभा में रखा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : Provision has been made in this Bill for safety, conservation and development of coal mines. But so far nothing has been done by Coal Board, which is, in fact, a biggest centre of corruption. The funds at the dis-

posal of the board are largely spent on Administration as it has an army of officers. How much money is spent on safety and conservation can be assessed by a study on the spot.

There is an alliance among the officers and the mine owners. So safety rules are hardly observed. Even if a miner is killed while at work, they manipulate to avoid paying compensation. I have seen the condition of coal mines. Any man with good health would not work there.

It is not the question of safety of miners alone but there is also need for the taking up measures for the safety of residents, crops and the area as a whole.

The recommendations in respect of conservation have not been implemented by the Government.

There is large demand for coal. But the regulations do not permit extracting more coal than specified therein. Consequently the coal costs more. Railways were the largest consumers of coal but now they are shifting to diesel engines. Similarly industry is adopting power. Efforts should be made to impress upon the villagers to use coal in place of cow dung for cooking as that would save fertiliser.

Big coal mine owners are in league with the Government. The Government does not purchase coal from small mine owners. Due to corruption in railways dusty coal is purchased by them.

I wish that this bill be made more comprehensive so that the work of safety, conservation and development may be carried on smoothly.

Shri P. G. Sen (Purnea) : There is smoke every where around the coal mines. Are the judgements in collieries cases being implemented ? We are not aware of the implementation of the judgement given by Shri S. K. Das in the case of terrible accident at Dhure.

The Government is giving more money to Coal Board. The railways are shifting to Deselisation and Electrification. What would be the position of coal ? In order to save cow dung from being burnt as fuel, would the Government arrange to send low grade coal to every station.

Right from Delhi to Calcutta we find in every village Kache houses. If coal is made available everywhere these people could use burn bricks and built pucca houses. I wish the work of distributing free coal to Harijans, to enable them to built pacca houses, be entrusted to the Coal Board.

[श्री क० न० तिवारी पीठासीन हुए । **Shri K. N. Tiwary** *in the Chair.*]

Have you started extracting new type of coal. In the process of digging deep what would be the measures for safety of workers.

I wish that the hon. Minister should accept my amendment relating to utilisation of coal as it will be of great help to the villagers.

We produce coal of good quality. But I have learnt that Germany has refused to accept our coal. Why is it so ? Who is responsible for that ?

The Government should draw a phased programme for the supply of low grade coal to every station so that our housing schemes could be implemented.

श्री बेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : इस विधेयक का मुख्य प्रयोजन यह है कि देश के कोयले के स्रोतों का विकास हो तथा संरक्षण तथा सुरक्षा को परम अग्रता दी जाये । कोयला बोर्ड विकास के कार्य को भी अपने हाथ में ले, यह सराहनीय कदम है ।

इस दिशा में अब तक की गई कार्यवाही तुच्छ नहीं थी। खानों के मालिक खानों का विकास तो चाहते हैं परन्तु वे ऐसा विकास ही चाहते हैं जिससे उनका लाभ बढ़े। वे ऊपर से कोयला निकाल लेते हैं और नीचे पानी छोड़ देते हैं। बाद में वे नई खानों का ठेका ले लेते हैं। इस प्रकार भविष्य में हमारे सामने ऐसी स्थिति आ सकती है जिसमें हमारे पास अच्छा कोयला पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा। बाद में यह कार्य अधिक खर्च पर सरकारी क्षेत्र में करना पड़ेगा।

इस परिस्थिति में, विकास, संरक्षण और सुरक्षा के कार्य खान मालिकों के हित में नहीं हैं। वे तो केवल लाभ चाहते हैं। मैं समझता हूँ इस प्रकार राष्ट्रीय सम्पत्ति का ह्रास हो रहा है। मेरा सुझाव है कि अन्वेषण का व्यापक कार्यक्रम चालू किया जाये और इसे निजी उद्योग द्वारा न कराया जाये। हमारे पास बेरोजगार इन्जीनियर हैं। उनका उपयोग लेते हुए विकास, संरक्षण और सुरक्षा के कार्य हाथ में लेने चाहिए। कोयला बोर्ड को खानों पर अपना पूरा नियन्त्रण रखना चाहिये। मैं समझता हूँ कि सरकार को इस उद्योग को आंशिक रूप से, अपने हाथ में लेना चाहिए। कोयले के राष्ट्रीय स्रोतों को बेकार होने देने से रोकने के लिए ऐसे कदम उठाने आवश्यक हैं। इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्त को बढ़ावा मिलना चाहिए।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : इस विधेयक की आवश्यकता नहीं थी। वर्तमान अधिनियम में कोयले की सुरक्षा तथा संरक्षण की भी व्यवस्था है। विधेयक का जो प्रारूप तैयार किया गया है वह सरकार के स्तर से बहुत ही नीचा है। अधिनियम में बहुत से ऐसे उपबन्ध है जिनको स्पष्ट करने के लिये अधिनियम में सरलता से संशोधन किये जा सकते हैं। यदि मुझे संशोधन करने का अवसर दिया जायेगा तो मैं उसके लिये अवश्य ही प्रयत्न करूंगा।

अब हमें कोयले की गम्भीर समस्या की ओर ध्यान देना है। हमारे खनिज उत्पादन में लगभग 75 प्रतिशत कोयला होता है और इस उद्योग में देश में सबसे अधिक मजदूर काम करते हैं। कोयले पर बहुत से उद्योग आधारित हैं ; परन्तु देश में बहुत सी कोयले की खानें बन्द पड़ी हैं तथा कोयले के नये उपयोगों के लिये अनुसंधान भी नहीं किये गये हैं। सरकार ने लगभग 14 करोड़ उपकरों के भय से वसूल किये हैं परन्तु कोयले के नये उपयोग खोजने की दिशा में सरकार ने क्या किया है ? एक महत्व पूर्ण सुझाव यह दिया गया है कि ग्रामों में ईंधन की कमी है सरकार को इस बात पर गम्भीर रूप से विचार करना चाहिये कि ग्रामवासियों तथा नगरों क निर्धन व्यक्तियों को कोयला किस प्रकार उपलब्ध कराया जाय। जहां ईंधन के लिये गोबर का उपयोग किया जाता है तथा जहां ईंधन की कमी है वहां हमें रेलवे स्टेशनों पर वितरण की सुविधा की दृष्टि से कोयले जैसी किसी अन्य वस्तु का प्रबन्ध करना चाहिये। ईंधन के लिये यदि गोबर का उपयोग किया जाता रहेगा तो खेतों को उपजाऊ बनाने के प्राकृतिक साधनों में कमी हो जायेगी।

दूसरे मैं मंत्री महोदय को यह स्मरण कराना चाहता हूँ कि 7 वर्ष पहले एनर्जी कमीशन ने कोयले के उपयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये थे। अभी तक उन सुझावों को क्रियान्वित नहीं किया गया है शायद सरकार ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया है। खाद बनाने के लिये हम कोयले का उपयोग क्यों नहीं करते हैं जिससे हमें नेपता का आयात करने की भी आवश्यकता न पड़े। हो सकता है इस आधार पर इसका विरोध किया जाय कि कोयले द्वारा

किया गया उत्पादन मेंहगा पड़ता है। परन्तु कोयले का उपयोग इसलिये उचित है कि हम देशज इंधन का उपयोग करते हैं।

अब कोयले को गैस के रूप में प्रयोग करने का प्रश्न आता है मैंने कोयला का निर्धन व्यक्तियों के लिये उपयोग बताया है। गैस का उपयोग मध्यम वर्ग के द्वारा किया जाता है। इस समय गैस का मूल्य काफी बढ़ा चढ़ा है। सरकारी नीति के कारण इस पर प्रतिबन्ध भी है। सरकार गैस को सस्ते मूल्य पर उपलब्ध करा सकती है। इसे सस्ता बनाया जाना चाहिये। जिससे यह उपयोग के लिये उपलब्ध हो सके।

चौथे रेलवे को कोयले की मांग में कमी नहीं करनी चाहिये। डीजल के उपयोग को जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है उससे कोयले की मांग घटती जा रही है। यदि रेलवे का आधुनिकीकरण ही किया जाना है तो यह बिजली द्वारा किया जाना चाहिये जिसका उत्पादन कोयले से किया जाय। इससे पेट्रोलियम उत्पादों के आयात की आवश्यकता न पड़ेगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

ये ऐसे मामले हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिये और देश के हित को दृष्टि में रखते हुये एक सुनिश्चित कार्यवाही करनी चाहिये। इस बात की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये की कोयले की कीमतें कम न होने पायें। यदि ऐसा होता है तो अनेकों लोग बेरोजगार हो जायेंगे। दो वर्ष पहले कोयले की कीमतों से नियंत्रण हटाया गया था परन्तु रेलवे अपनी ही किमतों पर कोयले की खरीद करती थीं। रेलवे को ऐसे आदेश दिये जाने चाहियें कि वे कोयले की खरीद के लिए लागत मूल्य अवश्य भुगतान करें और कोयले का उपयोग अधिक से अधिक करें।

देश तथा विदेश में पेट्रोलियम की खोज करने के स्थान पर, हमारे पास जो कुछ भी उपलब्ध साधन हैं सर्वप्रथम हमें उन्हीं को विकसित करना चाहिये।

इस विधेयक का परिणाम यह होगा कि सरकार को कोयले तथा कोककर कोयले के लिये दो मुद्रा कोषों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके लिए अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी और जटिलतायें बढ़ेंगी। यदि आप को कोषों की व्यवस्था ही करना चाहते हैं तो यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि प्रमुख कोयला विकास कोष है और अमुख कोककर कोयला विकास कोष।

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati): The Bill provides for the development of mines instead of safety and conservation of coal. I would like to say one thing in this regard, that the coal you are going to extract from the developed coal mines, you should try to explore its various uses. It is only then, you can develop coal mines in proper way. Cowdung in our country side, is being utilized for fuel instead of fertilizers, consequently, the consumption of the coal being reduced and the coal miners find themselves unable to develop or run their coal mines. Shortage of wagon supply is also hampering coal supply. That is why, huge stocks have been piled up at coal mines. In order to encourage coal consumption, I would like to suggest, that the Government should try to find out various new mines of coal, such as making a gas from the coal to be used as fuel and make it available for villages. This would help our farmers to make more and more use of cowdung for fertilizers and would enable, the Government restrict the heavy expenditure made for the availability of Sulphate and Uria fertilizers.

Secondly, the officials appointed for the board should possess the technical knowledge and experience in this field. The board constituted in this way may properly develop coal mines and the coal would not be piled up at mines.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : The Government intends to develop coal mines besides conservation and safety of coal through this bill. It has been alleged correctly that the coal board is the centre of corruption. The money allotted for the development of coal mines and for the conservation and safety of the coal is not being utilized for these purposes. The amount given for storing and adverse factors in not spent by the big capitalists, the coal mines. The report of the Members of the Coal Board goes in favour of coal mines and thus the Members extract a huge amount from private industrialists. That is why, the very object for which the grant is made, never delivers the good, there is no check for the amount given to Coal Board and no wayout to check the rampant corruptton. The Government should pay their attention towards high officials who are blackmailing public money.

* *

Mr. Chairman : Either you withdrawn it would go on record.

Shri Ramavatar Shastri : A sum of Rs. 7 crores on account of Provident Fund and Rs. 30 crores on account of Royalty is due to workers with the coal mine owners of Bihar, Bengal and Madhya Pradesh.

I am apprised of one Minister who is bussy in topphing operations, today is having lackhs of Rupees with him due to Royalty. I had enquired about this matter during last session and was replied the information is being collected and will be placed on the Table but that has not so far been done.

The amount sanctioned for storing and adverse factors etc. should be spend by the Government themselves. It is only then, we can achieve the desired development and remove the shortage of cooking coal, we are actually not short in cooking coal. Mine owners has created this trouble. As soon as the Govenment makes rise in prices, the cooking comes out and there remains no shortage at all. Coal Mines should be nationalized in the interest of the workers and in the interest of the nation. Earliest it is done, the better it is.

As regards the small coal mines, the Government should implement the recommendations made by Balwant Rai Mehta Committee inorder to achieve the maximum possible profits from these mines. In accordance with the recommendations of the Committee, the Government should atleast undertake the task of amulgamation its nationalisation of coal mines is not possible. It is only after amulgamation of mines, that the Government may achieve the desired object of this bill.

The Government should pay their attention towards the safety and welfare of mine workers. It is said that India is quickly advancing towards socialism, workers are dominating supreme there and the country is emerging on a public welfare State. But really we donot find any sort of such development here. This Act should be implemented such a way so that the desired fruits might be achieved.

In the end, I support the Bill and hope the hon. Minister would pay his attention to my suggestions.

Shri Mohammad Ismail (Barrackpore) : Mr. Chairman, Sir, hon. Member Shri Shastri has just expressed his views regarding the working of the Coal Board.

The business of coal is dealt with by big companies like Martin Burn etc. Small collieries are being run by small companies and the N.C.D.C. which is a Public Sector

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

**Expunged as ordered by the Chair.

Undertaking, deals with this business. The Coal Board keeps itself in touch with big businessmen and it devides plan to crush small collieries. A colliery area of Asansol once caught fire and the coal had been burning for two-three years but the Coal Board did not help in extinguishing the fire because there was no colliery run by big businessmen.

I suggest that big collieries should be nationalised and small collieries should be encouraged and helped.

I have recently visited the National Coal Development Corporation. Bungling is prevalant there. Thousands of tonnes of coal caught fire a year ago. The labourers informed me that the fire was not extinguished. When another Manager goes there to take his duty, the site is cleaned.

The N.C.D.C. works without any proper plan. An imported coal-washery of daily capacity of twenty thousand tonnes has been established. But only six thousand of coal is extracted daily from three collieries there. Now this is a problem of running that washery. The responsible persons of that washery apprised me of the fact that three by-products are produced with the water which remains after washing coal and they can be supplied to people of the country in place of firewood.

I have also come to know that the managers there work only for a year or two and then they resign their post. Once a big officer was found guilty of theft. He resigned therefrom and purchased the shares of two-three collieries in Jharia and stated to run the business. Neither any enquiry was held nor any step was taken by the N.C.D.C. in this regard.

Though the Giddi colliery is the biggest one, there is no arrangement for safety. Big dumpers come out of the colliery bringing coal in them and cause the coal-dust to rise but no safety-officer goes there to look into the matter.

More serious thing about the big Public Sector Undertaking like the N.C.D.C. which I noticed in this that eighty percent of labourers are there on the daily-wages and piece-rated basis and a few are on the mothly-rated basis. Different kind of wages are paid to the workers who have been assigned similar work. This is causing discontentment among them. The Government themselves have created such situation there.

Grade 'A' and Grade 'B' are given to the workers who perform equal duties of driving dumpers etc. This distination hinders the smooth working of the N.C.D.C. I was informed that the officers created this situation. Besides this, there is a welfare department dealing with Medical and Health departments which is run by the Central Government. Another health centre is run by a company where employees working on the monthly-rated basis are treated. The workers have to face a lot of trouble in getting medical treatment. There is no adequate room for school building there. The school is being run in shifts. The N.C.D.C. does not pay any attention to them.

So far as the development is concerned, this Board so far deal with conservation, now it has to deal with safety and development also. There are proposals of entrusting the Board with the work of Development. But nothing fruitful would come out unless some changes are made open-mindedly in this Board. The small collieries must be encouraged and helped and big ones should be nationalised. This should be taken seriously otherwise any untoward incident may happens.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Mr. Chairman, Sir, in the previous Bill 'safety in coal mines' was mentioned but now it is replaced with 'safety in and development of'. The word 'development' creates doubt. It has been stated that the Coal Board has been helping coal mines by providing them money but why the coal mines could not be developed as yet ? The coal mines owners did not utilise a large amount of the profit in modernising the mines. Similarly other industries viz. sugar industry, textile industry were

also not fully modernised. The mine owners in Private Sector earned the profit but did not utilise the profit for the development of mines. I want to know the profit earned by the mine owners and the percentage of the profit used for development of the mines. The Government are opening avenues for helping the coal mine owners of Private Sector. Had the Government really wanted to develop the coal mines, they would have nationalised these mines. If this industry is nationalised, the profit whatever that might be, would be in the interest of society. If the Government want to bring socialism, they should take over the big industries. A vigilance cell should be created for checking the arbitrary conduct of the officers of the Coal Board. The Government should set up such a machinery which can remove the prevalent corruption in the Coal Board.

The condition of labourers is pitiable. The Government do not pay their attention for improving their condition for years. The coal mine labourer's participation in management is very essential for their development.

I have my own doubts about the functioning of the National Coal Development Corporation for development work of the coal mines. A nuclears should be set up which can watch its functioning. And at the same time the participation of the workers must be there otherwise no welfare will be possible for them.

So far as the safety is concerned, I agree to that view. Therefore, I support the Bill but not *in toto*.

Shri Nitiraj Singh Choudhary : Mr. Chairman, Sir, the purpose of this Bill is limited and since 1967, 75 paisa per ton...

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : 1968 is mentioned in your Bill.

Shri Nitiraj Singh Choudhary : In this Bill there is a provision of giving a right to utilised the money which has been realised since October 14, 1968.

Shri Tyagi criticised the Coal Board assuming it the haul of corruption and also said that a large amount of the money given to the Coal Board is spent on the officers. I want to tell him that an amount of Rs. 40 lakhs is spent on the Administration in a year while the Coal Board spends Rs. 1300 lakhs in a year. The Administrative Reforms Commission has recommended to unite the Coal Board and the Coal Controlier. We are coming forward to reorganise them.

So many views have been expressed regarding the safety organisation. This organisation is directly concerned with the Ministry of Labour. Since this organisation came into being a little development work has been done in this respect. I agree to the views expressed about the Dhuri mine. We shall make as much effort to improve the condition of the workers in this regard.

Something has been said regarding the Provident Fund but unfortunately this subject is concerned with the Ministry of Labour. They have to take action in this regard. However, we are trying to help in realising the money which is in the name of the workers and to see that their money is deposited in their accounts. I have noticed that a large amount of un-paid wages of the workers is lying undisbursed. We are thinking to help the workers in receiving their un-paid wages.

Some hon. Members have said that due to increasing consumption of diesel in Railway the coal consumption will be reduced and the wanted to know the manner in which the surplus coal will be utilised in that case ? There are already two Fertilizer units at Sindri and Neyveli and they depend upon coal. Some other units are also proposed to be set-up. These units will manufacture manure and consume coal.

Some of the hon. Members have also suggested for availing the coal to domestic

use. 'Leko' briquettes in Neyveli lignite factory are manufactured in large number and we are trying for increasing its production.

The Central Fuel Research Institute has done research in this regard and prepared a hard-coke which can be made available to people. Regarding cooking-coal, it has been stated that it is purchased inviting tenders from big mine owners and the big owners receive it from the small mine owners. It should not be done. The Steel Industry mainly consume this kind of coal and we are talking with them about the ways of its consumption.

One thing regarding conservation of coal has been said. Its conservation and production may increase only when its extracting is done well. This Ministry is preparing a Bill in which a provision of amalgation will be there in case if there is no voluntary exhibition. Its drafts has been sent to the Ministry of Law and as and when this is received back, this will possibly be brought during this session of the House.

An hon. Member has said about the Energy Commission. I think, he means by the Energy Planning Committee which was organised under the chairmanship of Shri M. S. Thakkar. That Committee made seven recommendations regarding coal sector and almost all of them have been accepted and are being considered.

Besides this, the views about nationalisation workers' representation etc. have been expressed. We have decided to include one representative of workers in the Board of Directors.

The policy of voluntary exhibition has not been succeeded that is why it is necessary to amalgamate so that the coal-waste remaining between the land of small quarries may be utilised.

With these words I express my gratitude to those hon. Members who have commended this Bill and I hope that it would be passed.

Shri Himat Singka (Godda) : May I know the steps taken by the Government to check the loss being caused to N.C.D.C. ?

Shri Nitiraj Singh Choudhary : For the information of the hon. Member I would like to say that N.C.D.C. has earned profit.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कोयला खान (सरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब विधेयक पर खण्ड-वार विचार किया जायेगा । खण्ड 2 से 8 तक के बारे में कोई संशोधन नहीं है । अतः मैं उसे साथ ही मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 8 तक विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 से 8 तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2 to 8 were added to the Bill.

खण्ड 9

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Sir, I beg to move my amendments Nos. 1, 2 and 3.

Sir, this Bill is a measure to help the owners of the coal mines particularly. Therefore, my first amendment is that the words "owners, agents or managers of coal mines" appearing in Clause 9-1-A(B) should be replaced by "State Governments and local authorities".

My second amendment is that word "exploration" should be inserted after word 'or' in line five at page three. The reason for which I have moved this amendment is that a time may come when the existing deposits of coal would be exploited and at that time we will have to face the similar problem which is being confronted by Britain. India is considerable rich in coal deposits which are yet to be explored. Therefore, besides the work of scientific research the work of exploration should also be undertaken by them. Thus the word 'exploration' should also be inserted after the word 'or'.

My third amendment is that the words "and owners, agents or managers of coal mines" should be omitted from line 9 and 10 at page three. I do not find any justification in providing grant to owners, agents or managers of coal mines when it would also be given to State Governments, research organisation and local authorities. I hope that the hon. Minister would certainly accept my these amendments.

Shri Nitiraj Singh Choudhary : Sir, so far as the exploration is concerned this work is dealt with by the Geological survey of India. If the amendment moved by the hon. Member is accepted it would lead to the duplication of work. The work of exploration, cannot be assigned to two authorities because in that care it would cause infructious expenditure. Therefore, I am not able to accept his second amendment.

So far as the first and third amendments of the hon. Member are concerned I would like to submit that at present of the work development of mines is done through the owners of the coal mines. If we change the medium now we will have to creat a new establishment for controlling the work. In that case we will have to spend heavy amount on the officials and the employees of that machinery. Thus, I am not able to accept the amendments of the hon. Member

अध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य श्री शिव चन्द्र झा के संशोधन संख्या एक के पक्ष में हैं वे कृपया खड़े हो जायें ।

Shri Shiva Chandra Jha : The accepted procedure of voting should be exercised.

Mr. Chairman : We can adopt both the methods.

Shri Shiva Chandra Jha : I protest against it.

श्री शिव चन्द्र झा सभा-भवन से बाहर चले गए ।

Shri Shiva Chandra Jha left the House.

सभापति महोदय : जो माननीय सदस्य संशोधन के पक्ष में हैं कृपया खड़े हो जायें...कोई

नहीं। जो इसके विरोध में हैं कृपया वे खड़े हो जायें। खड़े हुए माननीय सदस्यों की भारी संख्या है।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

The amendment was negatived.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 और 3 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 9 was added to the Bill.

खण्ड 10 तथा 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 10 and 1, the Enacting Formula and Title were added to the Bill.

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

Shri Beni Shanker Sharma (Banka) : Sir, during the first reading our hon. friend Shri Jha demanded that out of the profit earned by the owners of coal mines certain amount should be spent on modernisation of mines. It does not concern me whether they spend any amount on it or not. But it concerns me most that funds provided to the owners of the mines by the Government for closing up the exploited mines with sand etc. should utilised properly and exclusively for that purpose.

So far as the safety of the mines is concerned I would like to say that there are two aspects of the problem. Besides the safety of the mines, we will have to secure the security of the areas under mines. It has been observed several times that the land starts sinking at several places and the crops are destroyed. Therefore, it is also our duty to avoid such situations.

When this Department was under the charge of Shri Hathi, I raised an half-on-hour discussion sometime in November, 1967 regarding the safety of Dharia city. Due to the unoriented working carried out in the mines the road gave way at several places and the houses cracked. People of the city could not sleep at night due to the explosion of dynamites.

At that time Shri Hathi along with me did visit the place and gave instructions to

the owners of the mines not to use dynamite at night. Reference was also made regarding the sand stowing. But I am sorry to say that nothing could be done so far. I also wrote a letter to Shri Bhagwat Jha Azad regarding this matter. But the conditions under which the owners of the coal mines are supposed to work are not being fulfilled by them. It was personally told to me that since these mines are rich in certain valuable metallurgical things it is desirable to exploits them. But may I know whether these things are more precious than the lives of the human being ? Therefore, I request the hon. Minister that he should ensure the working of these mines according to the instructions given by Shri Hathi.

It has been observed that the owners of the mines do not utilize the funds given to them for the development of mines, for sand stowing etc. On that very purpose. It is highly objectionable and the hon. Minister should give assurance on the floor of the House that these funds would not be misutilised in any case. In this context I support the amendment suggested by Shri Shiva Chandra Jha. I am of the view that owners of the mines should not be provided with the development funds and this work should be undertaken by the Central Government or by the State Government.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : महोदय ! इस विधेयक को पारित किये जाने से पूर्व मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं ।

कोयला बोर्ड गत 18 वर्षों से कार्य कर रहा है । किन्तु मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस बोर्ड ने कोयला खानों की सुरक्षा आदि के अपने मूल कर्त्तव्य का ठीक से पालन किया है । इस बोर्ड के हाथ में खानों का विकास कार्य सौंपने से पूर्व हमें इस बात की जांच कर लेनी चाहिए । बरौनी पाइप लाइन के मामले से सभी परिचित हैं । इस लाइन को खान क्षेत्र में बिछाना स्वंय पाइप लाईन के लिए भी खतरनाक हैं तथा वहां की खानों से कोयला निकालने में भी कठिनाई होगी । मैं जानना चाहता हूं कि कोयला बोर्ड ने उस समय इस बारे में क्या कार्यवाही की । इस कोयला बोर्ड ने तथाकथित विदेशी विशेषज्ञों के मार्ग दर्शन में इस पाइप लाइन पर इतना अधिक धन खर्च किया तथा उसे खानों के क्षेत्र में बिछाकर सारा धन व्यर्थ कर दिया । हमें आशंका है कि कुछ खान मालिक चेयरमेंन श्री ए० के० राय के ग्रुप के हैं जिन्होंने इस मामले में षड़यंत्र किया है । श्री ए० के० राय के चेयरमेंन बनने पर खान मालिक निर्भय हो गये तथा के सब यही चाहते थे कि पाइप लाइन इसी प्रकार बनी रहे जिससे हम अदालत में जाकर करोड़ों रुपये के मुवावजे की मांग कर सके ।

इन लोगों ने सरकार तथा जनता को विकट परिस्थिति में डाल दिया, क्योंकि यदि इस पाइप लाइन का रुख बदला जाये तो उस करोड़ों रुपयों का अतिरिक्त व्यय होगा और यदि पाइप लाइन उसी प्रकार रहने दी जाये तो मुआवजे में इतना ही धन देना पड़ेगा । मैं इन बातों के ब्यौरे में न जाकर इस समय केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कोयला बोर्ड की चौथी योजना में प्रति वर्ष 14 करोड़ रुपयों की राशि देने से पूर्व हमें यह देखना होगा कि क्या यह उत्तरदायी बोर्ड है तथा क्या इसने पहले अपना कार्य उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से निभाया है ।

जहां तक कोयला खानों के विकास का सम्बन्ध है हम इसका समर्थन करते हैं किन्तु जिस व्यवस्था या ऐजेंसी के माध्यम से यह कार्य कराये जाने का प्रस्ताव है हमें उस पर कोई विश्वास नहीं है मेरा निवेदन है कि कोयला बोर्ड तथा इंस्पेक्टोरेट आफ माइन्स दोनों ही व्यवस्थाओं को पूर्ण व्यवस्थित किया जाये जिससे कार्य सुचारु रूप से चल सके ।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : जहां तक श्री शर्मा द्वारा उठाई गई बातों का सम्बन्ध है, श्री आजाद यहां उपस्थित हैं तथा वह उनपर उचित कार्यवाही कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने श्रम मंत्रालय से सम्बन्धित बातें ही कही हैं।

मैं श्री गुप्त को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि सरकार इस कार्य को कोयला बोर्ड को नहीं सौंप रही है। इस संगठन को पूरी तरह सुव्यवस्थित करने के उपरांत तथा उसका पूरा ढ़ांचा बदलने के उपरांत ही उसे यह कार्य सौंपा जायेगा।

प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह सुझाव दिया है कि कोयला बोर्ड तथा कोयला नियंत्रक को मिलाकर एक व्यवस्था कर दी जाये तथा इन सभी बातों पर विचार किया जा रहा है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motions was adopted.

लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय : यह कल जारी रहेगा। अब सभा स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 10 नवम्बर, 1970/19 कार्तिक, 1892 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, the 10th November, 1970/Kartika 19, 1892(Saka)